खण्ड-438, अंक-7
बुधवार, 26 वैशाख, शक संवत् 1923
(16 मई, 2001 ई0)

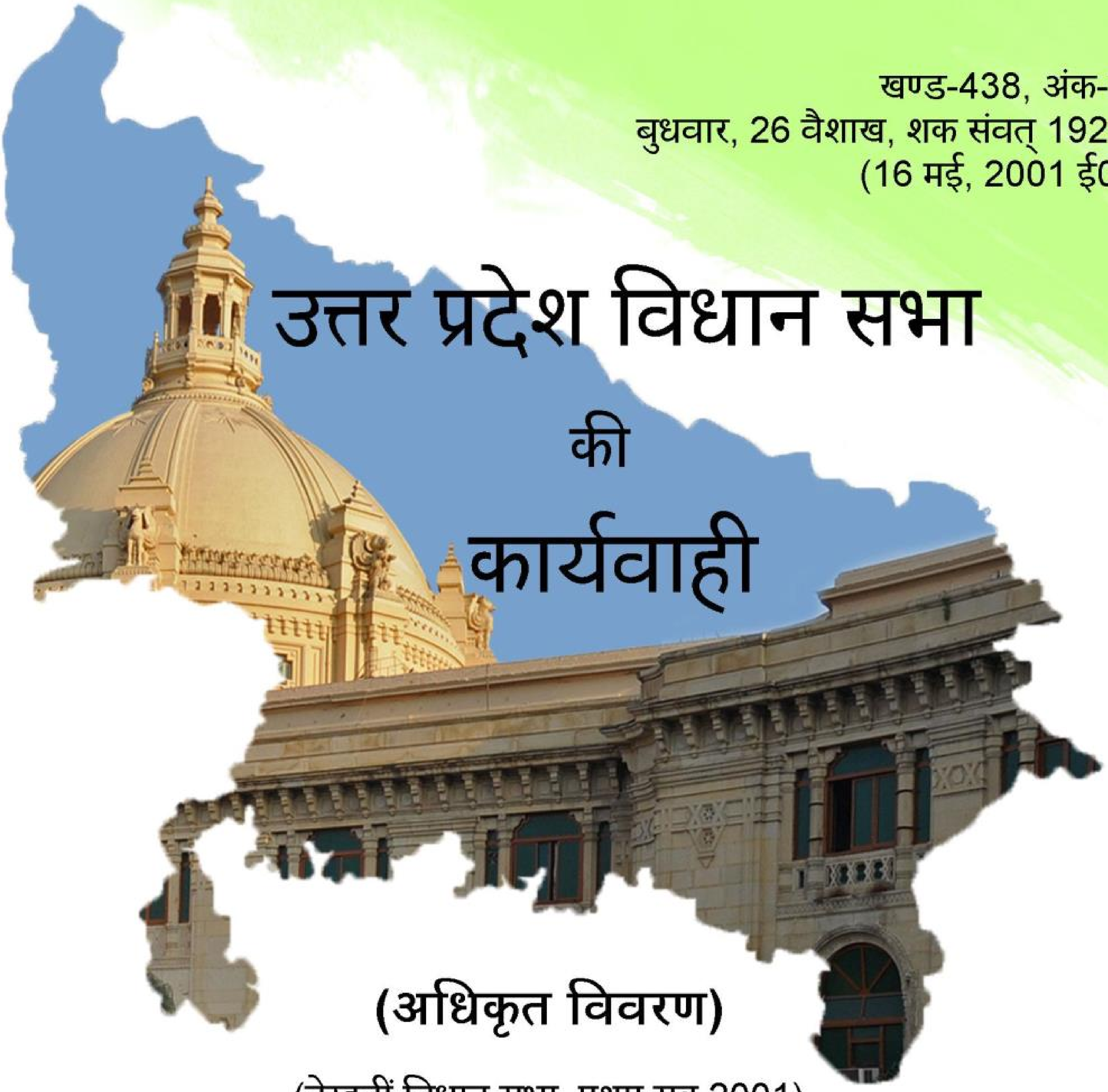

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या

उपस्थित सदस्य	ग-घ
प्रश्नोत्तर	1-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-57
जनपद हरदोई के जिला कारागार की कतिपय व्यवस्थाओं में सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्रान्तर्गत तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद बागपत में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार भाव पर देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद जालौन के ग्राम मरगौधा में निर्मित पेयजल नलकूप का उर्जीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो का पुर्ननिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बागपत के बिनौली अमीर नगर सराय मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59-61
विधायक निधि से लगने वाले हैण्डपम्पों को केवल जल निगम से ही लगवाये जाने सम्बन्धी आदेश परिवर्तित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	61-68
एक वर्ष में विधान सभा के नब्बे दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	68-70
श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 3 मई, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पीठ के निर्देश के बावजूद शासन द्वारा रिपोर्ट मा0 सदस्य को उपलब्ध न कराये जाने पर औचित्य का प्रश्न	70
जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर चन्दौरा हरकपुर मार्ग पर स्वीकृत पुल न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71
प्रथम सत्र 2001 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71
जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम धोषी रौतापुर में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुराधा लोधी, प्रधान तथा श्री राकेश व अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	71
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	72-83
प्रदेश के समीपवर्ती कतिपय जनपदों में शराब की तस्करी से उत्पन्न स्थिति विषयन विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	83-89
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन).....(जारी)	89-112
चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न कराये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	112-113

विषय	विषय-सूची	पृष्ठ संख्या

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन).....(जारी) 113-136

प्रदेश के मंत्रिपरिषद् के सदस्यों में सामूहिक जिम्मेदारी का कथित अभाव दृष्टिगोचर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 136-142

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन).....(स्वीकृत) 142-148

सिंचाई विभाग की अनुदानों को दिनांक 18 मई 2001 तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (18 मई 2001 तक स्थगित) 149

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 149-150

जनपद मथुरा में आंधी,ओला आदि दैवी आपदाओं से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया स0 वि0 स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य 150

शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को दिये जाने वाले बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य (स्थगित) 151

प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 151

जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद व मोहनगंज के थानाध्यक्षों द्वारा उक्त थानों में तैनाती के दौरान की गई नागरिक उत्पीड़न की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री तेजभान सिंह स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत की गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 152-154

जनपद इटावा तहसील भरथना के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिलाये जाने विषयक श्रीमती सुख देवी वर्मा स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सुचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य 154

राजकीय इण्टर कालेज हैदरगंज एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज लोरोमाफी जनपद फैजाबाद के भवन विहिन होने की स्थिति में श्री सीताराम निषाद स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य 154-155

जनपद फिरोजाबाद में आवास एवं विकास परिषद सुहागनगर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भवन संख्या-2/181 के आवंटी श्री जगदीश प्रसाद को उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री कौकब हमीद स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य 155-156

नत्थियां 157-161

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 16 मई 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भईया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम , श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल. श्री	मेरठ
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
आर0के0 सिंह, पटेल, श्री	बांदा
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चेतराम,श्री	शाहजहांपुर
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बंश नारायण सिंह श्री	भदोही
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
भरत सिंह, श्री	बलिया
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0	वाराणसी
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भईया', कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
राजा गज़नफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा0	कानपुर देहात
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिवाकान्त, श्री	प्रतापगढ़
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुन्दर लाल वर्मा, श्री	मेरठ
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों के सामूहिक बीमा की धनराशि में वृद्धि की योजना

**1-डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों द्वारा सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत उनसे प्रीमियम के रूप में ली जाने वाली मासिक धनराशि में वद्धि करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्तावित वृद्धि की रूपरेखा क्या है? यदि नही, तो क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये इसे लागू करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव हरीश जी)-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, माननीय वित्त मंत्री जी के अनुरोध पर इस प्रश्न को कल तक के लिये स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में किसानों के गन्ने मूल्य के भुगतान की गतिमान कार्यवाही

**2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों पर प्रदेश के किसानों का कितना गन्ना मूल्य 28 फरवरी, 2001 तक बकाया है? उसके भुगतान हेतु सरकार क्या कोई उपाय कर रही है? यदि हॉ तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का दिनांक 28 फरवरी, 2001 तक रू0-2792.77 करोड़ की देयता थी, जिसके सापेक्ष रू0-2015.35 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका था तथा रूपये-777.42 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया था।

बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिल मालिकों, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम तथा उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ के अधिकारियों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें करके अधिकाधिक गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की कोई कार्य योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? क्या सरकार जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण के

लिये एक समान जनसंख्या नीति बनाकर उसके लिये कोई विधि बनायेगी जो समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों पर बाध्यकारी होकर समान रूप से लागू हो? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मातृ एवं शिक्षा कल्याण व परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश की घोषित जनसंख्या नीति के अन्तर्गत जनसंख्या नियंत्रण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

जनसंख्या नियंत्रण की कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की जा चुकी है जो समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों पर समान रूप से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में पहले भाग और दूसरे भाग दोनों में 11 जुलाई, 2000 की जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में चर्चा की है। पहले भाग में उन्होंने यह कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लगभग 10 महीने बीतने पर भी और नीति घोषित होने के बाद आज मई, 2001 आ गया, जो कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है, उसमें कितना समय लगेगा और कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा। समाज के सभी वर्गों पर, बिना किसी जाति, धर्म के भेदभाव किये हुये राष्ट्र, देश और प्रदेश के हित में क्या इसको सरकार कानून बनाकर कड़ाई से लागू करने पर विचार करेगी?

श्री सरदार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नीति घोषित होने के बाद आबादी को नियंत्रित करने के लिये हमारी कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक परिवार नियंत्रण पखवारा मनाया गया है, जिसमें रैली, गोष्ठी इस प्रकार के आयोजन पूरे प्रदेश में किये गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, कार्य योजना कब तक तैयार हो जायेगी और कब तक लागू किया जायेगा, बिना किसी जाति, धर्म भेदभाव के।

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, पूरे साल का कार्यक्रम तैयार हो चुका है और एक महीने के अन्दर हम उसे कैबिनेट से पास कराकर युद्धस्तर पर कार्य शुरू कर देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रश्न के उत्तर में कहा, कार्य योजना तैयार की जा रही है और अब अनुपूरक के उत्तर में कहा, तैयार है, कैबिनेट का एप्रूवल लेकर लागू करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह कार्य योजना क्या है और क्या उसके प्रारूप से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, हमारी जो जनसंख्या नीति है, उसमें 2016 तक हमने लक्ष्य रखा है कि जो प्रजनन दर इस समय 3.99 है, उसे 2.1 प्रतिशत तक लाना है। उसके अनुरूप हमारी कार्य योजना को विभिन्न ग्रुपों जैसे जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, ग्राम विकास विभाग, एन0जी0ओ0, युवक मंगल दल आदि के सहयोग से एक राष्ट्रीय आन्दोलन बनाकर महिलाओं का सशक्तीकरण कर स्वेच्छा से करने का समावेश किया गया है, जिससे आगे चलकर लड़कियों की शिक्षा बढ़ाकर लक्ष्य की पूर्ति करेगें।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैंने पूछा था कि कार्य योजना क्या है? मंत्री जी तो कार्य योजना को लागू करने के उपकरणों के बारे में बता रहे हैं। जब सरकार के द्वारा कार्य योजना तैयार की जा चुकी है, कैबिनेट के अप्रुवल के लिए तो कम से कम माननीय मंत्री जी उसको संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत करा दें?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, अमुक-अमुक माहवार हमारे कार्यक्रम होंगे, इस साल में और उसके अगले साल में इसका पूरा का पूरा कार्ययोजना में विवरण है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कार्यक्रम क्या है, यह सदन इस पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है। कल भी बजट के दौरान मंत्री जी ने कहा था कि कार्य योजना तैयार है, कैबिनेट का अप्रुवल होना है। आप किस तरह से इसके लिए जनता को शिक्षित करेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे, आपका कार्य क्षेत्र केवल महिलाएँ होंगी या पुरूष भी होगे?

श्री अध्यक्ष-

आप इसके लिए विद्यालय में जायेंगे, गॉव में जायेंगे, इसकी रूपरेखा क्या है?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, यह बड़ी कार्य योजना है जो कैबिनेट के अप्रुवल के बाद घोषित कर देंगे।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, क्या यह इतनी गोपनीय है कि इसको सदन में बताया न जा सके?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, मुख्य-मुख्य बिन्दु बता देता हूँ। मान्यवर, इसमें विभिन्न ग्रुपों की सहभागिता है, युवक मंगज दल है, महिला मंगल दल है, एन0जी0ओ0, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, धर्म गुरू, महिला संगठन, कोआपरेटिव संगठन इन सब का सहयोग लेकर एम0एल0ए0, एम0पी0 इन सब का सहयोग लेकर इसे जनान्दोलन बनायेंगे। उसमें महीनेवार इसका पूरा विवरण है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपने संरक्षण दिया है, कार्य योजना क्या है? मंत्री जी इसको लागू करने के उपकरणों, समूहों के नाम बता रहे हैं। कार्य योजना के एक-दो बिन्दु तो बता दें, जुलाई से दिसम्बर तक, गांवों में और चाहें जो क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार का कार्यक्रम ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से हम जनसंख्या नियन्त्रण की जो वांछित दर है, वह कैसे प्राप्त कर पायेंगे? मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सरदार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मैंने निवेदन किया है कि 2016 तक हमारा लक्ष्य कुल प्रजनन दर को 2.1 करने का है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी पूछ रहे हैं कि योजना की प्रकृति क्या है? यह किस प्रकार की योजना है? विद्यालयों में शिक्षण करेंगे, बाजार में आयेंगे, फिल्म दिखायेंगे, नाटक करेंगे और किसी प्रकार से प्रशिक्षित करेंगे, केवल महिलाओं को करेंगे या केवल पुरूष को ही करेंगे?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, जो मलिन बस्ती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां लोगों को प्रेरित करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए नाटकों के माध्यम से, रामलीला, रासलीला और अन्य जो लोकल लोक नृत्य, लोक गीत हैं उनके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम ये और विभिन्न समूहों को लेकर समग्र रूप से सभी धर्मों पर, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है।

डा0 वेद प्रकाश सिंह,एम0एस0-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, बडी विस्तृत योजना है, परिवार कल्याण की, इसमें इन्होंने एक ग्रीन कार्ड देने की बात कही है कल चर्चा आयी थी, वहां भी मैंने बात रखी थी कि ग्रीन गार्ड के द्वारा पुवरटी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों को सुविधा दी जाती है, क्या ग्रीन कार्ड आज की तारीख में भी चालू है या दिए जा रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जो ग्रीन कार्ड धारक है उनका बढ़ाने की कोई योजना बना रहे हैं। उसके अन्तर्गत जो विभिन्न विभागों द्वारा अनेकानेक सुविधायें गरीब लोगों को दी जाती हैं उन सुविधाओं को तभी दें जब ग्रीन कार्ड धारक हों। क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री सरदार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक महीने का समय मैंने इसीलिए मांगा है, कल जो हमारे मित्रों और माननीय सदस्यों के सुझाव आये थे, ग्रीन कार्ड की बात हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, कोआपरेटिव के सुझाव हों या कोई स्पैसिफिक चुनाव हो, उन सबको योजना में शामिल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हो गया है जिसमें सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष भी हैं, जो सुझाव आयेगा उसके अनुसार हम विचार कर चलते रहेंगे।

डा0 वेद प्रकाश सिंह, एम0एस0-

मान्यवर, मेरा स्पैसिफिक सवाल था कि इसका स्फेयर बढाने की कोई कार्य योजना सरकार के पास है?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, ग्रीन कार्ड योजना लागू है उसका स्फेयर हम और बढ़ायेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे प्रदेश और देश की बहुत बड़ी समस्या है। उस पर चिन्ता करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन जो सवाल आदरणीय सदन के सम्मुख आया है जिसमें शासन स्तर से स्पष्ट रूप से उत्तर आना चाहिए था, कोई उत्तर नहीं आया। केवल लीपापोती की गयी है। माननीय मंत्री जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे साथ रहे हैं, पता नहीं उधर जाने से क्या असर पड़ गया? स्पष्ट सवाल था कि क्या कार्य योजना है, उसका उत्तर नहीं आया? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो जनसंख्या कम करने में विशेष दिलचस्पी रखते हैं उनको किसी प्रकार की विशेष सुविधा शासन स्तर से जैसे लाइसेंस बनवाने के लिए या गरीब लोगों के लिए विशेष दुकानें आवंटित करने की कोई कार्य योजना है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको हम हर क्षेत्र में ले जायेंगें। 1975 में इसके लिए कानून आया और जबरदस्ती नसबन्दी हुई उसका हश्र पूरे देश ने देखा और उस समय की सरकार ने भी देखा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शासन के पास कोई इस तरह की भी योजना है जिससे लोगों को विशेष सहूलियत दी जाय, जिससे लोग स्वयं इस योजना में सहयोगी साबित हों?

श्री सरदार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है, कार्य योजना, है वह स्वैच्छिक है, समझाबुझाकर, एजुकेशन बढ़ाकर, तमाम संस्थाओं एवं संगठनों का सहयोग लेकर करने की है। जहां तक सुविधांओं की बात है, महिलाओं के लिए सुविधायें हैं। जो योजना में सहभागी बनेंगी उनको नौकरियों में वरीयता दी जायेगी, प्रोन्नतियों में वरीयता दी जायेगी, सरकारी लाइसेंस वगैरह में वरीयता दी जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जनसंख्या नीति के अन्तर्गत नियंत्रण के जिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। कई माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि उसकी रूपरेखा क्या है, जिसका जवाब नहीं आया? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कार्य योजना में ऐसा कोई कानून बनाने पर सरकार विचार कर रही है कि दो-तीन बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों लोगों को विभिन्न चुनावों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके या सरकारी नौकरियों में प्रतिबंधित किया जा सके। मान्यवर, इसी प्रकार जैसे सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उन पर एक पत्नी से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबन्ध है। क्या इसी तरह से सामाजिक जीवन में काम करने वाले विभिन्न जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगें?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, तो जो कार्य योजना है उसका हमने स्पष्ट जवाब दे दिया है। यह कार्य हम समूह के माध्यम से, धर्मगुरूओं के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, महिला संगठनों के माध्यम से करेंगे जिससे इसकी जो भयानकता है उसें लोग समझेंगे. इस प्रकार परिवार कल्याण के बारे में जो कार्य है, लोगों को जागरूक करेंगें जिससे वह लोग स्वयं अपना परिवार सीमित कर लें। जहां तक पंचायत और कोआपरेटिव के चुनावों की बात है, मान्यवर जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार ने रोकलगा दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होगा इसमें सभी दलों के लोग होंगे, यह बात सदन के समक्ष कल भी आ चुकी है, और आज फिर आ रही है, इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए और इसे हम बैठक के निर्णयों के पश्चात अपनी कार्य योजना में शामिल करेंगे और जो आगे होने वाले चुनाव है, उनमें हम लोकल बॉडीज और कोआपरेटिव में इस नियम को निर्णय के उपरान्त लागू करने का प्रयास करेंगें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उनकी जो कार्य योजना है, कल भी बताई थी और आज भी बताया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस साल 2000-2001 में जन्मदर को कम करने का क्या लक्ष्य रखा गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ?

श्री सरदार सिंह-

हमारे जो आंकड़े हैं, प्रदेश में जन्मदर के वह 1951 में 11.82 प्रतिशत है, 1961 में 16.66, 1971 में 19.78 1981 में 25.45 हैं और 1991 में 25.48 हैं और 2001 में 25.80 पर स्थिर हो गयी है। मान्यवर, 2016 तक आवादी की प्रजनन दर की 2.1 पर लाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर. मैं जानना चाहता हूँ कि 1999-2000 में इश्तहार, नौटंकी आदि के जो कार्यक्रम किये गये है उन पर कितना धन खर्च हुआ है?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, धन के बारे में तो कल के बजट भाषण में बता दिया है इस समय यह सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-28 का उप नियम-7 देंखे। उसमें ऐसी सूचना नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों अथवा सामान्य निर्देशों ग्रंथों में उपलब्ध हो, आप कल का भाषण देख लीजिये आपको पूरे आंकड़े मिल जायेंगे।

डा0 अम्मार रिज़वी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 1999 में इस प्रदेश की आबादी क्या थी और इस समय क्या है? आपने जो कार्य योजना लागू की है उसमें कौन कौन से कदम उठाये गये है? आपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बात कही तो क्या इसमें वर्तमान में मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण है क्या उनका भी सहयोग ले रहे है? मेरा अगला प्रश्न यह है कि यह देश और प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है लेकिन सबसे कम पालीटिकल विल देखने में आती है। हर पार्टी ने, 1977 से लागू करने की बात कही लेकिन जिसने इसको लागू करने का प्रयास किया उसको पीछे हटना पड़ा है। क्या आप इस संबंध में कड़े कदम उठायेंगे चाहे उसका कोई भी राजनीतिक परिणाम या नुकसान क्यों न हो? मेरे इन चार प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री सरदार सिंह-

सरकार आबादी के नियंत्रण के लिये सभी कदम उठायेगी और इससे क्या राजनीतिक लाभ होगा या हानि होगी उसका कोई ध्यान सरकार नहीं रखेगी।

डा0 अम्मार रिज़वी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बता दिया वही उत्तर मंत्री जी ने दे दिया। मैंने जो पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया।

प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु कार्य योजना

*2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में अन्धता निवारण हेतु क्या सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा राम बाबू हरित)-

जी हाँ। विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में वर्ष 1994 से चलाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर संस्थागत इकाईयों में नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विकास, मोतियाबिन्द आपरेशन में नवीनतम तकनीक (आई.ओ.एल. विधि) का सयमावेश चिकित्सकों/पैरा मेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण, नेत्र बैंकों की स्थापना तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान सम्मिलित है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला अन्धता नियंत्रण समितियों के माध्यम से किया जाता है। इन समितियों को पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदत्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतर शाक्य-

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है दुनियां में सबसे ज्यादा अंधों की संख्या भारतवर्ष में है। उत्तर प्रदेश भारत वर्ष में है। प्रदेश में जो भी अंधे लोग हैं उनकी संख्या को देखते हुये उनके कारण उत्तर प्रदेश में एक अलग समस्या पैदा हो गयी है।

मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में वर्ष 1994 में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अंधता निवारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है दूसरे जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है वह

निष्प्रभावी हैं मेरी निश्चित जानकारी है कि वह निष्प्रभावी हैं जो भी रूपया आता है उसका बंटवारा हो जाता है कारगर उपयोग नहीं होता है उसका कारगर उपयोग हो इसके लिए कोई नई व्यवस्था लागू करेंगे?

डा0 राम बाबू हरित-

जैसा कि माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है यह सत्य है कि प्रदेश में लगभग 22 लाख दृष्टिहीन व्यक्ति हैं प्रतिवर्ष इसमें संख्या बढ़ जाती है यह सतत प्रक्रिया है अंधता का मुख्य कारण मोतियाबिन्द है तीन लाख दृष्टिहीन प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे हैं। इसमें भारत सरकार के नाम थे, लक्ष्य थे उसके सापेक्ष प्रतिवर्ष संख्या 1.58 प्रतिशत संख्या थी इसको घटाकर 0.3 प्रतिशत करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य की दूसरी चिन्ता थी कि सही ढंग से सदुपयोग नहीं हो रहा मैं आकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ वर्ष 2000-2001 में वार्षिक लक्ष्य 4,45,223 आपरेशन करने का था जिसके सापेक्ष 5,64,135 आपरेशन मोतिया बिन्द के किए गए यह लक्ष्य से 126.71 प्रतिशत अधिक थे। इसी तरह से मार्च 2001 तक 1,99,928 इंट्रा आर्टीकुलेशन लेंश दिए गए इस वर्ष ढाई लाख लक्ष्य रखा गया है। जहां तक समिति की बात है जो सदस्य इसमें हैं वही विशेषज्ञ भी हैं गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं कार्य ठीक तरह से चल रहा है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, आंकड़े कुछ भी कुछ भी कहते हों मगर वास्तविकता यह है कि जिलों में अंधता निवारण समिति बनाई गई है उसकी बैठकें कभी नहीं होती हैं मैं दो-तीन बातें मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह विश्व बैंक द्वारा पोषित कार्यक्रम है 1994 से लेकर अब तक जहां तक इनके पास आंकड़े उपलब्ध हों औसतन प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है इसके सापेक्ष क्या-क्या काम हुए हैं? दूसरे प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यदायी संस्था कौन सी है जिला स्तर पर इन अंधता निवारण समितियों में कौन-कौन सदस्य हैं? क्या उनकी बैठकें वर्ष में एक बार दो बार करना अनिवार्य है? कितनी बार करना अनिवार्य है?

डा0 राम बाबू हरित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ जो हमारे विछले 7 वर्षो का लक्ष्य है वर्ष 1994-95 में वार्षिक लक्ष्य 3,65,000 था।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, कुल धनराशि बता दें।

डा0 राम बाबू हरित-

कुल धनराशि 7,23,60,000 भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रदेश सरकार द्वारा अवमुक्त की गई 25,84,177 रूपए।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, इस धनराशि में जो 10 करोड़ थी कितनी धनराशि तनख्वाहें देने में खर्च हुई कितनी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई?

श्री अध्यक्ष-

यह विस्तृत है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रदेश स्तर पर कार्यदायी संस्था कौन और जिला स्तर पर समिति के सदस्य कौन-कौन है व कितनी बार बैठकें करना अनिवार्य?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय डंग साहब को बताना चाहता हूँ कि जिला आंधता निवारण समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक प्रोग्राम मैनेजर सचिव और डिस्ट्रिक

ओप्येलमिक सर्जन, बेसिक शिक्षा अधिकार, प्रोग्राम आफीसर, आईएमए का सदस्य अनुसूचित जाति जन जाति के दो सदस्य इस तरह से कुल मिलाकर 15-16 लोग इसके मेम्बर होते हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है आंधता की दर को .3 प्रतिशत लाने का है और इसी हिसाब से आवश्यकता के अनुरूप बैठके की जाती हैं।

श्री राम कुमार एडवोकेट-

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर जो आपरेशन समितियों द्वारा किये जाते हैं उनमें पूर्ण रूप से दक्ष चिकित्सक नहीं होते जिससे कई बार ऐसा होता है कि आपरेशन के बाद व्यक्ति की ऑख की रौशनी चली जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही की जायेगी?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, यह कहना उचित नहीं है कि समिति में दक्ष चिकित्सक नहीं होते क्योंकि इसमें जिस लेंस का प्रयोग होता है वह दक्ष चिकित्सक ही कर सकता है। अभी तक हमने 154 नेत्र चिकित्सक विशेषज्ञों को इस लेंस का प्रशिक्षण दिया है और आपरेशन भी उचित स्थान पर किये जाते हैं।

डा0 वेद प्रकाश सिंह एम0एस0-

मान्यवर ओपेन सर्जरी में लेंस को निकाल दिया जाता है और आईओएल लगाया जाता है जिसके लिए खास माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जिस पर लगभग एक सवा लाख का खर्चा आता है तो क्या उस लेंस की और माइक्रोस्कोप की उपलब्धता जो कम्युनिटी सेंटर हैं जहॉ आपरेशन होते हैं सुनिश्चित करायेंगे? क्या पल्सपोलियो अभियान की तरह एक वर्षीय या दो वर्षीय अभियान चलाकर इन रोग का निवारण सुनिश्चित करेंगे? ताकि सारे बैकलॉक खत्म हो सके और फिर जो करेंट मामले आयें उनका शीघ्र निस्तारण किया जा सके?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह विश्वबैंक की परियोजना के अंतर्गत 2001 तक का लक्ष्य था जिसे हमने बढ़वाकर 2002 तक कर दिया। इस समय में हम सारे प्रकरणों को समाप्त कर देंगे। उपकरणों की व्यवस्था भी उचित स्थान पर की गई है हमारे जो सीएससी है उनमें भी समुचित व्यवस्था की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर अच्छी प्रगति है।

डा0 वेद प्रकाश सिंह एम0एस0-

मैंने पूछा क्या कोई अभियान चलायेंगे पल्स पोलियों की तरह?

श्री अध्यक्ष-

अभियान चलायेंगे तभी तो लक्ष्य की बात की गई है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पूरी कार्य योजना के सम्बन्ध में जितना जन जागरण होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में जितना प्रसार होना चाहिए क्योंकि वह प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर इसका इतना कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इन कार्यक्रमों के लिये कोई समयबद्ध योजना बनाकर उनको चलायें ताकि उसका शत प्रतिशत लाभ मिल सके। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि लेंस इस तरह से लगाये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सावन के महीने में जो ऐसा इस सरकार के साथ घटित हो गया कि उसे सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, जहां तक जन जागरण की बात है। जगह-जगह हम भी भ्रमण करते हैं। आये दिन स्वास्थ्य और नेत्र शिविर लगते हैं वहां पर हम केसेज को फाइन्ड आउट करतें हैं और उसको पूरा कराते हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आई0ओ0एल0 लेंस हैं0 वे किन मरीजों को उपलब्ध कराये जाते हैं?

डा0 रामबाबू हरित-

यह आई0ओ0एल0 लेंस गरीब लोगों को मुफ्त में लगाये जाते हैं।

प्रदेश में सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी चिकित्सकों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने पर सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है? यदि नही, तो क्यों?

डा0 रामबाबू हरित-

निजी प्रैक्टिस पर पूर्व से ही रोक लगी है। प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के पदों को शासनादेश दि0 28-2-78 द्वारा नान प्रैक्टिसिंग कर दिया गया है तथा प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली 1983 पूर्व से प्रवृत्त है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बता दिया कि निजी प्रैक्टिस पर पूर्व से ही रोक लगी है और उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली 1983 पूर्व से प्रवृत्त है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिनको इन अस्पतालों में जाने का अनुभव है, जिनकी विवशता है अपनी चिकित्सा कराने की, अपनी दवा लेने की। तब वे बाते हैं कि वहां जो डाक्टर्स नियुक्त हैं उनकी रूचि बिल्कुल सेवा करने की नहीं है। सिर्फ रूचि इसमें है कि अपने चिकित्सालय जो उन्होंने खोल रखे हैं उनमें मरीजों को बुलाने की, अपने नर्सिंग होम्स में बुलाने की और वहां लोगों को विवश करना पैसा देकर अपना इलाज कराने के लिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन सारे नियमों का, जो उन्होंने उल्लेख किया है उसके बावजूद भी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यह चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस से रोक नहीं पा रहे हैं? दूसरा यह कि इस तरह से जो चिकित्सक नियुक्त हैं उनकी संख्या क्या है? और जिनको यह नौन-प्रैक्टिस दे रहे हैं उनकी संख्या क्या है?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व में भी मैंने बताया है कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी हमारे चिकित्सा विभाग में कार्यरत चिकित्सक हैं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये कोई छूट नहीं दी जायेगी। जो भी हमारे संज्ञान में केस आता है, हमने उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हमने अभी 60 पुरूष चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है जिनमें से 2 को सेवा से निकाल दिया, 8 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, 1 को चेतावनी दी गई, दो का स्थानान्तरण किया गया और 47 केसेज में अभी कार्यवाही लम्बित है। उसी तरह से 26 महिला चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की गई 14 चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी 5 का अभ्यर्थन निरस्त किया गया, एक का निलम्बन किया दो को निन्दा प्रविष्टि, एक को अनुपस्थित एवं अनधिकृत सेवा के लिए सेवा का दण्ड दिया है, तीन के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई। इस तरह से हमने समय समय पर शासनादेश जारी किये हैं और 8 जनवरी 2001 को परिपत्र पूरे जनपद में भेजा था उसके द्वारा जो हमको शिकायत मिली उसके अनुरूप हमने आठ लोगों को निलम्बित किया है दस लोगों का स्थानान्तरण किया है और कुछ लोगों का स्पष्टीकरण मांगा है। एक को परिनिन्दा प्रविष्टि दी है एक को चेतावनी दी है साथ ही अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस तरह के जो मामले आएं उसमें वह कार्यवाही करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

जो सरकारी चिकित्सक नियुक्त हैं उनकी संख्या क्या है? उसमें से कितने लोगों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दे रहे हैं? दूसरी बात आपने उत्तर दिया उसके संदर्भ में एक अनुरोध करना चाहता हूँ आपने कहा आपके यहां शिकायत प्राप्त होने पर आप कार्यवाही करते हैं तो इन शिकायतों के प्राप्त होने का स्रोत क्या है? आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अमुक चिकित्सक दोषी है?

श्री अध्यक्ष-

शिकायत का स्रोत कोई भी हो सकता है पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

डा0 रामबाबू हरित-

12 हजार चिकित्सकों के पद हैं सबको नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दिया जाता है। जहां तक शिकायत की बात है स्वंय भी हम जाकर निरीक्षण करते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिलती है उसकी जाँच कराते हैं या माननीय सदस्यों के पत्र मिलते हैं तो उसकी हम जाँच कराते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

जिनको आप नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देते हैं वह प्राइवेट नर्सिंग होम में, अपने निजी घरों में प्राइवेट चिकित्सा करते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम के संबंध में आप स्वयं जानते हैं। उनको टाइम फिक्स है उन्हीं के संरक्षण में वह चल रहे हैं जिन्होंने नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स लिया है उनके खिलाफ शिकायत है ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही आपने की है? कितने लोगों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स आप दे रहें हैं?

डा0 रामबाबू हरित-

नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स सभी चिकित्सकों को दे रहे हैं।

श्री केशो मेहरा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वास्तविक स्थिति यह है कि शासनादेश है वर्ष 1983 से है, मंत्री जी ने 12 हजार की संख्या बताई है जिन चिकित्सक को नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दे रहे हैं। जहां नियुक्ति होगी यह वहीं मकान बनाकर निजी प्रैक्टिस करते है वस्तुस्थिति यह है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि शासन का जो व्यय हो रहा है नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स पर, क्या मंत्री जी नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स को समाप्त करेंगे और शासन का धन बचाने की कृपा करेंगे।

डा0 रामबाबू हरित-

यह सरकार के लोक कल्याण के कार्य होते हैं इसमें धन को बचाने की बात नहीं आती है प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रखना है। जो शिकायत के मामले संज्ञान में आएंगे उसमें कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य के पास सूची हो तो बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छी तैयारी माननीय राज्य मंत्री जी ने की है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

गरीब लोग सरकारी चिकित्सालयों में जाते हैं माननीय मंत्री जी ने कहा कि 12 हजार की संख्या है जो चिकित्सक नियुक्त हैं और सबको नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दे रहे हैं तो आपके संज्ञान लेने का स्रोत क्या है? आपने बताया नही? मैं जानना चाहता हूँ आपने संख्या बता दी कि इतने चिकित्सक कार्यरत हैं? इनके खिलाफ कार्यवाही की है जो कार्यवाही की है वह बहुत न्यून संख्या है। मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या जितने भी माननीय सदस्य है वह भी कह सकते हैं कि 95 प्रतिशत चिकित्सकों ने अपने चिकित्सालय खोले है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसी अनुपात में जिनके खिलाफ कार्यवाही की है उसकी संख्या न्यूनतम है। तो मैं यह जानना चाहता

हूँ कि क्या कोई शिकायत मिलेगी तभी कार्यवाही करके सरकार कोई ऐसी व्यवस्था अपनायेगी या अभियान चलायेगी या इतने लोगों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने के पूर्व स्वयं प्रेरित होकर एक अभियान चलाकर कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह स्वयं निरीक्षण करते हैं जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शान्त करना चाहता हूँ। समय-समय पर हम शासनादेश करते रहते हैं और जिलाधिकारी और चिकित्साधिकारी संस्तुति करते हैं। रिपोर्टिंग हो रही है। जब तक कार्यवाही सुनिश्चित न हो जाय तब तक सदन को अवगत कराना उचित नहीं समझता हूँ।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ इसके पहले भी इसी सदन में मैंने सवाल किया था, आपने कहा था कि एक जगह का मामला है। आजमगढ़ में राहुल सांस्कृतायन महिला चिकित्सालय है जहां पर डाक्टर्स नहीं हैं। दो तीन डाक्टर्स हैं लेकिन वह छुट्टी लेकर अस्पताल नहीं जाती हैं। उसी कैम्पस में उनका घर है और वह कैम्पस में ही प्रेक्टिस कर रही हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्यवाही करेंगे लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। सारा अस्पताल खाली पड़ा रहता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेकर सारी कार्यवाही करें।

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि जो शिकायत है वह लिखकर दे दें हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जो चिकित्सक डाक्टर यहाँ पर बैठें हैं वे प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, यह पहले से शासनादेश है कि जो सरकारी सेवा में चिकित्सक हैं वह प्रेक्टिस नहीं करेंगे। इसको देखते हुए एक और आदेश हुआ कि उनको नान प्रेक्टिसिंग एलाउन्स मिलेगा। इससे सरकार का खर्च बढ़ गया लेकिन पूरे प्रदेश के अन्दर कोई डाक्टर ऐसा नहीं होगा जो प्राइवेट प्रेक्टिस न कर रहा हो। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे हैं वह इन्हीं के बल पर चल रहे है। इसके बाद भी क्या कोई योजना बनायेंगे? मान्यवर, क्या इस पर कोई अंकुश लगाने की सरकार की कोई योजना है? अगर नहीं है तो जो एन0पी0ए0 इनको दिया जा रहा है उसको विट्ड्रा करें। या फिर यह कह दीजिये कि सरकार के इनके सामने घुटने टेक दिये हैं?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा जैसा मैंने पूर्व में भी अवगत कराया है, सरकार ने घुटने नहीं टेके हैं बल्कि वह सीना तानकर खड़ी है इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की है। हम स्वयं जाँच करते हैं या अन्य ऐजेन्सी से जॉच कराते हैं और कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। तमाम लोगों की सिफारिशे आती हैं लेकिन सरकार किसी के आगे झुकती नहीं है और जो न्यायोचित कार्यवाही होती है वह करती है।

प्रदेश के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को नि:शुल्क चिकित्सा व्यवस्था

*1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे-जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नीति बनाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक और उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रामबाबू हरित-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-984/5-1-2000 4(80)/95 दिनांक 28.6.2000 के प्रस्तर 4 एवं 5 के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क उपचार व निदान की सुविधा पूर्व में उपलब्ध है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, जिस तरह से हवा और धूप मानव को मुफ्त में मिलती है उसी तरह चिकित्सा सुविधा मुफ्त मिलनी चाहिए खासतौर से जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। लेकिन आजकल आउट डोर पेशेन्ट चाहे गरीब हों 6 रूपये का पर्चा बनवाना पड़ता है उसको इमरजेंसी में दाखिल होने के लिए 25 रूपये या उससे अधिक रूपये जमा करने पड़ते हैं। उसके साथ ही जिस शासनादेश का आपने हवाला दिया है उस शासनादेश के अनुसार जो डाक्टर मरीज को देखता है वह स्लिप लिखता है जब तक सी0एम0एस0 वेरीफाई नहीं करते हैं दवायें अस्पतालों से उपलब्ध नहीं होती हैं। अब इमरजेंसी के केस में गरीब मरीज आता है 6 रूपये का पर्चा फिर 25 रूपये अलग लगता है और अगर सी0एम0एस0 नहीं होता है तो वह मजबूर हो जाता हे बाहर से दवायें खरीदने के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था करें कि सी0एम0एस0 की अनुपस्थिति मे अस्पताल से दवा मिल जाये जबकि व्यवहारिक रूप से कोई दवा नही मिलती है?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, जैसा मैंने पूर्व में सदन में अवगत करा दिया है शासनादेश में राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मातृशिशु कार्यक्रम फालेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह कहाँ सवाल है?

डा0 रामबाबू हरित-

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ अंधता निवारण कार्यक्रम, कैंसर निवारण कार्यक्रम आदि कार्यक्रम हैं। इसमें हम किसी प्रकार की शुल्क नहीं लेंगे। मान्यवर, जो भी गरीब और अंडर ट्रायल हैं और इमरजेंसी में आते हैं उनसे पंजीकृत शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसी के साथ-साथ जो हमारे विभाग के प्रभारी हैं, अधीक्षक हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है कि अपने स्वविवेक से यह देख लें कि यदि व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है तो मुफ्त इलाज करें। यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और भर्ती हो जाता हे और कहता है कि मेरे पास पैसा नही है तो इसलिए उसे न निकाला जाये कि उसके पास पैसा नही है। मान्यवर, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं व्हाइट कार्ड होल्डर हैं उनको मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है यह व्यवस्था पहले से चल रही है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, हमारी वेलफेयर स्टेट की कल्पना है। मेरी निश्चित जानकारी है कि जब से यह सरकार आयी है अस्पतालों मे गरीबी के लिए दवा लेना बहुत मुश्किल हो गयी है, पर्चा बनवायी 6 रूपये और भर्ती होने पर

बिस्तर के लिये पैसा देना पड़ता है। उत्तर में कहा गया कि गरीबों के लिए पहले से ही व्यवस्था है। मेरी स्पष्ट रूप से चुनौती है कि जो पहले व्यवस्था थी नि:शुल्क इलाज की, वह बिल्कुल खत्म हो गयी है, गरीब लोगों के लिए यह नि:शुल्क दवा जो मिलती थी वह खत्म कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें?

श्री अवधेष प्रसाद-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि पर्चा बनवाने के लिए आज सरकारी अस्पतालों में कितना पैसा देना पड़ता है और बेड पर रहेंगे उसके लिए कितना पैसा रोजाना देना पड़ेगा?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, जो नगरीय जिला चिकित्सालय और महिला अस्पताल हैं उसमें 6 रूपये पड़ता है और देहात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक केन्द्र हैं और नवीन स्वास्थ्य केन्द्र है अब तक वहां पर 2 रूपये या अब उसे 3 रूपये कर दिया गया है। बेड पर 25 रूपये था अब 10 प्रतिशत बढ़ाकर उसे 28 रूपये कर दिया गया है।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, सदर अस्पताल में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, अस्पताल में जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, डाक्टर पर्चा लेकर कमीशन के चक्कर में बाहर की दवा लिखते हैं, वह दवा नहीं खरीद पाते हैं, जिससे वह मरीज मर जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो दवा नहीं खरीद सकते हैं, उन्हे एल0पी0 द्वारा दवा देने की कोई व्यवस्था करेंगे? दूसरी बात यह है कि महिला अस्पताल में जो वसीम साहब ने उठाया है, महिला अस्पताल में जो डाक्टर नियुक्त हैं वह अपनी एप्लीकेशन दें दी और प्रेक्टिस कर रहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग विषय हैं, मूल प्रश्न से हट कर हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो एप्लीकेशन डाक्टर ने दिया है तो उनकी उस समय का वेतन नहीं मिलना चाहिए तो इसमें जो वेतन निकाला गया हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की कृपा करेंगे?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने जो सवाल पूंछा है मान्यवर उसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि रात्रि के समय इमरजेंसी में रात्रि में जो गरीबी की रेखा के नीचे के जो मरीज आते हैं उस समय सी0एम0एस0 उपलब्ध नहीं रहते हैं रात में तो उस समय अगर मरीज को दवा की आवश्यकता होती हैं तो कहां से क्रय की जायेगी जो तत्काल आवश्यकता होती हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है कि वह दवा तत्काल क्रय की जा सके?

श्री रामबाबू हरित-

मान्यवर, यह आदेश है कि जो गरीब मरीज आयेगा उससे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में जो दवायें होती हैं वह उपलब्ध रहती हैं इसमें एक क, ख, ग, श्रेणी बनायी गयी है उसके हिसाब से दवायें परचेज करते हैं लेकिन इमरजेंसी में दवा उपलब्ध करातें हैं। तो इसके लिए डॉक्टर पर्ची लिखेगा सादे स्लिप पर ताकि व्यक्ति कहीं से खरीद कर लें और कमीशन की बात न हो पाये। मान्यवर, डा0 श्यामा प्रमाद मुकर्जी अस्पताल के कुछ आंकड़े मैंने मंगवाये थे।

श्री अध्यक्ष-

उसकी आवश्यकता नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, गरीबी की रेखा का निर्धारण तहसीलदार करता है सी0एम0एस0 करता है, सी0एम0ओ0 करता है, वह रहता नही तो इमरजेंसी में उस समय जो डाक्टर मौजूद है उसको आपने अधिकार दे रखा है कि मरीज के कहने पर वह गरीब है उसको दवा मुफ्त दी जाय।

श्री रामबाबू हरित-

मान्यवर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी की रेखा का निर्धारण करते हैं लेकिन जो हमारे चिकित्साधिकारी है वह अपने विवेक से जब हमारे अध्यक्ष नहीं रहते हैं या अधीक्षक नहीं रहते हैं तो अपने सबार्डिनेट को अधिकार देकर चले जाते हैं। जिससे कोई दिक्कत न हो।

डॉ0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी 3 माह का रिकार्ड मंगाकर देख लें कि कितने गरीब आये हैं।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

मान्यवर, माननीय शाक्य जी का प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नीति बनाने पर विचार करेगें? और हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि हम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालें लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुंविधा प्रदान करते हैं और वहां का डॉक्टर अपने विवेक से निश्चय करते हैं कि क्या यह गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापनकर रहा है या नहीं? लेकिन श्रीमन् इसका उत्तर आया है जी नहीं इसका मतलब था।

श्री अध्यक्ष-

विचार करने के बारे में उत्तर आया है जी नहीं। इसमें कारण दिया है एक शासनादेश है 20 जून का उसके अनुसार जो व्यवस्था पहले से है, पूरा उत्तर पढ़े।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने पूछा। क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा अस्पतालों में प्रदान की जाती है, इसमें इसलिये जी नहीं कहा होगा क्योंकि इमरजेंसी में कोई मरीज भर्ती हुआ और वाहँ पर सी0एम0ओ0 नहीं है तो गरीबी की रेखा के नीचे का निर्धारण कैसे हो सकता है, इसी उद्देश्य से इन्होने उतर दिया जी नहीं तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, जो मरीज इमरजेंसी में भर्ती होते हैं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, क्या उनको निशुल्क चिकित्सा सुविधा कराये जाने का आदेश करेगें?

डा0 रामबाबू हरित-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत करना चाहता हूँ कि यह जो शासनादेश है, इसमें हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। क्रम संख्या-5 को आपकी अनुज्ञा से पढ़ना चाहता हूँ, जिससे पूरे सदन में बात स्पष्ट हो जायेगी। नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी राजकीय चिकित्सालय/औषधालय में किसी भी रोगी को भर्ती करने में इस आधार पर मना नहीं किया जा सकेगा कि वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे रोगियों के संबंध में चिकित्सालय के प्रभारी द्वारा स्वविवेकानुसार निर्णय लिया जायेगा। इसी प्रकार क्रम संख्या-3 को देखें, इसमें है, आकस्मिक विभाग में भर्ती रोगी से प्रथम 24 घन्टे तक किसी भी प्रकार का सेवा सुविधा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी ने बाताया कि आपातकालीन कक्ष में और कोई औषधालय में यदि कोई आकर कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी निशुल्क चिकित्सा की जायेगी। आज सुबह का समाचार है। शाहीन नाम की आसन्न प्रसवर, वीरागंना झलकारी बाई चिकित्यालय, लखनऊ में सुबह साढ़े 3 बजे आई और वहौ उपस्थित

डा0 रंजना श्रीवास्तव ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। बाहर खड़े चिकित्सालय कर्मचारियों द्वारा उससे सौदेबाजी की गई और अन्ततः उस आसन्न प्रसवा महिला को उसी कष्ट की हालत में रिक्शे से किसी प्रकार अन्यत्र चिकित्सा के लिये जाना पड़ा। दूसरी एक अन्य घटना बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में रैली अभी हुई थी, इसमें एक बस दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 24 लोग अस्पताल में पहुँचे। अस्पताल के इमरजेंसी डाक्टर द्वारा यह कहा गया कि 300 रूपये प्रति मरीज देना पड़ेगा, तभी मेडिकल कालेज कक्ष में जा पाओगे। मैं आपको स्पेसिफिक सूचना दे रहा हूँ । इस तरह जो लोग शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करके, शासनादेश का ईमानदारी से पालन सरकार करवायेगी, जिससे शासन की मंशा भी पूरी हो, क्या कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने जो पहली घटना का उल्लेख किया है, उसे वह लिखकर दे दें, जॉचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही करायेंगे। जहॉ तक दूसरी बात कही है, मैंने चिकित्सा स्वास्थ्य का शासनादेश पढ़ा है, चिकित्सा शिक्षा को जोड़कर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अक्सर सरकारी अस्पतालों में दवाइयॉ नहीं मिल जाती है। ऐसे लोगों की जितनी संख्या है और सरकार का जो बजट है, क्या सरकार ने उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य बनाये रखा है?

श्री अध्यक्ष-

बजट तो अस्पताल के मद में जितना आता है, उसी के हिसाब से जायेगा।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, अभी आपने बाताया कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है और उनके पास पैसा नहीं है, तो भी उनका उपचार किया जायेगा। मान्यवर, यह जानकारी गरीबों और गामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं हो पाती है। उन्हें यह पहले से पता है कि अस्पताल में फीस बढ़ गयी है, बेड की फीस बढ़ गयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गरीबों के निःशुल्क इलाज की बात जो कर रहे हैं क्या अस्पतालों में ऐसे पोस्टर आप चिपकवायेंगे जिससे गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उन्हें जानकारी हो सके, क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे?

डा0 रामबाबू हरित-

यह व्यवस्था पहले से सुनिश्चित है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं उनको आपके शासनादेश और इस सुविधा की जानकारी के लिए कि उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी या होती है, इस सम्बन्ध में कोई पोस्टर वगैरह चिपकवाने की व्यवस्था करेंगे?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, वहां बोर्ड लगे रहते हैं, वहां निर्देशित किया हुआ है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, 8-10 अनुपूरक हो गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, जैसी सरकार की नीयत है और इनकी व्यवस्था भी है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को नि:शुल्क दवा दी जायेगी, कहीं भी इस प्रकार के बोर्ड नहीं है यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के विधायक लोग बैठे हुए हैं और सभी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी को जानकारी है, किसी अस्पताल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी इसको सुनिश्चित कर लीजिए कि चिकित्सालयों के सामने इस प्रकार के बोर्ड लग जायें कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मरीजों को कई चरण से होकर गुजरना पड़ता है, पहले तो आउट डोर से पर्चा बनवाना पड़ता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फीस में कोई परिवर्तन हो। दाखिला में पैसा लगता है, खून की जॉच, एक्सरे के लिए रूपया लगता है और बेड के लिए भी रूपया लगता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों के लिए जो 6 रूपये फीस का प्रावधान है क्या उसको समाप्त करेंगे और जो इमरजेंसी में दाखिल करने का रूपया लगता है उसको समाप्त करने का निर्णय करेंगे?

डा0 रामबाबू हरित-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ अगर मरीज को अच्छा इलाज मिला हैं तो 6 रूपये कन्ज्यूमएबल है और इसकी कोई शिकायत भी हमारे सामने नहीं आयी है।

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर क्षेत्र में महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों करे भरने की मांग

*2-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र तथा पूरे जनपद में महिला चिकित्सकों का अभाव है? यदि हॉ, तो क्या इनकी कमी दूर की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रामबाबू हरित-

जी हॉ

जी हॉ

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज जनपदों और प्रदेश में महिला चिकित्सालयों की कमी है और यह कमी दूर की जायेगी, जी हॉ, दूसरे खण्ड में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा, यह उत्तर में आया है। मान्यवर, यह रिक्तियां कब से हैं उनकी तिथि या सन् जानना चाहूँगा और लोक सेवा आयोग की बात जो कर रहे हैं तो इन रिक्तियों को भरने के लिए आपके माध्यम से लोक सेवा आयोग को अधियाचन कब गया, क्या उसका दिनांक या सन् बताना चाहेंगे?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, यह सतत् प्रक्रिया है, लोग आते हैं, कुछ लोग सर्विस से चले जाते हैं या अनियमितता के कारण सर्विस से निकाल दिए जाते हैं। जब काफी पद इकट्ठे हो जाते हैं तो सलेक्शन करने के लिए ये पद पब्लिक सविर्स कमीशन को भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग को अधियाचन कब गया?

डा0 रामबाबू हरित-

इसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, लिखित उत्तर में आया है कि लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। मंत्री जी के पास यह जानकारी नहीं है कि आयोग को कब अधियाचन भेजा, तो इस समस्या का कब तक निदान होगा?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व 100 महिला चिकित्साधिकारियों के लिए अधियाचन आया है, कुछ और रिक्तियां हैं उसको संकलित कर रहे हैं, उसको शीघ्र भेज देंगे।

डा0 वेद प्रकाश सिंह एम0एस0-

माननीय अध्यक्ष जी, महिला डाक्टर्स की कमी सर्वविदित है मंत्री जी की मजबूरी है कि कमीशन के द्वारा ही नियुक्ति होनी है। जनपद बिजनौर में 4 महिला डाक्टर पोस्टेड हैं, उसमें से 3 महिला डाक्टर नजीबाबाद में है, एक महिला डाक्टर जिला अस्पताल में है। क्या माननीय मंत्री जी उनको अलग-अलग अस्पतालों में नियुक्त करेंगें? शासन से सीधे नियुक्ति हो जाती है, सी0एम0ओ0 को अधिकार भी नहीं है कि वह आवश्यकता के अनुसार उनको इधर-उधर कर सके?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस समस्या को देख लीजिएगा।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, यह जो मेरा प्रश्न जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह रिक्तियां कब से हैं?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, टी0बी0 सेण्टर चेत सिंह जिला चिकित्सालय में कोई पद रिक्त नहीं है। चेत सिंह जिला अस्पताल में एक पद रिक्त चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदोही और औराई में एक-एक पद रिक्त चल रहा है। बलवन्त सिंह चिकित्सालय भदोही में एक डाक्टर कार्यरत है, एक पद रिक्त है। गोपीगंज में भी एक महिला डाक्टर कार्यरत हैं। टी0बी0 सेण्टर में डा0 अलका जायसवाल कार्यरत हैं।

चाय की पत्ती को अधिक रंगीन बनाने हेतु टैनिन एवं गौम्वियर रसायन के प्रयोग का कथित प्रकरण

*3-श्री संजय गर्ग, डा0 ज्ञानवती सिंह तथा श्री राजपाल सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि चाय की पत्ती को अधिक रंगीन बनाने हेतु टैनिन रसायन एवं गौम्वियर रसायन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*4- श्री रामजग-

[दिनांक 15-5-2001 को तारां0 प्र0 सं0-16 द्वारा उत्तरित]

*5-श्री विजय पाल सिंह-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद फिरोजाबाद में मक्खी मच्छरों के प्रकोप से कथित बीमारियों का प्रकोप

*6- श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र फिरोजाबाद, टूंडला-शिकोहाबाद जसराना सिरसागंज और फरिहा में मक्खी मच्छरों के भारी प्रकोप के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाये गये है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रामबाबू हरित-

जी नहीं। मक्खी, मच्छर जनित बीमारियां उत्पन्न नहीं हो रहीं हैं। रोगवाहक मच्छरों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मलेरिया व तेज ज्वर मच्छरों के काटने से होता है। देहात के इलाकों में ब्लड की स्लाइड लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो गांव बहुत दूर हैं वहां कोई जाता ही नहीं है। आज मलेरिया व तेज ज्वर जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने या उनके भोजन पर बैठने से ही रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी रिसर्च परीक्षण करायेंगे, जिन क्षेत्रों में ब्लड लेने की व्यवस्था नहीं है उसकी त्वरित व्यवस्था करायेंगे?

डा0 रामबाबू हरित-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो अवगत करा रहे हैं वह पूर्णतया असत्य है। हमारे पास जो आंकडे हैं, जो हमने जॉचे करायी हैं 7179 मरीजों की स्लाइड ली थी उसमें से 371 पोजीटिव केस पाये गये।. . . . .

श्री सरदार सिंह-

. . . . .मान्यवर, बेसिक हेल्थ वर्कस विभाग में पुन: ले लिये गये हैं जिनका सहयोग लेकर इस कार्य को पूरा किया जायेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

मान्यवर, मलेरिया रोग के खून की ब्लड स्लाइट्स की पी0एस0सी0 में जांच कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न ही उप केन्द्रों पर है। कैसे मंत्री जी खून के जांच की व्यवस्था होगी? व्यवस्था सुनिश्चित करके मच्छरों को मारने एवं दवा का छिड़काव करने की बात मंत्री जी ने कही है इस रोग पर नियंत्रण लगाने की कोई रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री सरदार सिंह-

मान्यवर, बेसिक हेल्थ वर्कर थे विभाग में आ गये हैं। लगभग 350 प्रजातियां मच्छरों की होती है। 4 मलेरिया, 2 फाइलेरिया और डेंगू बाकी 3 इन्सेफलाइटीज फैलाती है, कुल 9 प्रजातियां है। इन रोगी की रोकथाम की व्यवस्था कर रहे हैं।

लखनऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को प्रबन्ध तंत्र द्वारा वेतन भुगतान

*7-श्री राम ललित चौधरी-

क्यासमाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लखनऊ जनपद के अनुदानित विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित रूप से प्रत्येक माह वेतन देने हेतु उनके वेतन अनुदान की धनराशि नियमित रूप से विद्यालयों को उपलब्ध करायी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उनके वेतन बिल प्रत्येक विद्यालयों द्वारा समय से जिला समाज कल्याण कार्यालय में भेज दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अध्यापकों के हित में प्रत्येक माह नियमित रूप से वेतन अनुदान का भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान हेतु अनुमोदित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को देय वेतन के समतुल्य अनुदान की धनराशि त्रैमासिक रूप से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विद्यालय के प्रबंधक को क्रास चेक के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और विद्यालय के प्रबंधक द्वारा इन विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन दिया जाता है।

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, चाहे सरकारी कर्मचारी है, मंत्री हैं, विधायक है या जितने भी विद्यालय चल रहे हैं सभी जगह मन्थली वेतन की व्यवस्था है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो विद्यालय चला रहे हैं उसमें त्रैमासिक वेतन की व्यवस्था है? क्या उनको मासिक वेतन दिया जायगा अन्य कर्मचारियों की भांति?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, त्रैमासिक वेतन की व्यवस्था नहीं है। त्रैमासिक अनुदान की व्यवस्था है और अनुदान 3 महीने का वेतन के समतुल्य दिया जाता है। जो वहां का प्रबन्ध तंत्र है से प्रमाण-पत्र आने पर पुन: त्रैमासिक अनुदान दिया जाता है। वेतन तो वास्तविक रूप में मासिक पर ही प्राप्त होता है, लेकिन ग्रान्ट 3 महीने में मिलती है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, जैसे त्रैमासिक अनुदान की व्यवस्था है वैसे मन्थली अनुदान की व्यवस्था क्या सरकार करेगी?

श्री मती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, इस तरह की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ वैसे मासिक परोक्ष रूप से है। सरकार द्वारा त्रैमासिक अनुदान दिया जाता है उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

प्रदेश में जिला अथवा क्षेत्र पंचायतों को सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत अधूरे कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देशानुसार जनपद जालौन में भी उपरोक्त क्रियान्वयन की मांग

*8-श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों

को उपलब्ध की गयी सुनिश्चित रोजगार योजना की धनराशि से वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में स्वीकृति तथा अधूरे पड़े कार्यों को पूरा कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद जालौन को उक्त वर्षों में स्वीकृति तथा अधूरे कार्यो को पूरा कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं इसमें पूर्व के स्वीकृत एवं अधुरे पड़े कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। दि0 1-4-1999 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त नवीन मार्ग निर्देशों के अनुसार प्राप्त समस्त धनराशि का 70% क्षेत्र पंचायतों को तथा 30% जिला पंचायतों को अवमुक्त की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाएं उपलब्ध संशाधनों एवं स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाकर कार्य कराने में संक्षम हैं। तद्नुसार वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में स्वीकृति कार्यों को संबंधित पंचायत द्वारा पूर्ण किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में स्वीकृति तथा अधूरे कार्यों को स्वीकृति सीमा तक धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जायेगा

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम पाल-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनपद जालौन में ऐसे कितने स्वीकृत कार्य हैं जो धन के अभाव में अधूरे है और उनको धन उपलब्ध कराकर पूरा किये जाने में क्या कठिनाई है? जिनका सारा धन आप जिला पंचायतों को दे चूके है लेकिन काम अधूरा पड़ा है या जिनका 30 से 70 फीसदी कार्य हो गया है उनको अनिवार्य रूप से पूरा किये जाने हेतु आप कोई निर्देश भेजने की कृपा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जनपद जालौन में कुल 41 कार्य अधूरे पड़े थे जिसमें से 30 कार्यों को स्वीकृति कर लिया गया है और उनके धन अवमुक्त करके संस्थाओं को दे दिया गया है। 5 कार्यों को इसलिए रोक दिया गया है, क्योंकि वह विवादित हैं और 2 कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण नहीं हुए हैं।

श्री राम पाल-

मान्यवर, मेरा कहने का उद्देश्य यह था कि जो 1-4-1999 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एस0आर0वाई0 और जे0आर0वाई द्वारा स्वीकृत जो परियोजनाएं थीं और जिला पंचायतों द्वारा जो कार्य पूर्ण कराये जाने थे, वह अधूरे पड़े हैं और नये कार्य लिये जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, उनको कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जो पहले से स्वीकृत कार्य थे उनके लिए धन अवमुक्त कर चुके है, तो फिर जिला पंयायतों को निर्देश देने की क्या आवश्यकता है?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तो जो काम अभी तक अधूरा पड़ा है और जिनका सारा धन जिला पंचायतों और क्षेत्रीय पंचायतों को दिया गया है लेकिन काम अधूरा पड़ा है या जिनका 30 से 70 फीसदी तक कार्य हो गया है उनको अनिवार्य रूप से पूर्ण कर दिया जायेगा, ऐसा कोई निर्देश भेजने की कृपा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जो कार्य अंधूरे पड़े थे, शासन की तरफ से धन स्वीकृत करा दिया गया है और उनको पूरा करने के निर्देश भेजे जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :- नत्थी 'ख' तारांकित पश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद में खसरे के बढ़ते प्रकोप के रोक थाम की मांग

*9-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृता करेंगे कि प्रदेश के कुछ जनपदों में खसरे का प्रकोप बढ़ रहा है? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने जनपद खसरे से प्रभावित है तथा इसकी रोकथाम के लिये क्या सरकार कोई उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश के कुछ जनपदों में खसरे के पसार की सूचना प्राप्त हुई है, परन्तु कहीभी प्रकोप बढ़ नहीं रहा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। दिनांक 11-5-2001 तक कुल 44 जनपदों से खसरे की सूचनायें प्राप्त हुई है। इनमें से 9 जनपद अत्यधिक प्रभावित है।

प्रदेश में 20 मार्च, 2001 से संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना लागू की गयी और नियंत्रण कक्ष स्थापित करके खसरे की दैनिक सूचना प्राप्त कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य महा निदेशालय से वरिष्ठ अधिकारियों के दल भेजकर विशेष सर्वेक्षण कार्य कराया गया हे तथा रोकथाम की कार्यवाही को गति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल समस्या निराकरण हेतु हैण्डमम्प में स्थल चयन का अधिकार जल प्रबन्ध समिति के सुपुर्द किये जाने की मांग

*10-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कार्यक्रम हेतु कोई दिशा निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या उसके अनुसार हैण्डपम्पों के चयन का अधिकार ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति को दिया गया है? क्या सांसदों एवं विधायकों का चयन स्थल में कोई भूमिका होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हॉं।

जी नहीं।

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत शासनादेश संख्या-3291/38-5-99 656/98 दिनांक 6-8-99 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित किये जा रहे इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के स्थल चयन का अधिकार अब वाहय सहायतित परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए समस्त योजनाओं के अंतर्गत ग्राम्य पंचायत की जल प्रबधन समिति को सौंपा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पदों पर परीक्षा में ब्यापक अनियमितता की जांच

1-श्री छब्बू पटेल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पदों पर भर्ती के लिये दिनांक 9-7-99 को लिखित परीक्षा सम्पन्न हुई थी? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा निरस्त की जा चुकी है? यदि हां, तो

लिखित परीक्षा निरस्त होने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो कब तक दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी? उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही कब तक सुनिश्चित की जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हाँ।

उक्त परीक्षा में व्यापक रूप से अनियमितता की शिकायत होने के कारण शासन द्वारा परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है एवं इस प्रकरण की खुली सतर्कता जांच कराने का निर्णय लिया गया है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है। उक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

जनपद मथुरा के जिला चिकित्सालय के डाक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की शिकायत

2- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के जिला चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-1-200586 दिनांक 6 सितम्बर, 2000 उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में लघु उद्योग विभाग के शासनादेश का अनुपालन

3- डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, द्वारा जारी शासनादेश संख्या 73/10-5-2000-9 (एस0पी0)/95-टी0सी0, दिनांक 18-1-2000 जो कि प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता दिये जाने के संबंध में है, अभी भी प्रभावी है? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार के महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में इसका पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षामंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)-

जी हां।

महिला एवं बाल विकास के नियंत्रणाधीन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय के निर्देश दे दिये गये हैं कि शासकीय क्रय में लघु उद्योग विभाग के उक्त शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अधिकरणों की प्राप्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने विषयक शासनादेश अन्तर्गत जनपद जालौन के उरई में क्रियान्वयन की जानकारी

4- श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बातायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में विकास हेतु दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं व विभिन्न निधियों की उपलब्ध धनराशि लम्बे समय तक रोके रखने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद जालौन के उरई में डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करने के बाद लम्बे समय तक द्वितीय किश्त की धनराशि रोककर विभिन्न आपत्तियां लगायी जा रही है? यदि हां, तो क्या डा0आर0डी0ए0

जालौन उरई को आवंटित की गयी धनराशि की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में जो भी धनराशि प्राप्त होती है, उसे कार्यदायी संस्थाओं को 7 दिन के अन्दर अवमुक्त करने हेतु शासनादेश संख्या-469/38-2-98-30 पी0ई0/98, दिनांक 26 जून, 1998 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/(तत्कालीन) अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को पूर्व में ही निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

जांच कराई जाएगी।

जनपद महोबा, ब्लाक पनवाड़ी के ग्राम्य विकास अधिकारी स्व0 श्री बलवान सिंह की मृत्यू के उपरान्त उनके आश्रित को सेवायोजित करने की मांग

5- डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा, ब्लाक-पनवाड़ी के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी स्व0 श्री बलवान सिंह की मृत्यु दिनांक 29-11-99 को सरकारी ड्यूटी के दौरान हुई थी? यदि हां, तो क्या उनके आश्रित पुत्र श्री विश्ववीर सिंह को नौकरी दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित को सेवायोजित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बल्देव की सेवा निवृत्ति ए0एन0एम0 श्रीमती प्रेमलता वर्मा के समस्त देयों का भुगतान

6- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमलता वर्मा सेवानिवृत्त, ए0एन0एम0प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बल्देव निवासी-मो0 चौथाई बल्देव मथुरा की पेन्शन स्वीकृत कराकर अवशेष का भुगतान कराने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0 एम0/वि0को0/एम-/42554/मथुरा/2001, दिनांक 13-2-2001 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हॉ।

श्रीमती प्रेमलता वर्मा, सेवा निवृत्त ए0एन0एम0 के समस्त देयों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, विधायक निधि से अवमुक्त धनराशि द्वारा कृत्त कार्यो की संमीक्षा

7- श्री श्रीराम पाल

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में अवमुक्त धनराशि व उसके उपयोग तथा कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु संबंधित कार्यदायी संस्थाओं की जनपद वार विधायकों के साथ बैठकों की नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो समीक्षा बैठकें कितने माह के अन्तराल में किये जाने की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद जालौन में विधायकों के साथ विधायक निधि के कार्यो की पृथक से समीक्षा बैठकें विगत दो वर्षो के दौरान की गयी है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

प्रत्येक माह में।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, खण्ड विकास महेवा के ग्रामों में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत विगत वर्षो में स्वीकृति धनराशि

8-श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यो की उपलब्ध धनराशि से कार्य पूर्ण कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद जालौन के खण्ड विकास महेवा में ग्राम जशरा तथा ग्राम लौना के कच्चे सम्पर्क मार्गो तथा ग्राम सरसेला के पास नाले पर रपटा निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद जालौन में वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के 41 कार्य अधूरे थे, जिसमें 30 कार्यो को स्वीकृति सीमा तक पूर्ण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। 5 कार्यो में स्थल विवाद के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। 4 कार्यो पर द्वितीय किश्त निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कोई कार्य स्वीकृति नहीं है। कालपीमदारीपुर मार्ग से जरारा सम्पर्क मार्ग तथा कालपी मदारीपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम लौना सम्पर्क मार्ग की जॉच में अनियमितता पाये जाने के कारण दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। निर्णयोपरान्त कार्य पूर्ण कराया जायेगा ग्राम सरसेला में रपटा निर्माण का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जालौन द्वारा स्वीकृति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के कम्बल उद्योग सहकारी समिति लि0 को राज्य सरकार द्वारा दिये गये धन का विवरण

9- डा0 छोटे लाल वर्मा-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्बल उद्योग सहकारी समिति लि0, 508 एक्ट मार्केट झांसी (तालपुरा) में प्रति वर्ष कितना उत्पादन हो रहा है तथा उसके उत्पादन की खपत कहां कहां हो रही है? सरकार कितना धन कम्बल उद्योग सहकारी समिति को उपलब्ध करा रही है तथा कितना अनुदान समिति के सदस्यों को दिया जा रहा है? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी-

समिति परिसमापन के अधीन है। वर्तमान में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है अत: खपत का प्रश्न नहीं उठता।

समिति को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन का विवरण निम्नलिखित है:-

योजना	वर्ष	धनराशि	बकायेदारी
1. हिस्सा पूंजीऋण	70-71	1050/-	319.57 रू0 मुलधन 575.00 रू0 (ब्याज) (31.3.2001)
2. साखसीमाऋण			8000.00 रू0 (31.3.95)

समिति द्वारा सदस्यों को दिये गये धन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

जनपद बस्ती के कैली अस्पताल हेतु अधिग्रहित भूमि

10-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कैली अस्पताल के भवन निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गयी थी क्या उनके मुआवजे को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ, 97 कृषकों को भुगतान कर दिया गया है।

97 कृषकों का भुगतान कर दिया गया है। अवशेष 20 कृषकों को उनके अनुपस्थित होने के कारण नहीं किया जा सका।

शेष कृषकों के उपस्थित होने पर।

जनपद मेरठ महानगर के राजकीय महिला पालीटैक्निक स्थापना के संबंध में जानकारी

11- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में राजकीय महिला पालीटैक्निक की स्थापना के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-2-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों।

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

जनपद मेरठ में दौराला में महिला पाटीटेक्निक स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है अतएव एक और महिला पालीटेक्निक मेरठ महानगर में स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0) श्री नन्दकिशोर की भविष्य निधिलेखा से अंतिम भुगतान की जानकारी

12-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर सेवानिवृत्त (31--7-96-) सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0) विकास खण्ड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के भविष्य निधि लेखा संख्या-जी0ए0यू0-36267 से 10 प्रतिशत का अंतिम भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

श्री नन्द किशोर, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) विकास खण्ड फतेहपुर जनपद-बाराबंकी के भविष्य निधि लेखा सं0-जी0ए0यू0 36267 से 10 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान करने हेतु प्रस्ताव महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है। महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से भुगतान आदेश प्राप्त होने पर तत्काल भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर मण्डी परिषद के आसपास के मार्गो का डामरीकरण

13- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-12-2000 या इसके आस-पास जो मण्डी परिषद् शाहजहांपुर द्वारा गढ़ियारंगीन से जरगवां मार्ग पर कराये गये डामरीकरण की जांच के संबंध में था, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मा0 मुख्य मंत्री ने उपरोक्त पत्र दिनांक

9-12-2000 को मा0 गन्ना विकास मंत्री को भेज दिया है? तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

जी हां।

गढ़िया रंगीन से जरगवां मार्ग लम्बाई 2.00 कि0मी0 पर डामरीकरण (लेयन कार्य) का कार्य प्रस्तावित है। उक्त कार्य हेतु तिलहर चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य से रोड कटौती की धनराशि दिनांक 30.3.2001 को उपलब्ध करायी गयी, जिससे डामरीकरण होना है। डामरीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा, ब्लाक ताखा के ग्राम पृथ्वीपुर में पक्की सड़क का निर्माण

14- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा0 पृथ्वीपुर, मौजा पुरैला ब्लाक ताखा जनपद इटावा में किशनी-विधूना सड़क से उक्त ग्राम तक कोई पक्की सड़क बनी है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक पक्की सड़क बनावायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

राजस्व ग्राम पुरैला हेतु पक्का मार्ग निर्माणाधीन है, जो वर्ष 2001-2002 में पूर्ण होना लक्षित है। मौजा हेतु संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महिला चिकित्सालय बलरामपुर अस्पताल के कर्मचारियों को आवंटित आवासों के विवरण

15- श्री जगदीश नारायण राय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि वीरांगना अवंती बाई लोधी महिला चिकित्सालय निकट बलरामपुर अस्पताल गोलागंज लखनऊ की आवासीय कालोनी में कुल कितने कर्मचारियों को मकान आवंटित किये गये है। उनके नाम क्या-क्या है? क्या उक्त कालोनी में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी अवैध रूप से रह रहें है? यदि हां, तो क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवास खाली कराकर सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटित किया जायेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

कुल 80 कर्मचारियों को मकान आवंटित है।

सूची संलग्न है।

चूंकि समस्त आवंटी सेवारत सरकारी कर्मचारी है इसलिए प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 157 पर ।)

जनपद गोरखपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही के फार्मासिस्ट के अनुभव को सेवा पुस्तिका में अंकित करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

16-श्रीमती गीता देवी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठवें बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-41 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञान प्रकाश भारती फार्मासिस्ट अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही, ब्लाक ब्रह्मपुर जिला-गोरखपुर तथा पूर्व विधायक व सांसद श्री किरंगी प्रसाद विशारद गोरखपुर के दिनांक 30 मार्च, 1999 से कब तक कितने पत्र डिप्टी सी0 एम0 ओ0 (चतुर्थ) व सी0एम0ओ0 गोरखपुर को प्राप्त हुये हैं? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

श्री ज्ञान प्रकाश भारती, फार्मेसिस्ट जनपद-गोरखपुर के दो पत्र क्रमशः दिनांक 29-3-1999 एवं 17-5-2000 एवं श्री किरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक एवं सांसद का एक पत्र दिनांक 13-1-2001 कुल तीन पत्र प्राप्त हुये हैं। उक्त पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की संगत अभिलेखों से पुष्टि के उपरान्त सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-370 एवं अन्य संगत नियमों व शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज, तहसील करेन्दा के ग्राम पंचायत बैसार में भीषण बाढ़

17- श्री सीलत अली एडवोकेट-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत बैसार, विकास खण्ड बानी, तहसील करेन्दा जिला महराजगंज निवासी श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर, चिन्नी लाल पुत्र श्री मुन्नर, रामललित पुत्र श्री औतार व अन्य के मकान इस वर्ष भीषण बाढ़ में निरन्तर नष्ट हो जाने के कारण इन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है? क्या सरकार इस वर्ष इन्हें इन्दिरा आवास आवंटित करके इनकी आवासीय समस्या का निराकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ला-

जी हां।

श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर व श्री चिन्नी लाल पुत्र श्री मुन्नर का मकान बाढ़ में पूर्ण रूप से निरन्तर ध्वस्त हो चुका है तथा ये दोनों दूसरे के मकान में रह रहे हैं जबकि श्री रामललित पुत्र श्री औतार का कच्चा मकान बाढ़ में ध्वस्त हो गया है लेकिन पक्का मकान मौजूद है। वर्ष 2001-2002 में शासी निकाय द्वारा यदि निर्धारित मानक के अन्तर्गत इस ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार इनके चयन पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला कल्याण में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने की मांग

18- श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला/मण्डल/निदेशालय के लिपिकों का एक संवर्ग हो जाने के बाद भी निदेशालय महिला कल्याण में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण स्थानान्तरण नीति के अनुसार जिलों में न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या निदेशालय में अधिक समय से कार्यरत लिपिकों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभा द्विवेदी-

स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गई। समान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के कतिपय ग्रामों के विद्यालयों/इण्टर कालेजों के खराब इण्डियामार्का हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

श्री मती गौरी देवी-

19क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुर मटिपरा, रानापार, दुलहरा, पुरनहां राजी जगदीशपुर सिलहटा के विद्यालयों, इण्टर कालेजों में कुल कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगे हैं? उनमें से कितने कार्य कर रहे है और कितने खराब पड़े है? खराब पड़े हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर के ग्राम विशुनपुर मटिपरा, रानापार, दुलहरा, पुरनहां, राजी जगदीशपुर सिलहटा कि समस्त विद्यालयों एवं इण्टर कालेज में कुल 9 हैण्डपम्प स्थापित हैं। उनमें से 7 हैण्डपम्प कार्य कर रहे हैं तथा 2 हैण्डपम्प खराब हैं।

उक्त दो खराब हैण्डपम्पों में से एक हैण्डपम्प की रिबोरिंग का कार्य प्रगति पर है तथा दूसरे हैण्डपम्प को यथाशीघ्र ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम्य विकास अभिकरण के अवर अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित कार्यों की जांच सम्बन्धी कार्यवाही

20- श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-12-99, जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण चित्रकूट में कार्यरत अवर अभियन्ता की अन्यत्र स्थानान्तरित करके उनके द्वारा कराये गये कार्यों की जांच के संबंध था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा भी आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग एवं सचिव ग्राम्य विकास विभाग को उक्त के स्थानान्तरण व जांच के संबंध में पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों की जांच करा ली गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा अवर अभियंता, श्री भागीरथ चतुर्वेदी को निलंबित करते हुए जनपद-कन्नोज से सम्बद्ध किया गया था, किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उक्त आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हुआ।

जी हां।

अवर अभियंता के कार्यों की जांच टी0ए0सी से कराई गई। जिसमें श्री चतुर्वेदी रू0 1.75 लाख की धनराशि के दुरूपयोग के लिए दोषी पाये गये। नियुक्त प्राधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। जिला विकास अधिकारी, चित्रकूट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर में कथित शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में जानकारी

21- श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-60 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिलहर की शिकायतों के संबंध में जांच किसके द्वारा करायी गयी? क्या जांच के समय प्रश्नकर्ता के साक्ष्य लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-60 के उत्तर के सन्दर्भ में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, माननीय सदस्य विधान सभा के पत्र में उल्लिखित ब्लाक तिलहर की शिकायतों के संबंध में जांच खण्ड विकास अधिकारी, तिलहर तथा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण शाहजहांपुर से करायी गयी।

जी नहीं। जांच के समय प्रश्नकर्ता उपलब्ध नही हुए।

जनपद शाहजहांपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिलहर के अधीक्षक द्वारा जांच

22- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा अधीक्षक को अपनी जांच स्वयं करने का अधिकार नहीं है? यदि हां तो क्या सरकार उपरोक्त जांच किसी अन्य उच्च अधिकारी से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

चुकि प्रश्न से सम्बन्धित शिकायतें स्वयं चिकित्सा अधीक्षक के विरूद्ध नहीं थी वरन चिकित्सालय में प्रक्रियात्मक कमियों के सम्बन्ध में थी, अत: जांच अन्य उच्चाधिकारी से कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आवास भवन निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

23- श्रीमती गौरी देवी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल कितने ऐसे हैं जिनके पास जमीन अस्पताल व आवास हेतु उपलब्ध है? इनके नाम क्या-क्या है? क्या इसमें नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशुनपुर-ब्लाक-ब्रह्मपुर गोरखपुर का भी नाम है? क्या इसके लिये विगत 3 वर्षों में आवास व अस्पताल हेतु धन आवंटित किया गया है? यदि हां तो क्या उनका निर्माण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद गोरखपुर में 11 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनके पास जमीन, अस्पताल व आवास हेतु उपलब्ध है। इनके नाम विशुनपुरा. हाटा, ओहरिया, नेतवर बाजार, कटसहरा गजपुर, महावीर छपरा रकहट, जनपुर, हाफिजनगर एवं भाटपार है।

जी हां।

गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशुनपुरा के भवन निर्माण हेतु रू0 37.06 लाख का आगणन अनुमोदित करते हुए रू0 11.75 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

[illegible] में निहित शर्तों एवं प्रविधियों के अनुसार निर्माण एजेन्सी द्वारा मृदा परीक्षण कराकर ले-आउट प्लान आदि के अनुमोदन के उपरान्त नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाता है।

जनपद गोरखपुर के नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिशुनपुरा की भूमि पर वृक्षारोपण

24- श्रीमती गौरी देवी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिशुनपुरा, ब्लाक ब्रह्मपुर-गोरखपुर के नाम जो जमीन ग्राम-बकरीतिहा में छोड़ी गई है उसकी परिधि में कुल कितने प्रकार के वृक्ष हैं? क्या इनमें से कुल सीशम के पेड़ जिनकी कीमत लगभग दस हजार रुपये के आसपास है, काट कर गायब कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या इसका गैरिक सत्यापन कराकर अस्पताल से संबंधित मेडिकल आफीसर इंचार्ज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिशुनपुरा नहीं बल्कि बिशुनपुरा, ब्लाक-ब्रह्मपुर, गोरखपुर की जमीन में कुल 7 प्रकार के 32 वृक्ष हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के सरदार हरवंश सिंह स्मारक विद्यालय द्वारा फर्जी छात्र-छात्राओं के नाम से छात्रवृत्ति लेने की शिकायत

25- श्री रमेश राही-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगर पंचायत की सरदार हरवंश सिंह स्मारक विद्यालय द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति में फर्जी छात्र-छात्राओं के नाम दिखाकर प्रबन्धतंत्र द्वारा घोटाला किया गया है? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं।

जी नहीं। जनपद सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के सरदार हरवंश सिंह स्मारक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक क्रमश: वर्ष 1996-97 में 4560/-रू0 97-98 में 12,384/-रू0तथा 98-99 में 11,250/-रू0 छात्र/छात्राओं हेतु धनराशि प्रेषित की गयी। छात्रवृत्ति वितरण की जांच करायी गयी और 3, 900 रुपये का गबन पाया गया। इस प्रकरण की प्राथमिकी अपराध सं0 136/2001 दिनांक 11.5.2001 की थाना हरगांव में दर्ज करा दी गयी है। उक्त प्रकरण के लिए प्रबन्ध तंत्र दोषी नहीं पाया गया। अत: प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रबन्ध तंत्र दोषी नहीं पाया गया।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत शीलहापुर में विगत वर्षों में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत विकास कार्य

26-श्री रमेश राही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत शीलहापुर में वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत-शीलहापुर में वर्ष 1996-97,1997-98 तथा 1998-99 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये विकास कार्यो का विस्तृत विवरण वर्षवार निम्नवत् है:-

वर्ष 1996-97

1- चेतराम के मकान से देवकी के मकान तक मिट्टी का कार्य।

2- सड़क से कामता के मकान तक मिट्टी का कार्य।

3- सड़क से राम भरोसे के मकान तक पड़न्जा।

वर्ष1997-98

1- रामपाल के मकान से चन्द्रपाल के मकान तक मिट्टी का कार्य।

2- सड़क से बाबूराम के मकान तक मिट्टी का कार्य।

3- सड़क से बाबूराम के मकान तक कंकड़ का कार्य।

4- सड़क से भोलहे के मकान तक मिट्टी का कार्य।

5- सड़क से भोलहे के मकान तक पड़न्जा।

6- हैण्डपम्प।

वर्ष 1998-99

1- कूप मरम्मत।

2- केदारी के मकान से पूरन के मकान तक मिट्टी का कार्य।

3- पूरन के मकान से सेवक के मकान तक मिट्टी का कार्य।

4- सेवक के मकान से हुकुम के मकान तक मिट्टी का कार्य।

5- हुकुम के मकान से खन्ना के मकान तक मिट्टी का कार्य।

6- श्याम लाल के मकान से समलिया के मकान तक मिट्टी का कार्य।

7- श्याम लाल के मकान से समलिया के मकान तक खड़न्जा का कार्य।

8- आशा राम के मकान से खन्ना के मकान तक मिट्टी का कार्य।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत पैला कीसा में विगत चार वर्षो से जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कृत विकास कार्यो का विवरण

27-श्री रमेश राही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत पैला कीसा में विगत चार वर्षो से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई विकास कार्य कराये गये? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड महोली की ग्राम पंचायत पैलाकीशा में विगत चार वर्षो में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये विकास कार्यो का वर्षवार, कार्यवार विवरण की स्थिति निम्नवत् है:-

वर्ष 1997-98

1-केशन पासी के दरवाजे के शिव प्रसाद के दरवाजे तक मिट्टी व खड़न्जा का कार्य।

2- शिव प्रसाद मौर्य के दरवाजे से चकई तालाब की पुलिया तक मिट्टी का कार्य।

3- राम सहाय के मकान से रामपाल के मकान तक मिट्टी व खड़न्जा का कार्य।

वर्ष 1998-99

1- केशन के मकान से मुरली के मकान तक मिट्टी पटाई।

2- मुरली के मकान से केशन के मकान तक खड़न्जा/पड़न्जा।

वर्ष 1999-2000

1- हुलास के मकान से श्रीपाल के मकान तक नाली निर्माण।

2-मिट्टी पटाई सिंवई के मकान से हरदयाल के मकान तक।

वर्ष 2000-2001

1- श्रीकृष्ण के मकान से श्रीराम के मकान तक मिट्टी व खड़न्जा का कार्य।

2- सेवकराम के मकान से अवधेश के मकान तक मिट्टी व खड़न्जा का कार्य।

3- ज0रो0यो0 का बुलेटन बोर्ड।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नियत वेतन पर नियुक्त तदर्थ एलोपैथिक चिकित्सकों को विनियमित करने सम्बन्धी प्रकरण

28- श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1990 तथा 1992 में नियत वेतन पर नियुक्त तदर्थ एलोपैथिक चिकित्सकों, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 35 पार हो चुकी है, को विनियमित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

सम्प्रति कार्मिक नियमों के अनुसार 01 अक्टूबर, 1986 के उपरान्त तदर्थ रूप से नियुक्त अधिकारियों को विनियमित नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत चिकित्साधिकारीगण नियत वेतन पर कार्यरत है।

जनपद बहराइच के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में लिपिकों के स्वीकृति पदों के अतिरिक्त कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण

29- श्री अजय कुमार पोइया

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय बहराइच में लिपिकों के स्वीकृत चार पदों के विरूद्ध पांच लिपिक कार्यरत है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 5वां लिपिक जो पूर्व में जनपद बलरामपुर में तैनात था को माह जुलाई/अगस्त, 2000 में जनपद बहराइच के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया? यदि हां, तो क्या मंत्री जी स्वीकृत स्ट्रेन्थ के अतिरिक्त कार्यरत लिपिक को अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी हां।

जी हां।

जी हां, स्थानांतरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा

30- श्री छब्बू पटेल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 9-7-99 को सम्पन्न लिखित परीक्षा को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: आयोजित होने वाली परीक्षा में केवल 9-7-99 को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बुलाया पत्र भेजेगी? यदि हां, तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित न हो पाने वाले अभ्यर्थियों को अब होने वाली लिखित परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने के कारण क्या है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां।

सम्पन्न लिखित परीक्षा में गम्भीर अनियमितता की शिकायत शासन को प्राप्त होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। इस परीक्षा को पुन: कराने का शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के श्री नरेन्द्र प्रकाश लाल अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन भुगतान

31- श्री राम ललित चौधरी-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 21-2-2001 जो श्री नरेन्द्र प्रकाश लाल अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बस्ती के वेतन आदि के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

जी हां।

रिट याचिका संख्या-4453 (एस0एस0)/1998 नरेन्द्र प्रकाश लाल बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.99 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-8148/90 में पारित आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप 12 कैलेण्डर माहों में 240 दिन की सेवा पूर्ण न होने के कारण याची श्री नरेन्द्र प्रकाश लाल का प्रकरण याचिका संख्या-8148/90 में प्रतिपादित सिद्धांतों से आच्छादित नहीं होता है, अत: सेवा में पुनर्योजित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी तथ्य के प्रकाश में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-2649/ग्रा0अ0से0/स्था0-3/वर्कचार्ज डि0हो0, दिनांक-01-9-2000 द्वारा याची श्री नरेन्द्र प्रकाश लाल के प्रत्यावेदन को निस्तारित करते हुए उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा अवगत करा दिया गया है।

प्रदेश में ढाढ़ी जाति के अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का विचाराधीन प्रकरण

32- श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या समाज कन्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में दुसाध जाति को ही ढाढ़ी जाति के नाम से जाना जाता है जो अनुसूचित जाति में आते है? यदि हां, तो अभी तक ढाढ़ी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जनपद सन्त कबीर नगर में निर्गत न किये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार अन्य जनपदों की भांति बस्ती एवं जनपद सन्त कबीर नगर में ढाढ़ी/दुसाध जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का आदेश करेगी? यदि हां. तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं। क्योंकि ढाढ़ी जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। दुसाध जाति के समान ढाढ़ी जाति की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के प्रकरण का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ से सर्वेक्षण कराये जाने का प्रकरण विचाराधीन है। सर्वेक्षण रिपोर्ट/आख्या शीघ्र प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद बलरामपुर में देवी पाटन मण्डल के मुख्यालय पर मेडिकल कालेज खोलने का प्रकरण

33- श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवीपाटन मण्डल के मुख्यालय पर मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां. तो उक्त कालेज कब तक खोलवा दिया जायेगा?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं। प्रदेश में शासन द्वारा कोई भी मेडिकल कालेज खोले जाने की योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के श्री नरसिंह सरस्वती शिक्षण संस्थान कठौनी लालगंज में अनुसूचित जाति के छात्रों को विगत वर्षो में वितरित छात्रवृत्ति का प्रकरण

34- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री नरसिंह सरस्वती शिक्षण संथान कठौनी. लालगंज, जनपद आजमगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 की छात्रवृत्ति वितरित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त विद्यालय को कठौनी के नाम पर कटौली अंकित कर छात्रवृत्ति के भुगातान में बाधा उत्पन्न की गयी है? यदि हां, तो क्या बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बाल विकास परियोजना पाली में नियुक्त कार्यकत्री के मानदेय भुगतान सम्बन्धी प्रकरण

35- श्री अफरोज अली खां-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के 6ठें बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-135 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक-112/वा0 वि0परि0/ स्था0आ0बा0का0/ 98-99, दिनांक 20-1-1999 द्वारा नियुक्त श्रीमती सास्वती गोंड, आंगनबाड़ी कार्यक्रत्री, केन्द्र मइला के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं. तो भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। चूंकि श्रीमती सरस्वती गौड़ की नियुक्ति त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण इनकी मानदेय सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं, अत: इन्हें मानदेय का भुगतान किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के राजकीय चिकित्यालयों में फिजियोथिरेपिस्ट के रिक्त पदों का विवरण

36-श्री राम जग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में फिजियोथिरेपिस्ट के कितने पद रिक्त है? रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में फिजियोथिरेपिस्ट के तीन पद रिक्त हैं। रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद गाजियाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी के लेखा कार्यों में लाखों की अनियमितता की जांच

37- श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद ने श्री मो0 अनीस, वरिष्ठ लिपिक को लेखा कार्य में लाखों रूपये की धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का दोषी पाया है? क्या यह सही है कि श्री अनीस के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा की गयी है? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद ने अवगत कराया है कि वित्तीय अनियमितता की सम्भावना है। मुख्य चिकित्साधिकारी..गाजियाबाद ने शासकीय धन का दुरूपयोग, अनियमितताओं एवं गबन की प्रबल आशंका व्यक्त की है और इंगित किया है कि जांच का विषय है।

जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में जिला ग्राम्य विकास अधिकारी कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर कोटा पूर्ण करने की मांग

38- श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या सरकार कृपया बतायेगीं कि जनपद रायबरेली में जिला ग्राम्य विकास अधिकारी कार्यालय में आशुलिपिकों के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? अनुसूचित जाति का कोटा कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 1998 के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में समूह ग की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी लेकिन आशुलिपिक के पद पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण चयन नहीं हो सका इसलिये अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

जिला विकास कार्यालय, जनपद रायबरेली में आशुलिपिकों के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली एवं जिला विकास अधिकारी, रायबरेली को निर्देश दे दिये गये हैं।

जनपद लखनऊ में जिला ग्राम विकास अभिकरण की योजना में पंजीकृत संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट का विवरण

39- श्री अक्षयवर लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण लखनऊ से ट्राइसेम/ड्वाकरा योजना में पंजीकृत कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि हां, तो किस किस को और कब? क्या ब्लैक लिस्टेड संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट किये जाने की तिथि के उपरान्त से अब तक डी0आर0डी0ए0 लखनऊ द्वारा उनके संस्थागत मानदेय, कच्चा माल के बिलों का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

संस्थावार व तिथिवार विवरण इस प्रकार है:-

संस्था	ब्लैक लिस्ट की तिथि
1. महिला शिक्षा समिति 21/170 इन्दिरा नगर लखनऊ।	30.5.98
2. भारतीय बाटिक प्रिन्टर्स 409/34, दर्जीबाग. लखनऊ।	23.5.98
3. एस0 आर0एस0 ट्रेनिंग इन्टी0 गौरी, सरोजनी नगर लखनऊ।	29.4.98
4. बहुजन बाल एवं महिला समिति. सी 3115, राजाजीपुरम, लखनऊ।	29.4.98
5. आदर्श विकास समिति, 2/11 विशाल खण्ड. गोमतीनगर, लखनऊ।	29.4.98
6. लक्ष्मी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, आजादनगर. आलमबाग, लखनऊ।	13.2.98

जी हां। 02 संस्थाओं को।

प्रश्न नही उठता।

श्री एम0 जी सिंहल, सेवाच्युत सहायक अभियन्ता के शिकायती-पत्र को गायब किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

40- श्री हरपाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (प्रशासन) को प्राप्त श्री एम0जी0सिंहल, सहायक अभियन्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 27-10-88 के गायब किये जाने के बारे में आदेशित जांच अभी तक अपूर्ण है? यदि हां, तो उसके लिये कौन दोषी है? क्या जांच में शिकायतकर्ता का साक्ष्य लेकर पूर्व आदेशित जांच पुन: करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर, तहसील मेहदावल की ग्राम पंचायत भैंसामाफी में विगत 6 वर्षों में आवंटित इन्दिरा आवास का विवरण

41- श्री नेतराम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत भैंसामाफी तहसील मेहदावल जनपद संत कबीर नगर में विगत 6 वर्षों में वर्षवार किन-किन व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया है? क्या यह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सही है कि इस ग्राम पंचायत के अधिकांश पिछड़ी/अ0जा0 कहार/बरई गोड़/चमार जाति के लोगों के मकान इस वर्ष की वर्षा में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गये है? क्या सरकार इन परिवारों को अवासीय समस्या के निराकरण हेतु इस ग्राम पंचायत को 10 इन्दिरा आवास आवंटित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

ग्राम पंचायत भैंसा माफी तहसील मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर में विगत 6 वर्षों में केवल वर्ष 1996-97 व 99-2000 में क्रमश: 1 व 3 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटित किया गया जिनकी सूची निम्नवत् है:-

वर्ष 96-97	वर्ष 1999-2000
1. श्री तकसीम पुत्र श्री अब्दुल गफूर	1. श्री मती सफीकुन्निशा पत्नी श्री वकील अहमद 2. श्री मती बिन्दावती देवी पत्नी श्री राजदेव प्रसाद 3. श्रीमती हमीदुन्निशा पत्नी श्री रियाज अहमद

जी नहीं । ग्राम पंचायत भैंसा माफी में केवल 5 पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के भवन वर्षा में क्षतिग्रस्त हुए है।

जी नहीं। जनपद संतकबीरनगर में वर्ष 2001-2002 में केवल 530 नये आवास एवं 260 आवासों के उच्चीकरण का लक्ष्य है जबकि राजस्व ग्रामों की संख्या-1724 है। इस प्रकार पात्रता निर्धारित करने के दिशा निर्देशों एवं आवंटित आवासों की कम संख्या के कारण इस ग्राम में 10 इन्दिरा आवास आवंटित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अनुसूइया देवी सेवा निवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका के सामान्य भविष्य निधि का भुगतान

42- श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनुसूइया देवी, सेवा निवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका के सामान्य भविष्य निधि खाता सं0-पी0एच0यू0-17749 से 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 मार्च, 2001 तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पत्र स0-जी0पी0एफ0/2000-01 दिनांक 29 दिसम्बर 2000 तथा पत्र दिनांक 21-4-1997 दिनांक 6-7-1998 व दि0 18-1-2000 सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो वर्ष 1997 से लम्बित उक्त भुगतान मृतका के वारिस एवं भाई श्री राम शंकर तिवारी निवासी के 23/101. दुध विनायक वाराणसी को किये जाने का कोई आदेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं. तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 21 मार्च. 2001 शासन को प्राप्त हुआ है। अन्य पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी द्वारा श्रीमती अनुसुइया देवी तिवारी के उत्तराधिकारी को 90 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि के भुगतान हेतु चेक संख्या-ए0डी-0263593 दिनांक 14-5-2001 निर्गत किया गया है। दिनांक 14-5-2001 को।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली तहसील बहेड़ी के ग्राम वसुपुरा के पूर्व प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत धन का दुरूपयोग

43- श्री अनीस खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली, तहसील बहेड़ी खण्ड विकास रक्षा (दमखोदा) अन्तर्गत ग्राम वसुपुरा मजरा हाफिज गंज के पूर्व प्रधान बसुपुरा रहीसुद्दीन द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन से की जा रही वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार प्रकरण में आयुक्त ग्राम विकास उ0 प्र0 लखनऊ का अर्थशासकीय पत्र संख्या 35/ शासकीय परिवाद प्रकोष्ठ/97 दिनांक 3 अप्रैल 1998 एवं संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन/ग्राम्य विकास अनुभाग-4 का पत्रांक 8050/52/पी0सी0जी0/शिकायती जांच97-98 दिनांक 17-12-97 के प्रकरण में था, शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार भ्रष्टाचार प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं पूर्व प्रधान के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद बरेली, तहसील बहेड़ी के ग्राम वसुपुरा के पूर्व प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरूपयोग की जांच सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से करायी गयी, जिसमें धनराशि रू0 2139.50 का दुरूपयोग पाया गया। उक्त धनराशि की वसूली के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मे विमुक्त जातियों का विवरण व उनके कल्याण की योजना की जानकारी

44- श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विमुक्त जाति के अन्तर्गत कौन-कौन सी जातियों को विभिन्न जनपदों में विमुक्त जाति घोषित किया गया है? क्या विमुक्त जाति के अन्तर्गत वगीकृत जातियों के कन्याण की कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो यह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

विभिन्न जनपदों, में घोषित विमुक्त जातियों की सूची संलग्न है।

जी हां। विमुक्त जातियों के कन्याणार्थ निम्न योजनाएं संचालित है।

1- विमुक्त जाति के छात्रों के लिए कक्षा-1 से 10 तक छात्रवृत्ति।

2- विमुक्त जातियों के लिए 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है।

3- विमुक्त जातियों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा शत प्रतिशत विभागीय अनुदान पर 3 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है।

4- विमुक्त जातियों के लिए जनपद प्रतापगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है।

5- विमुक्त जातियों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा शत प्रतिशत विभागीय अनुदान पर 3 छात्रावास संचालित है।

6- विमुक्त जाति (घुमन्तु) के लिए आर्थिक उत्थान योजना संचालित है जिसमें आवास निर्माण हेतु रू0-5000/- एवं रोजगार सृजन हेतु रू0-3000/- अनुदान प्रति परिवार निर्धारित है।

7- राजकीय उन्नयन बस्ती कन्याणपुर कानपुर, फुलपुर-मुरादाबाद, साहबगंज-खीरी में संचालित है।

प्रश्न नही उठता।

(देखिये तत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 159 पर)

प्रदेश में जनसंख्या नियत्रण हेतु विरोध की आपूर्ति

45-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री संजय गर्ग-

क्या परिवार कन्याण मंत्री बताने कही कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने हेतु परिवार कल्याण विभाग से निरोध की आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त निरोध के इस्तेमाल करने से महिलाओं को रोग का खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तर के निरोध की आपूर्ति किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं , तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में गत वर्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पुत्री की शादी हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

46-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वर्ष 2000-2001 में अनु0 जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु कुल कितना धन प्रदान किया गया है? क्या शादी हेतु लाभ पाने वाले पात्र व्यक्तियों को अभी तक अधिकतर मामले कार्यालय में लम्बित है? यदि हां, तो क्या उक्त लम्बित पात्र व्यक्तियों की पत्रावलियों की स्वीकृत करके गरीबों को उसका लाभ दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद चित्रकूट को वर्ष 2000-2001 मे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनकी गंभीर बिमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत रू0 07.15 लाख की धनराशि दी गई है।

जी नहीं। स्था0 सं0-1979/26-3-2000-41(18)/93 टीसी दिनांक 6-7-2000 की व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय वर्ष में हुई शादियों से सम्बन्धित सभी लम्बित प्रार्थना पत्र निरस्त माने जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरगढ़ में अधीक्षक की नियुक्ति की मांग

47-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरगढ़ (लालगंज) में वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 में अधीक्षक की नियुक्ति की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आजमगढ़ पर अधीक्षक की नियुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1997-98 में अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज के पद पर डा0 शम्भू शरण द्विवेदी कार्यरत रहे। वर्ष 1998-99 में डा0 एच0वी0 शर्मा की तैनाती की गयी थी जिन्हें बाद में उनके निजी अनुरोध पर दि0 8.2.1999 के आदेश द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्ष 1999-2000 एवं वर्ष 2000-2001 में इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी। अधीक्षक का पद समूह क संवर्ग का प्रोन्नति का पद है। इस स्तर के अधिकारियों की कमी के कारण तैनाती नहीं की जा सकी। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आजमगढ़ के मेहजानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

48- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 25-2-2001 को आजमगढ़ जनपद में मेहनाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की है? यदि हां तो उक्त मेहनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु पहले भवन निर्माण होना आवश्यक है और भवन का निर्माण नि:शुल्क भूमि तथा समुचित परिव्यय की उपलब्ध एवं समायोजन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

49- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

(4वे मंगलवार में अता प्र0सं0-176 कं अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

50-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद, कुशीनगर, कस्बा सुकरौली निवासी रानी अविवाहित की नसबन्दी में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

51-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री संजय गर्ग-

क्या परिवार कन्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद कुशीनगर कस्बा सुकरौली निवासी रानी का पन्द्रह वर्ष की आयु में 26 वर्ष की आयु तथा दो बच्चों की मां दिखाकर नसबन्दी का आपरेशन किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी सम्बन्धित दोषी चिकित्सकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हां। जनपद कुशीनगर कस्बा सुकरौली निवासी रानी जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष प्रतीत होती है तथा अविवाहित है, की नसबन्दी आपरेशन सुकरौली के नसबन्दी शिविर में दिनांक 23-11-2000 को हुआ है। विभाग की ओर से प्रारम्भिक विभागीय जांच की गयी है जिसके आधार पर नसबन्दी केस के प्रेरक को, जो विभागीय कर्मचारी ही है, को निलम्बित कर दिया गया है। संबंधित चिकित्सा अधिकारी/सर्जन को शासनादेश संख्या-2235/चि0-3-2001-1532/2001, दिनांक 2-5-2001 द्वारा निलम्बित करके औपचारिक जांच प्रारम्भ कर दी गयी है तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी को स्थानान्तरित करके उनके खिलाफ अनुशासनिक जांच प्रारम्भ कर दी गयी है। एक कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा शेष कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही कर ली गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण पर थाना कोतवाली हाटा में पंजीकृत प्राथमिकी अपराध संख्या-470/2000 धारा 493/498/326/323/363/420/120 बी की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आजमगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सालय लहुंआ में चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

52- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के आयुर्वेदिक चिकित्सालय लहुंआ में पिछले दो वर्षो से कोई डाक्टर कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार लहुंआ आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर

किसी डाक्टर की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

शासनादेश संख्या-3600/71-2-98-268/86 टी.सी. दिनांक 7-7-1998 द्वारा डा0 सुरेन्द्र राय की नियुक्ति चिकित्साधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लहुआ कला आजमगढ़ में की गयी थी। उनका स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-3009/71-2-99-दिनांक 9-7-1999 द्वारा अन्य चिकित्सालय में कर दिया गया तदोपरान्त शासनादेश संख्या-एम-1041/71-2-2000-142/98, दिनांक 22-1-2000 द्वारा डा0 मदन मोहन शुक्ल की तैनाती की गयी जो सेवा निवृत्त की तिथि 31-12-2000 तक कार्यरत रहे। उक्त तिथि के बाद से उक्त चिकित्सालय में कोई चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है। यथाशीघ्र विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के श्री विनय कुमार शाह को प्रदेश रेडक्रास प्रबन्ध समिति का सदस्य नामित करने की मांग

53- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश रेडक्रास प्रबन्ध समिति का पुर्नगठन विगत कई वर्षो से ठप्प पड़ा है जिससे जनहित में रेडक्रास की गतिविधियां प्रभावित हो रही है? क्या श्री विजय कुमार शाह वाराणसी निवासी को प्रदेश रेडक्रास प्रबन्ध समिति का सदस्य नामित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वी0आई0पी0-3190 दिनांक 20-10-2000. माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

जी हां। नामांकन द्वारा भरने हेतु कोई पंक्ति उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यो की समीक्षा

54- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों के कार्यो की समीक्षा की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री

जी हां। मुख्य खाद्य निरीक्षकों/खाद्य निरीक्षकों के कार्यो की समीक्षा जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा, मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, द्वारा तथा प्रदेश मुख्यालय पर निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा की जाती है।

प्रश्न नही उठता।

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 24-5-2001 को अता0 प्र0 सं0-61 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज व गांधी स्वास्थ्य चिकित्सालयों के टेक्नीशियनों को एक समान वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

56- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग में दिनांक 6-7-2000 को किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं गांधी स्मारक तथा सम्बद्ध चिकित्सालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियनों को एक समान वेतनमान दिनांक 1-1-86 से दिये जाने की सहमति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो क्या शासनादेश जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक व अन्य अधिकारियों द्वारा भवन मरम्मत के नाम पर लाखों के गबन की सतर्कता जांच

57- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक व कई अन्य अधिकारियों द्वारा भवन मरम्मत आदि के नाम पर लाखों रूपये गबन किये जाने के विरूद्ध राज्य सर्तकता विभाग द्वारा मार्च, 2001 में कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री सरदार सिंह-

जी हां। शासकीय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, रंगाई पुताई एवं रख-रखाव (वार्षिक मरम्मत) हेतु वित्तीय वर्ष. 1995-96 व 1996-97 में स्वीकृत शासकीय धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में खुली जांच में पाये गये प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। खुली जांच में पाये गये प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर अग्रतर अन्वेषण प्रगति पर है तथा अन्वेषण के लिये सतर्कता विभाग द्वारा अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। सतर्कता विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही एवं एफ0आई0आर0 के संबंध में कार्यवाही पूर्ण होने पर सतर्कता विभाग की संस्तुति के अनुरूप दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के संख्या सहायकों व अवर अभियन्ताओं को प्रोन्नत समयमान वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

58- श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी0आर0डी0ए0) में नियुक्त संख्या सहायकों व अवर अभियन्ताओं को 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि के पश्चात् प्रोन्नत/समयमान वेतनमान दिये जाने का अधिकार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी में निहित है? यदि नहीं, तो यह अधिकार किसमें निहित है? क्या डी0आर0डी0ए0 बरेली, हरदोई, पीलीभीत व गाजियाबाद में नियुक्त संख्या सहायकों व अवर अभियन्ताओं को 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा अवधि के पश्चात् प्रोन्नत/समयमान वेतनमान दे दिया गया है? यदि नही, तो क्यों? प्रोन्नत/समयमान वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 में निहित है।

जी नहीं।

अभिकरण के कर्मियों को शासनादेश सं0-डी-172/38-2-2001, दिनांक 20-3-2001 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की सुविधा प्रदान की गयी है। समयमान/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा 1-1-96 से स्थगित करते हुए अलग से निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों इकोनामिस्ट के पदों का विशेष संस्था सहायकों के पदोन्नति सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

59- श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों (डी0आर0डी0ए0) में प्रोजेक्ट इकोनामिस्ट (परियोजना अर्थ शास्त्री) के कितने पद रिक्त हैं? क्या डी0आर0डी0ए0 में 15-15 वर्षों से नियुक्त संख्या सहायकों को प्रोजेक्ट इकोनामिस्ट पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर संख्या सहायकों की पदोन्नति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

45 पद रिक्त हैं।

जी नहीं ।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.7.2000 द्वारा अभिकरण कर्मियों की पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त नियमतः पदोन्नति पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का प्रस्तुत ब्यौरा

60- श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सेवा काल में प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 24-4-2001 को प्रस्तुत किया गया है।

कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुयी है।

जनपद बाराबंकी की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

61- श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी की बाल विकास परियोजनाओं में आठ-आठ दस-दस वर्षों से लिपिक मुख्य सेविकायें एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी तैनात हैं? यदि हां, तो क्या ऐसे लिपिक, मुख्य सेविकाओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अन्य जनपदों में स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

जनपद बाराबंकी में 8-10 वर्ष से मात्र एक मुख्य सेविका तैनात है। स्थानांतरण नीति के अनुसार यथोचित निर्णय लिया जायेगा। स्थानान्तरण सत्र 2000-2001 के दौरान यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के विकास खण्ड माल के चकरोड पर मिट्टी पटाई सम्बन्धी कार्य

62-श्री अरिमर्दन सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल में ग्राम सभा बसंतपुर के अन्तर्गत बसंतपुर के मजरा कल्यानपुर जाने वाले चकरोड पर मिट्टी पटाई का कार्य किया गया है? यदि हां, तो क्या

यह सही है कि यहां मानक के अनुसार मिट्टी नही डाली गयी है? क्या उक्त मार्ग के कार्य का किसी उच्च अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

प्रश्नांकित मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा कोई कार्य ही नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, विकास खण्ड माल की ग्राम सभा बसंतपुर पूर्व प्रधान द्वारा किये गये अनियमितता की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63- श्री अरिमर्दन सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल के ग्राम सभा बसंतपुर के पूर्व प्रधान द्वारा किये गये अनियमित कार्यो से सम्बन्धित था, माह मार्च, 2001 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा के महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को निदेशालय में लम्बी अवधि तक रखने का औचित्य

64- श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के महिला कल्याण विभाग के किन-किन संवर्ग की सेवा पुस्तिकायें निदेशालय में काफी लम्बी अवधि से रखी हुई है? क्या यह सही है कि सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका न होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि व वेतन आहरण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो काफी लम्बी अवधि तक सेवा पुस्तिका रखने का क्या औचित्य है? क्या दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

मात्र श्रीमती स्नेह लता सिंह, नर्स की सेवा पुस्तिका मई, 2000 से निदेशालय में थी जो लौटा दी गई है।

जी हां।

कोई औचित्य नहीं पाया गया। दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन ग्राम पंचायत मड्इया में अपात्रों को इन्दिरा आवास आवंटन अग्रिम भुगतान पर रोक

65- श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इन्दिरा आवासों के आवंटन की पात्रता सूची बनाये जाने के मानक क्या है? क्या जनपद जालौन के विकास खण्ड महेबा की ग्राम पंचायत मड्इया में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में अपात्र लोगों के चयन पर खण्ड विकास अधिकारी महेबा की जांच तथा मुख्य

विकास अधिकारी द्वारा रोक लगायी गयी थी? यदि हां, तो इसके बाद भी अपात्र लोगों को पुन: स्वीकृति जारी करके चेक प्रदान किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार दोषी अधिकारी को दण्डित कर अपात्रों से धन की वापसी करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले आवासों की पंचायतवार संख्या का निर्धारण करती है तत्पश्चात् ग्राम सभा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप पात्र परिवारों की सूची में से आवंटित लक्ष्यों तक लाभार्थियों का चयन करती है। चयन में प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है:-

1. मुक्त बंधुआ मजदूर।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति।
3. युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाएं/परिवार।
4. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति।
5. शारीरिक/मानसिक विकलांग व्यक्ति।
6. सैनिक /अर्द्धसैनिक बलो के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
7. विस्थापितों/खानाबदोश/अर्द्धखानाबदोष/निर्दिष्ट आदिवासी/विकलांग सदस्यों के परिवार, जो गरीबी रेखा के नीचे हों।

जी हॉ।

खण्ड विकास अधिकारी महेबा की जांच रिपोर्ट पर क्षेत्रीय बैंक को अग्रिम आदेशों तक धनराशि के भुगतान पर रोक लगाई गई और उसी आदेश के तहत अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य का मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित पद

66- श्री राम पाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संघ उ0प्र0 शाखा जालौन स्थान उरई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों की सेवा नियमावली का प्रख्यापन कर उनको चिकित्सा सेवा सम्वर्ग में शामिल कर प्रोन्नति सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु प्रेषित ज्ञापन दिनांक 13-4-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं।

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) का पद उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण सहायक संघ द्वारा योजित याचिका संख्या-3516/87 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित है। अत: मा0 न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही उक्त पद पर कार्यरत चिकित्सकों की सेवा नियमावली का प्रख्यापन तथा उनके सेवा सम्बन्धी अन्य संगत मामलों पर कार्यवाही सम्भव है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन, महोबा में मातृत्व लाभ योजनान्तर्गत गर्भवती धात्री महिलाओं को अनुदान दिये जाने की योजना

67- श्री श्रीराम पाल-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत गर्भवती व धात्री महिलाओं को दिये

जाने वाले अनुदान में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या? क्या जनपद जालौन के विकास खण्ड महेबा की ग्राम पंचायत मड़ैया में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में उक्त योजना के आवेदन पत्रों पर उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर की महिलाओं के फोटो चित्र लगाकर धन आहरित किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सत्यापन कर्ता व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में कतिपय रोजगार योजनाओं के कार्यो की तकनीकी जांच हेतु गठित सेल के अन्तर्गत जनपद जालौन में विगत वर्षो में कराये गये कार्यों के दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

68- श्री श्रीराम पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना में प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यो का स्थलीय सत्यापन एवं मूल्यांकन कराये जाने हेतु जनपद स्तरमण्डल स्तर पर तकनीकी जांच सेल गठित किया गया है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से अधिकारी है? क्या जनपद जालौन के ख0वि0 महेबा की ग्राम पंचायत मड़इया मे वर्ष 1995-96 ो 1999-2000 तक की पंचवर्षीय योजना में कराये गये कार्यो की तकनीकी जांच तथा भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन कराकर धन के गबन के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हॉ, मण्डल स्तर पर प्राविधिक परीक्षा सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग में गठित है। मण्डल स्तर पर गठित उक्त प्रकोष्ठ में अधिशासी अभियन्ता, प्राविधिक परीक्षा सम्परीक्षा प्रकोष्ठ ग्राम्य विकास एवं उनके सहयोगी तकनीकी अधिकारी है। जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में ग्राम पंचायत मड़इया में वित्तीय वर्ष 1995-96 तक के कार्यो की जांच हेतु जिला पंचायतराज अधिकारी, जालौन, स्थान उरई, खण्ड विकास अधिकारी व अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विकास खण्ड-महेवा की तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की जा चुकी है। धनराशि का गबन पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत विगत वर्षो में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की जानकारी

69- श्री राम औतर शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कितने प्रार्थना पत्र तहसील बाइज प्राप्त हुये? उनमें से कितने पात्र पाये गये कितनों में अब तक सहायतार्थ धनराशि वितरित कर दी गई? क्या सरकार वंचितों को सहायता धनराशि वितरित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत तहसील बाइज प्रेषित प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्नवत है:-

तहसील का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	
	1999-2000	2000-2001
मैनपुरी	210	264
भोगॉव	315	256
करहल	197	120

उपरोक्त आवेदन पत्रों में से पात्र तथा निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या निम्नवत है:-

तहसील का नाम	वित्तीय वर्ष			
	1999-2000	2000-2001		
	पात्र	निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	पात्र	निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या
मैनपुरी	210	196	264	128
भोगॉव	315	111	256	181
करहल	197	118	120	92

जी हां।

भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त करने के पश्चात् सहायता धनराशि वितरित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जनपद इटावा के क्षेत्र बकेबर में आयोजित नि:शुल्क क्षेत्र चिकित्सा शिविर

70- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इटावा के बकेबर क्षेत्र में 7 से 10 फरवरी 2001 तक आयोजित नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में किये गये आपरेटशन में 16 लोगों की आंख की रोशनी चली गयी? यदि हां, तो क्या उक्त लापरवाही की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी डाक्टरों को दण्डित करने व भुक्त भोगियों की मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद-इटावा के बकेवर क्षेत्र में स्वेच्छिक संस्था उद्योग व्यापार मण्डल विकास समिति, इटावा द्वारा दिनांक 7 से 14 फरवरी,, 2001 तक आयोजित नेत्र शिविर में किये गये आपरेशन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांचोपरान्त 7 मरीजों की आंखों की रोशनी निम्न कोटि की पायी गयी।

प्रकरण में उपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल कानपुर से जांच करायी गयी है। जांचाख्या के परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये डाक्टरों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामलों में मुआवजा दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

लखनऊ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं बलरामपुर अस्पताल में फार्मेसिस्ट एवं स्टोर कीपर का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण की मांग

71- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में फार्मेसिस्ट एंव स्टोर कीपर विगत एक दशक एवं उससे भी अधिक समय से एक की स्थान एवं एक ही पद पर तैनात है? यदि हां, तो क्या सरकार एक दशक से भी अधिक समय से एक ही पद एवं स्थान पर तैनात फार्मेसिस्ट एवं स्टोर कीपर्स का स्थानान्तरण कार्यहित में अन्यत्र करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में 3 फार्मेसिस्ट तथा बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में 7 फार्मेसिस्ट विगत एक दशक एवं उससे भी अधिक समय से कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सालयों में कोई भी स्टोर कीपर एक दशक या उससे अधिक समय से कार्यरत नहीं है।

स्थानान्तरण सत्र में वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का भुगतान के निर्धारित अवधि

72- श्री विश्वनाथ-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा एवं उपचार के कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को निस्तारित करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि माह अक्टूबर, 2000, 31मार्च, 2001 तक कितने राजकीय कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे महानिदेशक, चिकित्सा कार्यालय में लम्बित है? और उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

उपचार के उपरान्त छः माह के अन्दर दावे का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। प्रश्नगत अवधि में कुल 1188 दावे लम्बित थे। उपलब्ध स्टाफ द्वारा लम्बित दावों का निस्तारण सथासम्भव निर्धारित अवधि में किया जाता है।

जनपद हाथरस, ब्लाक सहपऊ एवं साहाबाद में लगे हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म बनवाने की जानकारी

73- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हाथरस के ब्लाक-सहपऊ एवं साहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के प्लेट फार्म बने है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त हैण्डपम्पों के पक्के प्लेट फार्म बनवाना सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां। जनपद हाथरस के ब्लाक सहपऊ एवं साहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2000 तक अधिष्टापित हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म पूर्व में ही पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2000-2001 में उक्त विकास खण्डों में 136 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं जिसमें से 15 हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म अवशेष हैं, जिन्हें यथाशीघ्र निर्मित करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस, ब्लाक सादाबाद की ग्राम सभा विसावट के कतिपय मुहल्ले में पीने के पानी की समस्या

74- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-हाथरस के ब्लाक सादाबाद के गांव सभा विसावट के मुहल्ला नई बस्ती खास तौर से धूलियागंज एवं देवीवाले मुहल्ले में पीने के पानी की समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुहल्लो में उक्त समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं. तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। उल्लिंखित स्थानों में एक-एक इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा दो बस्तियों में मैन रोड पर पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करायी जा रही है।

जी नहीं।

जनपद कन्नौज की ग्राम सभा विशुनगढ़ के ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर से छात्रवृत्ति भुगतान का कथित प्रकरण

75- श्री राजपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज के विकास खण्ड-छिबरामऊ की ग्राम सभा-विशुनगढ़ में ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर सुधीर कुमार कल्लू निवासी विशुनगढ़ द्वारा ग्रामीण बैंक, विशुनगढ़ से जे0आर0वाई0 दशम् वित्त, राज्य वित्त, छात्रवृत्ति का भुगतान प्रधान के खाते से किया जा रहा है? यदि हां, तो फर्जी तरीके से आहरण कराने वाले उपरोक्त व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त धनराशि निकलवाने के लिये हस्ताक्षर प्रमाणित करने में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? क्या दोषियों के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

जी नहीं। कोई फर्जी आहरण नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, कोई अधिकारी, कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री श्रीराम पाल-

(4थें शुक्रवार में अता0प्र0सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जल निगम द्वारा प्रदेश में ग्राम पंचायतों के खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत

77- श्री बिन्दु लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इण्डिया मार्का-2 की मरम्मत ग्राम पंचायतों के सुपुर्द करने से ज्यादातर नलें खराब पड़े रहते है और मिस्त्री व समान न मिलने के कारण नलों की मरम्मत नहीं हो पाती है? यदि हां, तो क्या उक्त कठिनाइयों को देखते हुये इण्डिया मार्का-2 नलों की मरम्मत जल निगम द्वारा कराने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

ग्रामीण अंचलों में स्थापित इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के रख-रखाव/अनुरक्षण का कार्य शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2001 द्वारा उ0प्र0 जल निगम को सौंपा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के शहीद रघुनाथ सिंह मा0 विद्यालय कादीपुर को आवंटित छात्रवृत्ति के प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

78- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि शहीद रघुनाथ सिंह उ0मा0वि0 कादीपुर जनपद आजमगढ़ को 58 हजार रू0 की छात्रवृत्ति 11-7-2000 को समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी की गयी थी जबकि उस समय इस विद्यालय को मान्यता ही प्रदान नहीं की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद आजमगढ़ के समाज कल्याण अधिकारी/कर्मचारी को उक्त अनियमितता के लिये दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां।

जी नहीं। उक्त प्रकरण में दायित्व निर्धारण मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा किया जा चुका है, जिसमें तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उनके पटल सहायक श्री श्री प्रकाश सिंह तथा खाता प्रमाणित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध थाना मेहनगर में अभियोग संख्या-43/2001 दिनांक-20-2-2001 दर्ज कराया जा चुका है।

जनपद हाथरस, ब्लाक सहमऊ की ग्राम सभा महारारा के मुहल्लों में पीने के पानी की समस्या के निराकरण की मांग

79- श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हाथरस के ब्लाक सहमऊ की गांव सभा, महारारा के कुशवाहों वाले मुहल्ले में पीने के पानी की भारी समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुहल्ले में कम से कम तीन इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। जनपद हाथरस के ब्लाक लखनऊ की ग्रामसभा महरारा के कुशवाहो वाले मुहल्ले में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। उक्त मुहल्ले की आबादी लगभग 500 है जिसमें 2 हैण्डपम्प पूर्व से ही अधिष्ठापित हैं। तथा उक्त मोहल्ला मानक के अनुसार पेयजल से संतुष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा की चीनी मिल न्यौली किसानों का बकाया गन्ना मूल्य

80- श्री नेतराम सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा की चीनी मिल न्यौली पर वर्ष 2000-2001 का किसानों का कितना गन्ना मूल्य अवशेष है? अवशेष धन का अब तक भुगतान न करने हेतु दोषी कौन है? दोषी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जनपद एटा की चीनी मिल न्योली पर वर्ष 2000-2001 का दिनांक 10-5-2001 तक रूपये 835.28 लाख गन्ना मूल्य अवशेष है। जो कुल देय का 40.46 प्रतिशत है।

गन्ना मूल्य भुगतान का दायित्व चीनी मिल का है। न्यौली चीनी मिल की कैश-क्रेडिट लिमिट समाप्त हो जाने के कारण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो पा रहा है। केवल चीनी बिक्री से प्राप्त धन व अपने स्त्रोतों से प्राप्त धन से ही चीनी मिल गन्ना मूल्य भुगतान कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगला चूरा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की तैनाती

81- श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में स्थित नगला चूरा में राजकीय आयुर्वेद अस्पताल भवन में डाक्टर/कम्पाउन्डर की नियुक्ति की गयी है? क्या यह सही है कि वहां चिकित्सक एवं कम्पाउन्डर की नियुक्ति होने के कारण भवन बन्द पड़ा है और रोगी डाक्टरों के अभाव में वापस चले जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की व्यवस्था करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगलाचूरा जनपद फिरोजाबाद में फार्मासिस्ट तैनात है तथा उक्त चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का पद अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के कारण चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है।

जी नहीं। तैनात फार्मासिस्ट द्वारा चिकित्सालय में आने वाले रोगियों का उपचार किया जाता है। चिकित्साधिकारी पद की उपलब्धता के अनुसार यथा समय विचार किया जायेगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर तहसील हाटा की श्रीमती पियारी का फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित ग्राम प्रधान के पद पर निर्वाचित होने की शिकायत

82- श्री दीपलाल भारती तथा श्री शिवपूजन राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भोला प्रसाद मण्डल, अध्यक्ष बाबा साहब, डा0 भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति संघर्ष समिति मण्डल-गोरखपुर का पत्र दिनांक 4-12-2000 जो ग्राम गौनर तप्पा, बछौली, परगना-शाहजहांपुर तहसील हाटा द्वारा जिला-कुशीनगर की श्रीमती पियारी पत्नी सिद्धू जाति कहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण प्रस्तुत कर अ0जा0 के आरक्षित प्रधान-सीट पर अवैधानिक तरीके से निर्वाचित होने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं. तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

83-श्री राम रतन यादव-

(5वे मंगलवार में अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के ग्राम विकास विभाग के आशुलिपिकों को उच्चतम वेतनमान में पदोन्नति पदनाम की मांग

84- श्री सीताराम निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्राम विकास विभाग में कार्यरत आशूलिपिक जिस वेतनमान में नियुक्त होते हैं, उसी वेतनमान में सेवा निवृत्त हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या प्रदेश में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरी सेवाकाल में 3-4 उच्चतम वेतनमान में पदोन्नति दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम्य विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को भी पूरे सेवाकाल में 3-4 उच्चतम वेतनमान में पदोन्नति करके पद नाम परिवर्तित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

ग्राम्य विकास विभाग में आशुलिपिकों का एकीकृत संवर्ग नहीं है, बल्कि जिला स्तरीय कार्यालय, परिक्षेत्रीय कार्यालय तथा मुख्यालय पर अलग-अलग संवर्ग हैं।

आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय पर कार्यरत आशुलिपिक जिस वेतनमान में नियुक्त होते हैं, उसी वेतनमान में सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, अपितु उन्हें वैयक्तिक सहायक के राजपत्रित पद स्तर तक पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अधीनस्थ परिक्षेत्रीय स्तर, एवं जनपद स्तर के कार्यालयों में नियुक्त आशुलिपिको के पदोन्नति का प्राविधान उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग लिपिक संवर्ग सेवानियमावली. 1980 में नहीं किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग में परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय कार्यालयों के आशुलिपिकों के अतिरिक्त अन्य संवर्ग को नियमानुसार पदोन्नति दी जाती है।

आयुक्त, ग्राम्य विकास मुख्यालय पर पदोन्नति का अवसर पूर्व से ही प्राप्त है, परन्तु परिक्षेत्रीय/जनपद स्तर पर नियुक्त ग्राम्य विकास विभाग के आशुलिपिकों को उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति करके पद नाम परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

85- श्री अफजाल अहमद-

(5वें गुरूवार में अता0प्र0सं0-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद चित्रकूट के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा गतवर्ष में सुनिश्चित रोज़गार योजनान्तर्गत धनावंटन

86- श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2000-2001 में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत धनावंटन में की गयी वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी मा0 संसद सदस्य श्री रामसजीवन का शिकायती पत्र दिनांक 23-4-2000 व 15-5-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हो, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां। पत्र वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में हैं। प्रकरण की जांच कराई गयी। जांच आख्या का परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव, राजकीय पाली टेक्निक कालेज में नये ट्रेड खोलने की योजना

87-श्री राम कुमार एडवोकेट-

क्या पाविधिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज उन्नाव में कुल कितने ट्रेडों की शिक्षा दी जा रही है? क्या उक्त कालेज में नये ट्रेडों की शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह ट्रेड क्या है? यदि नही, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

राजकीय पालीटेक्निक, उन्नाव मे तीन पाठ्यक्रमों (इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग तथा कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन) मे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्था में नया पाठ्यक्रम खोले जाने के संबन्ध में जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा संस्तुत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में इस संस्था में कोई नया पाठ्यक्रम खोले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद इटावा के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैला में गतवर्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का वितरित छात्रवृत्ति का विवरण

88- श्री राम औतार शाक्य-

क्या समाज कन्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसन मजदूर माध्यमिक विद्यालय पुरैला इटावा में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कितने पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कितनी और कब-कब छात्रवृत्ति वितरित की गयी? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक द्वारा छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता की गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी हां।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरैला इटावा में वित्तीय वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जाति के 50 छात्रों को दिनांक 26-1-2001 व दिनांक 5-3-2001 को कुल 30,240/-रूपये की धनराशि और पिछड़ी जाति के 6 छात्रों को दिनांक 22-3-2001 को रू0-4320/- की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अवर अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यो की वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी पंजीकृत अभियोग

89-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के जिला ग्राम्य विकास अभि0 में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री भागीरथ चतुर्वेदी द्वारा विकास खण्ड चित्रकूट धाम कर्वी में वित्तीय वर्ष 1998-99 में कराये गये कार्यो की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध मण्डलीय तकनीकी प्रकोष्ठ (टी0 ए0 सी0) से जांच करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उक्त अवर अभियन्ता शासकीय धन के दुरूपयोग व गबन के दोषी पाये गये? यदि हां, तो क्या दुरूपयोग की गयी धनराशि की वसूली दोषी अवर अभियन्ता से की गयी? यदि हां, तो कब और कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

जी हां। श्री चतुर्वेदी, अवर अभियन्ता के विरूद्ध जनपद स्तर से कोतवाली कर्वी में अपराध सं0: 257/99 धारा-409 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है एवं धनराशि की वसूली हेतु नोटिस जारी की गई। नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा कारण बताओं नोटिस दी गई है। श्री चतुर्वेदी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है, विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जाना संभव होगा।

जनपद रायबरेली के राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुरसतगंज में संवासिनियों द्वारा तैनात नर्स को अकारण मारने पीटने के प्रकरण की जांच

90-श्री विजय पाल सिंह-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुरसतगंज में संवासिनियों द्वारा अप्रैल, 2001 में वहां तैनात नर्स को अकारण मारा पीटा गया था? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा इसकी जांच कराई गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

शासन के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। मा0 सदस्य के प्रश्न से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के परिणामों के आधार पर यथास्थिति नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद गोरखपुर के मेडिकल कालेज में कार्यरत फ्रिज-मिस्त्री को पशुपालन विभाग के फ्रिज मिस्त्री की भांति वेतनमान दिलाये जाने की मांग

91-श्री दीप लाल भारती-

क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में फ्रिज-मिस्त्री को वेतनमान 950-1500 दिया जा रहा है जबकि शासनादेश सं0-3029/12-प-1-95-1(17)/89 टी0सी0 दिनांक 16 मई, 1996 द्वारा पशुपालन विभाग में रेफ्रिजरेशन-मैकेनिक के पद पर कार्यरत कर्मचारी को 1350-2200 का वेतनमान दिया जा रहा है? क्या यह भी सत्य है कि इन पदों की योग्यता तथा कार्य समान है? यदि हां, तो क्या मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्यरत फ्रिज-मिस्त्री को समता समिति के निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त के अनुपालन में 1350-2200 का वेतनमान दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फ्रिज-मिस्त्री को वेतनमान 950-1500 दिया जा रहा है।

पशुपालन विभाग में कार्यरत रेफ्रिजरेशन मेकैनिक के पदधारक को वेतनमान 1350-2200 दिये जाने तथा इस पद की योग्यता एवं कार्य की प्रकृति के संबंध में पशुपालन विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रहीं है।

पशुपालन विभाग के रेफ्रिजरेशन-मेकैनिक के योग्यता एवं कार्य के प्रकृति की सूचना प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त बी0आर0डी0मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्यरत फ्रिज-मिस्त्री को वेतनमान रू0 1350-2200 दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद कालपी के विधायक निधि से स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यो की जानकारी

92-श्री श्रीराम पाल

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बातायेंगे कि जनपद जालौन की नगर पालिका परिषद्, कालपी के मोहल्ला जुलहटी, राजेपुरा तथा कसौड़ा में वर्ष 2000-2001की विधायक निधि से स्वीकृत मार्गो का आगणन के अनुसार आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? क्या विधायक निधि की द्वितीय किस्त की धनराशि को कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उरई जालौन को समय पर उपलब्ध करा देने के बावजूद अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा देगी।

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं, दो कार्य पूर्ण, एक प्रगति में है।

जुलहटी मार्ग के कार्य की द्वितीय किस्त विलम्ब से अर्थात् 29-3-2001 को प्राप्त होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जी नहीं। जुलहटी मार्ग निर्माण से संबंधित धनराशि की द्वितीय किस्त चेक संख्या-32/41442 दिनांक 28-3-2001 द्वारा दिनांक 29.3.2001 को प्राप्त हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य 30 जून, 2001 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद बाराबंकी के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग

93-श्री सरवर अली खां-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का फैक्स दिनांक 15-7-2000 जो श्री प्रदीप कुमार यादव, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर, जनपद बाराबंकी द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या उक्त की जांच सतर्कता द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल--

जी हां, शिकायतों की प्रारम्भिक जांच जिलाधिकारी, बाराबंकी से करायी जा रही है।

प्रारम्भिक जांच में औचित्य पाये जाने पर यथास्थिति शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से करायी जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर, समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचारों की जॉच

94-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2000 जो जनपद शाहजहांपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार--

जी हाँ।

मा0 विधायक के प्रश्नगत पत्र में की गई शिकायतों की कराई गई जांच में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति द्वारा विकलांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में दोनों शिकायती प्रकरणों में अनुदान स्वीकृति में अनियमितता पाई गई है, जिसके लिये समाज कल्याण विभाग के दोषी पाये गये दो कर्मचारियों एवं दोषी दोनों लाभार्थियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ एवं मुजफ्फरनगर के जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी पद पर की गयी अवैधानिक नियुक्तियों की जांच

95-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में जिला प्रोवेशन अधिकारी द्वारा वर्ष 1995 से अब तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर कितनी नियुक्तियां की गई है? क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी को नियुक्ति करने का अधिकार है? यदि नहीं, तो अवैधानिक नियुक्ति करने के लिये दोषी उक्त अधिकारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी-

दो।

जी नहीं। एक प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की जा रही है। दूसरे प्रकरण में प्रारम्भिक जांच आख्या प्राप्त हो गई है। प्रथम दृष्टया श्री शाहू को दोषी पाया गया है। अत: अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मोलनापुर के पुलिया व एप्रोजरोड के निर्माण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन

96-श्री उदय राज यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम-मोलनापुर, विकास खण्ड-कालाकांकर देवसरा में पुलिया व उसकी एप्रोच रोड के निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में याचिका संख्या -535/96 श्री ओम प्रकाश पाण्डेय बनाम राज्य पर मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश 6-5-99 के अनुपालन में पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है किन्तु सम्पर्क मार्ग से न जोड़े जाने के कारण स्थानीय लोगों को बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हां।

प्रश्नगत पुलिया के एप्रोज एवं विंगवाल का निर्माण करा दिया गया है। जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्र में एप्रोच का कार्य सड़क से पुल तक मिट्टी स्तर तक पूर्ण है, जिसमें 750 मी0 पेटिंग तक का कार्य कराया जा रहा है। जनपद जौनपुर की तरफ 22 मी0 तक एप्रोच का कार्य पूरा करा दिया गया है। पुल की मुख्य मार्ग से लम्बाई 1200 मी है, जिसमें 750 मी0 खड़ंजा तथा 250 मी0 मिट्टी का कार्य हुआ है। पुल के दोनों तरफ आवागमन चालू हो गया है।

पुल के दोनों तरफ के सम्पर्क मार्ग के अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग के सहायक परिवहन अभियन्ताओं द्वारा नगदीकरण एवं अन्य अवकाश सम्बन्धी की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक स्वास्थ्य निदेशालय को प्रेषित पत्र

97-श्री हरपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (प्रशासन) द्वारा संयुक्त निदेशक (भण्डार) परिवहन अनुभाग -12 एवं वित्त नियन्त्रक (आडिट अनुभाग-15) स्वास्थ्य निदेशालय को प्रेषित एवं सचिव, चिकित्सा अनु0-5 को पृष्ठांकित पत्र सं0-3फ/ए/93/251-254 दि0 27-1-93 द्वारा सहायक परिवहन अभियन्ताओं के द्वारा 8-5-88 से की जा रही शिकायतों के क्रम में नगदीकरण एवं अन्य अवकाशों की अनियमितताओं पर जांच कार्यवाही का एक सप्ताह में आख्या देने के आदेश दिये गये है? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

पत्र की खोज जारी है। पत्र की उपलब्धता पर सूचित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गई। डा0 धर्मेन्द्र मिश्र, डा अशोक बाजपेयी, श्री कौकब हमीद श्री श्रीरामपाल, श्री वसीम अहमद एवं श्री समरपाल सिंह की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

(जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी है, उनके नाम श्री संजय गर्ग, डा0 वकार अहमद शाह, श्री परवेज हलीम, श्री रामचन्द्र यादव, श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, श्री रामवीर सिंह, श्री दिलीप वर्मा हैं)

(6स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद हरदोई के जिला कारागार की कतिपय व्यवस्थाओं में सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[महोदय, जनपद हरदोई के जिला कारागार में व्यवस्था सुधार किये जाने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व उक्त कारागार के 450 कैदियों के लिए 17 बैरके बनी थी, परन्तु इस स्वतंत्र भारत में हरदोई कारागार की इन्ही 17 बैरकों में लगभग 1100 कैदी है उनको रहने में कठिनाई के साथ साथ उनके लिए कम्बलों की भी भारी कमी है तथा जेल के अन्दर जो कैदियों के लिए लैट्रिन सेट बने है वह बहुत ही बदबूदार बने है तथा उनमें पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है जो लैट्रिन के हौज बने है वह सब कच्ची है हौज की पूरी गंदगी बाहर जमीन पर बहती रहती है जिसमें प्रदूषण बढ़ता है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है जेल के अन्दर कैदी पशुवत जीवन काटने को विवश है तमाम लिखा पढ़ी व विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से मांग पर पंखे तो आ गये इन्हें बैरको में तत्काल लगवा दिया जाय तथा साथ ही साथ निम्न व्यवस्थायें भी कराया जाना आवश्यक है।

1. जेल में वी0 आई0 पी0 बैरक नहीं है बनवा दी जायं।
2. जेल की कई बैरकों में टी0 बी0 सेट नहीं है लगवा दिये जायं।
3. जेल की छह बैरकों में खपरैल पड़ी है जो पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है शीघ्र निर्माण करा दिया जाय।
4. मुलाकात भवन जीर्ण हालत में है मुलाकाती सड़क के किनारे बैठते हैं उनके बैठने की व्यवस्था की जाय।
5. बाल कारागार में 2 हैण्डपम्प लगाये जांय एक खराब है उसे ठीक करा दिया जाय।
6. एक्सरे मशीन जेल में लगी है परन्तु डाक्टर की नियुक्ति नहीं है जो नियुक्त किया जाता है वह ज्वादन नहीं करता काफी समय टेक्सिन नहीं है।

जेल में कैदियों से धन वसूला जाता है जिसे बन्द कराने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय तथा अधिकारियों को तत्काल चेतावनी दी जाय कि मसक्कत के नाम पर उगाही करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जिसे सदन के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके और जेल में बंद कैदी अमानवीय यातना से बच सके।]

जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्रान्तर्गत तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अशोक बाजपेयी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिहानी जनपद हरदोई की आबादी लगभग 4 लाख है जिसमें 262 गांव तथा छोटे गांवों को मिलकर 500 से अधिक गांव है। इस पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 हजार की आबादी पर प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसी निर्णय के तहत वर्ष 1991 में ग्राम जहानाखेड़ा वि0ख0 पिहानी, ग्राम आजमगढ़ वि0ख0 टोडरपुर तथा ग्राम हर्रई वि0ख0 शाहाबाद में 3 प्राथमिक स्वा केन्द्र खोले गये थे। वर्ष 1991 से ये तीनों प्रा0 स्वा0 केन्द्र कार्यरत हैं लेकिन अभी तक इनका भवन निर्माण नहीं किया जा सका है। इन भवनों के लिये ग्राम सभाओं ने नि:शुल्क भूखण्ड

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भी उपलब्ध करा दिये थे। मैंने स्वयं 2000-2001 तथा उसके उपरान्त 2001-2002 की जिला योजना में इन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया था और मेरे निरन्तर अनुरोध पर शासन से भी आश्वासन मिलता रहा कि इसी वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण करा दिया जायेगा लेकिन अभी तक इन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के निर्माण के लिये न तो जिला स्तर पर कोई कार्यवाही की गयी और न ही शासन स्तर पर कोई स्वीकृतियां जारी की गयी। ये तीनों प्राथमिक स्वा0 केन्द्र क्षेत्र की लगभग 2 लाख आबादी से सीधं जुड़े हुये हैं और उनके भवन न बनने से स्थानीय जनता को चिकित्सालय सुविधा मिलने में बहुत की कठिनाई हो रही है इसके क्षेत्रीय जनता में घोर क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: लोक महत्व के उस अविलम्बिनीय एवं सुनिश्चित विषय को सदन के संज्ञान में जाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये इसी वित्तीय वर्ष में तीनों स्वा0 केन्द्रों के भवन का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार इस सदन को आश्वस्त करें।

जनपद बागपत में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई किसानों की भूमि का मुआवजा बजार भाव पर देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद-

[मान्यवर, जनपद-बागपत मे उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक विकास के लिए ग्राम-सिसाना बांगर एवं निवाड़ा-बांगर की जमीन अधिग्रहीत की गयी है। इस जमीन का मुआवजा बाजार भाव की तुलना में अत्यन्त कम होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है यह जमीन उच्च कोटि की है यह जमीन दिल्ली से लगभग 40 कि0मी0, सोनीपत से 15 कि0मी0, बड़ौत से 11 कि0मी0, तथा बागपत से मात्र 2 कि0मी0 दूर स्थित है। इसी स्थान पर रूपया 600/= प्रति वर्ग गज मीटर की दर से बैनामें हुये है परन्तु इस जमीन का मुआवजा मात्र 60/= प्रति वर्ग गज तय किया गया है जो अत्यन्त कम है किसानों की मांग है कि उन्हें नोयडा के बराबर मुआवजा दिया जाये। अत्यन्त दुख की बात है कि अनेक बार अधिकारियों से सम्पर्क करने के बावजूद सरकार इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। भुक्तभोगी किसान धरना, प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे है। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से इस गंभीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये उपरोक्त किसानों को कम से कम रूपया 600/= वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया जाये।]

जनपद जालौन के ग्राम मरगौया में निर्मित पेयजल नलकूप का ऊर्जीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम पाल-

[महोदय, जनपद जालौन के खण्ड विकास कदौरा में स्थित ग्राम मरगौया में जिसकी आबादी 5 हजार से अधिक है उक्त ग्राम में गतवर्ष पेयजल नलकूप का निर्माण जल संस्थान उरई को जालौन द्वारा कराया गया था तथा उसके ऊर्जीकरण हेतु आगणित धनराशि विद्युत विभाग उरई को जल संस्थान द्वारा छ: माह पूर्व दी जा चुकी है। गांव में पेयजल की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन छ: माह पूर्व बिछा दी गई है। पूरे गांव में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हो गया है विद्युत विभाग की निरन्तर लापरवाही से जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अत: इस लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने के साथ ही उचित व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वसीम अहमद-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मेरी विधान सभा गोपालपुर का जिला मार्ग आजमगढ़ से विलरियागंज बातौर से श्री नगर से विलरियागंज तक अति क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस पर वाहन 10 कि0मी0 से अधिक गति से नहीं चल पाते हैं इसी प्रकार परशुरामपुर, सरदहा, कुड़ही मार्ग को 11 कि0 मी0 का है क्षतिग्रस्त हो गया है तथा बलिया कल्याणपुर, तिन्दवल कन्हरा पुरा बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। कईयों बार अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को लिख कर दे चुका हूँ तथा मौखिक कहने के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं की गई। जिससे क्षेत्र में जनता बहुत ही आक्रोशित है इस बरसात के बाद सड़क का कहीं बजूद नहीं रह जायेगा। जनता आन्दोलित है।

अत: मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि जनहित में तत्काल उक्त मार्गो का निर्माण कराया जाये।]

जनपद बागपत में बिनौली, अमीरनगर सराय मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[मान्यवर, जनपद-बागपत में बिनौली, अमीरनगर सराय मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है। यह मार्ग अनेक वर्षो से मरम्मत न होने के कारण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग अत्यधिक खराब होने के कारण इस मार्ग पर यातायात अवरूद्ध हो गया है। अनेकों बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन को इस गंभीर समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह मार्ग अवरूद्ध होने के कारण लगभग बीस (20) गांवों में वाहन नहीं जा पा रहे है इस मार्ग पर सड़क खराब होने के कारण बस सेवा भी ठप्प हो गई है। जिसके कारण क्षेत्रावासियों को बहुत अधिक कठिनाई हो रहीं है सरकार द्वारा तथा विभाग द्वारा आश्वासनों के बावजूद कोई काम न होने के कारण क्षेत्र के लोगों में भयंकर रोष व्याप्त है तथा लोग आन्दोलन की राह पर है।

मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस भीषण समस्या की ओर आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधायक निधि से लगने वाले हैण्डपम्पों को केवल जल निगम से ही लगवायें जाने सम्बन्धी आदेश परिवर्तित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुयी है। पहली सूचना माननीय श्री धनीराम वर्मा व माननीय रामतेज यादव एडवोकेट की है।

*नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा-)

मान्यवर, मेरा नियम 300 के अंतर्गत औचित्य का प्रश्न यह है कि आज प्रदेश में जो पेयजल समस्या है उससे यह सदन और आप भी भलीभांति परिचित है। विगत वर्ष माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक विधायक के क्षेत्र में 50-50 हैंड पम्प दिये जायेंगे चाहे शहरी क्षेत्र हों या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों। इस घोषणा के अनुरूप मेरे क्षेत्र में केवल 27 हैंड पम्प लगवाये गये जिनमें से 22 बेकार पड़े हैं। इन हैंड पंपों को जलनिगम

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा लगाया गया था। माननीय विधायकों ने सदन में अनुरोध किया था कि जल निगम का कार्य घटिया है और जो हैंड पम्प जल निगम द्वारा लगाये गये हैं उनकी कीमत भी ज्यादा है।

मान्यवर, जो हैंड पम्प अन्य एजेंसियों से लगाये जाते हैं उन पर साढ़े 15 हजार का खर्च आता है और जल निगम जो लगाता है उस पर 19 हजार का खर्च आता है। श्रीमन् 4 हजार रूपया जल निगम द्वारा हैंड पंप लगाने पर अधिक खर्च होता है और उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती। मान्यवर, यह घोषणा सदन में की गयी थी कि 50 हैंड पम्प विधायकों के क्षेत्र में लगाये जायेंगे। एक वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो गये हैं मेरे ही क्षेत्र में कुल 27 हैंड पंप लगाये गये हैं जिनमें 22 खराब हैं। मेरे ही यहां अभी 23 हैंड पंप नहीं लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में कहां आता हैं? संविधान और प्रक्रिया नियमावली के वह नियम जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है के अंतर्गत नियम 300 की सूचना होनी चाहिये। आपकी सूचना महत्वपूर्ण हो सकती है।

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, आपके कक्ष में बैठकर सभी माननीय नेताओं के सामने तय हुआ था कि इस संबंध में जी0ओ0 हो जायेगा कि जल निगम के अलावा अन्य किसी सरकारी एजेंसी से हैंडपम्प लगवाये जा सकते हैं। जो यह जी0ओ0 अभी नहीं हुआ है। मेरे यहां जो 22 हैंड पम्प खराब हैं उसकी जांच होनी चाहिये और हैंड पंप लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आज पेयजल के लिये त्राहि त्राहि मची हुयी है। हैंड पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। पिछले दिनों यहां पर नेता सदन से हम लोगों ने कहा था कि वह मुकर गये। यह आपके संज्ञान में है और आपके सामने तय हो गया था कि किसी दूसरी एजेंसी से भी हैंड पम्प लगवाये जा सकते हैं। जो हैंड पम्प खराब हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूँ कि विधायकों की जो हैंड पम्प दिये गये थे वह लगाये जायं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

नगर विकास राज्यमंत्री (श्री सतीश महाना-)

जो जल निगम द्वारा हैण्डपम्प लगाए जाते हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी होती है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाए जाते हैं उनकी गुणवत्ता जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प जो लगाए जाते हैं उनके बराबर नहीं होती। जो 50 हैण्ड पम्प देने की बात थी उनके रेट के डिफरेंस की बात है जल निगम के निर्धारित रेट हैं उसके आधार पर जल निगम को पैसा अवमुक्त कर दिया गया। रेट डिफरेंस के कारण प्रत्येक माननीय सदस्य को जो 50 हैण्ड पम्प देने की बात है उसमें संख्या में कमी नहीं की गई है। अगर किसी माननीय सदस्य के यहां 50 हैण्ड पम्प नहीं लगे हों तो हमें लिखकर दे दें हम जांच करवा लेंगे। जो हैण्ड पम्प खराब हैं व नेता प्रतिपक्ष ने जो इसकी सूची दी है उसकी जानकारी हम करवा लेंगे अगर कोई टेक्नीकल फाल्ट होगी तो वह ठीक हो जाएगी। अगर उसको लगाने में जानबूझकर कोई कमी की गई है तो ऐसे में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री धनीराम वर्मा-

मंत्री जी ने यह बतलाया कि और एजेंसी जो हैण्ड पम्प लगाती हैं वह उसकी मरम्मत नहीं करती दूसरी बात बताई की जल निगम जो हैण्ड पम्प लगाता है उसकी गुणवत्ता अच्छी है दूसरी एजेंसियों की उतनी अच्छी नहीं है अगर गुणवत्ता में अन्तर हो तब तो न लगाया जाए। दूसरी बात जल निगम ले अपनी जिम्मेदारी समाप्ति कर दी है। यह रखरखाव पंचायतों को दे दिया गया है क्या श्रीमन् पंचायतों को हैण्ड पम्प के मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई है या जल निगम की अपने द्वारा लगाए गए हैण्डपम्पों की मरम्मत करेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सतीश महाना-

इस वर्ष निर्देश गया है कि जो खराब हैण्ड पम्प हैं उसको ठीक करने का काम जल निगम द्वारा किया जाएगा।

श्री धनीराम वर्मा-

अध्यक्ष महोदय, जो आपके कक्ष में बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

कक्ष वाली बात का कार्यान्वयन अलग से होगा।

मंत्री जी के कक्ष में एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ निर्णय हुए थे उसका कार्यान्वयन करवा दीजिए।

श्री धनीराम वर्मा-

एक वर्ष हो गया है हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं एक वर्ष में वह धन जो जल निगम के पास था कहां गया व किस पर खर्च हो गया?

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए विवरण की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । यह व्यवहारिक कठिनाई हैं। तत्काल कैसे उत्तर दे देंगे। उस बैठक के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करवा देते हैं।

श्री धनीराम वर्मा-

जानबूझकर उस धन का दुरूपयोग किया गया। वह वेतन आदि में खर्च कर दिया गया। जल निगम के एक अधिकारी पल्थी मारे बैठे हैं वह चाहते हैं कि जैसा भ्रष्टाचार अभी तक होता रहा है वैसा ही होता रहे अन्य एजेंसियों के लगाने पर उस अधिकारी को फायदा नहीं होगा। इस वजह से वह उच्च अधिकारी सारी सरकार पर दबाव डाले हुए हैं, मुख्यमंत्री पर दबाव डाले हुए है। वह अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सारी सरकार इसमें लिप्त है। पेयजल की भीषण समस्या है, वह हल नहीं हो पा रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बर्हिगमन करता है।

(नेता, विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, श्री राम तेज यादव एडवोकेट व नगर विकास राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त नियम 300 के अन्तर्गत सूचना न आये के कारण इसे निरस्त करता हूँ।

एक वर्ष में विधान सभा के नब्बे दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी जो सूचना नियम-300 में दी हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

वैसे इस विषय पर तिवारी जी की भी सूचना थी उसे निरस्त कर दिया गया है क्योंकि उसमें अपेक्षात्मक शब्द थे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, हमारी नियमावली में स्पष्ट लिखी है कि साधारणतया 90 दिन का सदन होगा और एक बजट सत्र तथा दो सत्र और होंगे लेकिन दुर्भागय यह है कि 13वीं विधानसभा का यह आखिरी बजट सत्र है। जब ऐसी स्थिति है और हम लोग बार-बार इस बात को सदन मैं उठाते रहे हैं कि 90 दिन का नियमावली में प्राविधान

नोट - [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है सदन को 90 दिन चलाना चाहिए लेकिन यह सरकार इस बात को कहती तो है लेकिन करने के लिए तैयार नहीं हैं अगर आप नियम-188 देखें...

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव नियम समिति के समक्ष के समक्ष आया था उस पर सथासंभव इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

(माननीय अध्यक्ष के उठने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा आग्रह है थोड़ी देर बैठे रहें। मांगों पर मतदान में अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिए 24 दिनों से अनधिक के दिन नियम करेंगे। यह आखिरी बजट सत्र है और कितनी सिटिंग हो रही है? कल ग्यारह सवा ग्यारह तक सदन उठा। मैंने कई बार आग्रह किया कि पी0डब्लू0डी0, सिंचाई, ऊर्जा पर कम से कम दो दिन की चर्चा होनी चाहिए लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने पी0डब्लू0डी0 सिंचाई एक-साथ एक ही दिन रख दिये। मैं जानना चाहता हूँ कि साढ़े चार दिन की साधारण चर्चा हुई जबकि पांच दिन की होनी चाहिए। 15 दिन मात्र अनुदानों पर चर्चा हो रही है कुल साढ़े उन्नीस दिन। यह चिन्ता का विषय है। बजट सत्र विधिवत चर्चा के लिए बुलाया जाता है। कमेटी सिस्टम की मांग पर कहा गया कि बजट पर चर्चा हो जाती है। और रात को जिस तरह से बजट पर चर्चा होती है कि खत्मकरों चाहे आप हो चाहे हुकुम सिंह जी हों। तो मान्यवर यह इस तरह से करने से क्या फायदा है।एक एक दिन में 3-3,4-5 विभागों के बजट पेश किये जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप जब व्यवस्था दें तो यह जरूर व्यवस्था दे दें कि इस सत्र के बाद दो महीने के बाद कम से कम 10 दिन का उपवेशन इस सदन का जरूर हों।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-174 को देखें। मान्यवर, राज्य के विधान मण्डल के सत्रावसान और विघटन के सम्बन्ध में एक व्यवस्था दी गई है। यह व्यवस्था है कि 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में। महामहिम राज्यपाल जब भी चाहेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे सत्र को बुलाने का काम, सत्र को समाप्ति की घोषणा करेंगे। इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली को देखें इसके नियम-14 में सभा के अधिवेशन स्पष्ट परिभाषित हैं। अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे। 90 दिन के उपवेशन की सामान्यतया व्यवस्था की गई है। सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनकी अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देखकर तथा सदन के नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करें। माननीय अध्यक्ष और नेताओं के साथ बैठकर तय करेंगे। मान्यवर, पिछले 4 वर्षो से जब से यह सरकार आयी है, एक बार भी 90 दिन तो क्या उसका 50 प्रतिशत यानि कि 45 दिन भी यह सदन की बैठक चलाने का काम नहीं हुआ है। कोई बाध्यता नहीं थी, यह अपेक्षा की गई थी कि सदन के उपवेशन 90 दिन चले।

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली जो बनी है वह हमारे सभा के पूर्व में रहे वरिष्ठ सदस्यों, अध्यक्ष पीठ और नियम समिति जो है उसने इस पर गम्भीरता के विचार करने के बाद सोचा और इस निगम को बनाया होगा। यह इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी अनन्त समस्याएं हैं। प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपया विधान सभा के संचालन में व्यय होता है। 90 दिन बैठकर प्रदेश की समस्याओं पर चिन्तन करना चाहिए। मान्यवर, आप देखें 1996 में राष्ट्रपति शासन रहा। 1997 में मात्र 25 दिन बजट सत्र और दूसरे सत्र के दिनों को मिलाकर उपवेशन हुए, 1998 में कुल 35 दिन उपेशन हुए, 1999 में कुल 36 दिन के उपवेशन हुए,बजट सत्र और तमाम अन्य सत्र को मिलाकर, 2000 में मान्यवर, कुल 36 दिन का ही उपवेशन रहा। 90 दिन के उपवेशन तय हैं, यह न्यूनतम हैं कि

कम से कम इतने दिन चलना चाहिए कोई अधिक्तम तो नहीं थे। मान्यवर, लोकसभा 120-125 दिन चलती हैं। उत्तर प्रदेश की समस्याएं उससे कोई कम नहीं है। हमारे पास कोई प्रशासनिक कार्य भी नहीं है। हमारा कार्य हो विधायी कार्य है। विधान सभा में बैठकर प्रदेश की तमाम समस्याओं पर विचार करके विधेयक बनाना, कानून बनाना, उन पर सरकार को सलाह देने का काम हमारा है। जब उपवेशन के दिन कम होंगे एक दिन में दो-दो, तीन-तीन बजट प्रस्तुत करेंगे। यहां पर हमको समय नहीं मिलेगा प्रदेश की समस्याओं को उठाने का तो कभी कभी माननीय सदस्य आक्रोश में आकर सदन के वेल में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि सदन के उपवेशन 90 दिन के हों, प्रदेश की तमाम समस्याओं पर यहां पर सम्यक् रूप से चिन्तन हो सके। करोड़ों रूपया प्रतिवर्ष विधान सभा के कार्य संचालन पर खर्च होता है। एक दिन में 3,4 बजट प्रस्तुत होते हैं, कैलेन्डर की तारीख बदल जाती है और हम विधान सभा की कार्यवाही संचालित करते हैं। कोई तात्कालिकता, कोई अरजेन्सी हो तो कोई बात है। 31 मार्च तक बजट पास होना था। चुनाव थे और कई काम थे आपने अपनी सुविधा से अप्रैल में आहूत किया। आप तीन महीने का लेखानुदान पेश कर चुके थे। जून तक इस बजट को पारित कराना था। एक दिन में एक विभाग का बजट हो तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो सकती है। कई बार इस पीठ से निर्देश भी दिये गये हैं इस सरकार को इसका आचरण जनतांत्रिक नहीं है विधान सभा चलाने में इनको क्या कठिनाई है आप अपने को आलोचना से बचाना चाहते हैं बहुत से सवाल हैं जो माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं लेकिन उनको आप सुनना नहीं चाहते हैं मैं नहीं समझता इनको विधान सभा चलाने में कोई कठिनाई हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी सदन में रहें या संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में रहें कुछ मंत्री सदन में रहते हैं तो सदन का कार्य चलता रहता है। यह अन्तिम बजट सत्र है तेरहवीं विधान सभा का तेरहवीं विधान सभा में ऐसा करना चाहिए कि चौदहवी विधान सभा उसका अनुपालन कर सके। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह डेमोक्रेटिक मंत्री के रूप में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके जाएं कि आने वाली विधान सभा सदन का उपवेशन 90 दिन चलाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने आशंका प्रकट की कि आज का उपवेशन 12 बजे के बाद चलेगा, अगर एक-एक सूचना पर इस तरह समय लगेगा तो यह कल 10-11 बजे तक चल सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि एक-एक सूचना पर अधिक सदस्यों बोलते हैं और बात दोहराना चाहते हैं। इसलिए समय काफी लग जाता है श्री प्रमोद कुमार जी 1985 से 1990 तक कितने सत्र हुए? आपने क्योंकि अपनी सूचना में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद सत्र के दिनों की संख्या कम हो गई, अत: 1985 से 1990 तक कितने उपवेशन हुए, यह बता दें, । आपने आक्षेप किया है।

* श्री प्रमोद कुमार-

इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष-

1985 से 1990 तक जो अधिवेशन हुए उसे मैं बता दूँ 1985 में 41 दिन, 1986 में 47 दिन, 1987 में 32 दिन, 1988 में 43 दिन 1989 में 40 दिन, 1990 में 35 दिन।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने आंकड़े दिए जो सत्य हैं कहा 1990 के आंकड़े ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष-

सन् 90 के आंकड़े कहां ज्यादा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबसे आई है तबसे ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने अनुमति दे दी है।

श्री अध्यक्ष-

अनुमति दी है। लेकिन आपने आक्षेप लगाया है।

श्री प्रमोद कुमार-

नियम 300 का अध्ययन करके आक्षेप लगाया गया है। आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 का उपनियम (4) भी देख लें "किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी" अनुज्ञा न दूँ तो? आपने आक्षेप लिखित सूचना में लगाया है।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने कुछ पूछा तो उत्तर दूंगा आपने कहा आक्षेप लगाया, आक्षेप के बारे में लिखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत चीजें लिखी नहीं है लेकिन परम्परागत रूप से पालन करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

जो नियमों में नही लिखा उसका पालन क्यों करें।

श्री अध्यक्ष-

इसको स्मरण रखिएगा भविष्य के लिए कि नियमों में नहीं लिखा है। तो उसका पालन क्यों करें,

श्री प्रमोद कुमार-

मैं आपको कोई बात चुनौती देते हुए नहीं कहता हूँ आपने कृपापूर्वक समय दिया।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कह लीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने मान लिया सं आक्षेप लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

इसको आप छोड़ दीजिए। जो व्यवस्था देनी होगी वह दे दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार-

हम आक्षेप लगा सकते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिए (ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए (ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या (घ) काल्पनिक, या (ङ) विभाजन की घण्टियां नहीं बजीं या सुनायी नहीं पड़ी तो इसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि आक्षेप नहीं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ परम्पराएं भी होती हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान ले जाने के लिए,किसी तरह से कटघरे पर खड़ा करने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, यह औचित्य का प्रश्न लाया हूँ। मान्यवर, यह नियमावली बनी है तो उस समय जिन्होंने

इसको बनाया उनके सामने अवश्य यह होगा, उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि सदन 90 दिन चले। बाजपेयी ने नियम पढ़ दिया है मैं उसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मान्यवर, 90 दिन का प्राविधान है। हम नियम बनाते हैं और खुद ही तोड़ने की बात करेंगे तो कितना सम्मान रहेगा। क्यों लोग सदन के वेल पर आते हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। अगर शून्य प्रहर में आवश्यकता से ज्यादा नियम-56 और 300 की सूचनाएं आ जाती हैं तो उसका एक मात्र कारण यह है कि सदन 90 दिन नहीं चलता है। उनको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पाता है। सदन कभी-कभी अव्यवस्थित हो जाता है तो उससे हम लोगों को भी असुविधा होती है और आपको भी असुविधा होती है उसका मुख्य कारण यह है कि सदन 90 दिन नहीं चलता है। अगर बहुत कम समय में अपनी बात कहनी होती है, अभी कल ही 12.00 बजे तक चर्चा चली तो उसका कारण भी यही है। मान्यवर, मैं 1980 से लगातार सदस्य हूँ और आप मुझसे पहले 1977 से हैं। पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट आता था तो पूरा दिन चर्चा के लिए मिलता था, सिचाई विभाग का बजट आता था तो पूरा दिन चर्चा के लिए मिलता था। जो महत्वपूर्ण बजट होता था तो उसमें तो दो-दो दिन भी चर्चा के लिए मिलता था। लेकिन अब यह कैसी परम्परा हो गयी है। आज लोक निर्माण विभाग और सिचाई विभाग दोनों का बजट एक दिन में पारित हो रहा है। जिसमें हमें चार दिन मिलना चाहिए था वह एक दिन में पास हो रहा है। मान्यवर, मैं यह अनुरोध कर रहा हूँ कि आखिर मजबूरी क्या है? हम तीन महीने के लिए बजट पास कर चुके हैं। अप्रैल, मई और जून तक आवश्यकता नहीं है। अगर आज लोक निर्माण और कल सिंचाई कर लेते तो क्या हो जाता। आप यह कहेंगे कि कार्य मंत्रणा समिति में आपने नहीं किया तो उसमें भी आपका बहुमत है और बहुत से ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिसे हम नहीं चाहते लेकिन आप ले आये। भविष्य में जब प्रस्ताव लायें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो महत्वपूर्ण विभाग है उस पर पूरा दिन चर्चा के लिए मिलना चाहिए। सदन 90 दिन तक चले और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक दो माह के बाद 10 दिन का सत्र बुला लिया जाय तो इससे बहुत सी प्रदेश की समस्याओं का निराकरण हो जायेगा। उसके बाद फिर बजट सेशन लम्बा हो जाय। एक दिन में एक महत्वपूर्ण विभाग जैसे सिंचाई है, लोक निर्माण है, ऊर्जा है, गृह है इसमें दो दिन चर्चा की जाय ताकि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें। आप ज्यादा देर वहां बैठेंगे और हम इधर बैठकर आपको देखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह तो मौजूद ही नहीं रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद कुमार जी कार्य स्थगन प्रस्ताव के समय के बाद आपकी रूचि नहीं रहती है। फिर तो आप दूज के चांद की तरह हो जाते हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अन्तरयामियों के सामने हम नहीं कह सकते हैं कि मेरी रूचि कहां.कहां है?

श्री अध्यक्ष-

हम उसकी जांच नहीं करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आप चले जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं भी चला जाता हूँ। जैसे मैं कल भी था परसों भी था हॉ यह ठीक है कि मैं 10,11.00 बजे तक नहीं रह सका। कोरम क्यों पूरा नहीं होता है जब एक ही दिन में 2-3 विभाग का बजट आता है तो सदस्यों की रूचि नहीं होती है उसमें बोलने का मौका मिलता है करीब 1 मिनट, 2 मिनट। इस औचित्य पर आप अपनी व्यवस्था दें कि जो 90 दिन सदन चलने का प्राविधान है उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है उसका पालन कराया जाये।

(संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री) श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं स्वयं सिद्धान्त रूप से इस बात से सहमत हूँ कि सत्र 3 हों और 3 होने के साथ-साथ इसकी अवधि और ज्यादा बढ़नी चाहिए सदन से बचने की मानसिकता किसी की नहीं होनी चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोगों ने अभी तक स्वयं की मानसिकता को कितना लोकतांन्त्रिक बनाया है इस सब बातें के लिए डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की जरूरत है। मान्यवर, होता क्या है हमने अपनी रूचि की बात कही और सदन से चले गये तो सदन के प्रति कितने गम्भीर है यह उससे परिलक्षित होता है। मान्यवर, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता है और माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस सत्र में इतनी गम्भीरता के साथ विषयों पर चर्चा हो रही है यह बहुत ही अनुकरणीय बात है कि रात 11.00 बजे तक चर्चा हो रही है हालांकि कठिनाई आ रही है यह लगातार नहीं चल सकता है। समय की सीमा तो निश्चित करनी पडेगी।

मान्यवर, अभी कहा गया कि सिंचाई और पी0डब्लू0डी0 के बजट के लिए 1दिन का समय रखा गया है और यह भी बात कही गयी कि पहले सिंचाई विभाग पर दो-दो दिन चर्चा हुए है पी0डब्लू0डी0 के बजट पर ड़ेढ़ दिन चर्चा होती थी। मान्यवर, तय तो हम आपको करना है। मान्यवर [x x x] प्रतिष्ठा की बात किसी के लिए नहीं है, किसी दल के लिए नहीं है। मान्यवर, कहा गया 1991 में दें साढ़े पन्द्रह दिन का समय दिया गया अनुदानों के लिए और 1999 में 15 दिन समय दिया गया। 2000 में 14 दिन का दिया गया और 2001 में जो प्रस्ताव बना है 16 दिन का था एक छुट्टी आ गयी तो 15 दिन अनुदान के लिए दिया गया है। मान्यवर हमने सदन में एक वर्ष देखा 1991 जब 12 महीने का बजट, यह तो 9 महीने का बजट है, सभी विभागों के बजट उस समय एक ही दिन में पारित कर दिये गये जब कि हम 15-16 दिन का समय दे रहे हैं। उस समय कोई पीड़ा नहीं हुई। कुछ तो दृष्टांत आप अच्छा रखकर जाते ताकि उतने आगे वाले लोग उसका अनुकरण करते। हम तो कभी आपकी उस बात का अनुकरण नहीं करेंगे जिन्होंने इस सदन की स्थापित परम्पराओं और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर एक दिन में सारा बजट पास कराकर चले गये। मान्यवर, अब पार्टी को दोष दिया जाये कि सदन से भागना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सदन का विश्वास हमें प्राप्त है। सदन के विश्वास से भागने के लिए हम तैयार नहीं है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि कोई व्यवस्था की जाये जिसमें सबको जानकारी रहे कि कब सदन का सत्र होने वाला है और उसके अनुरूप सदस्य अपना कार्यक्रम बनाये। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक इस संबंध में नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है हम उसका पूर्णतया समर्थन करते हैं। 10 दिन और 15 दिन क लिए आयें, जो भी आपकी व्यवस्था होनी और सदन के आहूत हो जाये और सदस्यों की रूचि बढ़े और विषयों पर अवसर मिले विचार करने का। अब मान्यवर, 5 बजे तक इन्हीं विषयों पर हम बोलें और 11-12 बजे तक बैठें यह उचित बात है? इसमें हमको सबका सहयोग मिलना चाहिए। अब मान्यवर, जो तर्क की योग्यता रखते हैं अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं, हम दोनों पक्षों के सदस्यों पर कृपा करें, उनको विषयों पर आने दें विषय पर चर्चा आने दें। यहीं मैं कहना चाहता हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने [x x x x x]।

नोट - [x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

कार्य मंत्रणा समिति की चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं उस अंश को भी निकाल दूंगा और इसको भी निकाल दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आपने कहा है कि पहली तारीख से ज्यादा नहीं चलाया जा सकता है, मजबूरी है, पहली तारीख को ही बन्द करना है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ 1991 का जिक्र यहां पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने किया तो 1991 में मार्च में ही विधान सभा भंग हो गयी थी। बजट पारित होने के तत्काल बाद विधान सभा भंग हो गयी थी। उसके बाद नया जनादेश प्राप्त किया गया था। एक इमरजेंट परिस्थिति थी, असाधारण परिस्थितियां थी तो उसका उद्धरण नहीं लिया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने अनुदानों के लिए यह बात कही है। मान्यवर, विधान सभा भंग होने का तर्क दिया गया हैं इसका मतलब काम न करें। क्या अगर विधान सभा भंग होने वाली है तो आप एक दिन में सब कर देंगे, कोई बाध्यता हैं?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हम लोगों ने हर फोरम पर कहा है, माननीय नेता लोकदल ने कहा है, रेवतीरमण जी ने कहा है, हमने भी कहा है सरकार नहीं कर रही है तो इसके लिए वह जिम्मेदार है। मैं स्मरण करा दूँ आपने कहा कि 85 से 89 तक सदन कम दिन चला तो उस समय संसदीय कार्यमंत्री श्री हुकुम सिंह ही थे, उनसे पूँछ लें।

श्री अध्यक्ष-

कोई हो इसका प्रश्न नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इसलिये नहीं चला कि प्रमोद कुमार जी भी साथ थे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जब इनके साथ थे तो नहीं चला अब इनके खिलाफ है तो क्यों नहीं चल रहा है।

* श्री कौकब हमीद-

[x x x x] आगे बढ़ जांय यह व्यवस्था आप दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, माननीय प्रमोद कुमार, माननीय अशोक बाजपेयी और संसदीय कार्यमंत्री को इस सूचना पर सुना समूचे सदन का यह तर्क सदैव रहा है, विचार रहा है कि सदन 90 दिन प्रत्येक वर्ष में अपना उपवेशन पूरा करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, आपकी अनुमति से, कार्यमंत्रणा समिति की बात सदन में नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

उसका उल्लेख यहां नहीं होना चाहिए, मैं निकलवा दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट - [x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, हमने दोनों ने यह कहा था कि लोक निर्माण का बजट और सिंचाई का बजट कम से कम 2 दिन रखा जाय। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उससे सहमत थे [x x x] जब यह बजट रखा था। जब आपने दो अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग को दिया, कैसे सम्भव है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की सहमति से होता है।

श्री हुकुम सिंह-

अनुदान किस दिन होना, किन अनुदानों पर चर्चा होगी, कितना समय निर्धारित होगा, यह प्रस्ताव नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों के हस्ताक्षर से होता है। दोनों अपनी सुविधा के अनुसार उसके महत्व को देखकर तय करते हैं। नेता प्रतिपक्ष का वही महत्व है जो नेता सदन का है। जैया उनका सुझाव आया, वैसा ही रख दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय रेवती रमण सिंह, डा0 अशोक बाजपेयी, माननीय श्री प्रमोद कुमार, माननीय लोकपति त्रिपाठी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। सदन की सदैव इच्छा रही कि नियमों में जैसी अपेक्षा है, उसके अनुसार सदन/प्रत्येक वर्ष में 90 उपवेशन हों। परन्तु विगत अनेक वर्षों से, मेरे पास जो आकड़े हैं, उसके अनुसार 1962 के बाद इस सदन के कभी भी एक वर्ष में 90 दिन के उपवेशन नहीं हुये। वर्ष 1962 में 103 दिन के उपवेशन हुये थे। उसके बाद 40 वर्ष हो गये। जो आंकडे उपलब्ध हैं, उनको देखने से पता लगता है कि सदन के उपवेशनों की संख्या में कमी होती जा रही है, यह उन लोगों की चिन्ता का विषय है, माननीय सदस्यों का सुझाव भी आया है कि प्रत्येक 2 माह में 10 दिन का उपवेशन सुनिश्चित कर दिया जाय, तभी हम निश्चित रूप से 90 दिन के उपवेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिशा में हमारी जो नियत है, ने विचार किया है, उसकी संस्तुतियां शीघ्र ही आपके समक्ष आ जायेंगी। जहां तक महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा की बात है कि पहले इन अनुदानों पर पूरे दिन या दो दिन चर्चा हुआ करती थी, उस समय यदि मैं सही स्मरण कर रहा हूँ तो उस समय 5-6-7 बजे तक सदन समाप्त हो जाता था लेकिन आज हम देर तक बैठते हैं, उस समय को पूरा करने की लिये। अपेक्षा यह करते हैं कि माननीय सदस्य अधिक से अधिक अनुदानों की मांगों पर रूचि लें, भाग लें। लेकिन इधर कुछ उदासीनता दिखाई पड़ रही है और दोनों पक्षों से दिखाई पड़ रही है। अभी कल चिकित्सा विभाग को बजट था, मात्र 9 या 10 लोग प्रतिपक्ष में उपस्थित थे, सत्ता पक्ष में पास कराने की रूचि ज्यादा थी, इसलिये संख्या अधिक थी। दोनों पक्ष यदि निर्णय कर लें कि हमें रूचि लेना है और सदन का अनावश्यक कार्यों में समय व्यय न हो तो हमें वह समय महत्वपूर्ण अनुदानों पर चर्चा करने के लिये मिल जायेगा। यही अपेक्षा करते हुये, इस सूचना का निस्तारण करता हूँ नियम समिति की संस्तुतियॉ शीघ्र ही आ जायेंगी और सदन के उपवेशनों की संख्या बढ़ जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 3 मई 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत की गई सूचना पर पीठ के निर्देश के बावजूद शासन द्वारा रिपोर्ट मा0 सदस्य की उपलब्धता न कराये जाने पर औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी जी की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 3 मई, 2001 को आजमगढ़ से सदस्य माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट - [x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम 56 में एक सूचना दी थी। जनपद आजमगढ़ में तहसील लालगंज के चौकी तिरवाटेटीगंज के एस0 सी0 एम0, तहसीलदार द्वारा एक हरे पेड़ को कटवा लिये जाने के बारे में। इस संबंध में मैं कार्यवाही के अंश को आपके सामने उद्घृत करना चाहता हूँ। कार्यवाही के पृष्ठ-107 पर है, जहां अधिष्ठाता जी ने संसदीय कार्यमंत्री को यह निर्देशित किया कि आप इसकी रिपोर्ट मंगाकर कल तक माननीय सदस्य को बता दीजियेगा। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12 में उपाध्यक्ष तथा अधिष्ठाता की शक्तियों का उल्लेख है। इसमें है कि उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की, जो संविधान अथवा इस नियमावली के अन्मर्गत सभा के उपवेशन में पीठासीन होने के लिये सक्षम हों, जब के पीठासीन हों, वहीं शक्तियाँ होगीं जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अधिष्ठाता की शक्तियां वहीं है जो अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं और अधिष्ठाता महोदय ने सीधे-सीधे निर्देश दिया कि संसदीय कार्य मंत्री कल तक उत्तर दे देंगे और सदस्य को अवगत करा देंगे। मान्यवर, अनेक अवसरों पर इसके पहले भी ऐसा हुआ हैं, अनेक अवसरों पर पीठ द्वारा दिए गये निर्देशों की सीधे-सीधे अवज्ञा हो रहीं है और ऐसी स्थिति में अगर संसदीय कार्यमंत्री या सरकार की ओर से पीठ की इसी प्रकार से अवज्ञा होती रहेगी तो इससे बड़ा अवमान इस सदन का क्या होगा और सदन की कार्यवाही चल कैसे पायेगी। मान्यवर, मैं ला आफ पार्लियामेंटरी प्रीविलेजज इन इण्डिया, पेज 86, वी0जी0 रामचन्द्रन का उद्धरण देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 12 को देखें लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

[डिस ओवेडिनाइज टू आर्डर्स आफ हाउस डिस ओनेडीएन्स टू दी आर्डर्स आफ आर्डटर हाउस/वेदर सच आर्डर्स आर आफ जनरल अप्लिकेशन आफ रिक्वायर ए पार्टीकुलर इनडीविजुअल टू डू आर आव्स्टेन फ्राम डूईग ए पार्टीकूलर एक्ट] मैं इसकी हिन्दी भिजवा देता हूँ। मान्यवर, जिसका निर्देश आप द्वारा हो, अगर अवमान का काम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं, यह एक नहीं अनेक अवसरों पर ऐसा हो रहा है। 3 तारीख से 16 तारीख हो रही है आज तक उसका अनुपालन नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कि आप संसदीय कार्यमंत्री को निर्देश देने की कृपा करें कि जो भी निर्देश पीठ से जारी किये जा रहे हैं और स्पष्ट है, सदन के किसी ऐसे निर्देश की अवमानना न करना चाहें और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके अन्यथा सदन की गरिमा कहा रह जायेगी। इस पर मैं आपकी मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, इसमें मेरे भी दस्तखत हैं, मैंने इसे नियम 56 में उठाया था, मुझे भी मौका दे दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारे गार्जियन हैं हमारी उम्मीद आप से है। मान्यवर, मगर यह जो सरकार है जो भी अधिकारी गलत काम करता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। 3 मई को मैंने बात उठायी थी मगर आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकरण को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, एक निर्देश हो गया और उस निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

मान्यवर, 3 मई को मैंने एस0डी0एम0 लालगंज, आजमगढ़ के खिलाफ नियम-56 में मामला उठाया था। मान्यवर, एक चौकी टेहुवा गॉव है एस0डी0एम0 ने वहाँ जाकर एक मकान गिरवा दिया और एक हरा पेड़ आम का कटवा दिया। मान्यवर, जब कोई साधारण आदमी अपना ही पेड़ काटता है तो पुलिस उसका उत्पीड़न करती है। और उसे जेल भेजती है। मान्यवर, एस0डी0एम0 लालगंज, आजमगढ़ ने हरा पेड़ कटवाकर फेंकवा दिया लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से कोई भी निर्देश दिया जायेगा, उसका पालन करना हमारा दायित्व है, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने का प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश दिये गये हैं वह किसी कारण से दिये गये हैं, उसके पीछे कोई न कोई तर्क है। हम इस सदन को केवल एक एक्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में तब्दील करना चाहते हैं या उसका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, गरिमा है उसको कायम रखना चाहते हैं। निर्देश संख्या 92(32) देखें उसमे यह दिया हुआ है कि --अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति द्वारा दिये गये निर्देश जिनमें मंत्रियों से कार्यवाही अपेक्षित हो। यह कथन आश्वासन माना जायेगा। आश्वासन माना गया, जो कार्यवाही अपेक्षित है उसकी प्रक्रिया दी हुई है, उससे कोई हटने वाली और बचने वाली बात नहीं है। इसी के अपेक्षा अनुरुप कार्यवाही अपेक्षित है। लेकिन यह बात सही है कि आदेश दिये गये थे कि कल तक जानकारी दें, कभी-कभी कठिनाई आ जाती है लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि कार्यवाही करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, 13 दिन बीत गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, देख लें कि विलम्ब क्यों हुआ?

जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर चन्दौरा हरकपुर मार्ग पर स्वीकृत पुल न बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद में मड़हा नदी पर चन्दौरा हरकपुर मार्ग पर स्वीकृत पुल न बनाये जाने के सम्बन्ध में है, यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसे निरस्त करता हूँ। छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

श्री रामचन्द्र यादव--

मान्यवर, मैंने नियम-51 में एक साल पहले इसको उठाया था अब तक निर्माण कार्य नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष--

यादव जी, पुल नहीं बना तो इससे विधान सभा की कार्यवाही कहां विनियमित हो रही है। इस तरह से होने लगेगा तो सारी सूचनायें नियम-300 में आयेंगीं, सत्तापक्ष के लोग भी यह कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में भी तमाम कार्य नहीं हुये हैं। इसलिए इसे भी नियम 300 में सुन लें।

प्रथम सन् 2001 दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के सम्बध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

शाक्य जी, आपकी भी सूचना नियम-300 में नहीं आती।

*श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, प्रथम सत्र 2001 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर के सम्बन्ध में है। उत्तरांचल बनने के बाद वहां के निवासियों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

प्रश्न के उत्तर के बारे में शंका है तो प्रक्रिया निर्धारित है। यह नियम-300 का दुरुपयोग हो रहा है, नियम-300 की धज्जियां न उड़ायें।

श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, आप संसदीय परम्पराओं की धज्जियां न उड़ायें। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश दिया गया था कि मूल प्रश्न के अन्त में यदि संलग्न सूची होगी तो उसमें संबंधित मंत्री या उस विभाग के अधिकारी के दस्तखत होंगे। उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, जो हमारा प्रश्न था उसके उत्तर में पिछड़े वर्गो की सूची सामाजिक और शैक्षिक आधार पर दिया गया है। मान्यवर, 15-4 एवं 16-4 आर्टिकिल्स में पिछड़े वर्गो का आधार शैक्षिक और सामाजिक माना गया था। मान्यवर आर्टिकिल में दिया गया है कितना अनर्थ हो जायेगा। उत्तरांचल अलग हो गया है। मान्यवर, अलग होने के बाद सभी निवासियों को आज भी पिछड़े वर्गो की सुविधा दी जा रही है। यह तो डाका पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की जातियों के हकों पर डाका पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम-300 में नहीं आता है

जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम घोघी रौलापुर में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुराधा लोधी प्रधान तथा श्री राकेश व अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका*

श्री राम कुमार एडवोकेट--

मान्यवर आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम घोघी रौलापुर में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनुराधा लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : * छापी नहीं गयी।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 मई, 2001 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई। शालाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है:--

पहली सूचना श्री कौकब हमीद की दूसरी सूचना श्री आर्य रामशरण की तीसरी सूचना श्री समरपाल सिंह की चौथी सूचना श्री राजपाल सिंह की और पांचवी सूचना श्री विजेन्द्र आर्य की है।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, आज जब किसी भी क्षेत्र को इस वजह से उपेक्षित नहीं किया जायेगा कि वहां सरकार विकास नहीं चाहती है। विकास न हो यह तरीका इस सरकार ने अपनाया है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, साढ़े 4 करोड़ जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहती है और वहां उत्तर प्रदेश में अगर 1 (एक) लाख रूपया बैंक में जमा होता है तो 40 हजार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है और जब खर्च करने की बात आती है हर 40 को जमा करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 हजार रूपयं खर्चे होता है। मान्यवर बाकी जो जमा है वह इधर-उधर लग जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो पाता है।

मान्यवर जब देश आगे बढ रहा है और यह सरकार कहती है कि हमारी उपज बेहतर हो तो बड़े अफसोस की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन-बढ़ने के बजाय कम हो कर 3 प्रतिशत ऊपज कम हो गई। मान्यवर जो सिंचाई की व्यवस्था थी, ठप्प हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारत की हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी नहर थी, पश्चिमी जमन नहर, पूर्वी जमन नहर जो हिन्दुस्तान की पुरानी नहर थी सहारनपुर से निकलकर गाजियाबाद जाती थी उसमे आज पानी नहीं है।

(इस समय 1 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, पानी की कमी के कारण उसके आस-पास के जो जिले हैं, वहां सिंचाई नहीं हो पा रही है और जब सिंचाई ही नहीं हो पायेगी तो उपज कहां से होगी। मान्यवर, यह क्षेत्र कभी हिन्दुस्तान का ग्रेनरी कहलाता था, जहां सबसे ज्यादा उपज होती थी, वहां आज सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण, पानी की कमी के कारण आज वह क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया है। मान्यवर, आज की तारीख में वहां पानी बिल्कुल भी नहीं रह गया है और पानी की व्यवस्था न होने के कारण किसानों की फसल नष्ट हो रही है। मैंने पिछली बार भी सरकार से यह अनुरोध किया था कि, हरियाणा के ताजियेवाला बांध से वहां कम से कम इतना पानी तो जरूर छुड़वा दे कि वहां की जमीन में नमीं आ जाय। लेकिन मान्यवर, सरकार ने साफ इन्कार कर दिया कि हम इसके लिए हरियाणा सरकार से बात नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र में पानी की जो कमी है, इसके लिए हमने पिछली बार भी सरकार को समझाने की कोशिश की थी वहां के किसानों के लिए पानी की कुछ व्यवस्था कर दी जाय। मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र में जो युनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या 4 है और पूर्वी क्षेत्र में 5-6 युनिवर्सिटीज हैं । मेडिकल कालेजों की संख्या पश्चिम में 3 और पूर्व में 7 है। मान्यवर, सिर्फ यही नहीं हाईकोर्ट इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में है, पश्चिम में नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार सरकार ने पूर्व के लिए विकासनिधि के तहत 1200 करोड़ रूपये के पैकेज की व्यवस्था थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया जायेगा लेकिन वह आज तक हमें प्राप्त नहीं हो सका है। जो

हमारे लिए पैकेज की घोषणा की गयी वह महज घोषणा ही रह गयी कोई पैसा हमको नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरक्की आज से 40 साल पहले हो गयी थी। वहां बिजली 30 साल पहले हो गयी थी। वहां नहरे 300-400 साल पहले बन गयीं थीं। लेकिन आज वहां का विकास हो गया है यह कहकर वहां की उपेक्षा की जा रही है। वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। लोग दुआ मांगते हैं कि सड़क पर सलामती से कहीं पंहुच सकें। वहां पर सड़कें इतनी खराब हैं कि बुग्गी-गाड़ी-ट्रैक्टर ले जाना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इससे अच्छा कच्चा रास्ता होता कम से कम कहीं जा तो सकते। सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम वहां के लिये निधि देंगे लेकिन आजतक पैसा नहीं दिया गया। मैं चाहूँगा कि सरकार वहां के लिये विकास निधि की घोषणा करे। मैं चाहूँगा कि सरकार हरित प्रदेश का प्रस्ताव पारित करे। 16 करोड़ वाले प्रदेश को आप चला नहीं सकते हैं। हमारा प्रदेश बनवाने में सरकार मदद करे और हमारा साथ दे और अलग प्रदेश बनाये।

*श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, यह बहुत अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, आप, माननीय संसदीय कार्यमंत्री और सभी लोग अवगत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले कई वर्षो से कोई सत्र ऐसा नहीं गुजरा जब सदन के अंदर यह विषय उठाया न गया हो। सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ लोगों के लिये किया कुछ नहीं जाता उनकी आज हकतलफी हो रही है और सरकार उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं कर रही है। क्षेत्र के संतुलित विकास की बात कही जाती है लेकिन सरकार खुद असंतुलित विकास कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये 150 करोड़ की निधि, बुंदेलखंड के लिये 50 करोड़ की निधि दी गयी है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये एक नया पैसा पश्चिम विकास निधि के नाम पर नहीं दिया गया है। क्या वहां पर विकास की आवश्यकता नहीं है। वहां पर अनेक प्रकार की समस्यायें हैं। आपने कहा है कि 1 हज़ार की आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़ रहे हैं हमारे यहां कोई ऐसा गांव शायद नहीं है जो सड़कों से जुड़ा न हो। वहां पर 20 साल पहले सड़कें बनायी गयीं थीं। आज वहां की जो सड़कें हैं उनकी हालत यह है कि उनमें कई कई फिट के गड्ढे हो गये है। इनसे अच्छा था कि यह सड़कें कच्ची होती। सरकार से गुजारिश की जाती है कि इनकी मरम्मत करा दी जाय लेकिन सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। मंडी परिषद से सड़कें 20 साल पहले बनीं थीं लेकिन सरकार उनकी मरम्मत का काम नहीं करा पाई है। आज सड़कों से गांव जोड़ने की हमारे यहां व्यवस्था इसलिये नहीं हो पायेगी कि सरकार कहेगी कि वहां के गांव तो पक्की सड़कों से पहले ही जुड़े हैं। दूसरी समस्या ले लीजिये। वहां पर 40 साल पहले विद्युतीकरण हुआ था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली न हो। लेकिन वहां की हालत यह है कि 40 साल पहले जो लाइनें खींची गयीं थी उनके तार जर्जर हो गये हैं। उनके टूटने से रोज ही दुर्घटनायें हो रही हैं और पशु तथा मनुष्य मर रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है कि वहां लाइनों के खम्भें और तार बदलवा दे। आज जो बिजली घर हैं उन पर लोड बढ़ रहा है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है। जो बिजलीघर 30 साल पहले बने थे सरकार ने उनकी क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया है। ट्रांसफार्मर ओबरलोडेड हैं। जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं उनको बदलने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का जीना दूभर हो गया है। भयंकर समस्या है इन समस्याओं से बार बार हम अवगत कराते हैं समझ में नहीं आता कि सरकार की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी दुश्मनी है उनका ध्यान सरकार नहीं दे रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी नहर अपर गंगा कैनाल हैं जो 100 साल पहले बना दी गई लेकिन आज उनकी सफाई करवाने के लिए पैसा नहीं है नहरें अटी पड़ी हैं इसलिए सिंचाई नहीं हो पा रही है टेल तक कौन कहे हेड तक पानी नहीं पहुँचता है। मैंने अपनी विधायक निधि से व सांसद निधि से पैसा दिया था लेकिन उससे पूरी सफाई कहां हो पाती वह धन पर्याप्त नहीं हैं सिंचाई विभाग अलग से धन की व्यवस्था करके इन नहरों की सफाई करवाए। जब इस विषय पर सदन का पिछले वर्ष ध्यान आकृष्ट किया गया था तो आपने 1200 करोड़ रूपये के स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी व कहा था कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा, नहरों की पटरियां पक्की की जाएंगी मुरादाबाद और सहारनपुर में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की बेंच बनाई जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी, वेटनरी विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी आपने कृषि विश्व विद्यालय का शिलान्यास कर दिया। इस विश्वविद्यालय के लिए 400 करोड़ रुपये लागत आनी है और आपने 10 करोड़ रुपये का धन आवंटित किया है इसी रफ्तार से अगर कार्य होता रहा हो यह विश्वविद्यालय 40-50 वर्षों में पूर्ण हो सकेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ यह सरकार हक तलफी कर रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अब समाप्त करें।

क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की आवश्यकता नहीं है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग राजस्व नहीं देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राजस्व देता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध क्षेत्र, जाति लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साढ़े चार करोड़ लोगों को इसलिए सरकार इन सुविधाओं से वंचित कर रही है क्योंकि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस प्रकार पूर्वांचल विकास निधि की घोषणा की है उसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पश्चिम विकास निधि की घोषणा आप करें। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करालें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

कार्यस्थगन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का मामला उठाया गया कुछ समस्याओं का उल्लेख किया गया उन समस्याओं का उल्लेख करते समय अच्छा होता कि यह भी कहा गया होता कि सरकार ने वहां के लिए क्या-क्या किया। आपने विश्वविद्यालय का उल्लेख किया आपने कहा कि उसका शिलान्यास हो गया है अभी तक लोक सेवा आयोग की परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ में वहां के छात्रों को देनी पड़ती थी। वहां के छात्रों की कठिनाई को देखते हुए मेरठ में लोक सेवा आयोग का केन्द्र स्थापित हुआ। पीसीएस की परीक्षायें हो रही हैं। आपको जानकारी होगी 8 करोड़ रुपये का पैकेज का टेण्डर जो संभवतः चार मई को खुल भी गया है और अक्टूबर के पहले हफ्ते से वहां कार्य शुरु हो जायगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेन इकोनोमी गन्ना है। गन्ने के उत्पादन के साथ साथ उसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करना आवश्यक है इसी सरकार के कार्यकाल में कितनी चीनी मिले स्थापित हुई आपको जानकारी नहीं है। आपने तो लाइसेंस लटका दिया लेकिन हमने वहाँ क्रेसिंग के लिए तीन चीनी मिलों की स्थापना की हमने लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने के बाद चीनी मिले लगाई। किसानों को गन्ने के लिए जो भटकना पड़ता था आज 90-95 रुपये में गन्ना बेचकर चैन से बैठा हुआ है।

हमारी एक बहुत पुरानी योजना है कृष्णा हिण्डम प्रोजेक्ट जिसके तहत जो जल स्तर आपके यहाँ नीचे जा रहा था उसको पुर्नजीवित किया। जो पैकेज बने हैं बहुत गम्भीरता से आप सबकी राय लेकर, विचार करके बनाये गये हैं। इसमें 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है राज्य सरकार की ओर से। पश्चिम के लिए कृषि के लिए पश्चिमांचल सहभागिता कोष की स्थापना भी की गई है। मुरादाबाद में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है, सहारनपुर में निर्यात प्रोत्साहन के लिए 22 करोड़ मेरठ में सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास जिसमें 322 करोड़ मथुरा में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा के लिए 38 करोड़ आगरा में पेयजल समस्या के समाधान के लिए डेढ़ सौ करोड़ की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सड़कें एन0सी0आर0 के अन्तर्गत बनेगी उसके लिये 367 करोड़ रुपये का इसके लिये इनवेस्टमेन्ट होना है। यह सारी योजनाएं बन रही हैं। समय से प्रगति भी होगी। आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि रुड़की मुरादनगर मार्ग है, पुण्डीर साहब बैठे हैं यह 26 करोड़ की योजना है..

(श्री कौकब हमीद के बोलने के लिये खड़े होने पर)

कौकब साहब दल के नेता हैं। आप स्पष्टीकरण भी ले लीजियेगा और स्पष्टीकरण के माध्यम से आप जो कुछ कह रहे हैं उसकी लीपा पोती मत करियेगा। मैंने कहा कि हमने यह योजना बनाई है। यह नहीं कह रहा हूँ कि इन सड़कों पर काम चल रहा है और यह आने जाने के काबिल हो गई हैं। यह टोल योजना के अन्तर्गत हैं। इसके लिये राज्य सरकार भी अपना सहयोग करेगी। सड़क बनने से आपके क्षेत्र के तीन जनपदों में इतनी बड़ी क्रान्ति आयेगी कि जो सड़कों पर भीड़ चल रही है। एक-डेढ़ महीने का समय ऐसा आता है जब हरिद्वार से लोग जल लेकर चलते हैं। कोई रास्ता नहीं रहता है, बहुत भीड़ हो जाती है, और बहुत असुविधा होती है। यह सब दूर हो जायेगी। काफी विचार करके यह योजना बनाई गई है। मैं बात मानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी कमियां हैं। पूर्वी यमुना नहर का उल्लेख आपने किया है कि 4-5 साल से उस नहर में पानी न आने के कारण जलस्तर भी नीचा हो गया है और समस्या पैदा हो रही है। मैं मंत्री के रूप में भी, और चाहे जो भी फोरम मिलता है, इस पर चिन्ता की जा रही है। अभी सिंचाई मंत्री जी अपना बजट रखेंगे उसमें बतायेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से इसके बारे में वार्ता की है और समाधान निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। आज का ही नहीं अनुभव है। मैं 25-26 साल से सदन को देख रहा हूँ। 1974 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के सामने यह रखा गया। उन्होंने कहा कि ताजेवाले की समस्या है, इस समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है। यह एक बेल्ट ही ऐसी बन गई है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा यह बेल्ट ऐसी चली आई है और समस्याग्रस्त रहेगी। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई समाधान निकल सके। जहां तक जलस्तर का मामला है चूंकि नहर में पानी न आने से वहां जलस्तर की समस्या पैदा हुई है और उसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि हिन्डल कृष्णा यमुना नहर की बात कही, कैसे पानी की व्यवस्था की जाय, हम देख रहे हैं, इस पर चिन्तन चल रहा है। पूरे प्रदेश के बारे में पैकेज बना है। बरसात के पानी को रोककर, तालाब को भरकर किस तरह से पानी के स्तर को सुधारा जाय ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि शेष पूरे प्रदेश के लिये इसको बनाया है। 50 विधायकों का मामला जोड़कर यह कार्य स्थगन का विषय बना दिया। इस तरह से कार्य स्थगन का आकार बढ़ाते चले जायेंगे। यह मान्यवर, उसका एक मिनी स्वरूप हमारे सामने आया है। सभी विभागों की समस्याएं हैं, उनके बजट प्रस्तुत होने हैं, उस पर चर्चा करलें। यह कार्य स्थगन में तो कहीं से नहीं आता।

श्री अधिष्ठाता--

केवल एक सूचना पर इतना समय हो गया है।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, 1200 करोड़ रुपये का पैकेज था जब तक उसका प्रस्ताव बजट में वर्षवार नहीं आयेगा तो वह कैसे खर्च होगा। 28 करोड़ रुपये जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि सड़क बन रही है वह कौन सा नेशनल हाई वे बन रहा है। हमने किसी नेशनल हाई वे की बात नहीं कही थी। हमारे क्षेत्र में इलाकों में, देहातों में सड़क जा रही है पी0डब्ल्यू0डी0 की। यह तो बता दें कि 1200 करोड़ रुपये बगैर बजट के प्रोविजन के खर्च कैसे होंगे। यह कहा कि पांच साल का बता दिया, बाकी कैसे होगा।

श्री हुकुम सिंह--

86 करोड़ की बात कही थी। बिजनौर मार्ग खटीमा पानीपत मार्ग हाईवे मार्ग नहीं हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मार्ग जो है इसमें 88 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

श्री कौकब हमीद और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री समरपाल सिंह--

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। 35 मिनट एक सूचना पर लग गए आज दो महत्वपूर्ण बजट है।

(श्री समरपाल सिंह के बोलते रहने पर)

यह उचित नहीं है आप जो बोल रहे हैं कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री समरपाल सिंह--

[x x x]

श्री अधिष्ठाता--

यह लिखा नहीं जा रहा है, मैं अगली सूचना ले रहा हूँ रामकृपाल जी आप बोलिए।

श्री समरपाल सिंह--

[x x x] इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री समरपाल सिंह जी ने सदन का त्याग किया।)

श्री कौकब हमीद--

[x x x] इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं तीसरी सूचना ले रहा हूँ।

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रामकृपाल-

समरपाल जी और कौकब साहब एक साथ बोल रहे थे कैसे बोलते आप तीसरी सूचना ले रहे हैं। पहले आप हमें सुन लें।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दलित खेतिहर मजदूर की बहुत दयनीय है उनके काम की गारन्टी नहीं है, उनकी शिक्षा की गारन्टी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप एक मिनट में ग्राह्यता पर अपनी बात कहें।

श्री रामकृपाल-

हमारी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है इस न्यूनतम मजदूरी के लिए पूरे देश के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर जहां कार्यदायी संस्था है वहां 25-30 रूपये मजदूरी दी जा रही है। सरकार जानती है प्रदेश में मजदूरों की जो हालत है यहां पर चिन्ता व्यक्त की जाती है सरकार कानून बना रही है लेकिन इनके कानून कागज पर हैं यह मजदूर विरोधी दलित विरोधी सरकार है। जिस तरह से मजदूरों के हालात हैं उसरो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में मजदूरों का जो शोषण हो रहा है न्यूनतम मजदूरी 58/- रूपये कुछ पैसे है वह नहीं दे पा रही है। सरकार जानती है प्रदेश में क्या हो रहा है मजदूरों को 80/- प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिलाई जाए, यह अति लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, खेतिहर मजदूरों का प्रश्न उठाया गया हैं सरकार हमेशा इनके प्रति संवेदनशील रही है समस्या को समझने की बात हैं, खेतिहर मजदूरों की समस्या क्या हैं। मान्यवर, खाली समस्या देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें बराबर 12 महीने रोजगार मिले तभी समस्या का हल होगा। इसके लिए समग्र योजना की आवश्यकता है। खाली किसान रोजगार देता रहे तो यह संभव नहीं है। इसके बारे में सरकार प्रयत्नशील है और जो भी कार्यवाही होगी वह की जायेगी। मैं समझता हूँ कि यह सूचना निरस्त करने योग्य है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना करे अग्राह्य करता हूँ।

(श्री विनोद मणि के खड़े होकर बोलने पर)

आपका नाम इस सूचना में नहीं है। इसलिए आप न बोलें। यह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 विनोद मणि-

मान्यवर, यह सरकार न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पा रही है यह सरकार मजदूर विरोधी सरकार हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री विनोद मणि ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

* श्री अरिमर्दन सिंह-

मान्यवर, जनपद महोबा, के विकास खण्ड कबरई में स्टोन क्रेशर इकाइयों को बन्द किये जाने के संबंध में मैंने सूचना दी है। मान्यवर, आप भलीभांति परिचित हैं कि बुन्देलखंड में कोई उद्योग नही है। झांसी में 74 मशीने लगी हैं। मैं भी इसी इकाईयों से संबंधित हूँ। महोबा में 56 मशीने लगी हैं स्टोन क्रेशर की जिसमें 17 मशीनों को बन्द करने के जिलाधिकारी द्वारा कार्य किया गया है। इससे 20 हजार आदमी वहां का बेकार हो गया है और राजस्व का पॉच सौ करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हुआ है। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहॉ पर कोई उद्योग नहीं है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि उद्योग लगने चाहिए और वहीं दूसरी तरफ बन्द करा रही है तो यह सरकार की नीति है। 17 मशीनें बन्द होने से कितना नुकसान होगा जबकि यह मशीनें एक ही तरह की मशीने यह हैं। झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूटधाम और आगरा में वहीं मशीनें लगी हुई हैं वहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं लगे हैं। जो मशीने बन्द की गयी हैं वह आबादी से तीन किलोमीटर दूरी पर हैं और रोड सीमा से दो सौ मीटर की दूरी पर है। वहां पर पानी नहीं है। यह कहते हैं कि पानी डलवाओ। जब पानी नहीं मिलता है कैसे डालें। इनकी कुल लागत 15-20 लाख होती है और नियंत्रण यंत्र लगाने पर 60,70 लाख रूपया लगेगा। मान्यवर दिल्ली और झांसी में कोई नियंत्रण यंत्र नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 17 मशीने बन्द करने का नोटिस दिया है उन मशीनों को चलाने के आदेश करें।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी है। कृपया बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना अभी प्राप्त हुई है। मैं इसे दिखला दूंगा और जो भी कार्यवाही होगी वह हम कर लेंगे।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दिखला लेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि जितने भी क्रेशर स्टोन लगे हैं किसी में पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस नहीं लगी है। बन्द हों तो सब बन्द हों। यह राजनीतिक विद्वेश के कारण बन्द नहीं होनी चाहिए। इसमें से एक माननीय विधायक जी की भी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, राजनीतिक विद्वेश के कारण कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुझे जानकारी नहीं थी कि इसमें से एक माननीय विधायक जी की भी है। मैं इसे दिखवा लूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह बुंदेलखण्ड का प्रमुख उद्योग हैं और एक तरह की ये सारी मशीनें हैं कृपा पूर्वक इसे दिखवा लें। प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ अगली सूचना श्री इकबाल महमूद की है।

* श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह किसनों से संबंधित है। किसानों की समस्या उठाने के लिए आपने समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। अधिष्ठाता जी जब से केन्द्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है इस देश का रहने वाला मजदूर और व्यापारी सब लोग परेशान हैं। आज प्रदेश के अन्दर गेहूँ क्रय केन्द्र जो खोले गये हैं उसमें किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है।

मेजर जी0पी0 सिंह-

मान्यवर, यह [x] बोल रहे हैं।

श्री इकबाल महमूद-

जब आप चुनाव में जाओगे तो आपको पता चलेगा। जो पिछले दिनों पांच राज्यों के चुनाव हुए है और जो शाहजहांपुर में चुनाव हुआ है उससे आप सबक लें। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर किसानों की त्राहि-त्राहि मची हुई हैं। आज जिस क्रय केन्द्र पर किसान पहुंच रहा है यह कहा जाता है कि हमारे पास धन उपलब्ध नहीं है हम तुम्हारा गेहूँ नहीं खरीद सकते हैं और जब बिचौलिये के जरिये बात होती है तो वह गेहूँ साढ़ चार सौ या पौने पॉच सौ पर खरीदकर उन क्रय केन्द्रो पर दे देते हैं। मान्यवर, आज एक -एक केन्द्र पर सैकड़ों किसानों की लाइन लगी हुई है और वहॉ का केन्द्र प्रभारी बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं और वह कहते हैं कि सब तरह के हमारे खर्चे हैं। वह अपना गेहूँ लादकर ट्रक में जाता है तो गोदाम में जब जाता है तो वह कहता है कि एक हजार ट्रक लगेगा और कभी यह कहा जाता है कि गेहूँ नहीं इसमें भूंसा भरा है हम नहीं लेगें। उनका पेमेन्ट नहीं किया जाता है। यह गंभीर प्रश्न है और इससे पूरे प्रदेश का किसान एफेक्टेड हैं। मेरे क्षेत्र सम्बल वहां की मण्डी समिति के अन्दर यह काम हो रहा है। जहां पर तौल लगी हुई है पूरे प्रदेश के अन्दर वहां व्यापारियों की तौल की जा रही है और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको भगा दिया जाता है। यह एक गंभीर प्रकरण हैं मैं चाहूँगा कि इसपर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने जानकारी प्राप्त की आपकी सूचना के आधार पर। केन्द्रों की संख्या मुरादाबाद में 75, बिजनौर में 150, रामपुर में 185 जे0पी0नगर में 55 थी। गेहूँ की जो खरीद हुई है वह मुरादाबाद में 53,089 मीट्रिक टन, जे 0पी0 नगर में 6,689 मीट्रिक टन, बिजनौर में 13,919 मीट्रिक टन, रामपुर में 40,474 मीट्रिक टन इस तरह से कुल 1 लाख 20 हजार 280 मीट्रिक टन खरीदा गया है। मान्यवर, जब अभी तक एक संभाग में 1,20,280 मीट्रिक टन खरीदा जा चुका है यह जानकारी में आया है। एक शिकायत आमतौर से यह कह दी जाती है कि लाइन लगी हुई है बिचौलियों के माध्यम से क्रय किया जा रहा है। इसमें वास्तव में प्रभावी कार्यवाही कर सकते हैं हम सब मिलकर के कि फर्जी बिचौलिया था और हमें करना भी चाहिए। और कम से कम एक केन्द्र पर माननीय

नोट - [ ] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक जी जायें, वहां से जानकारी प्राप्त करें कि फलां अधिकारी, कर्मचारी थे और फलां बिचौलियों के माध्यम से क्रय किया गया तो प्रभावी कार्यवाही की जाये। आपने एक सूचना दी हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि सवा लाख मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है गेहू का उत्पादन तो किसानों ने किया कोई कहीं विदेश से तो गेहूं आया नही मैं आग्रह करूंगा कि आपको शनिवार और बुद्धवार का दिन मिलेगा आप वहां जायें।

श्री इकबाल महमूद-

उनके पास धन की कमी है एग्रो के पास धन नहीं है एफ0सी0आई0 के पास पैसा नहीं है।

इन केन्द्रों को धन उपलब्ध करा दिया जाये हम जाकर चेक भी कर लेंगे और आपको बता भी देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

आप केन्द्र के बारे में बतायें।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैंने 4 केन्द्रों के नाम बताये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे निरस्त कर रहा हूँ। अगली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर0के0चौधरी व अन्य की है।

* श्री आर0के0चौधरी-

मान्यवर, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर के नाम से एक योजना अम्बेदकर ग्राम विकास योजना इसलिए बनायी गयी कि प्रदेश में जिन्हें हजारों साल सताया गया है पिछड़े, कमजोर, लाचार है न रहने को ठिकाना है, न घर है, न खाने के लिए साधन है, गरीबी लाचारी है और हजारों साल तक जिन लोगों ने उन लोगों को दबाया है निश्चित तौर पर उनकी लायक सन्तानें जब कुर्सी पर बैठेंगी तो जिन लोगों ने सताया है कतई विकास की प्रक्रिया में ऐसे लाचार लोगों को आगे नही बढ़ने देंगे इसको ध्यान में रखते हुए यह योजना बनायी गयी कि दलित बाहुल्य गांवों को चयनित किया गया और वहां जाने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, स्कूल, सम्पर्क मार्ग आदि ऐसी विशेष रूप की सुविधायें इस योजना में दी जायें लेकिन मान्यवर, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आयी है पूरे प्रदेश के अन्दर किसी अम्बेदकर ग्राम में एक पैसे का काम नहीं हो रहा है यह दु:खद है। मान्यवर, बाबा साहेब के नाम से जुड़ी हुई स्कीम की अवहेलना हो रही है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। साल में प्रत्येक वर्ष प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में 10-10 गॉवों का चयन किया जाता है लेकिन किसी ग्राम में विकास का काम नहीं किया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बड़ा दुःखद है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से यह योजना चालू हुई है यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में हमारे नेता बहन मायावती जी का शासन था तो उस समय विशेष रूप से धन आवंटित करके प्रदेश के चयनित किये गये ग्राम में धुँआधार काम हुआ। पानी बिजली, सड़क, स्कूल सब बनने शुरू हुए लेकिन जब से उनकी सरकार गिरी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से उत्तर प्रदेश के किसी अम्बेडकर ग्राम में काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नाटक करती है। पिछली बार भी एक सवाल उठाया गया था और सरकार की तरफ से जवाब आया था कि धन देने वाले में विकास का काम रूका हुआ नहीं है। यह सरकार झूँठ बोलती है। मान्यवर, इसी लखनऊ जिले में गोसाईगंज ब्लाक के अन्तर्गत सुल्तानपुर रोड से ग्राम सलेमपुर के लिए सम्पर्क मार्ग जोड़ने के लिए इस मौजूदा सरकार के राज्यमंत्री पी0डब्लू0डी राम प्रसाद कमल जी ने 10 दिसम्बर, 1999 में वहां जाकर सम्पर्क मार्ग का शिलान्यास करा था लेकिन उनको नहीं मालूम कि पैसा नहीं होगा तो सड़क कैसे बनेगी वहाँ पत्थर लगवा दिया जनता हंस रही है। उस अम्बेडकर ग्राम में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यह घटिया मानसिकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने के लिए। अम्बेडकर गाँव में कोई काम नहीं हो रहा है। हजारों साल से दबे कुचले लाचार, गरीब, शोषित समाज की उपेक्षा की जा रही है। मैं चाहूँगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम 56 के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी चयनित गाँवों को जिसमें विशेषरूप से दबे, कुचले, शोषित समाज के लोग रह रहे थे, इस मंशा से इस योजना का शुभारम्भ किया गया था कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं जो गरीबी की हालत में विकास से कोसों दूर हैं, उनकी विकास के रास्ते पर जाने के लिए, प्रगति के साथ उनको चलने को तैयार करने के लिए ऐसे विशेष रूप से दबे कुचले गाँव के लोगों को इस योजना के तहत चयनित करके सभी विकास कार्यों से उनको जोड़ने की योजना बनाई गयी थी जिसके तहत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, खड़न्जा की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था इस प्रकार की उन तमाम ऐसी योजनाओं को जो अविकसित क्षेत्र को विकसित दशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसको अंजाम देने के लिए यह योजना कार्यान्वित की गयी। मान्यवर, यही नहीं 1997 में शतप्रतिशत इस योजना को कार्यान्वित करके इससे पूरे प्रदेश को लाभान्वित किया गया। लेकिन मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की गठबन्धन की सरकार अपने नापाक इरादों से कागजी घोषणा करती है लेकिन उसने सारे विकास कार्यों को ठप कर दिया है इससे गाँव में न सड़कें बनती है, न बिजली जाती है, न स्कूल बनते हैं, न नालियां मिलेगी, न हैण्डपम्प लगते हैं, न सफाई की व्यवस्था होती है। अगर यह सारी चीजे होती तो इससे केवल गांव के दबे कुचले लोग ही नहीं लाभान्वित होते हैं बल्कि उस गाँव में रहने वाले सभी जाति और मजहब के लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन चूँकि डाक्टर साहेब के नाम पर यह योजना बनाई गयी है इसलिये इनके गले के नीचे नहीं उतर रही है इसलिए इसने विकास के कार्य ठप कर दिये हैं। इस प्रकार से दबे, कुचले, शोषित समाज के लोगों को विकास कार्य से वंचित किया जा रहा है।

वहीं पर दूसरी ओर भारत के संविधान निर्माता डा0 अम्बेडकर, जिनके नाम पर यह योजना चलाई गई है, उनका अपमान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि यह लोक महत्व का विषय है, इससे पूरे प्रदेश में जनाक्रोश है, क्योंकि विकास कार्यों से सभी लोग लाभान्वित होते थे, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहें सवर्ण समाज के लोग हों। लेकिन सरकार ने इन सभी विकास कार्यों को बाधित कर

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सदन की सारी कर्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय प्रश्न पर तत्काल चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से जो 11 कार्यक्रम हैं जैसे सम्पर्क मार्गों का निर्माण, ग्रामों का विद्युतीकरण, नाली-खड़जा निर्माण, स्वच्छ शौचालय स्वर्ण जयन्ती जवाहर रोजगार योजना, किसान पेंशन, विधवा पेंशन निःशुल्क बोरिंग स्वच्छ पेयजल, प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण आदि कार्यक्रम है। इस सारे कार्यो को प्राथमिकता देकर, जो भी गॉव चयनित हुये हैं, में कराया जाता है। यह बात सही है कि 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में जो चयनित अम्बेदकर ग्राम थे, उनकी समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि इन गांवों मे ही सभी कार्य पूरे नहीं हुये थे, इस कारण 2000-2001 में नये ग्रामों का चयन न करके यह निर्णय किया गया कि जो कार्य बचे हैं, पहले उनको पूरा कराया जाये और इसके लिये विशेष रूप से निर्देश दिये गये। निर्देश नियोजन विभाग द्वारा यह दिये गये कि राज्य योजना में एस0सी0पी0 एवं पी0एस0पी0 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तथा राज्य सेक्टर में 10 से 15 प्रतिशत तक धनराशि मात्राकृत की जाये। समाज कल्याण विभाग के कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पूर्व में चयनित जिन अम्बेदकर ग्रामों के अवशेष कार्यो को कराने हेतु एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाय।

प्रयास हम कर रहे हैं। आर0के0 चौधरी जी बड़े सम्मानित सदस्य हैं। उन्होंने एक उल्लेख कर दिया कि बहन मायावती जी की सरकार गिर गई। मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, हमारे समर्थन से कार्यकाल पूरा किया और कार्यकाल पूरा करने के बाद, यदि इस दलित, शोषित समाज के उत्थान के लिये दर्द रहा होता तो साथ न छोड़के जाते, साथ रखते, सहयोगी के रूप में साथ रखते। हमने तो वायदा पूरा किया था, आप एक महीने में ही छोड़कर भाग गये, क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चल पा रही थी। इस प्रकार उनकी सरकार गिरी नहीं थी, बल्कि आप छोड़कर चले गये थे। मान्यवर, ऐसे लोगों की मदद करना हमारी इस सरकार कर संकल्प है और जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उसके अनुसार हम इन कार्यक्रमों को लागू रखेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी लम्बी फेहरिस्त गिना दिया, विधवा पेशन, किसान पेंशन, नाली खड़ंजा निर्माण इंन्डिया मार्का नल आदि। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रही है और पूरे प्रदेश में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार के इस निकम्मेपन तथा जो गुमराह करने का काम किया है, के विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय आ0के0 चौधरी, माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को नियम-56 के अन्तर्गत निरस्त करता हूँ।

छठी सूचना श्री श्रीरामपाल की बुन्देलखंड के जनपदों में वन माफियाओं द्वारा वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हरे वृक्षों की हो रही अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। सातवीं सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की प्रदेश में विद्युत विभाग एवं गृह विभाग में तालमेल न होने तथा विद्युत विभाग के प्रदेश मुख्यालय से जिला मुख्यालय को लाइन जोड़ने की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में है, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आठवीं सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा की प्रदेश के सभी जिलों के जिला प्लान के सफल संचालन हेतु स्वीकृत जिला प्लान का धन सरकार द्वारा उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

8वीं सूचना डा0 अशोक वाजपेयी एवं कुँ0 रेवती रमण सिंह जी की है, प्रदेश में आई0आई0टी0 तथा मेडिकल परीक्षाओं में हुई गम्भीर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गई अत: अस्वीकृत हुई :-- 1. श्री प्रभु नारायण सिंह यादव 2. डा0 कौशल किशोर 3. श्री दिलीप कुमार 4. श्री भीम प्रसाद सोनकर 5. श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह 6. श्री राम औतार शाक्य।

श्री अम्बिका चौधरी जी विशेष उल्लेख में आप अपनी बात 2 मिनट में कह लें।

प्रदेश के समीपवर्ती कतिपय जनपदों में शराब की तस्करी से उत्पन्न स्थिति विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, पहले विश्वनाथ जी को सुन लें।

*श्री विश्वनाथ--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने विशेष उल्लेख के जरिए जनहित के एक तात्कालिक और महत्वपूर्ण समस्या पर सुनने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है। इसके लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश विशेष तौर पर पूर्वी जिलों के नेपाल से लगे जिले और बिहार से लगे जिलों में शराब की तस्करी और माफिया गिरोहों का जाल बिछ गया है। यही नहीं सरकारी पद और बजारती की कुर्सी पर बैठे लोग इस तस्करी में तल्लीन हैं और उनके द्वारा तस्करी को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मान्यवर, होली के एक दिन पहले 9 तारीख की घटना है, घटना सत्य है, तथ्यपरक है, शाही जी चिन्ता मत करें। आपकी करनी की ढोल बज रही है। मान्यवर, 9 तारीख को माननीय मंत्री जी 3 जीपों के साथ शराब की दुकान पर पहुँचे और 1800 पौच को उस जीप में रखवाया, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया। मुंशी जायसवाल ने उसका विरोध किया उन्होंने पुलिस फोर्स और पीएसी की मार्च करायी। इनके संरक्षण में शराब से लदी हुई जीप नं0 52 ए 8888 जिसमें 1800 पाउच शराब भरी गयी थी इनके घर पहुँचायी गयी। मान्यवर, इतना ही नहीं नन्दू जायसवाल, मुंशी जायसवाल को केवी चौराहा पर पकड़ लिया गया, यह शर्मनाक घटना है, मंत्री जी ने स्वयं नन्दू जायसवाल की पिटाई की। जब लहू गिरने लगा तब पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मुलाहिजा हुआ जब 12 तारीख को छोड़ा गया, 13 तारीख को एक्सरे कराया गया, तब फ्रैक्चर पाया गया। नन्दू जायसवाल की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी।

माननीय आबकारी मंत्री जी. जो मद्य निषेध के मंत्री भी हैं, उन्होंने आबकारी अधिनियम का उल्लंघन किया है। इसकी जॉच करवानी जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने एक आदमी को आहत किया है। इन्होंने शराब की खुली छूट दी और वहां बेचने का काम किया। मान्यवर, यह अविलम्बनीय, लोकमहत्व का प्रश्न है, एक मंत्री के कृत्य से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम है। इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राधेश्याम सिंह--

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह हमारे जिले का मामला है। प्रदेश में जो आबकारी नीति घोषित की गयी है, उसमें परिवर्तन जरूर हुआ है. . . . . .

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, एक मार्गदर्शन चाहूँगा, मुझे नियमों की ज्यादा जानकारी है नहीं। केवल इतनी जानकारी चाह रहा था कि यह बात आयी थी और सदन को अवगत कराया गया था कि माननीय विधायक की अपनी कोई निजी समस्या होगी उसको विशेष उल्लेख के रूप में सुना जायेगा।

श्री राधेश्याम सिंह--

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है, गाड़ी नं0 यू0पी0 55 8888 में 1800 शराब की पाउच रखा पाया गया। आबकारी मंत्री जी को बुरा लग रहा है।. . . . .

श्री हुकुम सिंह--

जिले का हो या गाँव का हो इससे मतलब नहीं है। मान्यवर, एक बात कही गयी थी कि विशेष उल्लेख की अनुमति उन परिस्थितियों में दी जायेगी जहां पर माननीय सदस्य की अपनी कोई समस्या हो और यह सुविधा अपवाद स्वरूप दी गयी थी, नियम नहीं बनाया था। इसके लिए शर्त पूरी होनी आवश्यक है, वह है कि माननीय विधायक की अपनी कोई समस्या हो। होली की घटना को लेकर उसे विशेष उल्लेख के रूप में अनुमति देने की बात पहली बार होगी । मेरा आग्रह है कि जब कोई बात कही जाती है तो उसका पालन भी होना चाहिए। जो सूचना मेरे पास है उसमें इसका एक पंक्ति भी जिक्र नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने इसको विशेष उल्लेख के रूप में सुनने के लिए स्वीकार किया। वैसे तो नियम-56 की जितनी सूचनायें हैं वह लाटरी सिस्टम से निकाली जाती है और एक माननीय अध्यक्ष द्वारा चयनित की जाती है। अगर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो ऐसी घटना को विशेष उल्लेख के रुप में स्वीकार किया जाता है और करते रहे हैं। इसी उद्देश्य से इस घटना को स्वीकार किया गया है, उसमें कोई इन्टरफेरेंस करने का प्रश्न नहीं था।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं कोई इंण्टरफेरेंस नहीं करता हूँ। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत सम्मान करता हूँ। जहाँ तक मुझे और आपको जानकारी है कि विशेष उल्लेख की उस परिस्थिति में अनुमति दी जायेगी जब माननीय सदस्य की अपनी कोई समस्या हो और जब कार्यसूचगन की सूचनायें निस्तारित हो जाँय। अगर इनकी कोई समस्या हो तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह संसदीय परम्परा है कि विशेष उल्लेख के जरिये माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत समस्यायें उठाते रहे हैं, वह परम्परा है। इस प्रकरण में माननीय अध्यक्ष जी ने पहले से ही अनुमति दे दी है, इस कारण से इसको सुन रहा हूँ।

श्री राधेश्याम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 8 मार्च को ब्लाक प्रमुख का चुनाव हुआ और चुनाव में आबकारी मन्त्री के समर्थन में हार गये। मान्यवर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुन्नी जायसवाल समाजवादी पार्टी के समर्थक थे।

इनके घर के सामने शराब की दुकान है। 9 तारीख को जब चुनाव हार गये तो माननीय मंत्री जी बौखलाये हुए थे। मान्यवर, 9 तारीख को 4 गाड़ियों के साथ शराब की दुकान के सामने और गाड़ी लेकर अपने गॉव पकहा चले गये। मान्यवर, गाड़ी में पाउच रखा गया गाड़ी नं0 यू0पी0 52 ए0, 8888 है जो इन मन्त्री जी की माता जी के नाम से आज भी रजिस्टर्ड है। मान्यवर, मुन्ती जायसवाल के भाई नन्दू जायसवाल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, विरोध किया, परन्तु इनके मन्त्री जी के कार्यकर्ताओं ने मारा, खुद मंत्री जी ने मारा मान्यवर, इनके खिलाफ न तो मुकदमा दर्ज हुआ जब कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति की गाड़ी में पाउच पकड़ा गया होता, तो उसके नाम से एफ0आई0आर0 दर्ज हो जाती, लेकिन इनके खिलाफ आज तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया। मान्यवर हमारी मांग है कि आबकारी मन्त्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर इनके खिलाफ गुण और दोष के आधार कार्यवाही करें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं हो रही है जो कि इस सदन में उपस्थित न हो। मान्यवर, शाही जी बैठे हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है।

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय अध्यक्ष के द्वारा तय हुआ है तो माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे और फिर इसे विशेष उल्लेख के जरिये चुना गया है मैं और तीसरे को अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

*श्री शिवपाल सिंह यादव--

मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी मार-पीट करें तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? यह एक गम्भीर मामला है और एफ0आई0आर0 तक नहीं लिखी गई इस अपराध की। मान्यवर एफ0आई0आर0 लिखकर, जॉच करके इसमें आवश्यक कार्यवाही करा दें।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देख लें कि सूचना में क्या कहा गया है और यह बात कौन सी कर रहे हैं, इनकी सूचना का और इस बात का कोई तारतम्य नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि न तो यह किसी प्रकार की अविलम्बनीय विषय है और न कोई सुनिश्चित घटना है और न ही इसका संबंध इन बातों से है जिनका जिक्र इन्होंने अपनी सूचना में किया है। निश्चित रूप से इन्होंने जो तथ्य सदन के समक्ष उजागर किये हैं उसके संबंध में मान्यवर मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले दो दिनों में न तो बचौच घाट थाने में शराब पकड़ी गयी है और न बरामद हुई है। यह सूचना पूर्ण रूप झूठे तथ्यों पर आधारित है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, शराब बरामद हुई है, रिकार्ड गायब कर दिया गया है

(शोर)

श्री सूर्य प्रकाश खन्ना--

जो नयी आबकारी नीति लागू की गयी है उसके लागू करने के बाद शराब माफिया लोगों के पेट में दर्द जरूर हुआ है। [illegible] रूप से सभी राजनीतिक दलों ने इसे सराहा है, सिर्फ समाज वादी पार्टी को छोड़कर क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग सक्रिय रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर शराब के व्यवसाय से जुड़े हैं। इस नाते वे हंगामा करने का प्रयास करते हैं।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, यह आक्षेप है, [x x x] मान्यवर, समाजवादी पार्टी के बारे में यह जो कहा गया है, इसको कार्यवाही से निकलवाईये।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मैं केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, यह आपका विशेषाधिकार है कि आप जिसको चाहे बुलवा सकते हैं, लेकिन मर्यादा यह थी कि उनका उत्तर पूरा हो जाता, उनका कथन पूरा नहीं हुआ है, कथन पूरा हो जाय तब स्पष्टीकरण करलें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, [x x x]

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)--

मान्यवर, जो सूचना दी गई है मैं उसे पढ़े देता हूँ प्रदेश में नयी आबकारी नीति घोषित होने के बाद पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये शासन द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर नयी आबकारी नीति की घोषणा की गयी लेकिन सत्ता प्रशासन के संरक्षण में इस नयी नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रदेश की सीमा समीपवर्ती देश नेपाल से जुड़ी हुई है। सीमा पर खुले रूप से शराब की तस्करी की जा रही है जिससे पडरौना,देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं। कहना न होगा कि पडरौना जो आबकारी मंत्री जी का स्वयं का जिला है वहां शराब की तस्करी की जा रही है। तत्काल अगर इसे न रोका गया तो आबकारी विभाग से मिलने वाले राजस्व में भारी घाटा होगा। माफिया गिरोह तथा आई0एस0आई0 की पूरा जाल इस सीमा पर बिछा हुआ है। गत दिनों 1800 पाउच शराब से लदी जीप को सरकारी संरक्षण में खुले रूप से ले जाने दिया गया। सत्ता और प्रशासन के दबाव में पुलिस लाचार बनी हुई है और शराब माफियाओं के संरक्षण में इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी पंगु हो चुकी है। थाना बघौचघाट में 2 दिन पूर्व ही भारी मात्रा में शराब बरामद हुई जिसके पैकेटों में न तो होलीग्राफ लगे थे और न ही यह पता चलता था कि ये किस डिस्टिलरी में बनी हुई है। इससे क्षेत्रीय जनता में घोर आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर आज की शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता--

यह लिखा नही जायेगा,

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, समाजवादी पार्टी को अपराधी कहने का अपराध माननीय मंत्री द्वारा किया जायेगा तो इसको बर्दाश्त करने की अपेक्षा हमसे पूरी नहीं होगी। आप कार्यवाही देख लीजिए और इसका एक-एक अंश कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिये। उसके बाद आपकी बात आ जायगी।

नोट :- [xxx] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

मान्यवर, आबकारी नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसके माध्यम से शराब की होने वाली ठेकेदारी और नीलामी की प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। नये लाइसेंस देकर नये कारोबारियों को आने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि गोरखपुर मंडल में जो देशी शराब की खपत हुयी है वह 446169 बल्क लीटर हुयी है तो गत वर्ष अप्रैल के महीने से 2 लाख बल्क लीटर अधिक है। अगर तस्करी होती तो जो देशी, विदेशी, मदिरा एवं बियर की खपत में 30-40 प्रतिशत इन्क्रीज, बढ़ोत्तरी हुयी है वह न होती। वहां पर तस्करी या स्मगलिंग नहीं की जा रही है और न किसी प्रकार का गलत धंधा हो रहा है। अनावश्यक रूप से, इस सदन में एक बार और प्रयास किया गया था मुझे बदनाम करने का, भैंसहा कांड कराया गया और कहा गया कि आबकारी विभाग के लोग वहां गये और गांव में महिलाओं के साथ बलात्कार किया। मान्यवर, जब नाजायज लोगों को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो परेशानी उधर से शुरु हो जाती है। 13 तारीख को लाटरी निकालने की निर्धारित तिथि थी।

(शोर)

*श्री रामतेज यादव, एडवोकेट--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने समाजवादी पार्टी के प्रति जो कहा है वह आक्षेप है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, झूठी घटना खड़ी करके समाजवादी पार्टी के द्वारा यह जो प्रयास किया है वह असत्य, झूठे, गलत तथ्यों पर आधारित है इसलिये इसको निरस्त करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री धनीराम वर्मा--

श्रीमन् मैं केवल 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि क्या नंदू जायसवाल की पिटाई हुयी और यदि पिटाई हुयी तो कितनी चोटें आयीं और अगर चोटे आयीं तो क्या उसकी रिपोर्ट लिखी गयी।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि जीप नंबर यू0पी0-52-ए, 8888 नंदू जायसवाल के दरवाजे पर खड़ी थी और उस पर 18 सौ पाउच लदे थे उसके बारे में जब नंदू जायसवाल ने पूछा तो उससे भंडाफोड़ हो गया कि आबकारी मंत्री जी की गाड़ी है और उसी से नाराज होकर नंदू जायसवाल को पीटा गया।

श्री नरेन्द्र सिंह--

सूचना मंत्री जी ने पढ़ी है उसमें कहीं भी जीप का जिक्र नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, नरेन्द्र सिंह जी मंत्री की तरफ से जानकारी दे दें क्योंकि इनको लगता है सारी जानकारी है। आप नहीं चाहते हैं कि नेता विरोधी दल बोलें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधी दल का सभी सम्मान करते हैं। जब वह बोलने के लिये खड़े हों तो व्यवधान नहीं डालना चाहिये।

श्री रामतेज यादव, एडवोकेट--

सम्मान सत्ता पक्ष के दल के लोग नहीं कर रहे हैं। पहले आप सत्ता पक्ष के लोगों को संयमित कराइये।

श्री धनीराम वर्मा--

मान्यवर, मैंने दो प्रश्न पूछे हैं एक तो पूछा है कि क्या नंदू जायसवाल की पिटाई हुयी, यदि हुयी तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कितनी चोटे आयी और क्या उसकी रिपोर्ट लिखी गयी। नहीं लिखी गयी तो क्यों नहीं लिखी गयी और वह कब तक लिखी जायेगी ?

क्या यू0पी0 52-ए-8888 नम्बर की जीप शाही जी की जीप थी वह इनके माता जी के नाम रजिस्टर्ड है। नन्दू ने इस बात का भण्डाफोड़ किया कि उसमें शराब लदी थी यही नन्दू का अपराध था।

श्री अधिष्ठाता--

नेता प्रतिपक्ष आप स्वयं इस बात से भिज्ञ हैं कि जो सूचना दी गई है उसमें कहीं इन तथ्यों को इंगित नहीं किया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी--

यह सूचना से जुड़े हुए तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी है।

श्री धनीराम वर्मा--

श्री शाही जी ने जो जवाब दिया उसी से इसका सम्बन्ध है।

श्री सूर्यप्रताप शाही--

जो भी तथ्य कहे गए हैं वह अत्यंत मनगढ़ंत, भ्रामक, निराधार हैं।

(इसी मध्य श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री विश्वनाथ, डा0 वकार अहमद शाह श्री राधेश्याम सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री श्याम किशोर यादव तथा श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं मद संख्या-9 ले रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान

(घोर व्यवधान जारी। समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य शाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए का नारा लगाने लगे।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन को 3.00 बजे तक स्थगित करता हूँ।

• (श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, उत्तर आ जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरी अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है। जो बात विशेष उल्लेख के जरिये उठानी थी जो पहले तय हुआ था और तय यह हुआ था किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया जायेगा और अपनी बात रख देंगे। सूचना में भी किसी पर आक्षेप नहीं है। उसके बाद भी व्यक्तिगत आक्षेप लगाये गये। आप बहुत विद्वान सदस्य है इस सीट की भी सुशोभित कर चुके हैं सबकुछ जानते हैं और जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली 1958 हैं इसके नियम 289 (क) को देखें इसमें यह स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी

व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप अथवा लांछन नहीं लगाया जायेगा। इसके बावजूद भी सीधा लांछन और आक्षेप लगाया गया। सबसे पहले तो जो व्यक्तिगत लांछन बोले गये हैं उनको मैं कार्यवाही से निकालने का निर्देश देता हूँ और आप सभी से अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष के साथ बैठकर जो तय हुआ था उसके अनुरूप सदन में होना चाहिए। अन्यथा उसके बाद सदन में अन्यथा आचरण किया जाय उचित नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक उत्तर मांगा कि घटना सही है या नहीं जीप जो पकड़ी गई या नहीं तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि सब भ्रामक और गलत है इसके बाद कौन सी बात पूछने के लिए रह जाती है? जब घटना हुई ही नहीं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर संसदीय परम्पराओं पर संकट खड़ा हो जायगा। कृपापूर्वक मर्यादाओं का सम्मान करें।

श्री धनीराम वर्मा-

श्रीमन् मैं नियमों की जानकारी रखता हूँ जिनका आपने जिक्र किया और इस पीठ का जो निर्देश होगा शिरोधार्य होगा। मैंने कोई अलग से तथ्य की जानकारी नहीं चाही थी। श्री शाही जी ने जो जवाब दिया उनके उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न किया था। जानबूझकर उस चीज को टालने की कोशिश की जा रही है। नन्दू को मारा गया या नहीं पीटा गया या नही, जीप में शराब के पाउच थे या नहीं तो शाही जी ने हमारी पूरी समाज वादी पार्टी पर आरोप लगा दिये है इसका उल्लेख नहीं आया। इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। चूँकि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त है उनको संरक्षण देती है तथा स्वयं अपराध करती है इसके विरोध में मैं और मेरा दल इस सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल श्री धनीराम वर्मा ने अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदानों की मागों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं मद संख्या-9 (1) (2) (3) ले रहा हूँ।

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, उच्चशिक्षा, लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,63,95,46,000 रूपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 29,96,71,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त,

7,74,96,84,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग ऐसे कार्यों की कार्यदायी संस्था है जो निश्चित रूप से व्यक्ति, ग्राम, समाज के समृद्धि और विकास के कार्य करता है। इसलिये मान्यवर, हमने लोक निर्माण विभाग की कुछ प्राथमिकताएं और अपने कार्य की प्राथमिकताएं इस वर्ष की कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं। पहले तो गांवों को पक्के मार्ग से जोड़ना, नई सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, अधूरी निर्मित सड़कों को पूर्ण कराना, टूटी एवं जीर्ण शीर्ण सड़कों की मरम्मत एवं समतलीकरण, पारदर्शिता. माफियाओं पर अंकुश और गुणवत्ता पर सुधार तथा नये पुलों का निर्माण और अर्द्धनिर्मित पुलों को पूरा करना। इन प्राथमिकताओं के आधार पर इस वर्ष संसाधनों के आधार पर कुछ नियिमत लक्ष्य निर्धारित किये हैं। दूसरा चूंकि हमारी प्राथमिकता गांव को पक्के मार्ग से जोड़ना, गांव की समृद्धि और किसान की समृद्धि है। 3,300 गांवों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़गे। 6,000 कि0मी लम्बी अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा करना, 8,000 कि0मी0 समतुल्य मार्ग का नवीनीकरण, 4,000 किमी0 ग्रामीण मार्गों का सुधार एवं नवीनीकरण, 4,00 किमी0 क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण, 620 किमी0 राजकीय मार्गों को एक लेन से 2 लेन में जोड़कर 32 मुख्यालयों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर जो राजकीय स्तर के नहीं हैं निम्न स्तर के हैं राजकीय मार्ग में परिवर्तित कर सुधार एवं सुन्दरीकरण, 45 सेतुओं का निर्माण कार्य पूरा करना। मान्यवर, जन प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। यह सरकार किसानों की हितकारी है। केवल वाणी ही में नहीं है, घोषणा में ही नहीं है। सही अर्थ में किसनों की और गांवों की समृद्धि चाहती है। चार वर्षों से यह सरकार इस दिशा में ठोस कदम और परिणामजनक कदम उठा रही है। देश में कुछ राजकीय गांवों की संख्या 96, 248 है 1947 से पूर्व इनके समय तक कुल गांव पक्के मार्ग से जो जुड़े थे उनकी संख्या थी 32 हजार 262, अन्य हैं 96, 248 पिछले चार वर्ष में लेप स्तर तक के मार्ग जो जुड़े है मार्च 2001 तक उनकी संख्या है 10 हजार 52. हमारी सरकार ने पिछले चार सालों में यह किया है एक तिहाई गांव इस प्रदेश में पक्के मार्ग से जुड़े हैं। इस वर्ष 3 हजार 300 गांव को पक्के मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो काम आप लोगों ने 50 साल में किया वह किसानों की हितकारी सरकार वाणी व्यवहार में सार्थक करके उतरी है। गांव की समृद्धि के लिए पक्के मार्गों का काम किया है। कई योजनायें चलाई गई दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना चलाई गई। आर0आई0एफ0योजना के अन्तर्गत नाबार्ड से लोन लेकर फेस-2, फेस-3, फेस-4. फेस-5 में जो मार्ग स्वीकृत किए गए उनको पक्का किया। इसमें 2,407 मार्ग अधूरे पड़े हैं इनको पूरा करने के लिए 108 करोड़ की व्यवस्था की गई है जिससे जो मार्ग 2,500 किलोमीटर की लम्बाई में थे को सड़कों से जोड़कर लक्ष्य पूरा किया गया है, जो कार्य शुरू किया है उसको पूरा किया जाएगा। योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों को जोड़ने के लिए नये कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए 20 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई है। सरकार का यह कार्य अब केन्द्र सरकार ने भी ले लिया है।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पर किसानों को उपहार दिया और यह सिद्ध कर दिया कि किसानों के प्रति यह सरकार कितनी जागरूक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम करेगी इसके लिए 2003 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है देश में जहां एक हजार से अधिक आबादी के गांव है उन्हें पक्के मार्गों से जोड़ा जायगा। जो कमजोर सड़कें बनी है यातायात में वह टूट रही है, 15 साल बाद क्या आबादी का घनत्व होगा उसको देखते हुए मोटी सड़कों द्वारा गांव को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है शेष प्रदेश के गांव को एक हजार से अधिक की आबादी के हैं उनका 2003 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इससे कम आबादी के जो गांव है उनको 2007 तक जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको ग्राम्य विकास विभाग देखता है वह चयन करता है डी0आर0डी0ए0 के अधिकारी चयन करते हैं। इसमें जिले के स्थानीय प्रतिनिधि सांसद का चयन में बुलाते हैं। हम नई सड़कों को बनाने क कार्य तेज गाति से करना चाहते हैं और हमें प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत पैसा मिलेगा। साथ ही साथ जो नाबार्ड से पैसा लेकर सड़कों का निर्माण करायेंगे उसके

अन्तर्गत नयी सड़कों का चयन करेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने चिन्ता जिला योजना की सड़कों के बारे में की है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। जिला योजना 2000-2001 के अन्तर्गत जितनी भी चयनित सड़कें हैं उनका निर्माण कराया जायेगा यह पुन: और बार-बार में आश्वस्त कर रहा हूँ। इसके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और इसके लिए इस बार 60 करोड़ रुपया मांगा गया था .....

(व्यवधान)

किस फेज में लेंगे और कहा से पैसा लायेंगे यह हमारा दायित्व है, वह सरकार का दायित्व है। जानना आपका दायित्व है और आश्वासन पाना भी आपका दायित्व है। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि नबार्ड से पैसे लेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लेंगे और वित्त मंत्री जी वहां बैठे हैं उनसे भी लेंगे। यह सरकार का निर्णय है। सभी के परामर्श से, माननीय सदस्यों की चिन्ता जिला योजना की सड़कों को पूरा कराना है क्योंकि यह चयनित की गयी और उन्होंने गांव के लोगों को आश्वस्त भी किया होगा और किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिये जाने की गंभीरता को यह सरकार समझती है इसलिए इसको बनवाया जायेगा। मान्यवर, यह बात सही है कि प्रदेश में लम्बे समय से विभिन्न में दो सड़कों का निर्माण कराये जाने के कारण कभी पैसा आधा दिया गया फिर बाद में नहीं दिया गया। कभी लागत बढ़ गयी वह नहीं दिया गया, कभी आधा-अधूरा पैसा हुआ, कभी जमीन मिलने की समस्या आयी इसलिए काम को रोक दिया गया ऐसी अधूरी सड़कों की बात है। मैं समझता हूँ कि नयी सड़कों के बनाने के साथ अधूरी सड़कों को बनाने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए इसलिए अधूरी सड़कों को पूरा कराने का प्राथमिकता का कार्य माना गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 13,14 हजार सड़कें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयीं अधूरी सड़कें हैं। इन अधूरी सड़कों को तीन वर्ष में चरणबद्ध पूरा करने के लिए, क्योंकि आगे नयी सड़कें होंगी वह जोड़ी जायेंगी इस वर्ष 6 हजार किलोमीटर सड़कों को पूर्ण किया जायेगा। प्राथमिकता उनकी होगी जिनमें 75 प्रतिशत कार्य हो गया है। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो टाप कोट तक पूर्ण हो गयी हैं खाली लेपन का कार्य होना है और लेपन का कार्य न होने के अधूरी पड़ी हैं और वह क्षतिग्रस्त होती हैं ऐसी अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

मान्यवर, इटावोई रिंग रोड बहुत लम्बे समय से बन रही है उसके लिए 4.2 करोड़ रुपया दिया गया है और उसको भी पूर्ण कराया जायेगा।

मान्यवर, किसानों की मांग रही है नहर की पटरियों को पक्का किये जाने का काम इस सरकार ने किया है। आज हमारी मांग पूरी चुन में बंद भी किया है लेकिन बनवाया तो। पिछले 50 वर्षों में आर्थिक स्थिति की जो दुर्दशा की उस दुर्दशाग्रस्त आर्थिक स्थिति में विकास के कार्य को सफल नहीं किया पहले केन्द्र से पैसा लाना पड़ा हो पहले अन्य कहीं से (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) कभी लोगों ने मंचों से विकास किसका यह पहली सरकार है जिसने कि कस्बों और बस्ती पर विकास किया। मान्यवर, इतने गांव कभी नहीं जुड़े, इतनी सड़कें कभी नहीं जुड़ीं मान्यवर, इस योजना में कुल 383 सड़कें चयनित हुई थी जिसमें 1,507 किलोमीटर स्वीकृत हुई। इस वर्ष की जो लेन है 330 किलोमीटर उसको पूरा करने के लिए धनराशि दी जा रही है। मान्यवर, 151 किलोमीटर लेन है उसमें से 110 किलोमीटर की लम्बाई को पूरा करने और उसके लिए 7.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इसी तरह से 5 लाख की आबादी के शहर हैं उनमें भी सड़कों की दुर्दशा थी उसको भी सम्पर्क संसाधन रहते हुए, आवश्यकतानुसार तो नहीं कर पाये हैं लेकिन निश्चित ही इधर सरकार का ध्यान गया और इस वर्ष 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे नये कार्य और अवशेष 55 किलोमीटर कार्य पूर्ण कराये जायेंगे इसी तरह से बढ़ते यातायात की आवश्यकता को देखते हुए सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया गया है और इस वर्ष उस मद में 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 620 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा। मान्यवर, टूटी-फूटी जीर्ण सड़कों की चर्चा सदन में सबसे ज्यादा होती है जो कष्टकर है

और यह यथार्थ कि प्रदेश की सड़कें काफी टूटी-फूटी है।

मान्यवर, निर्माण हो रहे हैं मरम्मत के कार्य हो रहे हैं लेकिन टूटने का क्रम भी चलती है इसका कारण है काफी पहले से बनी हैं और जिस रफ्तार से भारी वाहनों का यातायात बढ़ रहा है बढ़ती आबादी की वजह से औद्योगिक विकास बढ़ रहा है समाज की जीवन पद्धति उसके कारण से सड़कों पर बोझ काफी बढ़ रहा है जितना बोझ है जो सड़क की मोटाई होनी चाहिए वह मोटाई नहीं है। मान्यवर, अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में राधे श्याम जी के क्षेत्र में कप्तानगंज तक जो सड़क जाती है वह निश्चित रूप से टूटी-फूटी है लेकिन आप देखें कम से कम 30-35 बसें रोज चलती है अब कहीं 9 सेंटीमीटर है, कहीं 15 सेंटीमीटर है। अब 9 से0मी0 15 से0मी0 सड़क जिस समय बनी होगी वह भविष्य की योजना को देखकर नहीं बनी होगी। प्रदेश में जो पिछले समय में सड़क बनी कोई 15 साल, 10 साल 50 साल पुरानी है। वह बढ़ते यातायात के घनत्व को देखकर नहीं बनी थी। जिसके कारण आज जो स्थिति है उससे सड़कें टूट रही हैं। इतना ही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों की चर्चा हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं जितने भी, जहां भी गन्ना मिले लगी हुई है चाहे पूरब, पश्चिम या मध्य की हों उसके आसपास की सड़कें टूट रही हैं। उसका कारण यह है कि गन्ने का ट्रक 30-35 टन गन्ना लेकर चलता है और ट्रैक्टर भी 15-20 टन लादकर चलता है और वहां सड़कों की क्षमता 8-10 टन की है जब जितनी क्षमता है उससे ज्यादा चलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता इसलिये टूटने का क्रम भी बढ़ रहा है। इस समस्या की ओर भी आपने कहा। इसके निराकरण के लिए इस सरकार ने विशेष प्राथमिकता से कार्य शुरू किया जिसके अन्तर्गत पिछले वर्ष 2000-2001 में 82.5 करोड़ रूपये खर्च करके 1,561 किलोमीटर समतुल्य लम्बाई की सड़कों का नवीनीकरण किया गया। इसी तरह से इस वर्ष 112 करोड़ का प्राविधान किया गया है और 8 हजार कि0मी0 समतुल्य लम्बाई के मार्गों का नवीनीकरण किया जायेगा। सामान्य अनुरक्षण कार्य मरम्मत के लिए भी 44 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमारा उद्देश्य जो सड़कें टूट रही हैं उनको भी समय समय पर नवीनीकरण करने का है लेकिन शासन स्वयं में इन सड़कों को जहां पर बड़ा यातायात है, उनकी वैसे लिस्ट है उनकी मोटाई, आज की आवश्यकता के अनुसार ही नहीं, बल्कि 15 साल के बाद जो आवश्यकता हो सकती है उसके अनुसार बनाने की है। उसमें निश्चित रूप से ज्यादा वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी इसलिए उसके बीच का रास्ता निकालकर नवीनीकरण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं ग्रामीण सड़कें बनती जा रही है जैसा मैंने बताया 32 हजार पहले बनी थी और 10 हजार लोगों ने बनाई लेकिन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत पर कभी कोई धनराशि नहीं खर्च की गयी जिसके कारण बहुत सी सड़कें जिनकी मरम्मत होनी चाहिए जीर्णशीर्ण रह गयी होंगी और यातायात के योग्य नहीं होंगी। यह पहली सरकार है जिसने पिछले समय 73.8 करोड़ रूपये ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए खर्च किये और 3 हजार किलोमीटर मरम्मत सड़कों की हुई उसके लिए 75.5 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और उन पर सामान्य अनुरक्षण के लिए 14.4 करोड़ की अलग से व्यवस्था की गयी है। इतना ही नहीं बीच-बीच में सड़कें, मुख्य मार्ग टूट जाते हैं उनके लिए पिछले वर्ष 17.7 करोड़ की व्यवस्था की गयी थी और इस साल भी विशेष मरम्मत जितनी आवश्यक है उसके अन्तर्गत 400 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इस तरह से इस सरकार की मंशा नई सड़कों को बनाने के साथ साथ ग्रामों को उससे जोड़ने के साथ साथ टूटी-फूटी सड़क को भी उपलब्ध संसाधन को देखते हुए समय समय पर नियमित रूप से जोड़ने का, ठीक करने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने में कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि कदाचार नहीं है, यह अगर कोई कहे तो यह गलत होगा। एक जो अव्यवस्था है जो फैल रही है लेकिन योग्य शासन वह है जो इस पर नियंत्रण करने के लिए अधिक प्रयास करें, सफल प्रयास करें, सर्वाधिक प्रयास करें।

मैं मानता हूँ कि गोपनीयता भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है इसलिए मैंने पारदर्शिता लागू किया है। यह सभी सदस्य जानते हैं कि पहले यह इंजीनियर बताया करते थे कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है। हमने सबसे पहला

काम किया कि पीडब्लूडी विभाग के प्रत्येक इक्वीक्यूटिव इंजीनियर को किस मद में कितना पैसा स्वीकृत किया गया है, दिया गया है इसकी पूरी स्थिति इस सदन को ही नहीं बल्कि दिल्ली के सदन को भी उपलब्ध करायी है जिससे अधिकारी न कह सके कि इस काम के लिए पैसा नहीं है, हमारा प्रत्येक सदस्य जान जायेगा। इतना ही नहीं। हमने जो कार्यक्रम लिया, उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ कि सूचना दूँ। आगे और विस्तार से सूचना देना चाहता हूँ। हम प्रत्येक माननीय सदस्य के सहयोग से, यह जो कदाचार पैदा हुआ है, जो समाज का दुश्मन है, जनता का दुश्मन है, हमारा, आपका दुश्मन है, विकास के लिये दिये जाने वाले पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा, उसको हम सब मिलकर रोकेंगे। मान्यवर, आगे भी कार्यों के लिये पैसे देंगे, उसकी भी सूचना देंगे और इतना ही नहीं, हमने सभी को अप्रैल के प्रारम्भ में पत्र लिखा है कि आपके क्षेत्र में 30 अप्रैल तक जो सड़कें बन रही हैं, लेपन स्तर तक, टापकोट स्तर तक बन रही हैं, उनको कृपया देख लें। जो कुछ गुणवत्ता में कमी दिखती हो, उसकी मुझे शिकायत करें। मैं जून के महीने से उनका निरीक्षण करूंगा। जिन भी माननीय सदस्यों की शिकायतें होंगी, या जो आज के बजट भाषण में जो माननीय सदस्य उल्लेख करेंगे, गुणवत्ता की कमी के बारे में उन सारी शिकायतों पर, एक एक सड़कों की जांच जून महीने में 12 टीम बनाकर करूंगा। इसमें मेरे दोनों राज्य मंत्री, 6 प्रमुख अधिकारी, जिसमें प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव सम्मिलित हैं, इसके अलावा प्रमुख अभियंता तथा मुख्य अभियंता-स्तर एक जायेंगे। यह हमारी नीयत है, हम गुणवत्ता लाना चाहते हैं। कमियाँ हैं, कमियों से कोई इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति की नीयत क्या है, उसका प्रयास क्या है, इससे उसमें परिणाम आता है और हम आपके सहयोग से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाना चाहते हैं। आप हमें सहयोग दें। ताकि जो यह जनता का धन है, उसका सदुपयोग हो सके। कोई दुरूपयोग न कर सके। इस पर आप लोग ध्यान रखें और अधिक से अधिक अच्छी सड़कें बनवाने का प्रयास करें। इतना ही नहीं, मान्यवर, सड़कों के निर्माण में ठेकेदारी और माफियागिरी बहुत बड़ा कारण है। यह शिकायत थी कि कहीं टेन्डर डालने नहीं दिया जाता था, दूसरे को धमकाकर डालने नहीं दिया जाता था, अधिकारियों को जोर-दबाव देकर मिलकर कोई एक व्यक्ति टेन्डर ले लेता था, शेडयूल रेट से बहुत हाई जाता था, इसके लिये एक दिसम्बर को एक आदेश जारी किया कि अब टेन्डर 3 जिलों के 4 स्थानों पर बेचा जायेगा और इन्हीं 4 स्थानों पर सीलबंद बाक्स में सीलबंद लिफाफे में डाला जायेगा और एक अधिकारी नहीं, बल्कि 3 सदस्य, जिसमें एक बाहर का होगा, ऐसी 3 अधिकारियों की टीम द्वारा वह खोला जायेगा और वही उसको स्वीकार करेंगे। टेन्डर में इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद जो परिणाम आये हैं, मुझे कहीं से शिकायत नहीं मिली।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर अभिभाषक डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए।)

कहीं किसी को टेन्डर खरीदने नहीं दिया गया, ऐसी भी शिकायत नहीं मिली। न जोर-जबरदस्ती की शिकायत मिली और 1 दिसम्बर 2000 के बाद प्रदेश के अन्दर एक भी टेन्डर शेडयूल रेट से हाई तो दूर, 5 से 25 प्रतिशत कम पर मिला है। निश्चित रूप से इससे विभाग के धन की बचत हुई है। वह दूसरे कार्यों पर लगेगा। मान्यवर, ठेकेदारों से कोई बोलता नहीं था, वह चाहे जो गुन्डागर्दी कर लें, और जबरदस्ती कर लें, पहली बार 1 दिसम्बर के बाद, इस आदेश के जारी करने के बाद, जिस किसी सड़क में कमी पाई जा रही है, जो क्षति हो रही है, उस क्षति का 50 प्रतिशत ठेकेदार से वसूला जा रहा है। 35 प्रतिशत जूनियर इंजीनियर से वसूला जा रहा है और 7.5-7.5 प्रतिशत सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता से वसूला जा रहा है। यह जो क्षति हो रही है उसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की भी है, गुन्डागर्दी की भी, उससे भी वसूल कर रहे हैं। सब में वसूली की प्रक्रिया जारी है। टेण्डर प्रक्रिया बदलने के कारण एक गुणात्मक सुधार हुआ है, परिवर्तन आया है, ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया गया है और इसके कारण इतना ही नहीं ठेकेदारों का ब्लैक लिस्ट भी अब किया गया है। एक बार अगर कोई दोषी पाया जाता है, समय से काम पूरा नहीं करता या कैसा भी कदाचार करता है, गुणवत्ता के अनुसार काम

करते हुए नही पाया जाता तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा रहा है। उसे फिर ठेका लेने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे 372 ठेकेदारों के विरूद्ध प्रदेश में कार्यवाई की जा चुकी है और आगे जहां भी ऐसे मामले मिलेंगे, कार्यवाई की जायेगी। उसे स्वच्छंद नहीं छोड़ेगे। कोई भी अधिकारी या ठेकेदार जहाँ भी जिम्मेदार है उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जांच के बाद गुणवत्ता में कमी पाये जाने के कारण अधिकारियों को भी दण्डित किया गया है। उसमें अब तक 128 अधिकारियों को निलम्बित किया गया जिसमें अधीक्षक अभियंता एक है, 32 अधिशासी, अभियंता, 48 सहायक अभियंता और 47 अवर अभियंता हैं। 110 अधिकारियों को दण्डित किया गया है। 112 के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, 106 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। इतना ही नहीं हमने पूरे रिकार्ड को देखा, सब गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अच्छे अधिकारियों को प्रोत्साहन और गलत को दण्ड देने की नीति के अन्तर्गत 75 ऐसे जो आरोपित अधिकारी थे उनको फील्ड से हटाया है, उनको और क्या दण्ड दे सकते हैं, क्या उनकी सम्पत्ति की जांच करा सकते हैं, उनको सेवा से निकाला जा सकता है, यह परीक्षण भी चल रहा है। लेकिन पहली बार 75 जो मोस्ट करप्ट की श्रेणी में हैं जो कई बार कदाचार के लिए दण्डित हो चुके हैं उन सभी को फील्ड से हटाकर अच्छे अधिकारियों को पोस्ट किया है। इससे एक सन्देश गया है कि अब किसी तरह के कदाचार का प्रश्न नहीं मिलेगा। अब किसी प्रकार से कदाचित विभाग, में फील्ड में नही रह पायेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही दो निगम भी इस विभाग में हैं, सेतु निगम और निर्माण निगम सेतु निगम के बारे में हम कह सकते हैं कि सेतु निगम उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा है, शान है। एक यही निगम है जिसको देश के दूसरे भागों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सेतु बनाने का ठेका मिल रहा है और उसके कार्यों की प्रशंसा हो रही है। अब तक इस प्रदेश में चार वर्षों में 192 सेतुओं को पूर्ण किया है इस सेतु निगम ने और 45 सेतुओं को इस साल पूरा करने का निर्णय हुआ है, निर्धारित किया गया है। इसी तरह से निर्माण निगम पिछले तीन साल से, जो घाटे में लगातार चल रहा था, पिछले तीन साल से लाभ में हुआ है और इस वर्ष इसे 354 करोड़ का कार्य मिला है जिसमें कि प्रदेश में कम, मध्य प्रदेश में, पंजाब, हिमांचल, चण्डीगढ़, उड़ीसा, कोलकत्ता आदि में इसे ज्यादा कार्य मिला है। यह निगम की गुणवत्ता और उसकी योग्यता का परिचायक है। इन्हीं शब्दों से मैं आपना बजट प्रस्तुत करता हूँ और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि वह इसका समर्थन करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर, एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का बजट भाषण बड़ी गम्भीरता से सुन रहा था। अपेक्षा भी थी कि प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री है, प्रशासनिक जीवन का लम्बा अनुभव है। प्रदेश की जनता की यद्यपि इस सरकार से कोई अपेक्षा में रह नहीं गयी हैं लेकिन शायद लोक निर्माण मंत्री जी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ

कर पाते। आज बजट भाषण में घोषणायें तो बहुत अच्छी हुई है, पिछले 4 वर्षों से इन घोषणाओं का रि-प्ले मैं देख रहा हूँ जब भी लोक निर्माण का कोई बजट भाषण प्रस्तुत करता है तो इसी तरह से शब्द जाल में पूरे सदन को मंत्र मुग्ध कर देता है। लेकिन वर्ष भर जो आचरण दिखाई देता है, कार्य शैली दिखायी देती है वह आपसे छिपी नहीं है, आप मर्मज्ञ हैं और स्वयं इस विभाग से परिचित है और मर्माहत भी हैं। अधिष्ठाता महोदय जिस तरह से अभी दो दिन पहले बड़ी गम्भीरता से पूरे सदन ने चिन्ता व्यक्त की कि वर्ष 2000-2001 की जिला योजना समाप्त कर दी गयी। जो जिला योजना का निर्णय इस सदन से हुआ था। बजट में स्वीकृतियों की गयी थी, किसी कार्यपालिका को अधिकार नहीं है कि मनमाने ढंग से बजट की स्वीकृतियों को परिवर्तित कर दे या निरस्त कर दें। मैं नहीं जानता क्या कारण रहे होंगें, धनाभाव रहा होगा। धनाभाव के कारण जिलों की स्वीकृति जिला योजना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और उसे निरस्त करना पड़ा। माननीय मंत्री जी ने बड़ा महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत कर दिया। प्रदेश के तमाम सड़कों को चौड़ा कर दिया जायेगा, गुणवत्ता बढ़ा दी जायेगी, 500 की आबादी वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। इस शब्दजाल से पूरा सदन चमत्कृत हो गया है। इसे कहीं आप व्यवहारिक धरातल पर उतार पायेंगे, अगर उतार पाये तो मेरे कटौती के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। अगर मात्र इसका दसवां अंश भी इस वित्तीय वर्ष में करने का काम कर दें तो मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लूँ। जनता का गुनाह क्या है और आप द्वारा यह गुनाह क्यों किया जाता है, लगातार घोषणायें होती हैं 1000 की आबादी तक के गाँवों को वर्ष 2003 तक और वर्ष 2007 तक 500 की आबादी के गाँवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया जाये। मैं पूँछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी से कि क्या कोई योजना आप ने बनाई है? जो 500 की आबादी के गाँव हैं उनकी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के लिए आपको कितने कि0मी0 सड़क बनानी पड़ेगी और इन सड़कों के निर्माण के लिए कितने हजार करोड़ रूपया व्यय करना पड़ेगा, क्या आपने इसके लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था की है? अगर कोई योजना नहीं बनायी है तो इस घोषणा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पहले आपने 2001 तक कहा गया था अब आपने उसे 2 साल और आगे बढ़ा दिया और उसे 2003 कर दिया। लेकिन क्या वह पूरा हो पायेगा, यह चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री सड़क निधि योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया गया और मुख्य मंत्री जी ने क्षेत्रीय सड़क योजना के लिये एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी जिसमें निर्णय लिया गया कि 11876 गांव ऐसे हैं जिनको मुख्य मार्गों से जोड़ा जाना है। इसके लिये 23 हजार कि0मी0 सड़कें बनायी जायंगी और 2003 तक वह गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे। इसके लिये 315 करोड़ रूपया खर्च होगा और प्रस्ताव की मंजूरी भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। 324 करोड़ रूपये की स्वीकृति हो गयी है और सदन को यह बताया गया कि पिछले वर्ष से कार्यों को इससे पूरा किया जायगा। लखनऊ को छोड़कर कही किसी सड़क को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। आपने प्रधान मंत्री जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को घोषणा कर दी कि गांव जोड़े जायेंगे। इस पर 60 हजार करोड़ रूपये व्यय होंगे। 15 अगस्त से काम प्रारम्भ कर दिया लेकिन अभी न तो इसका सर्वे हुआ है कि कितने चरणों में यह काम पूरा होगा और इसके लिये धन कहाँ से आयेगा। केवल आपने घोषणा कर दी। आपने कहा कि डीजल कर से जो राजस्व प्राप्त होगा उससे यह कार्य किया जायगा। 2500 करोड़ रूपया इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष भारत सरकार की राजस्व के रूप में प्राप्त होता है इसके आधार पर अगले 5 वर्षों में साढ़े 12 हजार करोड़ रूपया आयेगा और कुल खर्च 60 हजार करोड़ का है तो कितने वर्ष में आप इस योजना को पूरी करेंगे और कितने वर्षों में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 500 आबादी वाले गांवों को आप सड़कों से जोड़ सकेंगे। मान्यवर माननीय मंत्री जी ने गुणवत्ता की बात कही है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आप जो सड़के बनी हैं उनमें से 10 कर निरीक्षण करवा लें। अगर उनमें से 5 सही पायी जायं तो मैं आपकी गुणवत्ता की बात मान लूँगा। आज सड़क की कार्यवाही ठीक नहीं है सरफेसिंग ठीक नहीं होती है और एक सड़क पर लाखों रूपये व्यय होने के बाद वह 5 वर्ष तक भी नहीं चल पाती है और 6 महीने में खराब हो जाती हैं। क्या आपने इसके लिये अधिकारियों को जबावदेह बनाया है जो

सड़कों के निर्माण से जुड़े हैं। आप एक कारगर योजना बनायें। आप सड़कों की गुणवत्ता खराब है। आपके पास योग्य अभियंताओं तथा कुशल अधिकारियों की कमी नहीं है आप उनकी सेवाओं से लेकर गुणवत्ता की सड़कें बना सकते हैं। निकाय के सारे खातक लोक निर्माण विभाग से निकलते हैं। अगर आपकी कार्यशैली गड़बड़ा जायेगी तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। माननीय मंत्री जी आप इस पर चिंतन करें।

[illegible], कुम्भ मेले के बारे में उन्होंने बताया है कि उसमें जो व्यवस्था की गई थी उसके लिए हमें अपने साथियों [illegible] बधाई मिली है। कुम्भ मेले के लिए जो सड़कें बनाई गयी थी, जिनके ऊपर करोड़ों रूपयों का [illegible] कुम्भ मेले के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गयी और [illegible] के अन्दर ही उनकी धज्जियां उड़ गयी हैं। [illegible] आप उसकी जांच करवा लें। मान्यवर, वह प्रदेश की जनता को [illegible] हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, आप ऐसा न करें।

मान्यवर, मुझे आपसे अपेक्षा थी कि आप कोई ऐसा कार्य योजना जिससे प्रदेश की सड़कों में सुधार हो सकेगी लेकिन सड़कें आपने बनवाई क्या वह अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर सकेगी? मान्यवर, प्रदेश में सड़कों की नाइजेशन हो रही है, स्ट्रेन्थिंग होनी है जिसका व्यय 14000000 तथा 15000000 आयेगा। इस काम में होगा यह कि सड़कों के कन्सलटेंट नियुक्त किये जायेंगे विश्व बैंक के द्वारा और उन्हीं के कान्ट्रेक्टर नियुक्त किये जायेंगे। आपके पास रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर हैं, वहीं विश्व बैंक ने 70-80 हजार रूपये महीने पर कन्सलटेन्ट नियुक्त होंगे और अपने ही कान्ट्रेक्टरों को काम देंगे। जिससे सड़क की कीमत डेढ़ करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर आयेगी। एक तरफ प्रदेश वित्तीय संसाधनों की कमी है और दूसरी तरफ इस फिजूल खर्ची का मतलब क्या है, इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए। आपने नाबार्ड से 13 परसेन्ट पर 800 करोड़ रूपये का ऋण लिया है और उससे सड़कों का निर्माण करायेंगे। भारत सरकार ने 6 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लिया है तो फिर आपके [illegible] पर ऋण लेने का औचित्य क्या है। भारत सरकार जहां से ऋण लेती है वहां से ऋण लेकर आप काम कर सकते हैं। आप जो विश्व बैंक और नाबार्ड से ऋण ले रहे हैं और सड़कों को बनवा रहे हैं उन सड़कों की [illegible] और अनुरक्षण कहां से होगा। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप कहते हैं कि 3007 तक पांच सौ आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे वहीं दूसरी तरफ आप डिवीजन तोड़ दिये हैं, आपने विभाग का विस्तार करने के बजाय 3 सर्किल तोड़ दिये हैं। विश्व बैंक के जरिये एक डिवीजन से आप 12 करोड़ रूपये [illegible] होंगे तो कार्य की गुणवत्ता कैसे बनी रहेगी। एक डिवीजन एक वर्ष में 5-6 करोड़ से ज्यादा काम नहीं [illegible] सकता है। आप विश्व बैंक के निर्देशों पर करेंगे तो इस प्रदेश का [illegible] होने वाला है, वह आप जानें। आप आर्थिक उदारीकरण नीति के तहत विश्वबैंक के [illegible] गिरवी होते चले जा रहे हैं। किसी तरह से 40 परसेन्ट से ज्यादा जो कार्यालय हैं, उनमें और मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में पद रिक्त हैं। [illegible] स्टाफ की कमी है फील्ड स्टाफ में 4139 जे0ई0 के जगह 5238 कार्यरत हैं, 321 जे0ई0 विद्युत के हैं, जिसमें से 238 कार्यरत हैं। टेक्निकल जे0ई0 383 हैं जिनकी जगह 317 कार्यरत हैं। डिवीजन टूटते गये और जो फील्ड स्टाफ है वह घटता गया है, यही स्टाफ गुणवत्ता का निरीक्षण करता है और जब इसी की कमी आपके पास है, तो गुणवत्ता कैसे कायम रह पायेगी।

मुख्य अभियंता पद के लिये चयन हुआ जुलाई में और डी0पी0सी0 बैठी लेकिन आज तक पद रिक्त है। इसी बीच 6 के विरुद्ध 2 अधीक्षण अभियंताओं का चयन बहुत [illegible] हो गया लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। आज एक अधीक्षण अभियंता के पास कहीं मेरठ मंडल है तो दूसरी तरफ उसके पास पूर्वान्चल है तो वह कैसे अपना काम कर सकता है। चयनित अधीक्षण अभियंता बैठे हैं आपके पास योग्य अधिकारी होते हुये भी पद रिक्त हैं। डी0पी0सी0 के बाद उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गयी यह बताने का कष्ट करें। इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जब काम देखने वाले नहीं होंगे तो काम कौन देखेगा और गुणवत्ता कैसे नहीं प्रभावित होगी। सरकार पारदर्शिता की बात करती है। [illegible] हो रहा है कोई नहीं जानता। [illegible] पदों की सूची जारी हो जाती है और मुख्य

अभियंता को पता नही चलता है। मान्यवर, मैं भी बहुत दिनों से सदन की सेवा कर रहा हूँ। आप भी 1974 से सदन में हैं, और मैं भी 1977 से आ रहा हूँ।

मान्यवर, जो ई0एन0सी0 के कार्यालय हैं वह केवल डाकखाने की तरह कार्य कर रहे हैं। इनके पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। जे0ई0 तक का ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। प्रमुख सचिव का कहना है कि 90 प्रतिशत आदेश निर्गत हो जाते हैं तब मुझे ट्रान्सफर की सूची भेजी जाती है तब मुझे पता लगता है। मान्यवर, जिस विभाग में प्रमुख अभियन्ता की यह स्थिति हो वह उसमें कैसे कन्ट्रोल करेंगे, कैसे निरीक्षण होगा और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी। मैं खासतौर से जनतांत्रिक व्यवस्था का पक्षधर रहा हूँ और विकेन्द्रित व्यवस्था का पक्षधर रहा है। अगर एक जगह व्यवस्था केन्द्रित हो जायेगी तो फिर यह जो प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, अनुसचिव हैं इनके पास क्या काम रहेगा। आप अपने यहां एक अधिकारी की नियुक्ति कर लें और उसी से यह कार्य करवा लें इन अधिकारियों की क्या जरूरत है। इसी प्रकार से सड़कों की बात है, आपने सी0सी0एल जारी नहीं की। पिछले वित्तीय वर्ष की स्वीकृतियां 31 मार्च के बाद जारी हुयी और लैप्स हो गयीं। घोषणा तो आप कर देते हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में गांवों की सड़कों से जोड़ने के लिये धन का अभाव नहीं होगा लेकिन जो काम हो चुके हैं उनकी सी0सी0एल0 जारी नहीं हो रही है। जब यह स्थिति है तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। आपने सेतु निगम और निर्माण निगम के बारे में कहा है। आप इनको अच्छा समझ रहे हैं लेकिन आज जो स्थिति है कि निर्माण निगम 350 करोड़ रूपये के काम सालाना करता था इस साल 130 करोड़ रूपये का उसने काम किया है। सेतु निगम की बात आप कर रहे हैं। सेतु निगम जो काम करता है उसके लिये तीन महीने बाद रिवाइज्ड स्टीमेट आ जाता है और पुल बनते बनते 4 बार इस्टीमेट रिवाइज होता है ओर काम की लागत 2-3 गुने बढ़ जाती है। अभी सीतापुर में 56 मीटर स्पैन (लम्बाई) का एक पुल बनाने का टेंडर हुआ। 81 लाख रूपये का टेंडर हुआ। इस पुल को सेतु निगम ने 128 लाख रूपये में बनाया और 56 मीटर की जगह पर 48 मीटर स्पैन (लम्बाई) का बनाया। अब आप ही देखें कि सेतु निगम की क्या स्थिति है। इसी तरह से निर्माण निगम सरकारी कार्यो को अधिकतर करता है। निर्माण निगम में भी 4 बार इस्टीमेट रिवाइज होता है। आपकी मजबूरी है कि आपको उससे काम लेना है। 5-5 वर्ष बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं बिल्डिंग अधूरी रहती हैं लेकिन जिन अधिकारियों के कारण लागत बढ़ती हैं और कार्य अधूरा पड़ा रहता है उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है कि उन्होंने समय पर काम क्यों पूरा नहीं किया। क्या आपने उनको जवाब देह बनाया है कब तक सरकारी संरक्षण में निर्माण निगम और सेतु निगम की पीठ थपथपाते रहेंगे। इनको स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा में आने में कम से कम निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा न करा सकें तो सरकारी क्षेत्र में जितने तमाम कारपोरेशन हैं जो बिल्डिंग के निर्माण का काम करते हैं उन सबके बीच इनकी स्पर्धा हो जो सरकारी सहायता है वह जितनी सरकारी निर्माण इकाई हैं उनको मौका दिया जाए ओपन टेंडर डलवायें जाएं और जो लोवस्ट कास्ट हो उसी को कार्य दिया जाए अगर समय से कार्य न करें तो इसके लिए पेनाल्टी करें तभी पता चलेगा कि निगम की कार्य क्षमता क्या है। इतना बड़ा स्टाफ है ओवर हेड खर्च हैं अगर इनकी स्थिति यही रही तो घाटे में जाने से इनको कोई रोक नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान इस ओर जरूर जाएगा। कुम्भ मेले की बात कही गई कुम्भ मेले में शाल स्लीपर 4 करोड़ के खरीदे गए उसे उत्तर प्रदेश से वन निगम से नहीं खरीदा गया यहां से न खरीदते तो मध्य प्रदेश वन निगम से खरीद लेते लेकिन उसको प्राइवेट ठेकेदार कहाँ से सप्लाई करेंगे वन निगम से इसको क्यों नहीं लिया गया चार करोड़ की आपूर्ति निजी ठेकेदारों से कराई गई इसमें कही न कहीं जरूर ये प्रश्न चिन्ह लगता हैं। जहाँ तक गड्ढा मुक्त सड़कों की बात है आप ने जगह-जगह देखा होगा गड्ढा मुक्त पुस्ता युक्त रंगी पुती सड़के इसके लिए कौन सा मद दिया है। तमाम सड़कों के अगेंस्ट कहाँ पर एम0बी0 कराकर कहाँ करते हैं वर्क आर्डर किसी सड़क पर खर्च हो रहा है दूसरी सड़क पर। जिला योजना का उससे गड्ढा मुक्त बनाया जा रहा है। आपने कभी उसकी समीक्षा की जो कार्य राज्य योजना में स्वीकृत किया गया जिनकी पूरी धनराशि शासन द्वारा दी गई वह काम आज तक जो कार्य पूरा नहीं हुआ उस अधूरे कार्य का पूरा करने के लिए अतिरिक्त

धन जुटाना पड़ेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत हुई उसी वर्ष कार्य क्यों नहीं किया गया। जिला योजना का पैसा डायवर्ट हो रहा है गढ्ढा मुक्त सड़क करने पर। उससे पुख्ता हो रहा है इनका पुस्तायुक्त कागजों पर हो रहा है उसके लिए कहा से धनराशि थी। आपने कभी इस बात की समीक्षा की कि जिला योजना, राज्य योजना में जो कार्य स्वीकृत हुआ वह कार्य पूरे क्यों नहीं हुए अगर पूरा पैसा उनके लिए दे दिया गया और कार्य नहीं हुआ तो इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता जिनके यहां कार्य पूरा नहीं हुआ उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। उनकी देनदारी शासन पर क्यों बनी हुई है अगर किसी साल का काम स्वीकृत होता है और उसी वित्तीय वर्ष पूरा पैसा मिल जाता है तो कार्य क्यों पूरा नहीं हुआ। पूर्व में जो स्वीकृत कार्य हैं अगर वह पूरे हो जाएं तो काफी गांव जुड़ जाएंगे। इसमें प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरुरत है। जिस समय स्वीकृत कार्य व जो उसके लिए स्वीकृत धनराशि है वह कार्य पूरे हो जाएंगे तो आपका अधिभार कम हो जाएगा, जिम्मेदारी कम हो जाएगी। इन सड़कों के निर्माण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मास्टर प्लान एक जनपदवार तैयार करवाएं। व उसमें सड़कों की प्राथमिकता तय करें उसी के आधार पर आप सड़कों का निर्माण कराएं व इसकी फेजेस में बनवाएं होता यह है कि जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के दबाव में गैर जरूरी सड़के बन जाती और जरूरी सड़के अधूती रह जाती हैं तो आपको इसके लिए जिला स्तर पर मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि कम से कम लम्बाई में हम ज्यादा से ज्यादा गॉवों को जोड़ सकें। यहां पर मानक भी निर्धारित होना चाहिए कि जिस प्लान का काम है उसी में होना चाहिए इसके लिए आपको कार्ययोजना बनानी होगी अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरा निवेदन है मैं जानना चाहता हूँ कि जिन सड़कों का लक्ष्य आपने निर्धारित किया उनका कोई लेखाजोखा आपके पास है? कितना पैसा मुक्त हुआ कहॉ लगा कितना बचा और कब तक सड़क पूरी हो जायेगी? कुछ भी पैसा नहीं है। जिस तरह से बैंकों में एक एक व्यक्ति का खाता होता हे उसी तरह से जिला स्तर की या अन्य कोई भी योजनायें हो उनका लेखाजोखा होना चाहिए कि किस योजना के अंतर्गत कितना पैसा कहा से आया कितना खर्च हुआ कितना बचा और कितना कार्य पूरा हुआ। इसका डाकूमेन्टेशन रखने की शुरूआत करें आपकी बहत सी अनियमिततायें रूक जायेगी जो ठेकेदार इंजीनियर अपने मनमाने ढंग से कहीं का पैसा कहीं लगाते थे वह सब बन्द हो जायेगा। आपने कहा टेण्डर कराया है कीमत कम आई है शिड्यूल कम आया है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी सड़कों में बचत घोषित हुई है। चाहे जितनी बचत हो जाये लेकिन विभागीय अधिकारी बचत घोषित नहीं करते वे यह बचत का पैसा कही पैच तो कहीं गढ्ढा बताकर वहॉ लगा देते हैं लेकिन बचत घोषित नही करते यदि सड़क में जो बचत हो रही है उसकी सही मानीटरिंग होने लगे तो बहुत से गांवों को इसी बचत के पैसे से मुख्य मार्गो तक जोड़ा जा सकता है। आईएलएलीपी, एतअरावाय, जेआरवाय, इंटेंसिब एसआरवाय चाहे जो भी योजना हो किसी में आपको वास्तव में बचत मालूम हुई? क्या जितने भी डिवीजन है उनमें कितनी पैसे की बचत है और उस पैसे का क्या हुआ विभाग ने कभी मालू किया हे सारा पैसा विभागीय अधिकारियों के खाते में चला जाता है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है विकास की हमारे यहॉ बहुत सी संभावनायें हैं लेकिन हम हैं कि अभी तक 50 प्रतिशत सड़कों का निर्माण नहीं करा सके हैं। 10 लाख गॉवों को हम सड़कों से जोड़ना चाहते हैं इसके लिए आपको 10.5 लाख किलोमीटर अतिरिक्त सड़क की आवश्यकता होगी। यानी कि जितनी सड़के अब तक बन चुकी हैं उतनी ही सड़के और बनाई जॉय। हमे प्रदेश के हिसाब से हमारा पैसा मिलना चाहिए। आज राष्ट्रीय राज मार्गो में और प्रान्तों के मुकाबले राष्ट्रीय राज मार्गो का अनुपात बहुत कम है। हमारा प्रदेश क्या सबसे पिछड़ा है हमारे साथ ही यह सौतेलापन क्यों किया जाता है। एक लाख की आबादी पर पक्की सड़कों का रेशियों हैं 245 किलोमीटर जबकि उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर पक्की सड़कों का औसत है 32.5 किलामीटर। जरा देखिये कि नेशनल रेशियो 145 उत्तर पदेश का 82.5 जिसमें कि लोक निर्माण विभाग का मात्र 58.5 किलोमीटर का हिस्सा है। देश के पैमाने पर लोक निर्माण विभाग की सड़कें 84.3 किलोमीटर पर आती हैं। प्रति

हजार वर्गकिलोमीटर पर देश में 405.9 कि0मी0 पक्की सड़कें है और उत्तर प्रदेश में मान्यवर 423 कि0मी0 और पी0डब्लू0यू0डी0 की 300 कि0मी0 सड़क हैं लेकिन हमारे साथ ही लगातार यह अन्याय हो रहा है। इस विसंगति को दूर करने का काम आपको करना होगा। एक लाख की आबादी पर सड़क मार्ग से जोड़ने का जो अनुपात है उसके अनुसार आपको भी प्रयास करना चाहिए। इसके अनुरूप ही संसाधन भी मिलने चाहिए तब ही कुछ विकास हो सकता है इस प्रदेश का। आज प्रदेश में सड़कों में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राइडिंग सरफेस हो। जो मुख्य मार्ग हैं जब उन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क पर न चलकर पथरीले रास्ते पर चल रहे हों। गाड़ी कूदती चलती है। सड़कों की सरफेस ऐसी हो कि जिस पर सामान्य वाहन चल सके। ग्रामीण सड़कों की हालत तो बहुत खराब है। बनने के बाद ही तुरन्त उखड़नी शुरू हो जाती है। साल भर भी नहीं बीतता कि उनकी सरफेस बहुत खराब हो जाती है। मैं गुणवत्ता की बात नहीं करता। रोड राइडिंग सरफेस हो इस पर प्राथमिकता से देखना होगा। गुणवत्ता हो सुधारना होगा। ऋण लेकर 13 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं तो एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए सही कामों में। काम करते हुए जो भी सेविंग कर सकते हैं उसको अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगायें। कैसे हम लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

आज हमने जो आपसे अपेक्षा की 500 की आबादी के गांवों को जोड़ने की। आपने भी कहा कि हम गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। मान्यवर, क्या आपने कभी इसके लिये कोई वर्कशाप, कोई योजना बैठकर बनाई कि इतने को जोड़ने के लिये आपको कितनी सड़क की आवश्यकता होगी, कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? अपने संसाधन आप के क्या होंगे, कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। भारत सरकार आपको क्या उपलब्ध करायेगी। आप इतने संसाधन कैसे जुटा पायेंगे। यह सब स्थिति हमारे सामने आनी चाहिए। लक्ष्य के अनुरूप तैयारी न करके केवल अच्छी अच्छी घोषणाएं करके मैं समझता हूँ कि यह किसी भी लोक प्रिय सरकार के लिये अच्छी बात नहीं है। लोगों को दिन में सपने दिखाना, लुभावने वायदे करने से प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात पूरी आ गई है। अब समाप्त करें।

डा0 अशोक यादवेन्दु--

मान्यवर, बस मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि ये अनुभवी हैं, योग्य हैं, प्रदेश के सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक जीवन का लम्बा अनुभव है। कोई एक छाप छोड़ जायें, एक अंतिम वर्ष है आपकी सरकार का। इस वर्ष में कुछ ऐसा करके जायें कि प्रदेश की जनता अनुभव करे कि आपने कुछ काम किया है। एक और बड़ी चिन्ता की बात है। कहा गया कि सेन्ट्रलाइज सारी व्यवस्था है। आपके राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट और राज्य मंत्री के बीच में कोई सहमति नहीं। कोई उपयोगिता नहीं राज्य मंत्री की। उनको विभाग की कोई जानकारी नहीं। एक मामूली चपरासी के मामले में उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। इतने सारे विभाग आपने समेट कर रखे हैं। आप तो वैसे ही वरिष्ठ हैं, जो आपके साथी युवामित्र हैं उन्हें काम करने का मौका दें। पूरे प्रदेश का सारा बजट आपने अपने कंधों पर ले रखा है। यह कंधे कब तक इस बोझ को सहते रहेंगे। राज्य मंत्री को भी कहीं सहभागिता दें। अकेले अकेले ठीक नहीं होता। आपकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कुछ मार्गों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ इटावा फर्रुखाबाद मार्ग 105 किमी चलकर देखें कि सड़क की क्या स्थिति है। इटावा से मैनपुरी मार्ग 50 कि0मी0 लम्बा है। हालत यह है सड़कों की कि कोई गर्भवती महिला आय तो उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है उसका रास्ते में ही काम तमाम हो जायेगा। आपके यहां जाने वाला इलाहाबाद मिर्जापुर रोड 80 किमी लम्बा, उसकी स्थिति बहुत खराब है, भदोही सम्भलपुर गजरौलाप राष्ट्रीय मार्ग को चौड़ा करने का आश्वासन दिया था लेकिन

नहीं किया गया। सम्भल-जोया, सम्भल-मुरादाबाद मुख्य यातायात का मार्ग है, उसको चौड़ा करने का काम करें। इलाहाबाद-आजमगढ़ मार्ग है, हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूं वैसे वे स्वयं अपनी बात रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ और इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, मान्यवर, मैं कुछ मुख्य मुद्दों की तरफ माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से सदन में 2000-2001 की जिला योजना के संबंध में विधायकों के मन में अज्ञात भय है अगर इस भ्रम का निवारण मंत्री जी करेंगे तो शायद सदन को इस भय से मुक्ति मिल जाएगी अपने क्षेत्र के कार्यों के विषय में विश्वास जागृत होगा। मंत्री जी की मजबूरी समझ रहे हैं हमारा सौभाग्य है सदन में इस समय वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा लोक निर्माण विभाग इस सदन के प्रत्येक सदस्य और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के क्षेत्र और जनता से जुड़ा यह, विभाग है इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति दूरस्थ क्षेत्र तक देना है। कहां से बजट की व्यवस्था करें विधायकों के क्षेत्रों के कामों, विधायकों की इच्छा के अनुरूप स्वीकृतियां और लक्ष्य बन सकें इसको देखते हुए आप बजट व्यवस्था के बारे में पुन: विचार कर लें। मान्यवर इस सरकार के आने के बाद पारदर्शिता की दृष्टि से जो बात आई है। इसको मानते हुए, किसी जनपद में कोई काम लोक निर्माण विभाग का हो उसकी सूचना मंत्री जी के हस्ताक्षर से विधायकों के पास जाएगी विधायक से यह अपेक्षा की गई कि वह देखरेख करे और वापस सूचना दे। यह पारदर्शिता का अच्छा कदम है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।

मान्यवर मैं इस अवसर पर कुछ अपने क्षेत्र की विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ मान्यवर अगस्त 1999 से एक नाले पर पुल बनने का प्रकरण पी0डब्लू0डी0 में विचाराधीन है। 24.8.99 से लेकर 3.6.2000 तक 17 पत्रों की श्रंखला है आगणन पी0डब्लू0डी0 मुख्यालय में आ चुका है कभी नाबार्ड से होगा कभी केन्द्र से होगा यह कहा जाता है 12 लाख 48 हजार का आंगणन है। योजना के नाम से कुछ नहीं लेना है लेकिन इस पुल के लिए 12 लाख 48 हजार की स्वीकृति दे देंगे तो मेरठ की जल निकासी की समस्या का 60 प्रतिशत निदान हो जाएगा। दो तिहाई शहर जल भराव से मुक्ति पा जाएगा। यह आगणन विचाराधीन है आपके विभाग में। श्रीमन् हमारे यहां गढ़सोनीपत मार्ग है यह महानगर पर समाप्त हो जाता है और बागपत रोड से पुन: शुरु होता है गढ़सोनीपत मार्ग का लिंक पिछले तीन साल से आग्रह कर रहा हूँ तीन किलोमीटर बीच में मिसिंग है सड़क पर दिन भर ट्रक गुजरते है, कारण यह है कि नगर निगम तो अपने स्तर के अनुरुप सड़कों का निर्माण करता है, उस पर 24 घंटे लगातार ट्रक चलते हैं तो गढ़ सोनीपथ मार्ग पर मिसिंग लिंक को ले ले जिसका प्रस्ताव पी0डब्लू0डी0 के पास आया है तो, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको पी0डब्लयू0डी0 विभाग ले ले अथवा उसके निर्माण में प्रयास करे।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया संक्षिप्त करें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

एक बात और कहना चाहूँगा कि हापुड़ रेलवे योजना के अन्तर्गत जो फ्लाई ओवर बनना है 1-4-99 को गया है उससे एन0सी0आर0 विकास प्राधिकरण कालोनी औद्योगिक आस्थान और दिल्ली जाने में बचत होगी। एक बात और कहूँगा कि कम से कम वह शहरी विधायक जिनके क्षेत्र में मंत्री जी के विभाग की सड़के हैं लेकिन

जिला योजना से उन सड़कों के अनुरक्षण के लिए चौड़ीकरण के लिए, जल निकासी की व्यवस्था के लिए एक नया पैसा प्राप्त नहीं होता है कम से कम 19 ऐसे शहरी विधायक हैं। इनके क्षेत्र में पी0डब्ल0डी0 सड़को की जल निकासी, चौड़ीकरण, अनुरक्षण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। दीन दयाल योजना और श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है जबकि हम उनके वंशज कहलाये जाते हैं तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। बस दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, 18 किलोमीटर मेरठ और दिल्ली मार्ग, बाई पास का, चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। और एक नहर पटरी योजना सरकार ने बन्द कर दी है उसको चालू करने का निवेदन करना चाहता हूँ। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी और इस सदन में पिछले कई दिनों से इस पर चिन्ता भी व्यक्त की गयी थी कि 2000-2001 की जो जिला योजना की सड़के हैं उसके बारे में शंका व्यक्त की गयी थी तो उस अज्ञात शंका से मुक्ति दिलाये इसी आग्रह और विश्वास के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री सौलत अली एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे डा0 अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ। लोक निर्माण मंत्री बहुत वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं। कई बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक शिखर पर पहुचने से रह गये हैं, सब तरह से अनुभवी हैं उसी अनुभव के आधार पर गाँव के रहने वाले लोगों की नस को जानते हुए तरह-तरह के प्रलोभन दिये हैं। बहुत सी योजनाएं बता डालीं लेकिन क्रियान्वयन कितना होगा यह भविष्य पर छोड़ दिया गया है और डा0 बाजपेयी जी ने भविष्यवाणी कर दी है। उसी अनुभव के आधार पर माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के पत्र प्राप्त होते हैं जिसमें बड़े-बड़े स्लोगन और अच्छी रिपोर्ट होती हैं, मान्यवर, बड़ी उम्मीद बनती है पत्रों को पढ़ कर के। मंत्री जी ने मार्ग विकास नीति बनायी विवरण आया है अधूरी पड़ी सड़कों के लिए प्राविधान किया है इस मार्ग विकास नीति में कहीं रत्ती भर भी उसका उल्लेख नहीं है क्या योजना आपकी है पूरा कराने की कैसे जाने यह सदन और इस प्रदेश की जनता इसको कृपया अपने उत्तर भाषण में समझाने का प्रयास करें। मेरे क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा बनायी गयी कुछ सड़कें 20-20 साल से अधूरी पड़ी है जो गांव सड़क से सम्पर्क हो गया है उस गांव में सड़क नहीं बनेगी अब उस गांव का क्या कसूर, वहाँ के ग्रामवासियों का क्या कसूर अब 20 साल पहले उस गांव में एक सड़क बनी 3 किलोमीटर पेंटिंग करायी 2 किलोमीटर अभी मोटा पत्थर पड़ा है। मान्यवर, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से कोई गांव निकला वह उस गांव से छूती सड़क निकल रही है वह गांव पूरा हुआ मान लिया गया मान्यवर, 20 साल पुराना गांव वंचित पड़ा है। आपके विभाग का पैसा लगा हुआ है आपकी सम्पत्ति है ग्रामवासियों का क्या कसूर है प्राथमिकता के आधार पर आप से पूरा करा दें। आप कोई बजट बना लें उस वक्त की जो अधूरी सड़के हैं वह बर्बाद हो रही हैं पत्थर बिखर रहा है वह सड़कें अनुपिया का साधन बन गयी हैं। कृपया करके उनको पूरा करावें।

मान्यवर, मैं 4 सड़कों के नाम बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ अधूरी हैं गोट-सटूनगला 7 किलोमीटर की सड़क है, 3 किलामीटर पेंटिंग है 4 किलोमीटर मोटा पत्थर पड़ा है। दूसरी है, गोवन्दपुर खुर्द-सिरसखेड़ा-मूडापाण्डे इसमें 3 किलोमीटर पर पेंटिंग है 3 किलोमीटर पर मोटा पत्थर पड़ा लगभग 17 वर्ष से अधूरी है। तीसरी सड़क है, अक्का दिलारी-वीरपुर बरवार मार्ग इसमें 3 किलोमीटर पेंटिंग है और 3 किलोमीटर खडंजा बिछा पड़ा है वह 16-17 वर्ष पुरानी है और हमीरपुर आंवला घाट सकटूनगला, वह 7 किलोमीटर पेंटिंग है अधूरी पड़ी है, मोटा पत्थर पड़ा हुआ है 17 वर्ष पुरानी है। मान्यवर, किसी योजना में आपने प्राथमिकता दी होती। जनहित के बारे में सोचा होता। मान्यवर, आपने नाबार्ड का जिक्र किया कि 961 मार्ग स्वीकृत हुए हैं, 80 सेतुओं की स्वीकृति हुई वार्ता चल रही है तो आपके मानक क्या है किस आधार पर स्वीकृति हुई है। अभी डा0 अशोक

बाजपेयी जी ने सेंट्रलाइजेशन की बात कही कि पावर का सेंट्रलाइजेशन है लेकिन सिमटते-सिमटते वह आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है किसी और को मौका नहीं मिल पा रहा है आपके राज्य मंत्रियों तक को शिकायत है मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आपकी पावर कहीं नहीं चल रही है आपने उसे डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया है और अपने विधायकों के हाथों में सारे पावर सौंप दिये हैं। हमारे यहां जिला मुरादाबाद में डी0आर0डी0ए0 की बैठक होती है। अभी आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख किया है उसमें सारे प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं 5 करोड़ जिले का आता है वह स्वीकृति के बाद भेज देते हैं। लेकिन एक माननीय विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं नाराज होकर बैठक से चले आते हैं और सारे कार्य और योजना निरस्त कर दिये जाते हैं। क्या निर्णय लिया कैसे योजना परिवर्तित की गयी दोबारा प्रस्ताव हो जाने के बावजूद पक्ष और विपक्ष के किसी विधायक को न कुछ बताया गया, न पूछा गया न सहमति ली गयी और एक मीटिंग भी नहीं बुलायी गयी। ऐसा आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों है। अगर आपके यहा पावर है तो हम आप ही से विनती करते है। जो आप सत्ता का स्थानान्तरण कर रहे हैं कुछ हम लोगों की भी भागीदारी बनी रहे हम भी विधायक हैं। अभी आपने आगरा, अलीगढ़, बबराला चन्दौसी एन0एच0 मार्ग स्वीकृति किया है इसके लिए बधाई। आपने नहर पटरी योजना का जिक्र किया अन्धा बांटे रेवड़ी अपने-अपने को दे पहले वर्ष में 6 किलोमीटर का मुरादाबाद में प्रस्ताव मांगा गया और 4 किलोमीटर का दूसरी बार प्रस्ताव मांगा लेकिन 2 साल हो गये 10 किलोमीटर पटरी का काम पक्का हुआ है और आपके विधायकों से संबंधित उनके यहाँ हो गया तो क्या लाभ पहुँचा और वह योजना अब बन्द कर दी गयी जनता को फायदा नहीं पहुंचा आर0आई0डी0एफ0 में मैं नहीं जानता कि मानक क्या हैं। 1200 साढ़े बारह सौ सड़कें उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई हैं तो एक क्षेत्र में 3 के लगभग आती हैं। मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी चले गये आपने तो उनके आकड़ों को भी फेल कर दिया उन्होंने तो जिले को यूनिट माना था। हरदोई जिले को यूनिट मानकर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति की सुनिश्चित किया लेकिन आपने तो अपने क्षेत्र को ही यूनिट माना और अकेले आपके क्षेत्र में ही 46 सड़के बनाई जा रही है और भी इलाके हैं जो 5-5 नदियों से गुजरते हैं। आज भी 6-6 किलोमीटर कच्चे रास्ते में गॉव हैं। इस तरह से अगर बरताव होगा तो कैसे इंसाफ होगा, और भी क्षेत्र हैं। जिला योजना समाप्त कर ही दी आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री जिला ग्राम्य सड़क योजना में समाहित होगी, कैसे होगा कितना पेस देगें, कब पैसा होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा।

मान्यवर, सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त, 2000-2001 में राज्य मार्गो का नवीनीकरण 118 करोड़, जिला मार्गो का नवीनीकरण 200 करोड़, मुरादाबाद-टिहरी मार्ग डी0ए0 रोड काशीपुर। पहले नम्बर पर मुरादाबाद टिहरी मार्ग है इंटरस्टेट रोड 43 कि0मी0 में 36 कि0मी0 गड्ढा मुक्त किया है आपने। मान्यवर, मैं इसमें चैलेन्ज करता हूँ जाकर आज ही देख लीजिए 36 किमी में जो 47 किमी कुल लम्बाई है इसमें 5 किमी भी गड्ढामुक्त निकाल दे तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊँगा इस तरह का आंकड़ा आप देंगे। मान्यवर, 5 किमी भी गड्ढामुक्त नहीं है एक सड़क का जिक्र हुआ है चंदौसी अलीगढ़ आगरा मार्ग 11.4 किमी हण्ड्रेड परसेन्ट आपने दिखाया है आपके आंकड़ों में 18 कि0मी0 क्रोनिक है उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती जब तक पैसा न उपलब्ध हो जाय तो यह कैसे हण्ड्रेड परसेन्ट हो गया। इसी तरह से मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग है इसमें आपने 45.48 में से 41.58 गड्ढामुक्त दिखाता है, दलपतपुर अलीगंज मार्ग में 100 प्रतिशत गड्ढामुक्त दिखाया है। मुरादाबाद टिहरी मार्ग पर पुलिया टूटी है। मान्यवर नियम यह है कि अगर इण्टर स्टेट रोड पर पुलिया बनेगी तो पहले उसके लिए कोई बाईपास या बस ये बनायेगें तब काम शुरु करेगें आपके विभाग ने पूरी पुलिया तोड़ दी और कहा कि दलपत अलीगढ़ मार्ग से ट्रैफिक गुजरेगा 3 साल से उसकी पटरी बनने को है स्टेट सेक्टर को भेजा गया है कि इसकी पटरी चौड़ी कर दी जाय यह नहर की स्टेट सेक्टर को भेजा गया है कि इसकी पटरी चौड़ी कर दी जाय यह नहर की पटरी पर रोड बना हुआ है। यह अतिग्रस्त मार्ग है साइकिल से चलने लायक नहीं है आपका जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि उस पुलिया के टूट जाने की वजह से पूरा यातायात इसी मार्ग से होकर निकलता है इस मार्ग

की चौड़ाई भारी यातायात के लिए अपर्याप्त है जिसके कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मान्यवर, पैन्टून पुल जामा मस्जिद में बनाया गया 1991 में पहली बार केवल एक साल बना अगले साल से आपके अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि इसकी उगाही नहीं हो सकती है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है इसलिये पुल नहीं बनाया गया। आप जनता के हित को यह कहकर ठुकरायेंगे। आपके पास पूरा लेखा विभाग है, पुलिस प्रशासन है अगर इस आधर पर फैसले लिये जायेगें तो जनता का हित कैसे होगा। टेण्डर की बात की गयी। आपके प्रमुख अभियन्ता ने एक आदेश किया है अप्रैल के पहले हफ्ते में कि दो लाख से कम के टेण्डर को स्वीकृत करने का अधिकार इक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया है। अगर आपके आदेश हुए हैं और शासन का आदेश हुआ है 2 लाख से कम का टेण्डर स्वीकृत करने की पावर का तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपने नहीं दिया शासन ने नहीं दिया तो इन्होंने कैसे यह आदेश कर दिया कमीशन वसूली के लिए। और जहाँ जहाँ भेजना हो वहाँ भेजते रहें। इसके साथ ही मैं एक सुझाव देते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। मुरादाबाद नगर में नेशनल हाईवे पर काशीपुर तिराहा है, जहाँ पूरे कुमाऊं मंडल का ट्रैफिक आकर जुड़ता है, बिहार, बंगाल का ट्रैफिक भी आकर जुड़ता है, उसके आगे लखनऊ-दिल्ली रेलवे लाइन का क्रास पड़ता है, इस जगह पर 6-8, 10-10 घण्टे का जाम लगता है। माननीय कलराज मिश्र जी स्वयं एक बार वहाँ 4 घण्टे जाम में फँसे थे, वहां ओवर ब्रिज बनना है इस तरह की योजनाओं को हम प्राथमिकता पर लें तो जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार संभल रोड चौराहे पर ओवरहेड ब्रिज की नितान्त आवश्यकता है। यदि यह बन जाये तो वहाँ की जनता को कुछ राहत मिले। इसी प्रकार कपूर कम्पनी के पास ओवरहेड ब्रिज की जरूरत है लेकिन आप क्या बनवा रहे हैं, कहाँ बनवा रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को होती नहीं। आकड़े आ जाते हैं, लिखकर भी आप भेज देते हैं, सदन में भी घोषणा कर देते हैं। यदि आप इस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं तो आपकी सरकार जाने, आप जानें। जनता को अपना हिसाब लेना आता है और जनता आपसे हिसाब ले लेगी। मैं इन्हीं सुझावों के साथ, इस आशा के साथ कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे, डा0 वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात खत्म करता हूँ।

*श्री श्रीरामपाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया,इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। लोक निर्माण मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में तमाम आकड़ेबाजी का प्रदर्शन करते हुये, अपने बजट की सार्थकता सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन बजट भाषण और वास्तविकता में जमीन आसमान का अन्तर है। अभी लगातार 2 महीने तक प्रदेश का कामकाज ठप्प रहा और तमाम जिलों के निर्माण कार्य सड़कों के ठप्प रहे। जब पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों से पूछा कि कामकाज क्यों ठप्प है, तो अधिकारियों का कहना था कि हैदरगढ़ में माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, सब मैक्सफाल्ट, मिट्टी और सारा सामान हैदरगढ़ जा रहा है। मान्यवर, दो महीने सारा काम ठप्प रहा तो जब एक क्षेत्र विशेष के लिये 2-2 महीने काम ठप्प कर दिया जायेगा तो यह कल्पना करना कि प्रदेश के अन्य पिछड़े, दूर-दराज के क्षेत्र, गाँवों को जोड़ेंगे, यह कोरी कल्पना है। मैं कई बार आपके संज्ञान में लाकर अनुरोध कर चुका हूँ। माननीय मंत्री जी संभवत: हैं नहीं, मैं उन्हीं के सामने कहना चाहता था। हमारे बुन्देलखंड के जनपदों से प्रदेश को जितने राजस्व की आय बालू, मौरंग, पत्थर से होती है, यह सब बालू, मौरंग, पत्थर पूरे प्रदेश की सड़कों के लिये वहीं से भेजा जाता है। ऐसे जनपदों में सड़कों की दुर्दशा है, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में बजट का 1/4 तो क्या 1/10 अंश भी न लगाया जाय तो यह पूरे बुन्देलखंड के जनपदों के साथ नाइंसाफी है। कुछ दिन पहले लोक निर्माण मंत्री जी उरई, से झांसी जा रहे थे, कालपी के पास जोलूपुर मोड़ पर, बाबूराम कैबिनेट मंत्री जी तथा बी0जे0पी0 कार्यकर्ता इकट्ठे हुये थे, उन्होंने मंत्री जी को रोका और कहा कि कालपी-हमीरपुर मार्ग की दुदर्शा देख लीजिये और वह लोग जबरन माननीय मंत्री जी को एक किमी तक ले गये। माननीय मंत्री जी ने सड़क को देखा और स्वयं स्वीकार किया कि लगभग 10 साल से रोड़ की मरम्मत नहीं हुई है। तमाम गड्ढे हैं। मान्यवर, मंत्री जी आ गये हैं, मैं अपनी बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को दुहरा दे रहा हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो..... मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब आप उरई से होकर झाँसी जा रहे थे, आपने स्वयं देखा था।

श्री अधिष्ठाता--

आप पुनरावृत्ति न करें।

श्री श्रीरामपाल--

मान्यवर, काल्पी-हमीरपुर मार्ग की हालत आपने अपनी आँखों से देखी है। आपने अधिकारियों से इसके लिए कहा था कि इस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करें। मान्यवर, 764 का स्टीमेट बनकर शासन को प्राप्त हो गया है। मान्यवर, इसके अलावा यहाँ के जो खनन के क्षेत्र हैं यहाँ कदौरा से भेड़ी मार्ग, चेताला मार्ग, मरासन मार्ग जहाँ तमाम बालू खनन होता है, ये सारे मार्ग जर्जर हो गये हैं वहाँ मिट्टी खत्म हो चुकी है ऐसी सड़कों की मरम्मत आप करायें। यहाँ गिट्टी का नामोनिशान नहीं रह गया है, पूरी सड़क ध्वस्त हो गयी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट का सब्जबाग दिखाकर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसके अलावा बुन्देलखण्ड के जिलों में 15-20 साल पहले दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत तमाम गाँवों में सड़के बनायी गयीं थी, इन सड़कों का निर्माण केन्द्र सरकार की दस्यू उन्मूलन स्कीम के अन्तर्गत हुआ था, ये सड़के केवल सीलिंग स्तर की बनी हुई थी, आज वह ध्वस्त हो गयी हैं। आप नई सड़के बनाने की बात करते हैं लेकिन मान्यवर, 15-20 साल पहले जो सड़कें बनी थी उन्हीं की आप मरम्मत करा दें तो निश्चित रूप से तमाम बुन्देलखण्ड के गाँव जो बीहड़ क्षेत्र में हैं, वह जुड़ सकते हैं।

मान्यवर, एक अनुरोध और है। पिछले साल लोक निर्माण विभाग का जब बजट पेश हुआ था उस समय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में और किताब में इस चीज को उद्धरत किया था कि जिन क्षेत्रों में बालू और गिट्टी की खदानें हैं वहाँ की सड़के ध्वस्त होती रहती हैं, उनकी मरम्मत के लिए हम एक सड़क निधि की स्थापना करने जा रहे हैं। इस सड़क निधि की स्थापना हुई या नहीं लेकिन ऐसे क्षेत्र जो खनन के हैं जहाँ से करोड़ों रुपये की आय होती है वहाँ पर सड़क निधि या अन्य किसी तरह से व्यवस्था करके वहाँ के मार्गों की मरम्मत आप करायें और इसके साथ ही बुन्देलखण्ड के जिलों में एक ही रोना है, वहां के अधिकारी यही कहते हैं कि हमें मैक्सफाल्ट नहीं मिल रहा है, वह कहाँ जाता है। इस तरह के कार्य जो वहां लम्बित पड़े हैं, अधिकारी सिर्फ यह कहता है कि मैक्सफाल्ट नहीं मिल रहा है। एक अधिशासी अभियन्ता वहां थे, उसके तमाम भ्रष्टाचार के कारनामें थे, वह कोई काम करना ही नहीं चाहते थे तो बुन्देलखण्ड में ऐसे अधिकारियों की तैनाती क्यों की जाती है जो सड़क बनाने की जगह खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनपद जालौन-कालपी रोड है, कदौरा-भेड़ी मार्ग, चेताला मार्ग, जिनके लिए स्टीमेट प्राप्त हो गया है, उनके लिए धनराशि जरूर उपलब्ध करायें और डाकूग्रस्त क्षेत्रों में जो सड़के 15-20 साल पहले बनीं थीं उनकी मरम्मत करायें। इन शब्दों के साथ मैं डा0 बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे डाक्टर साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही माननीय मंत्री जी जनपद बहराइच गये थे। मंत्री जी से हम लोगों ने बहुत सी बातें की थी और जानकारियां दी थी। सम्भवत: वह वहां से आने के बाद लगता है कि वह उनके स्मरण में नहीं रह गया। इसके बाद फिर मंत्री जी का दौरा बहराइच में हुआ, आप वहां गये और एक अधूरी सड़क कोरसंडा लिंक मार्ग का लोकार्पण कर दिया। आप मेरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में गये थे, आप मुझे बताते, मैं भी आपका स्वागत करता। जो सुनहला पत्थर लगा था कम से कम उसे तो रहना चाहिए। वह 7 किलोमीटर का सड़क पास है और उसके लिए मैंने अपने विधायक निधि से पैसा दिया है, उसमें आपका पैसा नहीं लगा लेकिन उसमें आपने मेरे अधिकार का अतिक्रमण कर लिया। जो दो किलोमीटर सड़क बननी थी उसमें 500 मीटर सड़क अभी अधूरी है, आपने उसका भी लोकार्पण कर दिया। आपको अधिकारियों ने अंधेरे में रखा, आप अपने दल के लोगों से पूँछ लेते, जब यह सड़क आपके पैसे की बनी ही नहीं तो आपसे उसको कोई सरोकार नहीं था, आप अधिकारियों से जानकारी करिये, जिन अधिकारियों ने आपसे गलत काम कराया उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। एक जिम्मेदार मंत्री से अधूरे सड़क का लोकार्पण करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इतना ही नहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भगड्डवा सेतु सरयू नदी पर है जो गोण्डा और बहराइच के पचासों हजार लोगों को जोड़ती है आपसे पहले जो सरकार थी उसमें बेनी बाबू जी मंत्री थे उन्होंने दो करोड़ दिया। आपसे पहले वाले मंत्री श्री मिश्रा जी उसको बनवा रहे थे, पुल बनकर खड़ा हो गया, अभी उस पर छत पड़नी है परन्तु आपने वहां से सारा समान उठाना शुरु कर दिया है। यह भगड्डवा सेतु बहराइच के कैसरगंज विकास खण्ड में पड़ता है। आपसे बेहतर तो मैं मिश्रा जी को मानता हूँ, उन्होंने प्रदेश में कुछ कर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष में कोई अन्तर नहीं किया। अगर एक किमी सड़क सत्तापक्ष को दिया तो विपक्ष को भी आधा या एक किलोमीटर सड़क अवश्य दिया। आप उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। आप केवल अपने ही विधान सभा क्षेत्र का चिन्तन करते हैं। सत्ता पक्ष के लोग जो भा0ज0पा0 में हैं, उनकी भी चिन्ता नहीं करते। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि एक ऐसी सूचना आयी थी, माननीय मिश्र जी को कदैला लिंक मार्ग का लोकार्पण करने जाना था, वह साढ़े 3 किमी की पेन्टेड सड़क बननी थी लेकिन वह 3 किमी ही बनी, उन्होंने अधिकारियों को डॉटा और अधूरे सड़क का लोकार्पण करने नहीं गये। मान्यवर, आपने एक नहीं 3-3 मार्गो का लोकार्पण कर दिया और आपने यह भी घोषणा कर दी कि कुरसण्डा मार्ग को गोण्डा से जोड़ देंगे अर्थात 8 कि0मी0 सड़क और बनवा देंगे। 3 महीने हो गये, एक भी गिट्टी नहीं पड़ी, न कोई काम हो रहा है। मान्यवर मैं बताना चाहता हूँ कि जब माननीय मुलायम सिंह मुख्य मंत्री थे तो उनहोंने अधूरे काम को पूरा कराने के निर्देश दिये थे और वह पूरा हुआ था, लेकिन आप 45 लाख नहीं दे पाये। आपने संकीर्णता का परिचय दिया है। भग्गड्डवा सरजू सेतु का पुल बनाना है। आज बरूहा घाट, कैंसर गंज के पुल जोड़ना है। लकड़ी के पुल को नहीं बनवा सकते, कहाँ आप विकास का काम कर रहे है। लखनऊ से बरूहाघाट, बहराइच तक 5 पुल खराब है, साइनबोर्ड लगा हुआ है कि पुल खराब है, आप भी जा रहे हैं, धक्का खाते जा रहे, आ रहे हैं। बनाना नहीं है तो प्रस्ताव क्यों है। उसको बनवाया जाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब से आये हैं साइनबोर्ड लगा है, पुल खराब है, चिट्ठी भेजा करते हैं, चिट्ठी आयी है, सब के पास आती है। बड़ी खुशी की बात है कि अधिकारियों की चिट्ठी आयी है तो अच्छा काम करते हैं, कागजों से भेजकमर जोड़ना अच्छा नहीं। आपको 10 कदम आगे चलना चाहिए था, लेकिन आप तो 10 कदम पीछे चले गये। अपने विधान सभा में बलिया के अलावा किसी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। किसी विधायक के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, मंत्री के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, राज्य मंत्रियों ने धक्कापरेड किये हैं। मान्यवर, रेउढ़ा लिंक मार्ग है 3 किलोमीटर मार्ग स्वीकृत है, 2 किलोमीटर बन गया और अधूरा पड़ा है। जिन लोगों ने बनाया है 2 साल से भुगतान नहीं हुआ है। बदरौली लिंक मार्ग 4 किलोमीटर मार्ग था, 3 किलोमीटर बन चुका है 1 किलोमीटर बकाया है। 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। दीन दयाल उपाध्याय योजना में दीन दयाल के नाम से मंजूर कर दी, लेकिन आज उस महापुरुष को गड्ढे में धकेल रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों को बदनाम मत करो।

मान्यवर, 2 साल से इनका पैसा रुका है, नहीं मिला। बिलौरा लिंक मार्ग सड़क बन रही थी और वह अधूरी पड़ी है, पैसा नहीं मिला। घाघरा घाट से लेकर बहराइच तक 45 किलोमीटर सड़क की आपके विभाग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ारा मरम्मत हुई, गड्ढा मुक्त हुई और 45 लाख उनका बाकी है। इसलिए कि आपका बड़ा दफ्तर है वहां से पेमेंट हीं होने दिया जा रहा है। भुगतान नहीं करते है। ठेकेदार कमीशन नहीं दे रहा है इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। ान्यवर डेढ़ साल 45 लाख का भुगतान नहीं हो रहा है। आपकी नीति और नीयत सही होना चाहिए और आपको ाम करने होंगे।

मान्यवर, लकड़ी पुल के अभी भी हैं आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिये। इस [xxx] सरकार को चलाने । आपको अधिकार नहीं है। इतनी बेरहमी, बेदर्दी से सरकार को चलाने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं इसी साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ तथा कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

। बाल चन्द्र मिश्र--

मान्यवर, आपने लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने हेतु अनुमति दिया इसके लेए मैं आपका आभारी हूँ और मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूँ। मान्यवर, पूरे सदन के दोनों पक्ष इस बात से सहमत होंगे कि भ्रष्टाचार और विकास दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। भ्रष्टाचार होते हुए विकास की बधिया बैठायी जा रही है। मान्यवर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव की औपचारिकता के नाते उधर से आलोचना हो गई और उद्देश्य पूरा हो गया और यह कहा गया है कि विभाग के सम्पूर्ण बजट को काट करके धनराशि 1 रुपया कर दी जाये। मान्यवर, यह केवल औपचारिकता है। वास्तव में कटौती का प्रस्ताव उद्देश्य धनराशि 1 रूपया करना नहीं होता है और औपचारिकता पूरी हो गयी। अब तो कटौती का प्रस्ताव वापस हो जाना चाहिए। मान्यवर, सब प्रकार से यह अनुभव किया गया है कि यह सरकार भ्रष्टाचार की टांग तोड़ने के लिए कितनी कृतसंकल्प है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ लोक निर्माण विभाग ने कार्य पूर्ति निर्देशन पुस्तिका के शीर्षक प्रदेश के अन्तर्गत यह जो पुस्तिका है, इसमें कहा गया है कि मार्ग विकास आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितान्त आवश्यक है। जिस प्रकार से ज्यामिति का एक सिद्धान्त है कि त्रिभुज के तीनों अन्त: कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है, उसी प्रकार से देश के आर्थिक एव सामाजिक विकास के सडकों के विकास से सीधा जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, जो कहा गया है कि आज विकास की समस्या खड़ी हो गयी है तो अब तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तब तक उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचेगा। यदि किसी क्षेत्र का विकास नहीं किया गया तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहां का पीछड़ापन और पीछे ढकेलेगा। मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो बजट खा गया है यह नितान्त रूप ये आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मान्यवर, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए भी बजट में आरक्षण होना चाहिए मैं अत्यन्त विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँगा कि जिन क्षेत्रों में सड़कों का विकास नहीं किया गया है उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाय और लोकनिर्माण मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत जो मुख्य मार्ग हैं, जो नगरों को जोड़ते हैं और नगरीय सीमाओं से होकर निकलते हैं या उनका स्पर्श करते हैं, उनके लिए अब तक जो व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि पुराने ढंग से सड़कों का निर्माण किया गया तो जैसा कि अब तक होता आया है सड़कों के किनारे स्थायी रूप से जो अतिक्रमण हो जाते हैं वह होते रहेंगे और सड़क बनाने का लाभ नहीं मिल पायेगा, क्योंकि स्थायी अतिक्रमणों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। मेरा

(इस समय 5 बजे अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पुन: पीठासीन हुए)

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि यदि कहीं पर 50 मीटर की सड़क बनानी है तो बीच में उसको 7 मीटर का

नोट :-- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बना दिया जाता है और 43 मीटर स्थान की सड़कों के दोनों ओर खुला छोड़ दिया जाता है। इससे जो स्थान छोड़ा जाता है उस पर अतिक्रमण हो जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी सड़क बनायें तो यह व्यवस्था लागू करें कि जो 7 मीटर चौड़ी सड़क आपको बनानी है उस 2 लेन की सड़क को भवनों के किनारे दोनों तरफ एक एक लेन ही बनायें और बीच का स्थान खुला छोड़ें। क्योंकि होता यह है कि जब आप सड़क बीच में बनाते हैं और सड़क के दोनों किनारों पर जगह छोड़ते हैं तो सबसे पहले जो विद्युत विभाग के लोग हैं वह मैटल अंश के किनारे ही वहां सब स्टेशन बना देते हैं, वन विभाग लोक सड़क के मेटल रूट अंश के किनारे पेड़ लगा देते हैं और दूसरे विभागों के लोग अपना अपना काम सड़क के किनारे कर देते है। उसके बाद जो स्थान बचता है सड़क के किनारे वसने वाली आबादी उस पर अतिक्रमण कर लेती है और स्थायी निर्माण कर लेती है और इन अतिक्रमणों को हटाना संभव नहीं होता है। इसलिये मेरा कहना है कि सड़कें यदि 50 मीटर की चोटी बनानी है तो बीच में दो लेन के स्थान पर किनारे एक एक लेन काट दिये जायं और बीच में जगह छोड़ी जाय। बीच में जो जगह छूटे उसमें वन विभाग पेड़ लगायें, बिजली वाले बिजनी की लाइन डालें और अन्य विभाग अपना काम करें। बीच में जो जगह छोड़ी जाये उसमें जो पेड़ लगाये जायं वह व्यापारिक महत्व के हों ताकि जब वह पेड़ बड़े हों तो उनकी आय से सड़क की मरम्मत व निर्माण का काम होता है पेड़ बड़े होने तक उनमें फूलों की खेती की जाय यदि बीच में खुली जगह होगी तो वहां पर कोई अतिक्रमण करने नहीं जायगा। इस नयी परिकल्पना की मुख्यमार्गों पर लागू किया जाय। यह व्यवस्था प्रदूषण को दूर करेगी और सड़कों के बीच में हरित पट्टी होने से वायुमंडल स्वच्छ होगा। यह परिकल्पना अतिक्रमण विरोधी प्रदूषण विरोधी धन उत्पादक एव रोजगार परक है।

श्रीमन् कानपुर छतरपुर सागर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 86 नम्बर हो गया है वह कानपुर नगर नौबस्ता थाना तक 86 नम्बर राष्ट्रीय राजमार्ग आता है पिछले वर्ष इसी परिकल्पना के आधार पर जैसा कि मैंने अभी लोक निर्माण मंत्री जी से निवेदन किया है उसी परिकल्पना के आधार पर नौबस्ता थाने से पांडु नदी के किनारे तक के क्षेत्र के लिए सवा 19 करोड़ की कुछ लाख की योजना भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय को भेजी गई है शेष हिस्सा 9 करोड़ की लागत का उसी नौबस्ता थाने से जुड़ी नहरिया तक हमीरपुर रोड के निर्माण का नक्शा यहां आया हुआ है अगर आप यह नया कार्य शुरू करेंगे तो ऐतिहासिक कार्य शुरू करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण योजना आउटर रिंग रोड जी0टी0रोड सभा से आरम्भ होना हमीरपुर मार्ग पर विधूना से कोल्पीरोड पर सर्चेण्डी फिर जी0डी0रोड पर मधना को मिलेगी जो 91वां राजमार्ग होने जा रहा है इसकी घोषणा हुई है स्वीकृत हो गया है इसको मंघना के पास जोड़ रहे हैं जी0डी0रोड में। आउटर रिंग रोड व 10 ओबरब्रिज का निर्माण आप किसी योजना में चाहें नाबार्ड से पूरा कराएं लेकिन इसका निर्माण कराएं। एक अन्य कार्य नहर सेवा कार्यो का उल्लेख किया गया बहुत ही महत्वूपर्ण कार्य से साढ़े 14 कि0मी0 नहर है हमारे विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है उसके दोनों तरफ पटरियों को पक्का करने का आप आदेश दे देंगे इसका समायोजन कर लेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। दीन दयाल सम्पर्क योजना गांव के लिए है हमारे क्षेत्र में 80 गांव आते हैं लेकिन किसी गांव को इस योजना में नहीं लिया गया। श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना 1997 से शुरू हुई यह बजट भी आ रहा है इस योजना से भी हमारा क्षेत्र दूर रहा है इसलिए इस एयरकंडीशन हाल में भी मुझे तड़पन और उष्णता का अनुभव हो रहा है। यह नगरीय विकास योजना है लेकिन मेरे क्षेत्र को इससे दूर रखा गया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अशोक बाजपेई के द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूँ। मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था मुझे उम्मीद थी कि आप कोई नई घोषणा करेंगे कोई ठोस कदम उठाएंगे लेकिन यह उनके बजट भाषण में कदापि न देखने को मिला न सुनने को मिला मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस पारदर्शिता की बात कर रहे थे मंत्री जी पारदर्शिता ने भारतीय जनता पार्टी के [xxx] लेकिन सरकार मैं यह पारदर्शिता क्यों नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अंसारी जी जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके विषय में सदन में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, मैंने उनका नाम तो लिया नहीं। अब आप लोग कर रहे हैं तो [xxx] का नाम नहीं लिया।

श्री अधिष्ठाता-

आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं सदन की कुछ परम्परायें और मर्यादायें होती हैं उनका ध्यान रखें और यह सब मैं कार्यवाही से निकाले जाने का निर्देश देता हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मैंने कोई गलत बात नहीं कही वैसे मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा। जिले के अधिकारी कहते हैं जिला योजना समाप्त कर दी गई। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की कि जिन सड़कों का चयन करके हम सभी विधायकों ने दिया था वह जिलायोजना में आई या नहीं कब तक धन दिया जायगा। प्रधान मंत्री योजना से बनाई जायेंगी क्या? मुझे निश्चित रूप से जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का नाम प्रधानमंत्री योजना की सूची में नहीं रखा गया है। प्रदेश सरकार पैसा नहीं ले पाई फिर आप कहाँ से सड़के बनायेंगे? हम चाहेंगे कि मंत्री जी बतायें कि पिछले वर्ष की जो सड़कें बनाई गई थी जिनको एक वर्ष ही हुआ है सड़के पूरी नही बनाई गई अगर दो किलोमीटर निर्धारित थी तो एक किलोमीटर आठ सौ (800) मीटर बनाई गई वहाँ पूँछो तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे उच्चाधिकारियों से जाकर पूँछो कि उन्होंने उस बजट में कटौती क्यों कर दी जिसको हमने दिया था चीफ इंजीनियर से पूँछो। यह जनता को धोखा दिया जा रहा है। कौन सा यह मानक है कि एक कि0मी0 की जगह 900 मीटर सड़क बनाई जाय। यदि ऐसा है तो कितनी कटौती की धनराशि है उतने में ही दो किलोमीटर की सड़क बनाकर दें। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का नमूना और क्या दें? हम चोर पकड़ देते हैं फिर भी आप कहते हैं बतातें नहीं है हम लिखकर देते हैं प्रश्न करते हैं नियमों में बताते हैं कि फलाँ सड़क बनी थी कम बनी है टीएसी कमेटी जाती है आँख बन्द करके चली आती है आप कौन सी तरह की जांच चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ नोट कर ले सड़के इसी वर्ष बनी है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कहते हैं आप कि मानक बताइये। हम प्रश्न पूँछते हैं एक एक मिनट की कार्यवाही पर सदन का पैसा खर्च होता है तो प्रश्न पूँछने का मतलब सदन का समय बर्बाद करना नहीं होता बल्कि उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अन्धी सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिये सड़कें खराब हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आप कैसे चाहते हैं कि हम किस तरह से आपको भ्रष्टाचार के बारे में बतायें? क्या आपके चैम्बर में आपका हाथ पकड़कर लिपट जायं कि फलां सड़क चलकर देखिये खराब हो गई है। आमादा फौजदारी हो जाये कि यह विधायक कह रहे हैं हमारी सड़क खराब बनी

नोट : [xxx] मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है। कौन से तरीके से आपको बतायें। निराकल्लीपुर मुबारकपुर इसी वर्ष बनी। एक तरफ बन रही हैं, दूसरी तरफ गड्ढा है। यह गड्ढामुक्त योजना ही क्यों शुरू कर रहे हैं। जब गड्ढे बनेंगे नहीं तो इस गड्ढामुक्त योजना की आवश्यकता ही नहीं होगी। अकबरपुर ताल से कर सेडरा ब्लाक लेहसुर सीतापुर जनपद का है। 4 वर्ष हो गये हैं जिला योजना से पैसा दिया गया और जिला योजना में इसको पूरा दिया गया जबकि यह सड़क अभी तक पूरी नहीं बताई गई। अभी तक पूरा काम नहीं हुआ। बजीरपुर इटारी परसेंडी ब्लाक में यह जो वजीरपुर इटारी परसेंडी मार्ग पड़ता है सीर्फ पौने दो किमी0 ही बनाई गई। खैराबाद से बनैचामार्ग के लिये पैसा पूरा निकाल लिया गया। इसके अतिरक्त खैराबाद रिंग रोड पटरी पर बनाई गई है। मैंने लिखकर पिछले सत्र में 301 में लिखकर दिया था माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया कि टी0ए0सी0 से जांच करा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि आपने इसमें जांच कराई? कितने आदमी आपने निकाले इसमें दोषी पाते हुए और क्यों नहीं वह सड़क पूरी बनाई जा रही है। एक सड़क सिर्फ इनका ही विभाग नहीं बनाता है। तीन-तीन विभाग सड़कें बना रहे हैं। आर0ई0एस0, जिला पंचायत और पी0डब्ल्यू0डी0 भी वही सड़क बना रहा है और उसके बाद भी वह इतनी खराब क्यों बन रही है। तीनों विभाग सड़क बनाने के लिये धनराशि ले रहे हैं। मैंने लिखकर दिया। जिला पंचायत एक सडक को बना रहा है तो दूसरे सिरे से नाम लिखा है कि इसको पी0डब्ल्यू0डी0 बना रहा है। मान्यवर,इसको दिखवा लीजिये कि जिला पंचायत बना रही है कि कौन। जब एक सड़क को तीन विभाग बना रहे हैं तो इससे मजबूत सड़क और क्या बनेगी। दो-दो विभागों के एक सड़क को बनाने के बाद भी गड्ढे न खत्म हुए। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप चाहेंगे तो कुछ सुधार जरूर आयेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं क्योंकि लोक निर्माण विभाग में इतने सुराख हैं कि कौन से बन्द करें, किस पर हाथ लगायें। 4 बन्द करिये तो 6 खुले रह जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि यह ऊपर के निर्देश हैं कि इनकी न सुनें। अनसुनी कर दीजिये। आपका कोई मानक नहीं है। किसी सड़क पर कोई बचत नहीं। अभी कटौती के प्रस्ताव पर चुनौती के रूप में आपसे पूछा गया कि मान्यवर बताये कि किसी जनपद में जो इस्टीमेट बनाकर दिया जाता है, और उसका कौन सा हेड है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो सड़कों का पैसा जिला योजना में दे दिया गया है उससे पूरा कार्य नहीं कराया जा रहा है तो वहां पर कठोर और कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से बर्बाद न हो। आप कह रहे थे बड़ी शासन से कि हम ठेकदारों को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। रायफल लिये बगैर आपके यहाँ टैण्डर नहीं मिलता है। गोली न चलती हो, उसका मैं चैलेंज नहीं करता लेकिन टेण्डर नहीं मिलता है। गोली न चलती हो, उसका मैं चैलेंज नहीं करता लेकिन टेण्डर लेने के लिये जो रायफल, गाड़ियों और दल बल के साथ आता है उसी को टेण्डर मिलता है। आप कहते हैं कि टेण्डर प्राप्त करने के लिये आपने मानक बनाया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप जॉच करा लें जो ठेकेदार हैं उनको सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। उसके बाद जो काम होता है। किस तरह से गुण्डई हो रही है, इसकी जॉच करा लीजिये। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ। आप कम से कम जितने जोश-खोश के साथ यहां कह रहे थे, मंत्री जी अभी कह रहे थे कि इस काम को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है आप उसको पूरा करिए आप यह चिन्ता छोड़ दें कि धन कहां से लाएंगे आप अभी हमसे धन मांग रहे हैं 7 अरब (सात) और कितने करोड़ और कह रहे हैं कि धन कहां से आएंगे। आप भिखारी की हैसियत से हैं और हम दाता की हैसियत से खड़े हैं आप कहते हैं धन कहां से लाएंगे जिस तरह से हम धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसी तरह से इसका हिसाब भी लेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती सुमनलता सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि इनके विद्वान अधिकारियों ने जिस तरह से इस बजट को बनाया है बजट

नोट : [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

को प्रस्तुत किया है इसका मैं समर्थन करती हूँ। कुछ बातें इस आशंका से रखना चाहती हूँ कि- पिछले वर्ष 2000-2001 में स्टेट सेक्टर में 6 करोड़ रुपये का प्राविधान था लेकिन हम विधायकों को एक सड़क भी एक वर्ष में नहीं मिली। 6 करोड़ के लिए माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया कि राज्य सेक्टर का पैसा अधूरी सड़कों अधूरे पुलों के लिए आता है। उससे पूरे प्रदेश का विकास किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि 6 करोड़ में से 4 करोड़ रुपया एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाया गया, उसमें दो करोड़ बचा, उससे पूरे प्रदेश का विकास कैसे होगा। 46 सड़कों का पैसा एक क्षेत्र में चला गया। यही पैसा दो-दो किलोमीटर की सड़क कुछ विधायकों को दे दी जाती तो 22 क्षेत्रों का विकास संभव था। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ 80 लाख से एक करोड़ के लगभग रुपया नवीनीकरण में चला गया जिसको पूरे प्रदेश में जाना चाहिए था क्यों गड्ढा मुक्त सड़क सभी विधायकों के यहां हैं लेकिन एक विशेष क्षेत्र में पैसा चला गया, विकास पूरे प्रदेश का करना है। इसके अलावा आप बतायें जिला योजना खत्म कर दी गई। प्रधानमंत्री जिला योजना सड़क की बात कही गई एक हजार से कम आबादी जहां है पांच सौ से साढ़े सात सौ आबादी के गांव के बारे में कहा गया, नाबार्ड की बात कही गई नाबार्ड से सड़कें ली गई या नहीं शंका इस बात की है। बजट अच्छा है लेकिन क्या आने वाले समय में विधायकों की इच्छा के अनुरुप कार्य हो सकेगा शासन की मंशा के अनुरुप कार्य हो, पूरे प्रदेश का विकास हो संभव है? एक किलोमीटर, दो किलोमीटर सड़के विधायकों को मिल पाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। मेरे सनहा क्षेत्र में बरेली में बदायूँ मथुरा राज्य मार्ग है जिसकी हालत खराब है। एक किलोमीटर बरेली से बदायूँ में सही स्थिति में नहीं है। श्रीमान् बुखारा फरीदपुर मार्ग बदायूँ मथुरा राजमार्ग वहां से निकलता है जिसमें केन्द्रीय सड़क निधि में एक पत्र दिया और उसमें प्रस्ताव भी बरेली से मंगाया गया था जो कि एक वर्ष से लम्बित है अगर जनहित में इसको ले लिया गया होता तो जो ट्रैफिक बरेली की तरफ जाता है वह बुखारा-फरीदपुर-शाहजहाँपुर मार्ग में मिल जाता और बरेली का ट्रैफिक भी कम हो जाता। इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है और जो भी ऐसे गाँव हैं जो पुल न होने के कारण आबादी से कटते हैं तो मैंने दो लघु सेतुओं का प्रस्ताव भेजा है जो तीन वर्ष से लम्बित है। इसको जनहित मे देखते हुए इसका निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाय। मान्यवर, आपने मुख्य मार्गो को गढढा मुक्त करने की बात कही है। हमारे क्षेत्र में चार मुख्य मार्ग है जो नेशनल हाईवे से जुड़ते हैं लेकिन उसपर कार्यवाही नहीं हुई है जनहित में इन कार्यो को शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करती हूँ।

* श्री विनोदमणि-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे डा0 बाजपेई जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में तमाम नीतियों, तमाम सड़कों और तमाम रूपयों का जिक्र किया। मैं यह कहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने जो भी आंकड़े दिये हैं अपने भाषण में उसमें से 70 से 75 प्रतिशत निश्चित रूप से गलत हैं जिनका सत्यापन भौतिक रूप से किया जा सकता है। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि दीन दयाल योजना फेज-4 और 5 में जितनी सड़कें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी स्वीकृतियां जारी हुई हैं उन स्वीकृतियों के अनुरूप विभाग से धनों का आवंटन नहीं हुआ है और जिसका नतीजा फेज 4 और 5 की जितनी भी सड़कें भौतिक रूप से देखें पूरे उत्तर प्रदेश में जो दो किलोमीटर की हैं, तो वह एक किलोमीटर या 1200 मीटर ही बनी हैं। लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने आंकड़े में प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इतना निर्माण करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला योजनाओं की हालत इतनी खराब हैं कि जिला योजना में जो धन लोक निर्माण विभाग को 97-98, 98-99 और 99-2000 में दिया गया वह कार्य आज तक अपूर्ण हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा गोरखपुर-महराजगंज मार्ग में 97-98 का पूरा पैसा मिला उसके बाद भी उस वित्तीय वर्ष में सड़क नहीं बन पायी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसका कारण यह है कि रिवाइज्ड इस्टीमेट बनाकर सरकारी पैसों को लूटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में यही योजना बची हैं कि रिवाइज्ड इस्टीमेट बनाकर और धन लायें, फर्जी भुगतान कराया जाय। नहरों के बारे में यह कहा गया कि एक हजार किलोमीटर पिच कर दिया। लेकिन आधी सड़कें पेन्टिग स्तर तक नहीं पहुंची हैं। यह आंकड़े गलत हैं। माननीय मंत्री जी तमाम योजनाओं का जिक्र किये पूरा सदन और मैं भी सुन रहा था। लेकिन एक योजना ऐसी है, मंत्री जी के विभाग की, जिसका जिक्र नहीं किया गया है।

मान्यवर, वह योजना है अभियन्ताओं के स्थानान्तरण को उद्योग का दर्जा दे दिया है इस विभाग ने जब से यह विभाग आपके पास आया है अब मैं गुणवत्ता की बात करूँ आपने कहा कि यह कमेटी बना दी है तमाम जांच हो रही है इतने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है लेकिन कहीं सच्चाई नहीं है सच्चाई यह है कि 70 से 80 प्रतिशत सड़कें खुले आम मानकों के विपरीत आपके विभाग की बन रही है उदाहरण के तौर पर एक बारात में आप जा रहे थे गोरखपुर सोनाली सम्भवत: आप ससुराल जा रहे थे और फरेंदा में रूके थे पूर्व विधायक जी के यहाँ वहाँ आपसे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जिस सड़क पर आप खड़े हैं उसका रिन्यूवल आप देख लें आपने देखा भी होगा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई मा0 मुख्यमंत्री जी को 9-2-01 को पत्र लिखा था जिसमें हमने सड़कों के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया था वे सड़कें हैं- वन गढ़िया-सोनाबंदी मार्ग, बरगाहपुर-लिंक मार्ग, मनिछोड़ा-तालही मार्ग, महुआरी मार्ग, वनकटी-सेखु लिंक मार्ग और सोनाबंदी मार्ग मान्यवर, आप इन मार्गों की जांच करा लें। इन सड़कों पर टी0ए0सी0 की जॉच हुई। 2 सड़कों पर 2 साल पहले जॉच हुई महुआरी मार्ग और सोनाबंदी मार्ग लेकिन अभी तक अभियंताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हूई। आपकी नीयत भी नहीं है आप पत्र लिखते हैं कि माननीय विधायक जी अवगत करायें गलत कार्यो से तो हम कार्यवाही करेंगे तो आप निश्चित रूप से हमें बतायें कि इन सड़कों के मामले में जांच कर आपने क्या कार्यवाही की आपकी नीयति भ्रष्टाचार मिटाने की नहीं है अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहें तो हम आपके साथ हैं। यह कैसे मिटेगा जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में पी0 डब्लू0 डी0 और सिंचाई विभाग में यह चर्चा है जिस कार्य पर आप पैसा देंगे उस कार्य पर शासन पैसे की स्वीकृति तभी रिलीज करेगा जब आपके विभाग का अमुक इंजीनियर लेका देगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप जरा सड़क बता दें और हमारे रिश्तेदार के बारे में बता दें मान्यवर, जनरल बात कहना आपत्तिजनक है।

श्री विनोद मणि-

मैं लिखकर दे रहा हूँ आपको।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अगर आरोप लगाना है तो वहाँ लिखकर दे दें हमारा कोई रिश्तेदार ठेकेदारी नहीं करता।

श्री विनोद मणि-

मैंने जो यह 6 सड़कों का नाम लिया है इन पर स्वयं मंत्री जी जांच करा लें कि कौन ठेकेदार ने काम किया है। और सही बात को सदन में स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर आपकी भ्रष्टाचार रोकने की नीयत है तो हम भी आपके साथ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आप दे दीजिए विवाद क्यों कर रहे है, उसमें जांच हो जायेगी।

श्री विनोद मणि-

मंत्री जी कार्यवाही क्या करेंगे यह उन पर है अगर मैंने गलत बात कही है तो सूचित कर देंगे मैं सदन में माफी मांग लूँगा। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अब कुछ लिखा नहीं जायेगा आप बैठ जाय।

श्री विनोद मणि-

x x x x

मान्यवर, [अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे मैं अपनी बात कहूँगा।]

x x x x

इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट साहित्य समय से उपलब्ध न कराये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, कल चिकित्सा शिक्षा विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाना है इसमें दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बजट सत्र जब से प्रारम्भ हुआ है विभागीय अनुदान जब से शुरु हुए है तीसरी बार यह प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। आज साढ़े 5 बज रहे है 5.35 पर सुई है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय पर पटल पर साहित्य उपलब्ध नहीं है कल जो सदस्य आलोचना करना चाहते हैं या कटौती लाना चाहते है तो कैसे सम्भव हो सकेगा अगर सरकारी विभाग आपकी पीठ के निर्देशों की अवहेलना करेगा तो कैसे काम चलेगा इस समय तक चिकित्सा शिक्षा विभाग का साहित्य उपलब्ध नहीं है आप वित्त मंत्री जी से पूँछ लीजिए कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं नतीजा क्या होगा निराधार खड़े होकर अपनी बात कहें जैसा मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं तो काम चलने वाला नहीं है। कल यह रखा जायेगा या टाला जायेगा वित्त मंत्री से पूछ लें कल टालना है तो सूचित कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

पीठ से कई बार यह निर्देश आ चुके हैं कि समय पर बजट की प्रतियाँ साहित्य उपलब्ध हो जाने से सुविधा रहती है।

श्री अम्बिका चौधरी--

मान्यवर, कार्य संचालन नियमावली में 3 दिन पूर्व साहित्य दिये जाने का प्राविधान है इसमें स्पष्ट निर्देश है कि 3 दिन पूर्व साहित्य प्राप्त हो जाना चाहिए यह मैंडेटरी आर्डर है हम कोई सुविधा इस सरकार से नहीं लेना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जो परम्परायें रही हैं उसके अनुसार पहले मिल जाना उचित होगा। वित्त मंत्री कृपया इसको दिखवा लें कि अभी तक क्यों नहीं आया है और मंत्रि जी अपने वक्तव्य को लिखायें।

नोट:- [xxx] चिह्नित अंश अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरिश चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

मान्यवर, मैं दिखवा लेता हूँ शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगा, शिकायत नहीं रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)(क्रमागत)

श्री रामाधार सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। माननीय डा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, किसी भी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन के साधनों का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों का विकास तभी होगा जब आवागमन के साधन हों। ग्रामीण अंचलों का विकास भी तभी हो सकेगा जब आवागमन के साधन विकसित हों।

गड्ढा सड़क के संबंध में माननीय मंत्री जी का पत्र मेरे जिले की सड़कों के संबंध में मिला पत्र सं0 1173 दिनांक 21-3-2001 के पत्र में हमीरपुर-राठ राज मार्ग 42 वर्षो का भौतिक लक्ष्य 73-400 कि0मी0 का था जिसमें गड्ढामुक्त 30 कि0मी0 दिखाई गई है जबकि गढ्ढा युक्त 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। यह राजमार्ग है ग्राम पौथिना से लेकर हमीरपुर तक उखड़ी पड़ी है चलना मुश्किल है। मान्यवर, इसी प्रकार राठ-मझगवॉ सड़क है, जिसका लक्ष्य 17 कि0मी0 का था, लेकिन पूरा साल खत्म होने के बावजूद मात्र 2 कि0मी0 सड़क गड्ढामुक्त दिखाई गई है। तीसरी सड़क राठ-जमालपुर दी गई है, जिसमें लक्ष्य 37 कि0मी0 का था किन्तु गड्ढामुक्त मात्र 30 कि0मी0 दिखाया गया है जो कि सर्वथा गलत है। यदि रोड पर जाकर देखा जाय तो कहीं थोड़ा-बहुत गड्ढे भरे गये हैं। मैं इन सारी सड़कों की माननीय मंत्री जी आपसे जॉच की माँग करता हूँ। आपने अपने भाषण में कहा कि जो टूटी हुई सड़कें हैं, उसमें भी हमने बजट उपलब्ध कराया है। मैं अपने क्षेत्र की दो सड़कें ऐसी बता रहा हूँ जिन पर 15 साल से कोई काम नहीं हुआ है। पहली सड़क जराखर से बमरा रोड है जो 12 कि0मी0 लम्बी है, इसी प्रकार दूसरी सड़क धगवा से चन्दौल रोड है, जो 8 कि0मी0 लम्बी है। उन सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि व्यक्ति उस सड़क पर चलने वाले वाहन पर बैठना पसन्द नही करते बल्कि पैदल चलना पसन्द करते हैं। यदि इन सड़कों पर आपकी कृपा हो जाय तो आपका बड़ा आभारी रहूँगा।

मान्यवर, हमारे यहाँ कानपुर-सागर मार्ग नेशनल हाईवे हो गया है, इस रोड पर कवरई के पास 3 कि0मी0 पर सड़क उखड़ गई है। इसमें केन्द्र सरकार ने 2 करोड़ 70 लाख रुपया भी प्राप्त हो गया है, लेकिन काम शुरु नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर काम जल्द शुरु कराया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे मार्ग हैं, जो 3 साल से स्वीकृत हैं और अधूरे पड़े हैं, उनका बजट भी है, लेकिन विभाग की निष्क्रियता के कारण काम नहीं हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र के जलालपुर से कुचरा मार्ग, बसरिया से चन्डौट मार्ग तथा नहर की पटरी से हरसुन्डी मार्ग इटैलिया बाजा से इस्लामपुर मार्ग की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इनके काम को भी पूरा कराया जाय। लेकिन हमारे क्षेत्र के जो एक्स0सी0एन0 हैं, केशवदेव जी, वह 8 महीने से वहॉ आये हैं, लेकिन वह इतने निष्क्रिय हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, पूरा स्टाफ उनसे परेशान है। विभाग के लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं, सामान दिलवा दीजिये, हम काम पूरा करा दें। कई बार कहने के बावजूद भी उन एक्स0सी0एन0 के कानों पर जूँ नहीं रेगतीं। उनको आप वहॉ से हटा लें और कहीं फील्ड के बजाय किसी आफिस में तैनात कर दें, वह फील्ड के लायक नहीं है। यह मेरा आपसे विशेष अनुरोध है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सड़क पनवाड़ी-विलरायॉ मार्ग है, जो नेपाल सीमा तक गई है, यह सड़क मेरे

ही क्षेत्र से निकली है। मेरे क्षेत्र में रिहुँठाचौकी से माठ तक 22 किमी सिंगल रोड है, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क पर भारी लोडेड वाहन काफी बड़ी संख्या में चलते हैं, जब बरसात शुरु होती है, तब क्रासिंग में वह वाहन फँस जाते हैं और 10-15 दिन तक रोड पर जाम लगा रहता है। जाम लग जाने से 400-500 वाहन मार्ग बाधित होने से रोड पर ही खड़े रहते हैं। वहाँ जंगल में न खाने की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। इससे वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। रोड बाधित होने की वजह से क्षेत्र के वाहन भी मेन बाजार राठ तक नहीं पहुँच पाते हैं और क्षेत्रीय लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। मैं मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ, इस सड़क को चौड़ी करने की माँग करते हुये, माननीय बाजपेयी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती कृष्णा राज--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में इस बजट का समर्थन विपक्ष ने भी किया है, लेकिन बाजपेयी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका कारण यही है कि वह हस्तिनापुर से बंधे हैं। वरना पूरा प्रदेश इस सरकार के सराहनीय कार्यो का समर्थन कर रहा है। आप भलीभाँति जानते हैं कि इनकी भी अपनी मजबूरी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में मार्गो का जाल सा बिछा दिया गया है, सरकार ने इसके महत्ता को समझा, क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का विकास तभी संभव है, जब वहाँ यातायात का साधन सुगम हो। इसी के तहत केन्द्र सरकार ने भी और हमारी प्रदेश सरकार ने भी 2010 तक 500 की आबादी वाले गाँवों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने का फैसला किया है, मान्यवर, इस माननीय सदन के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगी अपने जनपद की कुछ समस्याओं के बारे में। मान्यवर, मेरा जनपद नदियों से घिरा होने के कारण वहाँ के सम्पर्क मार्ग जर्जर हो गये हैं इसलिए मैंने निवेदन किया है अपने अधिकारियों से भी और माननीय मंत्री जी से भी, मेरे ही जनपद में एक राष्ट्रीय महत्व का जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है उसको देखने के लिए पूरे भारत वर्ष से लोग आते हैं। उस पार्क तक पहुँचने के लिए किसी भी जनपद से किसी भी ओर से कोई अच्छा मार्ग नहीं है। जैसा सभी जानते हैं उत्तरांचल बनने के बाद हमारे जनपद में मात्र एक ही नेशनल पार्क रह गया है, इसकी महत्ता को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इस नेशनल पार्क के लिए शाहजहाँपुर जनपद से होकर भी और लखीमपुर जनपद से होकर भी अगर अच्छा मार्ग बनवा दें तो पूरा प्रदेश आपका आभारी होगा। मान्यवर, दूसरी समस्या हमारे यहाँ लखीमपुर में शाहजहाँपुर की है। मैंने कई बार अवगत कराया है, हमारे यहाँ एक छोटी काशी भी है, उसे गोला गोकरन नाथ के नाम से जाना जाता है। वहाँ की सड़क जर्जर हो गयी है, बहुत से दर्शनार्थी पद यात्रा करते हैं उसकी महत्ता को देखते हुए मैंने कई बार इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए निवेदन किया है और इसे राज्य सेक्टर में लेने के लिए भी कई बार अनुरोध किया है। आपकी कृपा से मार्ग स्वीकृत हो गया है, राजमार्ग में स्वीकृत हो गया है। अब मैं निवेदन करूंगी कि उसका धन भी देकर उसका निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ करा दें तो अच्छा होगा। मान्यवर, हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्ति के बारे में कई योजाएं बनायीं और पूरा भी किया लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगी, हमारे क्षेत्र में मैगलगंज एक मार्ग है जो सीतापुर मार्ग को जोड़ता है, 6 माह से वहां धूल-मिट्टी ही पड़ी हुई है, मान्यवर, मैं आग्रह करूंगी कि इस मार्ग का नवीनीकरण करा दें। इसके साथ मैं निवेदन करूंगी, मान्यवर, हमारे यहां जो गोमती पर सेतु निर्माण प्रारम्भ हुआ है जिसका बजट 1 करोड़ 40 लाख जा चुका है, इसके पूर्व भी 16 लाख सेंग्सन हुआ था लेकिन वह 16 लाख मान्यवर, पी0डब्ल्यू0डी0 ने किस जगह इस्तेमाल कर लिया है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और न किसी ने जानकारी देने की कोशिश ही की है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि हमारे इस पुल का बजट जो सेंशन किया गया था, वह कहाँ गया पुन: उसको उसी पुल के लिए दे दिया जाय। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए धन्यवाद देती हूँ और निवेदन करूंगी कि इस अच्छे बजट के लिए सभी

समर्थन करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामवीर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण विभाग के बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और खूबियां बिखेरी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है, वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जनपद फिरोजाबाद को विधान सभा क्षेत्र जसराना जो दो राष्ट्रीय मार्गो के मध्य हैं राष्ट्रीय मार्ग नं0 1 व 2 यह मार्ग जिले का प्रमुख मार्ग हैं और एटा शिकोहाबाद को जोड़ता हैं, पर खण्डीत पुल सैंक्शन किया गया था। आप सिंचाई विभाग के भी मंत्री हैं। कानपुर ब्रांच के जितने भी पुल हैं वह क्षतिग्रस्त हैं। आपकी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़क और भयमुक्त समाज। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह दोनों ही चीजें खोखली हैं। एक तरफ आप पुल को वर्षों से नहीं बनवा रहे हैं, अभी आपने राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित कर दिया है। एटा-शिकोहाबाद का यह पुल जो कई जिलों को जोड़ता है। इस पुल के टूटने से बहुत बड़ी असुविधा हो रही है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र के बहुत से ग्रामीण मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। जसराना से अवागढ़, शिकोहाबाद से मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद से वसुन्धरा आदि मार्ग है, वह गड्ढा मुक्त नहीं हैं और इन पर भारी वाहन चलने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कैलई पुल व गोपालपुर पुल जो बना हुआ है उसकी काफी दिनों से मरम्मत नहीं की गयी है। इस क्षेत्र में डकैत विचरण करते रहते हैं। गड्ढों के कारण उस पर सवारियां नहीं चलती हैं। आपका गड्ढामुक्त सड़क का दावा खोखला साबित हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दें। राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित होने के बावजूद जो पुल नहीं बनवाया जा रहा है, उसको बनवायें।.....

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री रामवीर सिंह--

मान्यवर, इसी प्रकार शिकोहाबाद-मुस्तफाबाद मार्ग पर वर्षो से गिट्टी व अन्य चीजें पड़ी हैं। मान्यवर, 97 से गिट्टी पड़ी हैं, यह 17 कि0मी0 लम्बा मार्ग है परन्तु मात्र 5 कि0मी0 सड़क डामर का हुआ है, 12 कि0मी0 सड़क अभी ऐसे ही पड़ा है जिस पर चलना दूभर हो रहा है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, वहां दस्यु घूमते हैं। जसराना विधान सभा क्षेत्र में जितने भी मार्ग हैं, उनका सर्वेक्षण कराकर उसका नवीनीकरण कराने का काम माननीय मंत्री जी करें।.....

श्री अधिष्ठाता--

आप अब समाप्त करें।

श्री रामवीर सिंह--

मान्यवर, हमारे क्षेत्र की जो अधूरी सड़कें है उनको पूरा कराने का काम करें और जो पुल टूट गया है जिससे जनता को बहुत असुविधा हो रही है। शीघ्र निर्माण कार्य करायें और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ तथा अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री जय प्रकाश निषाद--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गाँव का प्रदेश है। 80 प्रतिशत प्रदेश की जनता गाँवों में निवास करती है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिसने सम्पर्क मार्ग बनाकर गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य

किया है इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ। गाँव की जनता सम्पर्क मार्ग से ही किसान अपनी उपज को लेकर बाजार जाता है, विद्यार्थी अपने गाँव से विद्यालय जाता है, मजदूर जो मजदूरी के लिए बाजार तक पहुंचता है। पिछली सरकारों की वजह से सम्पर्क मार्ग नहीं जुड़े जिसकी वजह से गाँव के लोग उपेक्षित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क मार्ग से सम्पर्क मार्ग के तहत गाँवों को जोड़ने का अभियान चलाया। मान्यवर जो काम पिछली सरकारों में नहीं हो पाये थे हमारी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में वह काम हुआ। मान्यवर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य योजना के तहत 1996-97 में 961 गाँवों को, 1997-98 में 1206 गाँवों को, 1998-99 में 1863 गाँवों को, 99-2000 में 1001 गाँवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम किया गया। जिला योजना राज्य सेक्टर पूर्वांचल विकास निधि की योजना से गाँवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य हुआ।पिछले 50 साल को आप देखें, 3 साल के अन्दर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। राज्य सेक्टर योजना के तहत और आई0आर0डी0एफ0 योजना के तहत 3 साल के अन्दर 199 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है जो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ था। राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत कुल 10 लाख 5268 मार्ग हैं जिनमें से 2932 राष्ट्रीय मार्ग है सम्पर्क मार्ग 8315 हैं और राज्य मार्ग 8318 किलोमीटर जिला प्रमुख मार्ग हैं। इस तरह से इन सभी सड़कों को 3 साल के अन्दर सड़कों को गड्ढामुक्त करने का काम सरकार ने किया है। देवरिया से बनारस जाये, देवरिया से इलाहाबाद जाये, देवरिया से लखनऊ आये तो ड्राइवर कहता था कि रिंच और पेचकश मैं रख लूं न जाने कहाँ पर पहिया निकल कर बाहर चली जाये। 3 साल के अन्दर आज उत्तर प्रदेश के जिला मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय राज्य मार्ग है सुधारने का काम किया है। पूरे प्रदेश में आवागमन की अच्छी तरह से सुविधा सुलभ है। मान्यवर, आपके अन्दर कार्य करने की अपार प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी काम करने की आपके अन्दर अनुभव कम नहीं है। लेकिन मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हुं कि आप जो काम अधिकारियों द्वारा करवाते है, वह कार्य समय सीमा के अन्तर्गत हो रहा है या नहीं, ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो जो आपके मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता हैं, जो इस कार्य को देखने के लिए नियुक्त है उनको आपको यह निर्देश देना चाहिए कि वह, जो कार्य उन्हें सौंपा गया है व उसे ठीक ढंग से करवा रहे हैं या नहीं। इसका निरीक्षण आपको विधानसभा क्षेत्रवार जाकर करने का निर्देश देना चाहिए कि कितनी-कितनी सड़कें किस योजनान्तर्गत स्वीकृत हुई है, उनका कार्य निर्माण के मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका निरीक्षण उक्त अधिकारीगण प्रत्येक 2-3 माह में स्वयं जाकर करते हैं या नहीं इसके लिए आपको उन्हें यह निर्देशित करना चाहिए कि यह कार्य अविलम्ब होने चाहिए। आपको विधानसभा क्षेत्रों के जो जन प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ जाकर वहां सड़कों के जो कार्य चल रहें हैं उनका निरीक्षण करके उनकी समीक्षा करनी चाहिए। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं हैं कि जितनी सड़कों का निर्माण कराकर आपके द्वारा प्रदेश को प्रदान की गयी हैं उतनी सड़के और सुविधाएं अन्य किसी की सरकारों ने नहीं दिया है। इसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। लेकिन यदि आप इस पर अमल करेंगे तो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, वह भी अपनी जनसभाओं में यह कहेंगे कि आपने इस क्षेत्र में यह काम किया है, इससे जनमानस, आपकी छवि और भी सुधरेगी और आपकी सराहना होगी।

श्री वकार अहमद शाह--

मान्यवर, कृपा करके हमारी तरफ से जो लोग बैठे हुए हुए हैं उनमें से दो-दो आदमी बुलवा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था करना संभव नहीं।

श्री दद्दू प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी कहना चाहूंगा कि जो भी सड़क निर्माण के कार्य करायें जायें वह समय बद्धता को ध्यान में रखकर करवायें जायें, उनके निर्माण की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। जब बहन मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब सड़क निर्माण के सारे काम एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत हो जाते थे जो कि एक मिसाल है। आपको भी इस समय बद्धता का अनुपालन करना चाहिए।

अधिष्ठाता--

सभी माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से उनकी बातें आ जायें, इसलिए आप भी इधर-उधर की बातें न करके अपने क्षेत्र और विषय से संबंधित बात कहें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, [x x x x]

श्री अधिष्ठाता--

नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका यह आरोप बिल्कुल गलत है।

श्री दद्दू प्रसाद--

मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मजदूरों की होती है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा शोषण के शिकार हैं। इन मजदूरों को लोक निर्माण विभाग में मिनिमम बेजेज नहीं दिये जाते है। मैं समझता हूँ कि मिनिमम वेजेज 58 रुपये कर दिया गया है। इस विभाग में अगर एक महीना पहले लागू कर दिया गया है तो दूसरी बात है वरना एक महीने पहले मुझे जानकारी है कि यह लागू नहीं किये गये थे। मान्यवर, जो सड़कें पी0डब्लू0डी0 बनाती है उनका वह अनुरक्षण नहीं करती है। सड़कें बनाकर छोड़ दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में वह टूट जाती हैं। मेरे यहां मऊ बियावल सड़कें है यह 10 किलोमीटर 1998-99 में बनी लेकिन पी0डब्लू0डी0 अनुरक्षण नहीं कर रहा है और एक साल में ही वह सड़क उखड़ गयी है। इसी तरह से 1995 में झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर ग्राम छिवलहा में एक रपटा बनाया गया जो एक साल में टूट गया है उसकी जांच के लिए मैंने पत्र लिखा लेकिन जांच नहीं हुई मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बिलेज रोड बनाई जायें वह तीन कोट की बनायी जायें क्योंकि गांवों में भारी वाहन जाते है जिससे गांव की सड़के बनने के बाद टूट जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम विधायकगण जो प्रस्ताव सड़कों के देते हैं वह स्वीकार हो जाते हैं और बाद में दांवपेंच लग जाता है और उन सड़कों में डाईवर्जन कर दिया जाता है। इस डाईवर्जन को रोका जाय। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके स्तर से हम लोगों के पास प्रत्येक माह सूचना सड़कों के संबंध में आती है लेकिन जिला स्तर पर जिला के अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए ताकि क्या दिक्कते हैं उनका पता लग सके। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में भरुआ सुमेरपुर बांदा-ववेरू, राजापुर-मऊ मार्ग है, यह डिस्टिक्ट हाईवे है। हमारे यहां स्टेट हाईवे नहीं है, भरुआ सुमेरपुर, बांदा, बबेरु, राजापुर मऊ मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित करें जिससे हमीरपुर बांदा को अच्छी सड़क मिलेगी। हमीरपुर मार्ग बांदा-कपसा मार्ग की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है यह बांदा को जोड़ता है बहुत खराब है जिससे जनता को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसको दुरुस्त बनाने के लिए कार्यवाही की जाय। मान्यवर, रामवन पथगमन मार्ग, कौशाम्बी, चित्रकूट को जोड़ने वाला मार्ग है। यहां पर बालू का बहुत बड़ा कारोबार होता है जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, इस मार्ग की हालत बहुत खराब है। 10 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से भी वाहन नहीं चल सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्राथमिकता के

नोट : [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आधार पर इस मार्ग का सुधार कराया जाय। दीन दयाल योजना फेंज-5 और फेंज-6 में स्वीकृत हो चुकी है नाबार्ड द्वारा पैसा दे दिया गया वित्त विभाग द्वारा पैसा दे दिया गया मंत्रिपरिषद ने उसमें आगे रोक लगा रखी है वह पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है उस पैसे को रिलीज करवा दें। तारकोल की गुणवत्ता बहुत खराब हो रही है मैं अनुरोध करना चाहूँगा इसको दिखवा लें। विभाग में क्या होता है कि तारकोल के जो ड्रम होते हैं उसमें से तारकोल निकालने के लिए लकड़ी मिलती है लेकिन होता यह है कि उसी में से तारकोल जलाकर ड्रम से तारकोल निकाला जाता है इससे 30 प्रतिशत तारकोल कम हो जाता है इससे इसमें कमी हो जाती है और कम तारकोल पड़ पाता है। मान्यवर, इस समय परम्परा जैसी प्रचलित हो गई है कि सड़कों का जो भी काम होता है जो भी नई सड़क बनाई जाती है चाहे कच्ची हो या पक्की उसमें ट्रैक्टरों द्वारा काम होता है जो उसका इस्टीमेट बनता है इसमें लेबर की कास्ट दिखाई जाती है लेबर की कास्ट अधिक होती है ट्रैक्टरों द्वारा काम कराने पर खर्च कम होता है इसमें अधिकारीगण भी शामिल रहते हैं। मेरा कहना है अगर ट्रैक्टर द्वारा काम करवाया जाए तो ट्रैक्टर द्वारा ही काम होना दिखाया जाय उसी का रेट लगे अगर मजदूरों का रेट लगा हो तो मजदूरों द्वारा ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यह बजट लोक हितकारी बजट है, किसान हितकारी बजट है, गांव का विकास करने वाला बजट है। आवागमन की आवश्यक आवश्यकता पड़ती है। यह भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जो नीति नियोजन और नीयत साफ करके योजना बद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए सदस्य भी जब बाहर मिलते हैं तो कहते हैं कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है सम्पर्क मार्गो व अन्य मार्गो का काम काफी करवाया है। गांवों में भी यह चर्चा है कि यह पहली सरकार है जिसने ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण कराया है। 50-65 गांवों को चार वर्षो में एक विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गो से जोड़ने का काम किया है। नहरों के पिच करने की बात दो-दो, तीन-तीन 22-22, 25-25 किमी नहरों के पिच का कार्य एक विधान सभा में सरकार ने करवाया यह एक रिकार्ड है। इक्कीस करोड़ के विकास का कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ है यह चार वर्षो के अदर हुआ है। आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं चाहें तो जाँच भी करवा सकते हैं कि कार्य हुआ है कि नहीं। चाहे पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से सभी माध्यमों से सम्पर्क मार्गो का निर्माण कार्य करवाया गया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि गुणवत्ता और समय सीमा के बारे में जनप्रतिनिधियों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उस सम्बंध में अगर समय सीमा के अन्दर कोई कर्मचारी /अधिकारी कार्य न करें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। अन्यथा यह कर्मचारी/अधिकारी कहते हैं कि मंहगाई बढ़ गई इसलिए 2 कि0मी0 की जगह 1800 मी0 सड़क का निर्माण हो पा रहा है। मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कम्पियरगंज मार्ग पर नाबार्ड से पुल स्वीकृत हुआ है लेकिन वन विभाग अवरोध के कारण इसका निर्माण नहीं हो पर रहा है कृपया इस और ध्यान देकर पुल का निर्माण करा दिया जाय बॉसपार दद्दूपियरा मार्ग जो पॉच किलोमीटर का है 3 कि0मी0 पेन्ट है। 2 कि0मी0 पर हाफकोट गिट्टी पड़ा है पूर्ण कराने की कृपा करें। इसके साथ ही बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं आपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा। कप्तानगंज तस्परपुर मुहम्मदपुर मार्ग टूटा और क्षतिग्रस्त है इसको बनवा दिया जाय, निजामाबाद टोन्स नदी के पुल पर टैक्स लगता है यह सड़क बहुत खराब हालत हैं इसको भी ठीक करा दें। तहवरपुर बैरमपुर मार्ग जो 10 किलोमीटर का है तीन किलोमीटर उसमें बहुत खराब हैं, सोदीपुर मस्ल भट्टी मार्ग कटा और गड्डा युक्त हैं इसको ठीक कराने की कृपा करें। कप्तानगंज दुरवासा मार्ग जो आजमगढ़ के दुर्वासा ऋषि के नाम से है टोन्स नदी को जोड़ता है मा0 कलराज मिश्र जी के समय बजट स्वीकृत था लेकिन नहीं हो पाया थोड़ा निर्माण हो भी चुका है। पंडितायन की पुलिया से गाजीबाजार तक आठ किलोमीटर का मार्ग बहुत खराब हो गया है मैंने इसको कुछ बनवाया है अपने कोटे से कराया था या की होना है मेरा प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद भी बजट नहीं आया है। भवरनाथ तरूवरपुरम मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा सोफीपुर से ढढरी भवरनाथ तक बाकी है इसको ठीक कराया जाय। जो दीनदयाल उपाध्याय जिला योजना है 98-99,99-2000,2000-2001 इसमें जो भी प्रस्ताव यहाँ के लिए गये तो जरुर लेकिन सड़के शासन से स्वीकृत होकर अभी तक नहीं आई।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत पैसा है जो भी प्रस्ताव शासन को आया है तो उन मार्गों को बनवा दिया जाय। भवरनाथ तहवरपुर मार्ग से बसही जरमजेपुर मार्ग है जो दीन दयाल उपाध्याय योजना में स्वीकृत है। अगर उस पर अभी तक कार्य नहीं हो रहा है तुरन्त लेपन स्तर तक कार्य कराने की व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता-

मै आपको मना कर रहा हूँ और आप बोले जा रहे हैं। एक क्रम बना है उसी से मैं सबको बुला रहा हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठ जायं। यह लिखा नहीं जा रहा है। इतनी देर से मैं आग्रह कर रहा हूँ। कृपया बैठ जायं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[x x x x]

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कितनी देर हो गई है। अभी दो मदें और बाकी हैं।

नोट : [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह-)

मान्यवर, इसी के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दूसरा बजट है। उस पर भी माननीय सदस्यों की बहुत रूचि होगी। माननीय सदस्यों का दायित्व है खडे होने का आपका अपना दायित्व है संचालित करने का। इसलिए समय नियंत्रित करके इसकी व्यवस्था करवायें।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, यह बजट महत्वपूर्ण हैं। सरकार को चिन्ता थी कि और भी आगे के बजट महत्वूपर्ण हैं। सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको चिन्ता थी तो इतने महत्वपर्ण बजट एक साथ नहीं रखने चाहिए थे। जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनकी चिन्ता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को मंत्री जी के समक्ष रखें, इस तरह से कम समय में तो रख नहीं पायेंगे। इनको चाहिए था कि दोनों इतने महत्वपूर्ण बजट आज एक साथ नही रखने चाहिए थे। एक को आज स्थगित करना चाहिए था और दूसरे दिन रखना चाहिए था। इसलिये चूंकि यह महत्वपूर्ण बजट हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि लोक निर्माण विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

विभाग का बजट उसका समय, दिन माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुमोदन से तय होता है। इसलिये मैं कहूँगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठें। एक आग्रह है मेरा यदि सबकी सहमति हो तो। इस विषय पर अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिये केवल दो दो मिनट में अपने क्षेत्र की बात बोल लें।

श्री उदयराज यादव-

दो मिनट में क्या होगा।

श्री अधिष्ठाता-

ऐसा करते है कि तीन मिनट निश्चित कर देते हैं तीन मिनट में अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए और जब मैं आग्रह करूँगा तो तुरन्त समाप्त कर दीजिएगा।

मेजर जगतपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आंभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। यह बजट विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीणों के लिए और जनता के लिए बहुत लाभकारी है मुख्य उद्देश्य इस बजट का है कि हर गांव को सड़कों से जोड़ना, इस पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार द्वारा 3300 गांव सड़कों से जोड़ दिये गये हैं 30 जिला मार्ग को राज्य मार्ग से जोड़ा गया है 6 राज्य मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ा गया है। श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग योजना में 37 जनपदों में 55 मार्गो का सुधार कार्य स्वीकृत किया गया है। 8 हजार मार्गो का नवीनीकरण और 400 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार हुआ है। मुरादाबाद में दो हजार करोड़ की फारेन करेंसी जाती है जितनी इंडस्ट्री हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में लगने लगी हैं। सारी ब्रास इन्ड्रस्टीज गांव देहात में पहुँचने लगी है सड़कों के कारण देहातों में ब्रास का काम हो रहा है।

मान्यवर, एक बार विदेशी वायर, जनपद मुरादाबाद में आये और पायार ने ग्रामीण क्षेत्र में ब्रास इन्ड्रस्ट्रीज को देखने की इच्छा व्यक्त की। वह खुले वातावरण में इन्डस्ट्रीज देखकर प्रसन्न हुए और कहा "बी आर वेरी हैप्पी टू सी द रोड नेटवर्क इन विलेज एट मुरादाबाद। मान्यवर, हमारे जनपद के एक विधायक बोल रहे थे कि कोई काम क्षेत्र के नहीं हुआ है पैसा नहीं मिला है डी0आर0डी0ए0 की मीटिंग होती है तो पैसा बराबर बांटा जाता है विकास का कार्य बराबर किया जाता है सत्तापक्ष और विपक्ष में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। सांसद महोदय को डी0आर0डी0ए0 का पैसा नही दिया जाता है। मेरे क्षेत्र में 177 गांव हैं कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़कों से जुड़ा न हो। मात्र चार गांव बचे हैं पांच सौ से नीचे वाली आबादी के जो गांव है वह सड़कों से नहीं जुड़े है। मेरा क्षेत्र भी बाढ़ग्रस्त हैं मेरे गांव में भी बाढ़ आ सकती है परन्तु सड़कों का जाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी सम्पूर्ण हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

मेजर जगतपाल सिंह-

रामगंगा पर टूटा पुल योजना के लिए 25 लाख रूपया दिया गया था पुल तथा सड़क का विकास का कार्य पूरा हुआ है। गांव का जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उसको सड़कों से जोड़ दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

मेजर जगतपाल सिंह-

रामगंगा बेला नदी के बीच में कोई रोड़ पुलिया नहीं थी पूरे क्षेत्र में पुलिया बना दी गई है हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है जितनी सड़के मेरे क्षेत्र में खराब थी गड्ढे हो गये थे , वह गड़ढा मुक्त कर दी गई हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

मेजर जगतपाल सिंह-

मुरादाबाद में मा0 मंत्री जी के दौरे पर जाने के बाद माननीय मंत्री जी ने सडकों को मरम्मत करने के लिए आदेश दिया। मान्यवर, सड़कों के नवीनीकरण के लिए भी पैसा जल्दी भेज दिया जाय जिससे सड़कों का सुधार तेजी से हो सके। मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी के बजट की सराहना करते हुये बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, आपने मुझे डा0 अशोक बाजपेयी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, 1998-99 में जो जिला योजना स्वीकृत हुई थी फैक्टरी ऐरिया है तिल, बेगमपुर गॉव में 97-98 के ग्रामों को पूरा नहीं किया गया है जिसमें धन दे दिया गया, सरकार से धन चला गया लेकिन वह कार्य अधूरे पड़े हैं इसको दिखवा लें और इसकी जॉच करा लें। मान्यवर, नहर योजना 2001-2002 में समाप्त कर दी गयी है। लेकिन

सिकन्दराबाद क्षेत्र में बडौदा राजवाहे पर निदामपुर से मल्हपुर का पुल की सड़क स्वीकृत थी उसका लेपन नही हुआ है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना में आर0आई0डी0एफ0 3,4,5 में बैर बादशाहपुर से अरोंडामार्ग पर लेपन कार्य शेष है वह नहीं हो पाया है। सिकन्दराबाद जेवर मार्ग जो कि चालीस किलोमीटर लम्बा है वहॉ पर परमिट की बसें चलती हैं लेकिन वह चालीस किलोमीटर की दूरी चार घंटे में तय करती हैं। कहॉ सड़क शुरू हुई कहॉ समाप्त हो गयी इसका पता नहीं चलता है। इसको ठीक करवाया जाय। मान्यवर, मैंने अधिकारियों को फोटों और सारे नक्शे सम्मीट किये थे। प्रिसिपल सेक्रेन्ट्री से भी मिला था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कृपया उसको ठीक करा दें। टनकौर झातर मार्ग को अगर चौड़ीकरण करा दिया जाय तो दिल्ली की दूरी कम हो सकती है और इससे लोगों को फायदा होगा। एक सुझाव और देकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि 1990 में हनकौर महावली के घाट पर यमुना नदी पर ब्रिज स्वीकृत हुआ था परन्तु धनाभाव के कारण उसको निरस्त कर दिया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूँगा कि उसमें एक पैसा भी दिये बिना वह पुल बन सकता है। ग्रेटर नोयडा यमुना नदी पर पुल बनाने के लिए तैयार है। उसमें एक तिहाई धन हमारी सरकार का है एक तिहाई केन्द्र सरकार का और एक तिहाई हरियाणा सरकार का क्योंकि वह पुल हरियाणा उ0प्र0 को जोड़ता है। यह ब्रिज कारपोरेशन उत्तर प्रदेश पुल बनायेगा। जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश का है वह ग्रेटर नोयडा अथारिटी देने को तैयार है। अगर संस्तुति कर दें तो पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोयडा के चेयरमैन और अथरिटी सी0ओ0 भी इच्छुक हैं। क्योंकि आपके द्वारा पास किया गया है और चार हजार एकड़ जमीन ले रहे हैं, इण्टरनेशनल ऐयर पोर्ट वहॉ बन रहा है अगर यमुना नदी पर पुल नही बना तो एयरपोर्ट बनने से कोई फायदा नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ नहीं जाना है लेकिन इससे फायदा सब लोगों को मिलेगा। इन्हीं सुझावों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री कैलाश राजपूत-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे छोटे जनपद-कन्नौज में माननीय मंत्री जी की कृपा से 5 बड़े पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। काली नदी पर पुल का काम काफी हो चुका है हमारे यहॉ उर्मदा में पाण्डु नदी पर ओसरे घाट का पुल करीब प्रगति पर है। इसी तरह से ईशन नदी पर नेराधर पुल इस पर भी काम तेजी से हो रहा है। ईशन नदी पर घोबी घाट का पुल इसमें एप्रोच रोड पर कार्य होना है इसी तरह से सकयवों- काली नदी पर प्रतापपुर घाट यह भी कार्य प्रगति पर है। (व्यवधान)

.श्री अधिष्ठाता-

अभी हम मौका देंगे।

* श्री कैलाश राजपूत-

मान्यवर, मंत्री जी की कृपा से कई करोड़ रूपये हमारे छोटे जनपद को मिले हैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ मान्यवर, पिछले महीने की 10 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था मान्यवर शेर घाट पर जो पुल है उस पर एप्रोच रोड की बात थी। मान्यवर, जो वहॉ एप्रोच रोड बन रही है उसके बारे में कहना चाहूँगा जो 2 किलोमीटर रोड रह जाती है जो जिले के मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर जिला मुख्यालय से मिल जायेगी जो घाबी घाट का पुल हैं उसमें एप्रोच रोड बनती है मान्यवर मेरा विधान सभा क्षेत्र उर्मदा समूचे प्रदेश में पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं मैंने प्रार्थना-पत्र भी दिया था मेरे क्षेत्र में टुटी सड़कें हैं। मान्यवर, सेकतपुर हैसरेन सी0एस0बी0 है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाश राजपूत-

मान्यवर, हमारे यहां सारिषु, ईदरमढ़, तिर्वा सुर्सविमान जिला मुख्य मार्ग है इसी तरह से नादेमई हसरेन लगभग 10 कि0मी0 यह जिला मुख्य मार्ग है। हसरेन उर्मदा नहर की पटरी इन तमाम रोडों पर काम चल रहा है लेकिन यह रोड ताजे-अधूरे हैं पूरे नहीं बन पा रहे हैं इस तरह से खैरनगर रोड हैं। मान्यवर, आशा करता हूँ कि हमारे उर्मदा क्षेत्र का सर्वे करा लेंगे जो भी पूरे धन की आवश्यकता है वह दे देगे। मान्यवर, एक जिला मुख्य मार्ग नादमई ससरेन लगभग 10 किलोमीटर है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है उसको कृपया वरीयता से करा दें तो निश्चय ही यह लाभकारी होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे शेष काम आप पूरे करा देंगे मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

* श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, सरकार की प्राथमिकता से सड़कों के चौड़ीकरण की प्राथमिकता। मान्यवर, पीलीभीत, बहराइच मार्ग मान्यवर, यह सड़क काफी लम्बी है और जोड़ते हुए बस्ती तक आ गयी है। मान्यवर, जो लखनऊ गोरखपुर मार्ग है उसमें मिलाने में केवल 22 किलोमीटर रह गया है और 2 साल से बराबर प्रयास कर रहा हूँ और उसका जबाव मिलता है कि यह संसाधन के अभाव में पूरा नहीं हो सकता। मान्यवर, मानपुर मनेरी 22 किलोमीटर है जो आपका 10 हजार गांवों को जोड़ने का वादा करने वाली सरकार है वह 22 कि0मी0 का कार्य नहीं करा पा रही है मुझे सन्देह है कि जो कार्य हो रहा है उसमें मिट्टी इधर-उधर कर दी गयी है। (व्यवधान)

मान्यवर, जो लुम्बिनी दुद्धी मार्ग है इसमें पुल की प्राथमिकता है आपने 32 पुलों का दावा किया है जो यह लुम्बिनीदुद्धी मार्ग है यह प्रदेश का काफी बडा मार्ग है इसमें विदेशी आते हैं और लुम्बिनी तक जाते हैं और टांडा पुल पड़ता है यहाँ टांडा पुल की तमाम चर्चा होती है लेकिन आज तक टांडा वा पुल नही बन सकता है हम तो कहते हैं कि जो 45 पुल बनाने की बात करते हैं यह पुल हैं कि पुलिया हे आप जो टांडा का पुल है कार्य कराये चाहे प्रदेश की स्वीकृति से यह केन्द्र सरकार से करायें। मान्यवर, शिवाघाट मार्ग है 6 किलोमीटर खड़जा है इसमें जबाव आता है कि संसाधन का अभाव है। मान्यवर, इसको लेपन तक सरकार नहीं कर पायी है (व्यवधान)। मान्यवर, पीलीभीत बहराइच मार्ग और लुम्बिनी दुद्धी मार्ग का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। मान्यवर, बस्ती निर्माण खण्ड जो 2 हैं उसमें से एक को शिफ्ट करके महाराजगंज किया जा रहा है। बस्ती में 13 ब्लाक हैं जबकि सिद्धार्थनगर में भी 13 ब्लाक हैं। और मान्यवर, दोनों का एरिया बराबर है जनसंख्या बराबर है। मान्यवर, सिद्धार्थतगर में 3 खण्ड हैं अगर बस्ती के खण्ड को महाराजगंज से जायेंगे तो बस्ती का काम सफर करेगा। सिद्धार्थनगर में तीन खण्ड कार्य कर रहे हैं वहाँ से एक खण्ड ले जाना चाहिए। आपकी लाल बत्ती जल गयी है इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शिव सिंह चक-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो आज पीडब्लूडी का बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। श्रीमन् गाँव के विकास का, गॉव के किसान का, गरीबों का हित देखते हुए बजट को प्रस्तुत किया गया है। अगर गॉव का विकास नहीं होगा तो गॉव की समस्या का समाधान नहीं होगा, गॉव के लिए रास्ता नहीं होगा तो उसका विकास कैसे होगा। मान्यवर, मार्ग विकास नीति में जो एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गॉवों को सन् 2005 तक तथा शेष सभी गॉवों को 2010 तक सड़कों की जो योजना बनाई गयी है उसके लिए मंत्री जी बधाई के मात्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफी बड़ी संख्या में गड्ढा युक्त सड़के की गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलोमीटर को गड्ढामुक्त योजना में बहुत अच्छी तरह से गड्ढामुक्त किया गया है। माननीय मंत्री जी ने सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को एक एक पत्र लिखकर अवगत करा दिया था और उनसे सुझाव और शिकायतें मांगी गयी थी। श्रीमन् चौड़ीकरण के लिए यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गो के श्रेणी उच्चीकरण की सतत प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है वह एक अच्छा कदम है। मान्यवर, हमारे यहॉ एक बीआईपी सड़क है जिस समय मंत्री जी हमारे नगर में गये थे तो मैंने बताया था कानपुर से लेकर दिल्ली के बीच में एक टुण्डला रेलवे स्टेशन पड़ता है वहॉ पर पुल नहीं है यहॉ एक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाय ताकि वहॉ की जनता की समस्याओं का समाधान हो। टुण्डला आगरा से सीधा नहीं जुड़ा हुआ है अगर टुण्डला से आगरा जायेंगे तो मान्यवर, 35 कि0मी0 का चक्कर लगाना पड़ता है और अगर टुण्डला ब्लाक से गुजरेंगें तो 10 कि0मी0 में चले जायेंगें वहॉ यमुना में पुल बना दिया जाय तो जनता को लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बहुत तेजी से हुए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है।

मान्यवर, 2000-2001में प्रमुख जिला एवं अन्य जिला मार्गो को उच्चीकृत कर 32 नये राज्य मार्ग घोषित किये गये हैं। यह एक उपलब्धि हैं। इसी के साथ आज जो पीडब्लूडी का बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ।

श्री उदय राज यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम सह माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों ने बड़े अच्छे ढंग से कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार आई है गॉवों को सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से किया गया है।

मान्यवर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि 1996-97 से नावार्ड पोषित योजना का जिक्र किया गया है। मै याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप अपना उत्तर भाषण दें तो मुझे इस बारे में जरुर बतायें। क्या नावार्ड योजना में 1996-97 में जो धन आया था, जिन सड़कों का उसके लिये चयन किया गया था, क्या उन सभी को पूरा कर दिया गया है और अगर पूरा कर दिया गया है तो मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की सिर्फ एक सड़क का जिक्र करना चाहता हूँ, मौरॉवा गुरूवक्खगंज मार्ग से अहिसा मार्ग, जिसकी लम्बाई 8 कि0मी0 है, क्या इसे पूरा कर दिया गया है? यदि नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है, यह मैं आवसे जानना चाहता हूँ। आगे मैं कहना चाहता हूँ, पं0 दीनदयाल सम्पर्क मार्ग योजना 97-98 से शुरू हुई है और इस योजना के तहत 98-99 में जो मार्ग स्वीकृत हुए थे उसके सम्बन्ध में मैं आपको उन्नाव जनपद के बारे में अवश्य कहना चाहता हूँ मेरे जनपद की जितनी भी सड़कें 1998-99 में स्वीकृत हुई थी, आज तक वह एक भी सड़क पूरी नहीं हुई। कलराज मिश्र जी, जो पहले लोक निर्माण मंत्री थे, वह आज उपस्थित नहीं हैं, उनके द्वारा हमारे यहॉ सड़क का शिलान्यास किया गया था, मुझे दुख होता है, यह कहते हुये कि आज इतना समय बीतने के बाद उस सड़क के उद्घाटन करने का काम इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है। जो भी योजनायें आज चलाई जा रही है, वह पूरी नहीं होती, जबकि सदन में घोषणा कुछ और की जाती है। मैं विगत वर्ष की याद दिलाना चाहता हूँ। तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी ने घोषणा की भी कि एक हजार से अधिक आवादी वाले गॉवों को पेज-6 के अन्तर्गत जोड़ने का काम किया जायेगा, लेकिन वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जिला योजना को समाप्त करने का काम किया गया है। विधायकों के अधिकारों को कम करने का काम किया गया है। मैं केवल 1-2 सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं के अन्तर्गत चाहे वह नाबार्ड हो, पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत राज्य योजना हो, जिला योजना के अन्तर्गत विगत

5-6 वर्षों में जो मार्ग स्वीकृत हुये थे, वह अपूर्ण पड़े हुये हैं। मैं इतना जरुर आपसे चाहूँगा कि इन मार्गों को जरूर पूरा कराने का काम करें, भले ही उत्तर प्रदेश में एक साल तक स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत नई स्वीकृतियाँ न जारी करें। इस प्रदेश में तमाम ऐसे मार्ग हैं।

(किसी सदस्य का सेलुलर फोन बजने पर)

श्री अधिष्ठाता-

बार-बार निर्देश देने के बावजूद लोगों के सेलुलर फोन बज रहे हैं। यदि अब कोई सेलुलर बजे तो उसे तत्काल जब्त करें।

श्री उदयराज यादव-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि ऐसी सड़कों के मानक के अनुरूप न बने होने के कारण तमाम जनप्रतिनिधयों द्वारा लिखने-पढ़ने के बावजूद, अनुरोध करने के बाद भी जब जॉच कराई जाती है, टी0ए0सी0 से जॉच कराई जाती है तो 4-4, 5-5 वर्षों तक जॉच शासन को उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे न तो सड़के ही मानक के अनुरूप बन पाती हैं और न दोषी लोग दंडित ही हो जाते हैं। इस तरह की कमियों को विभाग से दूर करने का काम किया जाय। मैंने जो महसूस किया है कि विभाग में पिछले 2-4 वषे से जो पैसा आ रहा है, वह पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में खर्च हो रहा है फिजूलखर्ची में खर्च हो रहा है, इसलिये बराबर ऋण लिया जा रहा है। उससे अच्छा है कि ऋण न लिया जाय और इसी पैसे का सदुपयोग किया जाय। इसी के साथ मैं माननीय अशोक बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री केशो मेहरा-

मैं अधिष्ठाता जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आपने मुझे अपनी बात कहने, का अवसर दिया। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, वस्तुस्थिति यह है कि जो हमारे साथी विपक्ष में बैठे हैं, जब भी व्यक्तिगत वार्ता होती है, जितनी सड़कों का विकास इस शासन में हुआ है वह व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते हैं, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन यह उनका राजनीतिक धर्म है, कटौती का प्रस्ताव रखना और बजट की आलोचना करने की विवशता को मैं समझता हूँ। मंत्री जी ने पारदर्शिता के रूप में कौन सी सड़क गड्ढा मुक्त हुई और किस-किस किलोमीटर तक हुई है, उसके सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों को पत्र भेजे हैं और उनसे सुझाव भी मांगे हैं, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। अब मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव और वह भी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, सड़क हमारी ठीक रहे, अच्छी तरह से बनी रहे इस दृष्टिकोण से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो सड़क चाहे प्रान्तीय राजमार्ग हो, चाहे केन्द्रीय राजमार्ग हो या जिला मार्ग हो उनके दोनों ओर कूड़े के ढेर, गोबर के ढेर हम लोगों की आदतों के अनुरूप लगा दिए जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शासनादेश लाकर, जारी करके और विशेष रूप से चाहे अधिशासी अभियन्ता या सहायक अभियन्ता अथवा अवर अभियन्ता हो उनकी जिम्मेदारी हो कि वे इस बीच को देखें कूड़े आदि के ढेर न लगे और यह दण्डनीय अपराध घोषित हो क्योंकि इसके कारण हमारी सड़कें जलप्लावित होती है और सड़क जल्दी टूट जाती है। सड़क का जो तल है उससे ऊचे दोनों और चाहे दुकान हो या मकान बना लिए जाते हैं इसके कारण भी सड़के जलप्लावित होती हैं और स्वाभाविक रूप से उनके टूटने की स्थिति हो जाती है। इसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाय। चाहे प्रान्तीय राजमार्ग हो अथवा केन्द्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग अपने उत्तर में सामान्यत: यह कहता है कि सड़क के साथ नाली बनाना हमारा काम नहीं है, चाहे नगर पंचायत हो, नगरीय क्षेत्र हो यह उनका काम है। मैं मान लेता हूँ कि उनका काम है लेकिन माननीय अधिष्ठाता जी, यदि यह सड़कें लोक

निर्माण विभाग स्वयं बनाता है और बार-बार बनाने, उसकी मरम्मत करने में धनराशि खर्च होती है। यदि नाली बना दी जाय तो बार-बार जो धनराशि खर्च करनी पड़ती है वह बचेगी सड़कें नही टूटेगी यह मेरी अनुरोध है। मान्यवर, सड़कों पर अवरोधक और पट्टियाँ बनाने के कुछ नियम होंगे, कुछ सूची होगी, जिसकी जहाँ पर मर्जी हुई रोड गैंग से वहाँ पर गति अवरोधक बनवा लिया। सड़कों के किनारे लिखा होता है कि 220 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण न किया जाए, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मान्यवर, यह गति अवरोधक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। मान्यवर, गति अवरोधक और गति अवरोध पट्टियों के लिए भारतीय मानक संस्थान से मानक निर्धारित हैं, जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर यह बनाये जायें और जहाँ आवश्यक नहीं है उन्हें हटवा दिया जाए। मान्यवर, हाट मिक्स प्लांट से जो सड़के बनती हैं, उसमें पहले. कोट और दूसरे कोट के बाद सीलिंग कोट अनिवार्य है, लेकिन वह नही डाला जाता है, इससे सीपेज होता है और सड़क खराब होती है। रामबाग आगरा, से हाथरस जाने का मार्ग है मेरा अनुरोध है जहाँ प्रतिवर्ष सड़क जलप्लावित होती है वहां पर सीमेंट की सड़क बनायी जाए। पुलिया माल बंद को अतिशीघ्र बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी ओर कल के बाद आज निगाह पड़ी है। मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 जैसे महत्वूपर्ण निर्माण पर आपने, जो बाजपेयी जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, बोलने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।

मान्यवर, ज्यादा कुछ न कहकर अपने विधान सभा क्षेत्र तक की सीमित रहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे समय से बॉध दिया है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात बहुत कही जाती है। हमारे क्षेत्र का आजमगढ़ विलरियागंज मार्ग है वह श्रीनगर से विलरियागंज तक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उसकी हालत यह है कि उस सड़क पर 5 कि0मी0 की रफ्तार से भी गाड़ी नहीं ले जा सकते, उसको बनाने का काम नहीं किया गया। इसी तरह आजमगढ़-गोरखपुर पर हमारे विधान सभा श्रेत्र उकरोड़ा से लेकर जियनपुर की सड़क भी बहुत खराब है उस पर भी आप 8-10 किमी0 की रफ्तार से गाड़ी नही ले जा सकते। माम्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि परशुरामपुर-सरदहा-कुढ़ई मार्ग पर लेपन का काम हुआ था यह 11 कि0मी0 की सड़क है, अगर इसको बनवाने का काम नहीं किया गया तो इसकी सारी मिट्टी इस बरसात में उखड़ जायेगी और जो धन व्यय किया गया है उसका कोई लाभ नही मिलेगा। मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहूँगा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना का जिक्र बहुत जोर-शोर से किया गया परन्तु इस योजना के अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। आप लोग दीन दयाल उपाध्याय जी की नीति और सिद्धान्त की बात करते हैं लेकिन उस पर कायम रहने का काम नहीं करते। हमारे क्षेत्र में भी पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सड़कें स्वीकार करके भेजने का काम किया जाये। नहरों की पटरी को पक्का करने की बात कही गयी है। कहीं कहा जा रहा है 18 कि0मी0 नहर पटरी पक्की होगी, सत्तापक्ष के लोग 30 कि0मी0 की बात कर रहे हैं। मान्यवर, कपसा रजवहा जो 11 किमी0 का है उस पर 5 कि0मी0 का आगणन बनावाकर भेजा है जिसे सरकार ने मांगा था। यह आगणन बनकर तीसरे महीने में आ गया है और प्लानिंग के प्रमुख अभियंता के पास पडा हुआ है। इस पर सुवह से शाम तक रोजाना 5 हजार से ज्यादा लोग आते-जाते हैं। क्योंकि इस रोड़ पर एक डिग्री कालेज व तीन इण्टर कालेज लडके, लडकियों के पडते हैं और इन विद्यालयों के लिए एक ही मार्ग है परन्तु आज तक उसको बनाने का काम नही किया गया। मान्यवर, इसी पर महराजगंज ब्लाक पड़ता है परन्तु इसको बनवाने का काम नही हुआ और एक भी पैसा नही दिया गया। इसी तरह से सेहदा से लेकर आजमपुर मार्ग है उस पर 20-22 गॉव पड़ते हैं उसको बनवाने का काम नही किया गया। मडला गढ़वल बॉध यह 40 किलोमीटर

का मार्ग है, उसमें से 20 कि0मी0 मार्ग पक्का है और 20 किलोमीटर ऐसे ही पड़ा है अगर उसको जुड़वा दिया जाय तो अम्बेड़कर नगर से जुड़ जायेगा और गोरखपुर से जो आजमगढ़ होकर जाते हैं अगर यह बन जाय तो इससे लोगों को 25-30 कि0मी0 दूरी कम हो जायेगी। इसलिए इसको जुड़वाने का काम किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आपका आधा मिनट ज्यादा हो गया है।

श्री वसीम अहमद-

मान्यवर, डिप्टी की छावनी से लेकर परशुरामपुर मार्ग से जोड़ने का काम करें। इसी तरह से गोरिया सरहटा मार्ग को बनवाने का काम करें। बलिया से कल्यानपुर मुबारकपुर मांग पर टौंस नदी का पुल बनवाने का काम करें। ये सारे कार्य गरीबों, किसानों, मजदूरों और जनहित के लिए बहुत जरूरी हैं। माननीय मंत्री जी मैं चाहूँगा कि इसको बनवाने की तरफ ध्यान देने का काम करें।

श्री प्रेम स्वरूप पाठक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोक निर्माण जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण बजट पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूँ। प्रदेश के चहुमुँखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गो तथा पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग विकास नीति को घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार सन् 2010 तक सभी ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोडने की योजना है। मान्यवर, जबसे यह सरकार आयी है मैं अतिश्योक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, विकास की गंगा वहीं है।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग है बजट यह बोलते के लिये अवसर दिया। मैं बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, पूर प्रदेश का समग्र अपेक्षित विकास को करने के लिए अभी समय लगेगा क्योंकि अपने सीमित संसाधनों से जितना विकास किया जा रहा है वह सराहनीय है। इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव देना भी मेरा कर्तव्य है। जिस समय 1000 आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग बनाने की योजना बनी थी तब विधायकों से चार चार ग्राम मागे गये थे, मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें मेरा स्वीकृत ग्राम रौली में अबतक संपर्क मार्ग हेतु धन उपलब्ध नहीं कराया गया। मेरा अनुरोध है कि उसके लिये धन उपलब्ध कराया जाय।

इसी तरह बदांयू नगर में मुसलमान भाई उर्स में सम्मिलित होने के लिए पूरे भारत वर्ष से तीर्थ यात्री के रूप में आते है उस समय मुख्य मार्ग पर सोम नदी का पुल सकरा होने के कारण घंटों जाम लग जाता है यहां पर एक पुल का निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है मेरा सरकार से निवेदन है कि उस पुल का निर्माण कराया जाय बदांयू- फरुखाबाद रोड पर रेलवे लाइन सम्पार पर उपरिगामी सेतु का निर्माण सुनिश्चित करें। इस पुल की उस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, बदायूं नगर से सटी हुयी सोन नदी बहती है इस पर रपटा पुल बनना बहुत जरूरी है इसके बनाने से कुरूऊ आदि ग्रामों का आवागमन सुलभ हो जायेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री भगवती प्रसाद-

मान्यवर, आपने लोक निर्माण विभाग के बजट पर श्री अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी कई सदस्यों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों की उपलब्धियों के विषय में चर्चा की और सत्ता पक्ष के कई साथियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 4-4पुल बनाने की बात कही। मान्यवर, पिछला कार्यकाल नाइंसाफी का रहा है, लेकिन जब से लोक

निर्माण विभाग माननीय वर्तमान मंत्री जी के नेतृत्व में मिला है तब से पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का पत्र व्यवहार हो रहा है। इससे आशा की किरण जागी है। पक्ष-विपक्ष के आपूर्ति निधियों के साथ इंसाफी होगी। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र बिल्होर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ कानपुर जिले में कुछ क्षेत्रों में 500 आबादी के गॉव को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने का काम चल रहा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत से गॉव है जो डेढ़ हजार से 4 हजार की आबादी है, पक्की सड़क मार्गो से जोड़ने का काम अभी नहीं हो रहा है। जैसे-मिर्जापुर, लकुडिया मार्ग, मिर्जापुर- बकुठिया मार्ग शाहनपुर से गौरी मार्ग, असालतगंज से रजउ बरन्डापुरवा मार्ग, इन मार्गो का निर्माण कराया जाए। इसी तरह पूरानदिहां अधुरा मार्ग से सुक्खा नेवादा, मोहनीपुर अधूरा मार्ग इटैली अधूरा सम्पर्क मार्ग जात सिसाई, गम्भीरा, औरंगपुर महदेवा गॉव को जिनकी आबादी डेढ़ और 2 हजार से अधिक है, को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने का काम नहीं किया गया। ग्राम-मोहदीपुर ढलेलपुर गॉव को सड़कों से जोड़ा जाये मेरे क्षेत्र में सुक्खा निवादा कहारनघाट पर पाण्डे नदी पर पुल न बनाने के कारण क्षेत्रीय जनता को असुविधा के कारण धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है। इस पुल के न बनने के कारण जनता को 20 किलोमीटर का पक्का काटकर कानपुर आना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पुल का निर्माण कराया जाए। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तमाम ऐसे गॉव है जिनकी आबादी एक हजार से अधिक है, लेकिन उन गॉवों को सम्पर्क मार्गो से नहीं जोड़ा गया है जिससे जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरी मॉग है कि मेरे क्षेत्र के सभी गॉवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाय तथा मेरे यहॉ की जो सड़के खराब हो गई, टूट गई है उनका निर्माण कराया जाय इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया है। मान्यवर, हमारे विपक्ष के भाईयों ने कहा है कि सड़के नहीं बनाई जा रही हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश में किसी चीज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो वे सड़कें ही हैं। आप लोक निर्माण मंत्री जी के पास गये तो सड़क ले आये, कृषिमंत्री के पास गये तो मण्डी परिषद के जरिये सड़क ले आये, नगर विकास मंत्री के पास गये तो डूडा, सूडा से सड़क ले आये। पंचायतराज मंत्री के यहां गये तो वहां की हालत यह है कि कोरे कागज पे लिख दें सलाम बाबू, वो जान जाएगें पहचान जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है सड़कों की कमी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4 गांव ऐसे हैं जहां सड़क कच्ची हैं, और 10 गांव ऐसे हैं जहां पर खडन्जा की सड़के हैं, बाकी सब काली सड़के हैं। लेकिन विपक्ष भाई हर बात में रूठ जाते हैं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूँ, रूठना इनकी अदा हो गई है और मनाने की हमें आदत पड़ गई है। लोक निर्माण मंत्री जी आप मनाने पर इतने मजबूर क्यों हैं, जितना इस सरकार में काम हुआ है किसी सरकार में नहीं हुआ। बी0जे0पी0 की सरकार ने आपने देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार आज लोक निर्माण मंत्री जी के पास शिक्षा, सिचाई, सड़क विभाग हैं। अगर इनके साथ बिजली विभाग भी जुड़ जाये तो क्या कहने. किस्तों मेरे पैरों से घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख लें। फिर भी विपक्ष के लोग रो रहे हैं कि हमारे यहां काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, 403 विधायक हैं और 3300 गांव में सड़क बनाने की व्यवस्था की गई है इस तरह से हर विधायक के यहां 8 गांव में तो वैसे ही सड़क हो जायेंगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे बोल कोई सुन न लें। आज विधायक को 75 लाख मिल रहे हैं, विधान परिषद सदस्य को मिल रहे हैं, सांसद को मिल रहें हैं तो फिर सड़कों की कमी कहां है। मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन्हें तो रूठने की आदत है, हमें मनाने की, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जय भारत, नमस्कार।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस सरकार ने दलाल मुक्त थाने और भय मुक्त समाज का नारा

दिया है। लेकिन इन नारों की असलियत आज जनता जान चुकी है और इससे पूरा प्रदेश परिचित हो गया है इसी तरह गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा भी खोखला हो गया। मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि नगरपालिका परिषद गोलागोकरनाथ को विधायक निधि से 35 लाख रूपये आपके विभाग को सड़क निर्माण हेतु दिये थे। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को पत्र लिखा और उसका उत्तर न आने पर फिर लिखा कि पहला अवसर होगा जब विधायक निधि से आपके विभाग को पैसा दिया गया होगा किन्तु सड़क ऊँची है पटरी बहुत नीची है जिससे लोगों को खतरा पैदा हो गया है सड़क को एक-दो मील चौड़ा करने की मांग भी थी मगर इसके लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है कृपया बनवाने का कष्ट करें। अभी माननीया कृष्णा राज बोल रहीं थीं उन्होंने गोला-मोहन्दी, मोहन्दी-शाहजहांनपुर सड़क के बारे में जिक्र किया था। यह महत्वपूर्ण सड़क है इसके उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण की बहुत जरूरत है। गोला-मोहन्दी और मोहन्दी-शाहजहांपुर मार्ग को माननीय विधायिका कृष्णा राज का मैका और ससुराल मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग का सुधार होना जनहित में आवश्यक है। मान्यवर, गोला वाईपास महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिये भूमि का अधिग्रहण पी0डब्लू0डी0 द्वारा किया गया है और 25-30 लाख रूपये लग चुके हैं। मैंने इस संबंध में क्वेश्चन दिया था जिसका उत्तर आया कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है। इस कार्य को कराया जाना चाहिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, यहां पर गुणवत्ता की बात कही गयी है। हमारे यहां मझिगवां से धमहाघाट सड़क नावार्ड द्वारा बनवायी गयी थी इसकी जांच करवा लें तो जो आपका गुणवत्ता का नारा है पता चल जायेगा कि वह कितना सत्य है। मान्यवर मख्ता रगरी मार्ग, खीरी- मोहम्मदी मार्ग व धमहाघाट का पुल बनवाने का कष्ट करें। भमरी करदा मार्ग को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री अरविन्द गिरि-

इन्ही शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

*डा0 पूर्णमासी पंकज-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट में बोलने का अवसर दिया मैं मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ।

1. सड़कों का विछ रहा है पूरा जाल गांव में
है दूर हो रहा सब का मलाल गांव में
पगडंडियों पर चलना पहले बहुत कठिन था
अब तो लोगों की तेज हुई चाल गांव में

2. गांव गली कूंचे का रखा ध्यान बजट यह
जगमग बनायेगा सभी स्थान, बजट यह
हर गांव नगर की डगर बेहतर इधर, उधर

3. चार हजार किलोमीटर का नवीनीकरण होगा
छह सौ बीस किलोमीटर का चौड़ीकरण होगा
अधूरे छह हजार किलोमीटर पूर्ण कर रहे
तीन हजार तीन सौ गांव का तुष्टीकरण होगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना का विधान है
नगरों के मार्गों का हो रहा कल्याण है
पचपन किलोमीटर ऐसे सड़कों के लिए अब
इस योजना में दस करोड़ का प्राविधान है

5. सेतु निगम पुलों का करता तेज काम है
नदियों के पाट जुट रहे अब नगर ग्राम है
एक सौ बानवे पुल अब तक पूर्ण हो चुके
अधूरे पैतालिस पुल निर्माण शुरू सुबह शाम है

6. प्रधानमंत्री जी ने कृषकों को यह उपहार दिया है
सड़कों के लिए धन मानक अनुसार दिया है
एक हजार आबादी के गांव तीन तक श्रीमन्
बाकी दो हजार सात तक का विचार किया है।

7. ठीकेदारी से माफिया राज का हम अंत कर रहे
बक्शे न जा रहे जो है मनगढंत कर रहे
तीन सौ बहत्तर ठीकेदार ब्लैक लिस्ट किए गये
दोषी अधिकारियों को दंडित तुरन्त कर रहे

8. पांवों में लगता कीचड नहीं निकले जब घर से
आवागमन दुरूह न होगा अब नहर से
महराजपुर का मार्ग छुटा जो मेरे क्षेत्र में
जल्दी करा दे पूर्ण अनुरोध है श्री राकेश धर से

9. अधिकारियों की नाक में नकेल कीजिए
गुमराह करने वालों को भी जेज कीजिए
जिस मार्ग पर जो धन मिला उपयोग सही हो
घपला करने वालों के प्लान फेल कीजिए

10. पुल बन रहा हमारा इसका धन्यवाद है
पूरा नहीं हुआ अभी इसका अवसाद है
लोकार्पण होना था जून तक अभिया के पुल का
हैं भूल गये या अभी यह बात याद है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11. मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान हो रहा
शिकायत करने पर अधिकारी उतान हो रहा
इस पर कठोरता से रोक आप लगायें
जनपद में यह धंधा पूरा जवान हो रहा

12. आवागमन है कष्टकारक लग रहा बटोही को
दंडित करें आधा अधूरा निर्मित करने वाले द्रोही को
श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में मान्यवर
पचहत्तर लाख भेजा गया हे टाउन भदोही को

13. सरकार कृत सकंल्प है प्रदेश के विकास को
गड्ढा मुक्त मार्ग हुये देखे आस-पास को
कार्यो में पारदर्शिता का ध्यान दें रहे
धन्यवाद है श्रीमन् श्री ओम प्रकाश को

14. साथ में मिल कर प्रदेश का उत्थान कीजिए
करने क्या जा रहे है इसका ध्यान कीजिए
कटौती न करें बाजपेयी जी है आग्रह आप से
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए

इन्ही शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

चौधरी बाबूलाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे लोक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 से स्वीकृत जो काम है उनमें कोई काम आज तक पूरे नही कराए गए। मड़ौली मार्ग का शेष भाग कचौरा जूनियर हाई स्कूल से बबरौद मार्ग तक कचौरा मार्ग से बस्तई मार्ग सामरा ग्राम का खरंजा 500 मीटर, सिरौली मार्ग का शेष, भाग रूपमा कठवारी मार्ग यह काम पूरे नहीं कराए गए। यह महत्वपूर्ण सूचना है आगरा मथुरा रोड से भागरौल गूजर 3 कि0मी0 जिला योजना में यह स्वीकृत है मगर विभाग की उदासीनता के कारण सड़क नही बनाई गई है व इसी सड़क को दुबारा सांसद निधि में स्वीकृत कराकर, कार्य कराया जा रहा है। जो स्वीकृत धन जिला योजना का था वह कहां गया यह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस पैसे से हमारे प्रस्ताव लेकर अन्य कार्य करायेंगे हमारे यहाँ अधिशासी अभियन्ता श्री राजीव गर्ग, द्वारा करीब 2 करोड़ का फर्जी भुगतान करके घपला किया गया है उनके समय के कार्यो का टी0ए0सी0 द्वारा जांच कराएं जो भी दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करें। आगरा मार्ग मथुरा से किरावली मार्ग फतेहपुर सीकरी को जोड़ता है जो एतिहासिक नगरी है जिसकी लम्बाई 16 कि0मी0 है मार्ग जो है उसमें एक-एक फुट के गड्ढे हैं। तुरन्त पुन निर्माण करा दें।

यात्रियों के जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। इसकी मरम्मत कराने का कष्ट करें। कुछ मार्गों के बारे में मै जानकारी देकर अपनी बात समाप्त कर दूँगा। कागारौल फतेहपुर सीकरी मार्ग, दूरा से सरसा मार्ग और आगरा से अफोर मार्ग बहुत ही खराब स्थिति में हैं और मान्यवर खारी नदी पर जगारा गॉव पर पुल बनवाया जाय।

एक अधिशासी अभियन्ता राजीव गर्ग द्वारा दो करोड़ के घोटाले किये गये उसकी जांच कराई जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*डा0 रामसिंह-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने लोक निर्माण विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश में तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बहुत सराहनीय कार्य किए इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। सड़कों का जाल सा विछा दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में काली नदी का पुल नावार्ड की सहायता से बनाने की योजना करें, नीम नदी का पुल छर्रा हरदोई मार्ग पर बनवाया जाय, अवरौली कासगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाये जो 13 किलोमीटर लम्बी है, रामधार कासगंज मार्ग वाया साखरा 6 किमी0 रोड़ बहुत क्षतिग्रस्त है इसे 31.12.2000 तक गड्ढा मुक्त होने के आदेश दिये गये थे परन्तु अभी तक नहीं ठीक हुई है। अवरौली कासगंज गड्ढा मुक्त कराया जाय। इसी तरह से गंगोरी पनैठी मार्ग, नरोला वरथा मार्ग को भी गड्ढा मुक्त कराया जाय। डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना में जिसमें एक करोड़ 54 हजार स्वीकृत हुए जिसमें अधिशासी अभियन्ता ने 61 प्रतिशत पैसा लगाकर शेष वापस कर दिया कृपया इसका अधूरा पड़ा कार्य पूरा कराया जाय। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मंत्री ती को बधाई देता हूँ।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

मान्यवर, डा0 बाजपेयी जी के कटौती के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी अभी कविता मैंने सुनी। कवि लोगों को मैंने सुना। आपने कवियों की बात सुनी। बड़ी अच्छी कविता की गई, लेकिन मैं सरकार का रोडों की बात सुनना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आपने कहा कि दीन दयाल जी के नाम पर योजना में एक से पांच फेज में सड़कों को बनवाने का काम किया है और गांव को जोड़ा मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चौथा और पांचवा फेज का काम यहां चला गया? आपकी हंसी कहां है चौथे और पांचवें फेज का काम हमारे यहां बाकी है। पैसा पता नहीं गया कि नहीं। अम्बेडकर गांव की सड़कों का काम अभी भी अधूरा पड़ा है। यह तीन-चार साल से अम्बेडकर गांव की सड़कों का काम छूटा पड़ा है। इसी तरह से हर योजना में जिसमें सड़क बननी होती है, मिट्टी रोड पर पसार कर छोड़ दी जाती है। मैं सत्ता को सही बात बताना चाहता हूँ सही बात नहीं बताने से सत्ता खटाई में पड़ जायेगी। हमारे जिले के विधायक जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने लेकिन यह नहीं कहा कि जिला योजना बैठक में जब मंत्री जी गये थे तो सबके सामने कहा था कि यह सड़क मन्जूर हो गई है और बाद में कहा कि मन्जूर नहीं हुई। मेरा विधान सभा क्षेत्र भाटपाररानी बिहार बौर्डर पर पड़ता है। यह कई नदियों से घिरा है, खड़ुवा, छोटी गण्डक, हाहानाला, स्याही, झरही। पांच भागों में हमारा क्षेत्र बंटा है। यदि काबुल घाट छोटी गंडक वे खड़ुवा नदी पर पुल बनाने के लिये माननीय कलराज मिश्र जी ने आश्वासन दिया था नावार्ड में भेजा था भाटपारानी नई तहसील बनी है यहां पर जाने के लिये 40 किमी0 की दूरी है। खड़ुवा नदी खेराट पर पुल न होने के कारण यह दूरी ज्यादा समय में तय करनी पड़ती है जिससे जनता को परेशानी होती है। जिले से हमारे यहां की दूरी 90 कि0मी0 है। गन्डक नदी शिवघाट पर पुल बनने से दूरी कम हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

योगेन्द्र जी, अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर-

कैसे समाप्त करें। मैं कभी नहीं बोलना समाप्त करूँगा। आज पहली बार लोग के बारे में बोल रहा हूँ। आपको सुनना होगा मेरी बात। मान्यवर, खड़ुवा गन्डक तथा नदी पर पुल बनाने के लिए माननीय कलराज जी ने दोनों जगह खैराट व शिवघाट पर नावार्ड में सेतु निगम से आश्वासन दिया था स्टीमेट बनवाकर भेजे थे। लेकिन मान्यवर, वह आज तक नही बना है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि उन दोनों पुलों को बनवाने का काम करें। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह जो लोगों ने चापलूसी करके आपको भ्रम में डाला है। आपके अधिकारी आपको बता देते हैं कि पैसा चला गया है जबकि अभी तक पैसा वहां नहीं गया है। पैसा दिया गया है योजना के अन्तर्गत लेकिन आपके अधिकारी काम नहीं करते हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिये जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलानी चाहिए लेकिन मीटिंग के डर से वे भागते हैं। मैं सही बात आपसे कह रहा हूँ। जो भी काम किया गया सब अधूरे पड़े हैं। लोग तो यही मानेंगे, हम भी यही कहेंगे कि सरकार ने पूरा पैसा नहीं दिया इसलिये सड़कें नही बन पाई। दोष आप पर जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां कोई डाक बंगला नहीं है, कोई अधिकारी इसलिए वहां नहीं जाता है। एक डाक बंगला भी वहां पर बनवाया जाये। इन्ही शब्दों के साथ मैं बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अभी समाजवादी पाटी के वसीम भाई मेरे जनपद के हैं बोल रहे थे उकौडा जीयसपुर सडक की बात थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ।

माननीय, मंत्री जी ने एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आजमगढ़ को जोड़ने वाली पांच सड़कें है इन पॉच सड़कों के संदर्भ में कहा गया था कि आजमगढ़ से दोहरी घाट और आजमगढ़ से फैजाबाद की सड़क, आजमगढ़ से गाजीपुर की सड़क, आजमगढ़ से वाराणसी की सड़क, आजमगढ़ से जौनपुर की जो सड़क थी इसके लिए धन दिया मैं मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। पूर्वांचल पिछड़ा क्षेत्र है इस पर आपकी कृपा दृष्टि है। मान्यवर, लालगंज क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने गत वर्ष में दो करोड़ रूपये सड़कों के रख-रखाव के लिए दिए हैं। अक्टूबर 1996 में जब मैं चुनाव जीतकर आया तो पहली बार जब जौनपुर से सुलतानपुर की जो सड़क है उसकी बहुत दुर्दशा थी। अब 1996 से रख-रखाव के कारण इतनी अच्छी हो गई है राष्ट्रीय राज्यमार्ग बहुत अच्छा है। हमारी सरकार ने जो राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं सुल्तानपुर, जौनपुर वाराणसी मार्ग इसकी स्थिति बहुत अच्छी कर दी है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राज्य मार्ग, प्रान्तीय राष्ट्रीय मार्ग, एम0डी0आर0 के लिए विशेष चिन्ता की। ओ0डी0आर0 ग्रामीण मार्ग पर जितना धन दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया गया है। दो-तीन बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में एक सड़क है गिवली देवगांव मेहनाजपुर आढियार मार्ग पर जियापुर के पास वहां पुल है जो अत्यन्त जर्जर हो गया है उसे नया बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र सिंह-

दूसरा चिरकिहिर के पास वेसो नदी पर लकड़ी का अत्यन्त पुराना जर्जर कभी भी दुर्घटना हो सकती है पुल है नया पक्का पुल बनाया जाए। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भीमप्रसाद सोनकर-

मान्यवर, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने घोषणायें की हैं मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूँ चौड़ीकरण की बात है। अम्बेदकर नगर से बसखारी तक बसखारी से रामनगर तक रोड राजे सुल्तानपुर से महाराजगंज तक चौड़ीकरण नहीं कराया तो वहां दुर्घटना हो सकती है। बसखारी रोड सुल्तानपुर रोड से महाराजगंज तक चौड़ी कराई जाए। देवरिया से पकरिया पर पुल का निर्माण होना चाहिए पुल न होने से एक किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है। इसमें सवाल भी लगाया था लेकिन पुल का निर्माण न होने से जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय जनता को बहुत दिक्कत होती है। रामनगर मे बहुत दिन के बाद किसी तरह से पत्थर ईटें से सड़क का निर्माण हो रहा था लेकिन वह बहुत ही घटिया किस्म का है। जहांगीर गंज में बरसात का पानी भरा रहता है सड़कें खराब हैं मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ वह भी सड़क पत्थर ईटें से बनाई जाए। इसी तरह से ऐनवा से जोगीपुरा तक गिट्टी विछा दी गई है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री भीमप्रसाद सोनकर-

1997 की सड़क है और आज 2001 है। इसी तरह से नेवारी बकरापुर चौराहा मेल रोड से बड़ागांव तक पिच रोड बनवायी जाय।

श्री अधिष्ठाता-

इस तरह की जितनी और सड़कें है वह आप मंत्री जी को लिखकर दे दें। 35 सदस्य बोल चुके हैं। अभी आगे एक और बजट है उसमें आप लोग बोल लीजियेगा।

आचार्य राम देव वैश्य-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे पी0डब्ल्यू0डी0 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह जनचर्चा है कि जितने मार्गो का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उतना आजादी के बाद अन्य सरकारों के रहते नहीं हो पाया है। माननीय, विपक्ष के सदस्य जो भी आलोचना कर रहे हैं वे कटौती भी रख रहे हैं तो आलोचना के लिए ही रख रहे हैं लेकिन मन में बात उनके भी आती है सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सड़कों का निर्माण हुआ है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने विकास के लिए योजनाएं रखी हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र की दो विशेष समस्याएं हैं। मान्यवर, तराई का क्षेत्र है जो बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उन सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। एक सड़क सुजांनगंज-कैथी मार्ग मैं चाहूँगा कि इसको दिखवा लें इससे आधा हमारा विधान सभा क्षेत्र प्रभावित है। इसकी कई वर्षो से मरम्मत नहीं हुई है। एक गोमती नदी के पास गांव सभा हंसराजपुर है जिसकी चार हजार की आबादी है यह सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ा है। मैं चाहूँगा कि इसको जोड़ दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री राधेश्याम सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ। लोक निर्माण विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर जो डा0 अशोक बाजपेयी जी ने रखा है पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इसके साथ गांव का किसान जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में कहा करते हैं कि किसानों की प्राथमिकता पहले

से है। मैं अपने क्षेत्र की दो समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान्यवर, 1997-98 और 98-99 में जिला योजना, पंडित दीन दयाल योजना की जो सड़के स्वीकृत हो गयी थीं उसको गिट्टी बिछाकर छोड़ दिया है जिससे किसानों को अपना गन्ना ले जाने में कठिनाई हो रही है। यह सड़कें हैं रामकोला-मथौली पिच रोड से कुसमा-एक किलोमीटर, कप्तानगंज से रामकोला पिच रोड से परौरहा एक किमी0 रामकोला से पडरौना पिच रोड से पकड़ी बॉधर-दो किलोमीटर, कप्तानगंज से रामकोला पिच रोड से रामपुरबगहॉ-एक किलोमीटर, कप्तानगंज से सिकटा मार्ग से पिपरा-दो किलोमीटर, कप्तानगंज से पडतावल के मध्य कारी-दो-तीन किलोमीटर भटही से परेवाटार-2 किलोमीटर.....

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस पर काम शुरू करायेगे? मान्यवर, 6 मई को हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में मान्यवर, आये थे। मान्यवर, कप्तानगंज से हाटा तक 23 किलोमीटर तक सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा है और उस बात को स्वीकार भी किया है। मान्यवर, इसी तरीके से छोटी गण्डक में दुबौली व देवराड़ पिपरा-यह दो पुल का बनना बहुत आवश्यक है मैं मंत्री जी को ज्ञापन दे चुका हूँ वरीयता में इन पुलों का निर्माण करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ डा0 अशोक बाजपेयी जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुखपाल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, बी0जे0पी0 की सरकार के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वह कभी नहीं हुआ है, वह बहुत सराहनीय है। मान्यवर, गाँव-गाँव सड़कों का जाल बिछा है इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र है। कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी हमारे यहाँ एक करोड़ छियत्तर लाख गया था सड़कों के निर्माण में, जो टेण्डर नहीं हुआ, अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया। मान्यवर, जो अधिकारी हैं उनको अधिकार होता है 2 लाख रुपये टेण्डर देने का अधिशासी अभियंता को वे बाउंड बनाकर दे देते हैं वह 176 लाख रुपये कहॉ गया खा गये क्या हुआ (व्यवधान) 12 लाख रुपये कमीशन लिया मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दैवीय आपदा में, 1 करोड़ 50 लाख रुपये दिलवाया था अभी 31 मार्च तक काम पूरा होना था उसको बढ़ाकर 30 अप्रैल तक के लिए किया है उसमें कुछ काम हुआ है कुछ नहीं हुआ है कुछ शुरुआत ही नहीं हुई। माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि जो 2-2 लाख रुपये का टेण्डर करके 4-4 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है, मान्यवर, कल तहसील दिवस में जिलाधिकारी गये थे और उन्होंने कहा था कि भुगतान न किया जाये। मान्यवर, प्रांतीय खण्ड में 4 ए0ई0 थे दो की नियुक्ति हुई और 2 नहीं हुए। मैंने माननीय मंत्री जी को कुछ शिकायतें दी थी वह 20 सड़कों की थी माननीय मंत्री जी 6 सड़कों की जाँच करवायी और चार्ज शीट के लिए आया था। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सड़कों का जो दिया गया था उस पर दैवीय आपदा की सड़कों का ठीक से काम नहीं हुआ और भुगतान हो रहा है मान्यवर, आज खुली लूट हो रही है प्रांतीय खंड में जो ए0ई0 जांच कर रहे थे वह चार्जशीट लेकर आये थे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और जांच चार्जशीट वापस कर दी गयी फिर से चार्जशीट आयी और जो ईमानदार अधिकारी था, जांच करने के लिए गया था उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है उसका स्थानान्तरण निरस्त करके जांच करायी जायें। गढ्डामुक्त के बारे में माननीय मंत्री जी जितना गड्ढामुक्त आपने कराया है, बड़ी तत्परता से कराया है उसकी सूचना हम लोगों को दिया है, सूचना देने के बावजूद उस पेपर में आपकी सूचना में खाली कि0मी0 दे दिया गया है, पैसा नहीं दर्शाया गया है। इससे उन लोगों ने काम नहीं किया और पैसा भुगतान कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि इसकी जॉच कराइये। मैंने लिखकर दिया था। मेरे चुनाव क्षेत्र में 21 सड़के 97-98 से निर्माण हो रही है उन सड़कों पर आज तक पेन्ट नहीं हुआ। मैंने जॉच करवाने के लिए माननीय मंत्री जी को शिकायत दिया और शिकायत के कारण वहाँ के सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता ने काम बन्द कर दिया। मैंने कहा काम कराये या न कराये लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कहूँगा।

माननीय मंत्री जी जॉच करा रहे हैं लेकिन 6 सड़कों की जॉच हुई और सड़कों की जॉच नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा हूँ कि प्रान्तीय खण्ड बस्ती का यह जो कार्य हुआ है इसकी समीक्षा करें और किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर सारी जॉच करायें। एक बार मंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी। बैठक में इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने यह कहा कि यह सड़के 5 से0मी0 कम हैं और मैं पेन्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 21 सड़के हैं वह पेन्ट नहीं हो पा रही है। मैं लिखकर तो दूँगा ही लेकिन कार्यवाई होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं लोक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

प्रदेश के मन्त्रिपरिषद के सदस्यों मे सामूहिक जिम्मेदारी का कथित अभाव दृष्टिगोचर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, जब मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो संसदीय कार्यमंत्री आते हैं, जब वह नहीं होते है तो सरकार की तरफ से दूसरे मंत्री वित्तमंत्री आते हैं या दूसरे मंत्री आते हैं, काश कोई मंत्री न होता तो आपको बजट पेश करना पड़ता तो मैं कहना चाहता हूँ कि सामूहिक जिम्मेदारी होती है। माननीय मंत्री जी ने कहा यह भ्रष्टाचार हो रहा है, माननीय लोक निर्माण मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया उनके विभाग पर लगा दिया और माननीय सुखपाल पाण्डेय, मैं नहीं जानता कि आपका क्या नाम है लेकिन ये मंत्री जरूर है। मंत्रिपरिषद के सदस्य ने यह कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, सरकार खुद कह रही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, सदन में कह रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह वित्तीय बजट है और वित्तीय बजट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाये यह सरकारी लोग तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि माननीय लोक निर्माण मंत्री को कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी का अतिक्रमण किया है इसलिये माननीय मंत्री जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अधिष्ठाता जी कृपया भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(2) का अवलोकन करें जिसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है और मान्यवर, अभी लोक निर्माण मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। उसको धैर्यपूर्वक सुना, पूरा समझा। मान्यवर, दूसरे राज्य मंत्री जी ने, व्यवस्था के प्रश्न के बाद, स्वीकारते हुये इस विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये कि एक करोड़ 72 लाख रुपया दिया गया, जिसमें से 12 लाख कमीशन के रुप में खाया गया। दोनों ही मंत्री हैं और हम यहॉ सदस्य के रुप में बैठे हैं। हम आपसे यह व्यवस्था चाहते हैं कि हम किस मंत्री की बात को सत्य माने। यह सदन में क्या मेसेज देना चाहते हैं, प्रदेश की करोड़ों जनता को क्या कहना चाहते हैं। हम राज्य मंत्री मा0 सुखपाल पाण्डेय जी की बात मानें या लोक निर्माण मंत्री जी की मानें। यह कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह दूसरे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री बी0आर0 वर्मा--

जैसा बुनियाद अंसारी जी ने कहा, उसी के संबंध में कहना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता देने के लिये एक मंत्रि परिषद का गठन किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। 164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप

से उत्तरदाई होगी। आज लोक निर्माण विभाग के बजट पर विभागीय मंत्री जी ने अपने विभाग से संबंधित बातों को रखा। इस समय विकट समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि एक मंत्री परिषद् के सदस्य जो सदन के प्रति और विधान सभा के प्रति भी उत्तरदायी हैं, सुखपाल पाण्डेय जी, उन्होंने इस सदन में एक व्यक्ति की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मंत्री के रूप में, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के तहत इस बात की सदन को सूचना दी है कि एक करोड़ 72 लाख रुपया दिया गया और जिसका टेण्डर होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और 2-2 लाख करके, उसका बांड बनाकर सरकारी धन को खाया गया और साढ़े 12 लाख कमीशन के रुप में लिया गया। यह बात अब सदन की सम्पत्ति बन चुकी है। एक मंत्री द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन करते हुये, सदन को यह सूचना दी गई है, इसके अलावा उन्होंने और भी सड़कों के भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र किया। अब दोनों माननीय मंत्रियों का कथन सत्य है, क्योंकि हम लोग यह मानते हैं कि यहाँ जो कोई कुछ कहता है, वह जिम्मेदारी के साथ कहता है और यदि कोई गलत बयानी करता है तो सदन को गुमराह करने के लिये विशेषाधिकार हनन होता है। इसलिये यह सही है और संज्ञान में आ गया है, इसलिये मैं आपसे चाहूँगा कि आप सोच विचारकर, भले ही व्यवस्था के प्रश्न पर आज तत्काल निर्णय न दे सकें, तो इसके रूलिंग को रिजर्व करते हुये कल तक के लिये स्थगित कर दें। लेकिन चूँकि यह सदन की सम्पत्ति बन चुका है, इसलिये ऐसी व्यवस्था दें, जिससे संविधान में 164(2) की जो मंशा है, उसका निर्वहन हो सके और जो गंभीर आरोप लोक निर्माण विभाग पर एक जिम्मेदार मंत्री ने लगाये हैं, उस पर सदन कोई निर्णय कर सके। यह कंसालीडेटेड फंड का पैसा था उसको कोई खा गया। सदन इस पर निर्णल ले सके, ऐसी व्यवस्था देने का आप कष्ट करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैंने इंजीनियर के खिलाफ आरोप लगाया है। मंत्री जी ने तो जॉच के लिये आदेश कर दिये हैं, मंत्री जी जॉच करा रहे हैं।

सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण (श्री ओमप्रकाश सिहं)--

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि व्यक्ति मंत्री होते हुए नहीं कहता लेकिन एक विधायक होने के नाते उसकी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विभाग के कदाचार के बारे में आपने भी कहा और मैंने भी अपने भाषण में स्वीकार किया। कदाचार करने वाले अधिकारी दंडित होते हैं, निलम्बित होते हैं। हमारे सदस्य यह जानते हैं। माननीय सदस्य कहाँ अधिकारी ने कदाचार किया उसका उल्लेख करते हैं और उसकी जॉच होती है और वे दण्डित होते हैं। माननीय सुखपाल जी इस बात को हमारे संज्ञान में लाए थे, उसकी जॉच भी हो रही है, उसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ यह सिद्ध होता है कि वहां कदाचार हुआ है, वहाँ पर मुख्य अभियन्ता द्वारा जॉच करायी गयी है, उसका ही उल्लेख किया है। किसी संविधान की व्यवस्था या सामूहिक दायित्व के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य--

माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने यह कहा कि वह एक विधायक की भावनाए होती हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह सदन भावनाओं से चलेगा या आस्था, नियम या संविधान से चलेगा। नियम और संविधान में तो संयुक्त उत्तरदायित्व के निर्वहन की बात है। केवल भावनाओं से, हमारी क्या भावनाएँ हैं, यह भावनाएँ आप अपने घर में रख आयें, अपने क्षेत्र में रख आयें, अपने जनपद में रख आयें लेकिन इससे आप संविधान और सदन को नहीं चला सकते हैं। संविधान में तो संयुक्त उत्तरदायित्व की बात है इसलिए हम अपनी बात कहना चाहते हैं। आप संविधान और नियमों को देख लीजिए इसमें अगर उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ है तो जरूर इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठ जायें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न हमने उठाया, सदन का एक करोड़ 72लाख रुपया कहां गया?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैंठे। जितने भी माननीय जन प्रतिनिधि होते हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी पर भी रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार का अभिशाप इस सीमा तक फैल चुका है कि हम भेजते हैं 100 रुपया और पहुँचता है 15 रुपया। यह किसी प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपने सुना होगा और कई बार माननीय सदस्यों ने, माननीय मंत्रियों ने और अपने कई बार इस बात को स्वीकार किया है और हम इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और जहां तक मंत्री जी का सम्बन्ध है, उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि हमने इंजीनियर के ऊपर आरोप लगाया है, मंत्री जी पर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने जॉच की बात कही इसलिए इस पर कोई अन्य व्यवस्था देने का प्रश्न नहीं उठता। मैं इसे खारिज कर रहा हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, यह सदन तय करेगा।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है।.....

श्री अधिष्ठाता--

बुनियाद हुसैन जी, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, आप बैठें। (कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण--

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट का मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं अब आप बैठें, मैं डा0 अशोक बाजपेयी जी को बुला रहा हूँ। जो माननीय सदस्य वंचित रह गये हैं वह लिखकर मंत्री जी को दे दें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर शोर/व्यवधान) मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री श्री पाण्डेय जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाया। जब यह बात स्पष्ट हो गयी और यहां बैठे हुये सभी माननीय सदस्य इस सदन में स्वीकार किये हैं कि यह अभिशाप समाज के अन्दर घुला हुआ है, इसमें एक-एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि जो अभिशाप समाज के अन्दर आया है उसको कैसे दूर किया जाय।

नोट : - [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम औतार शाक्य--

अधिष्ठाता जी, भाषण नहीं व्यवस्था चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

मैं व्यवस्था ही तो दे रहा हूँ, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि सरकार पर आरोप लग गया कि भ्रष्टाचारी सरकार है। संविधान के अनुच्छेद 165(2) का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, इस तरह से हाऊस चलायेंगे आप किसी को बोलने नहीं देंगे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा0 अरविन्द जैन)--

ये लोग तो 5-5 लाख रुपये में बिके हुये थे।

श्री अधिष्ठाता--

बुनियाद हुसैन अंसारी जी यदि पीठ पर आक्षेप करेंगे तो मैं सीधे निर्देश दूँगा। मौर्या जी, पीठ पर कोई बात कही जाय, यह उचित नहीं है। सदन के बहुमूल्य समय का दुरूपयोग कर रहे हैं। बुनियाद हुसैन अंसारी जी का आचरण किसी भी रुप में प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, हरीशजी)--

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि मा0 बुनियाद हुसैन अंसारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने व्यवस्था दे दी। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि सदन के नेताओं सदस्यों को इस बात पर जितनी चर्चा करनी थी कर ली अब इसको कोई औचित्य नहीं रह गया है। सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांत हो जाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए। आप ऐसी स्थिति में जब यह कोई विपक्ष का विधायक नहीं बल्कि सरकार कह रहा है। कार्य मंत्री और सामूहिक जिम्मेदारी के कारण सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि 1 करोड़ 72 लाख रुपये का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बात सदन के अन्दर आ गयी है। जो सदन की व्यवस्था का अंग बन गया है ऐसी स्थिति में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया बैठे मैं बता रहा हूं। प्रकरण माननीय पाण्डेय जी ने मंत्री जी के संज्ञान में लाया था, जांच की गई प्रारम्भिक कदाचार पाया गया और कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। अपने वक्तव्य में बताया है इसके बाद कोई बात बचती नही, उस पर कार्यवाही करने की घोषणा कर दिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मौर्या जी यह जानना चाहते हैं कि जो लोग इस प्रकरण में दोषी हैं, सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन कहां हुआ है, इसमें संविधान का उल्लंघन कहां हुआ है। मान्यवर, इसमें 125-127 अधिकारी कदाचार में दोषी पाये गये, और प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने के कारण उनको निलम्बित किया गया है, उनको दण्डित किया गया है। जो

कदाचार प्रशासन में हैं उसको समाप्त करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कड़ाई की जा रही है। उन्होंने कुछ सड़कों की शिकायतें पहले किया था, उन्होंने उल्लेख किया कि उन सड़कों की जांच में यह-यह कदाचार पाया गया, मुख्य अभियन्ता ने जांच किया और अन्तिम रूप से निर्णय होना शेष है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहां सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक के नाते अपने क्षेत्र की चर्चा की। जिसकी शिकायत पहले भी की थी, और आज भी हो रही है, उसकी जांच हो रही है। इसमें कहां सरकार को किसी मंत्री ने कटघरे में खड़ा किया है, यह सदन की स्वस्थ परम्परा रही है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर जो चेयर से फैसला हो जाता है वह मान्य होता है, इसमें न संविधान और न ही सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन हुआ है लेकिन एक मुद्दा बनाने के लिए जरूर इसे उठाया जा रहा है। दोनों पक्षों के स्पष्टीकरण के बाद अब कोई चीज कहा रह जाती है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी स्पष्टीकरण के बाद व्यवस्था का एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है।

*श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मान्यवर, सुखपाल पाण्डे जी ने जनता की आवाज को सदन में उठाया है जिससे वास्तव में लोक निर्माण विभाग की भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, मैं पान्डे जी को बधाई देता हूँ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, 1 करोड़ 72 लाख का मामला है, यह प्रदेश का है आप मुझे इस पर एक मिनट सुन लें। व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री वेदप्रकाश सिंह, एम0एस0-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, सदन का समय नष्ट किया जा रहा है। व्यवस्था का प्रश्न उठाकर अपनी बात कहने लग जाते हैं।

श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, मुझे अनुमति दे दें।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शान्त रहें, मैने वर्मा जी को अनुमति दी है।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, केवल बजट पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बातें कहकर सदन का समय नष्ट किया जा रहा है।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, मुझे बोलने का समय इस तरह से नहीं मिल पायेगा मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। पूरनपुर का दर्द कैसे दूर होगा।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन, मनोरंजनकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो स्थिति बनी है, कितने महत्वपूर्ण विभाग पर गम्भीरता से चर्चा चल रही थी, कम से कम विधायक को अपना भाषण तो कर लेने देते। बीच में खड़े होने का औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरी आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से विनती है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए सदन को चलने दें। एक विषय आया उस पर दोनों तरफ के विचार आ गए व उस पर व्यवस्था हो गई। अब सदन चलने दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी ने कहा है कि उनके एक मामला संज्ञान में लाया गया उसकी उन्होंने जॉच करवाई प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया इस पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है कार्यवाही हो रही है। अब इसमें 165 (2) का कहॉ उल्लंघन हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

यह प्रकरण एक करोड़ 72 लाख रूपए का है। हमारी सरकार में एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा एकाउंटबिलटी फिक्स की जाएगी लेकिन आपने जो भ्रष्टाचार किया उसके तो कोई आस पास भी नहीं पहुँच पाएगा।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

एक यहॉ प्रकरण उठा दोनों तरफ के उस पर विचार आ गए उस पर मैंने व्यवस्था भी दे दी। भ्रष्टाचार की समस्या है तभी तो लोगों को दंडित किया जाता है सस्पेंड किया जाता है लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको समाप्त करने का प्रयास करें। अगर इसी तरह व्यवधान रहा तो मुझे विवश होकर बजट पास कराना पड़ेगा। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत....

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह कोई बात नहीं हुई। हम लोग तो चुप बैठे हैं इस तरह से आप प्रश्न उपस्थित नहीं कर सकते।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह ठीक नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से कम से कम 45 मिनट से सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं इसलिए मजबूरन मुझे प्रश्न उपस्थित कराना पड़ रहा है।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य उठकर खड़े हो गये और प्रश्न न उपस्थित किये जाने का अनुरोध करने लगे)

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया बैठ जॉय सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जॉय सदन को चलने दें।

श्री बी0आर0वर्मा-

आपने एक व्यवस्था दी है मैं उस पर नहीं दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

गन्ना विकास चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, केवल बजट पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

सारी बाते स्पष्ट हो चुकी हैं इस पीठ के निर्देश का पालन आपका दायित्व है।

श्री बी0आर0वर्मा-

क्या इस सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? मेरी बात तो सुनें।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य उठ कर शोर करने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त हो जॉय, सदन की कार्यवाही चलने दें।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) तथा अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)-

श्री गोपाल कृष्ण-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। हमारे एक माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी की आदतों से सदन को परिचित कराना और उन्होंने सत्यता को उजागर किया। श्रीमन् मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूँ। मेरा क्षेत्र नेपाल बार्डर के नजदीक है और बहुत अधिक अन्न उत्पादन करता है। सड़कें यातायात के कारण बहुत ज्यादा खराब हैं। आप गड्ढामुक्त की बात करते हैं। पूरनपुर-खटीमा मार्ग, पूरनपुर पीलीभीत मार्ग, पूरनपुर-करी मार्ग पहुंच जायेंगे तो वहाँ आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे सड़कों पर। माननीय मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र नेपाल बार्डर से लगा क्षेत्र है, हरित क्रान्ति में अग्रणी हैं। शारदा पार का जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ से सड़कें कट गई हैं। बाढ़ से पुल टूट गये हैं, पुलियां टूट गई हैं लेकिन आज तक उनकी मरम्मत नहीं हुई है। मान्यवर, बरसात फिर शुरूआत में आ गई है लेकिन अभी तक उन सड़कों और पुलों को ठीक नहीं कराया गया है। मान्यवर, इसी तरह से पैन्टून पुल के मामले में भ्रष्टाचार हुआ। ठेका ही नहीं हुआ, विभागीय अधिकारी मनमाने तरीके से चला रहे हैं।

तेज आन्धी में वह पुल भी बहने के करीब है। यहाँ पर एक क्षेत्र है भगवन्तापुर मोतीपुर। मैं वहां गया था। आज आजादी के 53 वर्ष बाद भी वहां पर यातायात का कोई साधन नहीं है। वहां के लोगों के सिर पर छत नहीं है। भगवन्तापुर-मोसीपुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। 18 साल हो गये हैं कोई भी लेपन कार्य उस सड़क पर नहीं हुआ है। पूरनपुर खटीमा मार्ग में पूरनपुर कस्बे के बीच में पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क टूटी हुई हैं। वहां नारकीय स्थिति बनी हुई है। आप आदमी को निकलने के लिये रास्ता नहीं हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हमारे क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं पूरनपुर खटीमा मार्ग, पूरनपुर-मऊटांडा, मऊटांडा कस्बे के बीच एक पुलिया है वह टूटी हुई है। अगर इन सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाय तो जनता को बहुत अच्छी सुविधा हो जायेगी आने जाने के लिये। सहकारिता मंत्री जी के पड़ोस में जो क्षेत्र है वहां बाढ़ में सड़कें टूटी थी, सबकी सब क्षतिग्रस्त हैं, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि उस क्षेत्र को गड्ढामुक्त बनवायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जो माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणाएं की गई हैं वह सब खोखली हैं और निराधार हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें चाहे इस पक्ष के सदस्य हों, चाहे उस तरफ के बैठे हुए माननीय सदस्य हों, सभी ने मेरी उस भावना या अभिव्यक्ति को ही बल दिया है जो मैंने कही थी। लोक निर्माण मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो तमाम बातें कहीं हैं अगर वह व्यवहारिक रूप से सही होती तो शायद आज इतनी आलोचना इस विभाग के बजट पर नहीं होती। मैं बधाई दूंगा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को, श्री श्रीराम पाल, श्री रामतेज यादव, एडवोकेट, श्री बालचन्द्र मिश्र, श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्रीमती सुमन लता सिंह, श्री विनोद मणि, श्री राम आधार सिंह, श्रीमती कृष्णा राज, श्री राजवीर सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री शिव सिंह चक, श्री उदयराज यादव, श्री राम स्वरूप, श्री भगौती, श्री अरविन्द गिरि, श्री माहौर, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री राम औतार शाक्य, श्री गोपाल कृष्ण जी व अन्य सदस्यों को जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव और बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया मूल्यवान सुझाव दिए, मैं बधाई देता हूँ। मैं कुछ बिन्दुओं की ओर मंत्री जी का ध्यान, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग प्रदेश के जन-जीवन से जुड़ा विभाग है। प्रदेश की अपेक्षा है कि सीमित संसाधन आपके पास हैं, प्रदेश का हर गॉव, हर जनसमूह चाहता है कि कम से कम न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र का विकास हो, गांव सड़कों से जुड़ें इसके लिए आपको द्रुतगति से काम करना होगा, व्यवहारिकता के धरातल पर उतरना होगा। जो यह लोक निर्माण विभाग है इसमें विभिन्न प्रयासों से विभिन्न मदों से धन उपलब्ध होता हे वह कैसे उपयोग में लाया जाए इसको देखना होगा। सुखपाल पाण्डेय जी आपके मंत्री हैं, मंत्री जी ने अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति की है जब उनको इतनी पीड़ा है तो माननीय सदस्यों को कितनी पीड़ा होगी। विभाग में लूट विभाग के अनदेखी किस तरह है। किस तरह से विभिन्न प्रयासों से धन विभाग को उपलब्ध कराया जाता है किस तरह से प्रदेश के उपर बोझ रखकर, नावार्ड से, विश्व बैंक से भारत सरकार से पैसा लिया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि 15 प्रतिशत पैसा कार्यो में लग रहा है और 85 प्रतिशत ड्रेन आऊट हो रहा है। निलम्बन इसका रास्ता नहीं है। आपको चौकसी करनी होगी, सुपरविजन करना होगा पहले आप देखते थे कि सड़कों का जब लेपन कार्य होता था तो जूनियर इंजीनियर ए0ई0 सब खड़े रहते थे अब यदि सड़क का लेपन का कार्य होता है कभी देखने जाइए तो एक मजदूर के अलावा कोई लेपन अधिकारी नहीं होता है। सड़क प्रारम्भ होने से पूरी होने तक कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आता है। एम0बी0 बनकर आ जाती है उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। सड़क रोलर 90 प्रतिशत सड़क पर खड़े रहते हैं। उससे काम नहीं लिया जाता है तमाम धनराशि रोड रोलर के किराए के रूप में निकल जाती है जो सड़क की प्रेसिंग और घिसाई होनी चाहिए वह नहीं होती है क्योंकि प्रेसिंग होगी ज्यादा पत्थर डालेंगे तो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी

उससे अधिकारी भी बचना चाहते हैं। विश्व बैंक से समझौता कर रहे हैं। एक-एक सड़क पर एक-एक करोड़ का व्यय होता है इसमें शोध कराये कि इसमें कैसे कम पैसा व्यय हो और सड़क अच्छी बने क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें। इसमें प्रयास होना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूँ प्रदेश में ऐसे मिसिंग लिंक है 12 किलोमीटर की सड़क बनी है और बीच में एक किलोमीटर छूटी है उसके कारण जो 12 किलोमीटर सड़क बनी है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य योजना और जिला योजना में कार्य नहीं हो रहा है। जो मिसिंग लिंक है बीच में कोई हिस्सा टूटा है इनको आप प्राथमिकता पर बनवायें। दूसरा निवेदन है राज्य योजना और जिला योजना में सड़क स्वीकार करते हैं इसके लिए मास्टर प्लान बनायें। लेपन का धन अवमुक्त हो चुका है 15 जून तक लेपन का सीजन है जहाँ गिट्टी बिछ चुकी हैं काफी कार्य हो चुका है वहां विभागीय लापरवाही के कारण लेपल नहीं हो सका है 15 मार्च से 15 जून का समय लेपन का होता है इसमें युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। मैंने प्राय: देखा है कि कहीं डामर नहीं होगा कही गिट्टी नहीं होती है तीन महीने में कोई काम नहीं होता है, जबकि लेपन का कार्य तीन महीने में हो सकता है। ग्राम सभा का चुनाव होने के कारण एक महीने लेपन का कार्य नहीं हो सका, मंत्री जी अभी समय है आप घोषणा कर दें जिन सड़कों पर टाप कोट छूटा पड़ा है 15 जून तक उसका लेपन का कार्य करा लिया जाए।

मान्यवर, मेरा तीसरा अनुरोध है मैंने पहले भी आपसे जो कहा था कि 500 की आबादी को जो सड़कों से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं यह अरबों रूपये की महत्वाकांक्षी योजना है इसमें जनपदवार मास्टर प्लान जरूर बनायें इसका तकनीकी ढंग से अध्ययन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा गांव इसमें लाभान्वित हो सके और कैसे जोड़ सकते हैं इसके लिए कोई वर्क प्लान बनायें ताकि जो धन उपलब्ध होगा उसका कैसे उपयोग होगा अगर आज वर्क प्लान और मास्टर प्लान से लेकर नहीं बनता है तो यह सम्भव नहीं हो सकता हैं कि 2007 तक 500 की आबादी के गांवों को जोड़ सकें। मेरा सुझाव है कि सरकार सड़कों की गुणवत्ता का ध्यान रखें और जबावदेही सुनिश्चित की जाये। जो सड़कों का लेपन होता है और 3 महीने में उखड़ जाये तो यह देखा जाये कि कितनी थिकनेस है 5 वर्ष की बनने के पश्चात् जिन अधिकारियों ने सड़क का निर्माण किया है उनकी जिम्मेदारी निर्धारित हो मान्यवर, इसमें यह भी एक्शन हो सकता है कि 50 प्रतिशत ठेकेदार से और 50 प्रतिशत जिन अधिकारियों की देख रेख में वह सड़क बनी है उनसे रिकवरी की जाये। आप कोई भी सड़क की लाईफ 5 साल, 3 साल निर्धारित कर सकते हैं मान्यवर जो मिनिमम गारंटी पीरियड है यह जरुर निर्धारित हो और उसमें अधिकारियों की जबावदेही सुनिश्चित हो। मान्यवर, विदेशों में जो सड़क बनती है उसका अगर 10 साल पीरियड है और अगर वह खराब हो जाती है तो दण्डित करने के साथ-साथ उसको ठीक करने की जिम्मेदारी अलग रहती है। कोई जवाबदेही न होने के कारण कोई अंकुश नहीं है सड़कें खराब होती जा रही है दूसरा यह कहना चाहता हूँ कि जो राज्य मार्ग जिला मार्ग है उन पर निरंतर अतिक्रमण हो रहा है। पहले सड़कों के किनारे पत्थर लगे रहते थे और आर0बी0 लिखी रहती थी। पी0डब्लू0डी0 के पिलर्स लगे रहते थे तो उसका अतिक्रमण नहीं होता है आज आबादी के बढ़ते दबाव के कारण मुख्य मार्गो पर अतिक्रमण बढ़ रहा है उससे दुर्घटनायें बढ़ती हैं और सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है सड़कों के किनारे पेड़ लगाने में और मिट्टी लेने में भी कठिनाई होती है तो सड़कों की जो सरहद है उसको निर्धारित करें। मान्यवर, जो राज्य मार्ग, जिला मार्ग और मुख्य मार्ग है इनमें जो अतिक्रमण हुआ उसको समाप्त करायें।

श्री अधिष्ठाता-

थोडा संक्षिप्त करें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इसके लिए कोई स्टेट ड्राइव चलायें। मान्यवर, भवन निर्माण के संबंध में एक निवेदन करना है कि प्रदेश में जिस तरीके से जमीन पर दबाव बढ़ रहा है यह योजना ऐसी होनी चाहिए कि नगरीय क्षेत्र में जो भवन बने उनमें कम जमीन में अधिक से अधिक भवनों का निर्माण कैसे हो सके मान्यवर, शहर में 4 मंजिला और ग्रामीण

क्षेत्र में 3 मंजिला भवनों की नीति बनायी तो उसमें इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि अधिक से अधिक भवन निर्माण हो सके और खेती योग्य जमीन बर्बाद न की जा सके। मान्यवर, आपकी सड़कों के बनने में बिटविन डामर की चोरी बहुत होती है जो डामर दिया जाता है उससे सल्फेट ठीक नहीं आती है। मान्यवर, सड़कों की रोड राइडिंग क्वालिटी ठीक नहीं होती है और अन्ड यूलेशन रहते हैं तो इसमें रोड राइडिंग सुधारी जाये और अन्ड यूलेशन और अन्ड युलेशन के लिए दायित्व निर्धारित करें और चोरी रोकने के लिए कोई प्रयास किया जाये और उसमें कठोर कार्यवाही की जाये। मान्यवर, अगर डामर की चोरी रूक सके और जो सामग्री अनुमन्य है वह लग सके तो सड़कें इतनी जल्दी खराब नहीं होगी मान्यवर, जो आपकी टी0ए0सी0 है उसको थोड़ा सक्रिय करें कहीं पर सड़क बनती है रिपोर्ट मंगवाकर यहाँ से वे जोते हैं और मंडल और जिले में जाकर दावत करते हैं और जो जांच एजेंसियां है कुछ तो काम करें उससे गुणवत्ता को सुधारने का काम किया जा सकता है।

जो स्वीकृत कार्य है उनको समयबद्ध ढंग से पूरा कराये मान्यवर जैसा मैंने पहले कहा कि नाबार्ड से 13 प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले रहे हैं और भारत सरकार 9 प्रतिशत ब्याज पर दे रहा है तो मेरा सुझाव है कि भारत सरकार से 9 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लिया जाय और ऋण को रिपे करने की भी कोई योजना बनाई जाये। मान्यवर, वाइडिनिंग और स्ट्रेंग्थनिंग का कार्य विश्व बैंक के बजाय विभाग द्वारा कराया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्य हो सके। आरआईडीएफ योजना में सड़कें स्वीकृत करने में भेदभाव किया गया है कुछ जनपदों में स्वीकृत हुई है और कुछ में नहीं हुई है तो यह भेदभाव नहीं होना चाहिए इससे प्रदेश प्रभावित हो रहा है। मैं कहता हूँ कि विकास उस नाजनीन की तरह है जो न अंधेरे में रहना चाहती है न ऊबड़खाबड़ रास्ते पर चलना चाहती है, जितनी सुन्दर सड़क बना देंगे उतनी तेजी से प्रदेश का विकास होगा। चन्द अधिकारियों को निलम्बित कर देने या किसी को पुरूष्कृत कर देने से काम चलने वाला नहीं है एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए ताकि प्रभावी नियंत्रण दिखाई पड़े। अगर आप लगेंगें तो प्रदेश में सड़कों का विकास जरूर होगा। जो घोषणा की गयी थी उसके अनुरूप प्रदेश की सड़कों की व्यवस्था नही हो पाई है सब गांवों को सड़कों से जोड़ नहीं पाये हैं इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्चशिक्षा लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, आज बजट की चर्चा में जितने भी माननीय सदस्य और नेताओं ने भाग लिया उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लेकिन इस सदन की बड़ी पुरानी गरिमा और मर्यादा रही है मेरे कुछ सदस्य ऐसे हो जाते है जिनके स्वभाव के लिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले बन्दन करने की बात कही थी। रामायण लिखते समय उन्होंने एक विशेष किस्म के लोगों को उसका सबसे पहले बन्दन करना चाहिए ऐसे ही कुछ लोग जो अपनी विद्वता से नहीं बल्कि अनर्गल बात कहकर, ऐसे माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा को गिराते हैं।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

अनर्गल असंसदीय नहीं है, असंसदीय झूँठ है। कुछ लोगों ने कहा है और इन लोगों को जब मैं यह कहता हूँ कि तुलसीदास ने ऐसे ही अवसरों के लिए सुख देने के लिए कुछ कहा है, मैं उस दोहे को कहता हूँ-

'बूंद अगाध सहैं गिरि जैसे'

आगे की लाइन नहीं कहूँगा। लोगों ने कहने के बाद भी प्रमाण नहीं दिया। एक दिन और रिश्तेदार का आरोप लगा दिया था आज इसीलिये मैंने सदन में पूँछा कि आप प्रमाण दीजिए क्योंकि वह दूसरे क्षेत्र के हैं और हमारे रिश्ते के हैं और अपने यहाँ के मित्र भी है। महराजगंज के वह भी है और वहीं की मेरी ससुराल भी है। ससुराल की गाली

भी मीठी लगती है, बड़े प्रेम से सह लिया। हमें कोई बात बुरी नहीं लगी, मेरे ससुराल के जिले के भी है, मेरे साले भी है इसलिये बुरा नहीं लगा।

मान्यवर, निश्चित रूप से सदन की एक ही पीड़ा है और पीड़ा यह रही कि जनता के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो सभी सदस्य यह भी चाहते है कि व्यवस्था में कैसे सुधार हो, इसका सुझाव सभी माननीय सदस्यों ने दिया है। मैंने बजट प्रस्तुत करते हुये भी इस बात को कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं पूरी प्रोसीडिंग को ईमानदारी से देखकर जो सुझाव दिये गये हैं, उनको कार्यान्वित करूँगा और जो शिकायतों के रूप में बातें आई है, उनको पूरी गंभीरता से लेकर कार्यवाही करूंगा, यह मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ के क्योंकि हमारी नीयत व्यवस्था सुधारने की है। सबसे पहले तो मैं वाजपयी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, वह पुराने सदस्य हैं। जिस गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने एक नितवत सुझाव दिया है, वह निश्चित रूप से हर योग्य साथी का सुझाव है, हम उसे पूरे सम्मानक जनक ढंग से, गंभीरता से लेगें। मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर, शिकायतों पर, गलतियों की ओर जो ध्यान आकर्षित किया गया है, के संबंध में पूरा प्रयास करूँगा कि जनता के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो। यदि कुछ माननीय सदस्य व्यवहारिक सुझाव दें, कार्यान्वयन हेतु, उसमें वाजपेयी जी तथा बहु से अन्य वरिष्ठ सदस्य है, जो प्रशासन में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विभाग व्यवस्था को कैसे सुधारा जाय, इसका सुझाव जहाँ से भी आये, मैं एक-एक को सम्मान के साथ ग्रहण करूँगा। कुछ बातें और कही गई, उसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि दीनदयाल योजना का फेज 2-3-4-5 है, उसमें जो अधूरे मार्ग है, उन अधूरे मार्गों की संख्या 1407 है। इन चार फेसेज में इन अधूरी सड़कों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत 2500 किमी0 अधूरी सड़कों को पूरा करायेंगे, फेज 2-3-4-5 की अधूरी सड़कों को पूरा करूँगा। इससे निश्चित रूप से माननीय सदस्यों की शिकायत दूर होगी।

*कुंवर रेवती रमण सिंह-

आर0आई0डी0एफ0-5 में पूरे प्रदेश में सड़कों का चयन किया गया। मैं इलाहाबाद जनपद की बात बता रहा हूँ। इलाहाबाद और मैनपुरी जनपद में इसके अतिरिक्त और भी कई जनपद ऐसे हैं, जिसमें सड़कों का चयन इस योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया। क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि जहाँ पर इस तरह छूट गया है, उसको लेकर इसमें समायोजित करने का काम करेंगे?

मान्यवर, यह प्रक्रिया सम्बन्धित विषय है, इसमें बिना देखें कि किन परिस्थितियों में छूटे, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है नियम का भी सन्दर्भ लेना पड़ेगा तभी कुछ कहना उपयुक्त है। हां फेज-2, 3, 4, एवं 5 में जो कार्य शुरू हो गया है और वह कार्य अधूरे हैं, उन्हें पूरा करायेंगे, हम इसकी व्यवस्था किए हैं। कई बार माननीय सदस्य कहते थे कि जिनके लिए स्वीकृति दे दी गयी है और कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार मान्यवर, कुछ सड़कें जिला योजना की भी अधूरी पड़ी हैं, जिन पर पहले कार्य हो गया है उनका भी एक हजार किमी0 पूरा किया जायेगा। राज्य योजना की 750 किमी0 अधूरी सड़कों को पूरा किया जायेगा और मैंने कहा है कि 75 प्रतिशत जिन पर काम हो गया है, यदि कम भी होगा तो उन्हें भी पूरा करायेंगे। कुछ बातें कही गयी कि पॉडीकरण दोषपूर्ण है। इसको मैंने दिखवाया है, कुछ जगह पाया भी है और निर्देश दिया है यह कार्य और अच्छा हो। एक बात कही गयी कि तीन वर्ष में बनी सभी सड़कें खराब हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दृष्टि का दोष। यहाँ देखने की दृष्टि कैसी है, किस नीयत से देख रहे हैं। एक घड़े में आधा पानी भरा है, कुछ लोगों को केवल खाली दिखता है, कुछ लोगों को भरा दिखता है। लेकिन हम लोगों को भरा दिखता है, खाली भी हम देखते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ सड़कें गुणवत्ता के अनुसार नहीं बनी हैं, कुछ पुरानी भी सड़कें टूटी हैं, लेकिन सारी की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारी खराब हैं, ऐसा नहीं मानता। यह कहा गया कि पदों में कटौती की गयी है और केन्द्रीयकरण कर लिया गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि स्थानांतरण उद्योग हो गया है। पी0डब्ल्यू0डी में स्थानांतरण हुए ही नहीं तो उद्योग कैसे बन गया।

कु0 रेवती रमण सिंह--

पिछले साल का कहा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जैसा हमने कहा तुलसी दास जी ने जो श्रेणी बतायी है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है, उस श्रेणी में एक आध लोग तो रह ही जाते हैं। फिर कहा गया कि केन्द्रीकरण हो गया। मान्यवर, केन्द्रीयकरण कैसे हो गया, जे0ई0 और0 ए0ई0 का ट्रांसफर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से होता है, उसके बाद शासन स्तर पर होता है, इसमें जो व्यवस्था है, फिर कहा गया कि पुश्ता के लिए कोई धन नहीं दिया। मान्यवर, पुश्ता और एनआई के लिए जो गैंग है वह कई सालों से काम ही नहीं करता था। अब आप देखें कि 31 तारीख तक पुश्ता और एनआई हो जाना चाहिए जो बैठकर तनख्वाह लेते थे उन्होंने यह किया। यह प्रशासन परिवर्तन की बात नहीं है? वैसे भी मैंने कई जगह तनख्वाह रोकी हैं लेकिन 10-15 साल के बाद कोई कोई चीज नई शुरु हो गयी है। यह उनका नियमित काम है। यह 15 साल बाद पुश्ता और एनआई का काम हुआ है। हाँ यह जरूर है जो आपने कहा। और शिकायत है कि कुछ जे0ई0 थे उन्होंने भयवश, जल्दी-जल्दी में काम हो जाये कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगाकर काम कराया, लेकिन जनहित में काम हुआ। कुछ नुकसान उनका हुआ लेकिन उसके लिए कहीं से पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि सड़कों का लेखा-जोखा रखा जाय। यह बात सही है। एक बात और आयी कि सड़क के कम्प्यूटराइजेशन की आवश्यकता है, आदेश दे दिया है, अगले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश की सड़कों का कम्प्यूटराईजेशन हर चीफ इन्जीनियर कार्यालय में हो जॉय, इसका प्रयास है। इससे एक-एक सड़क की प्रगति मालूम होती रहेगी कि किसको कितना धन दिया गया, उसकी मॉनीटरिंग होती रहेगी। बहुत अच्छे सुझाव आये.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, इस समय वोल्टेज इतनी ज्यादा है कि स्थिति यह हो सकती है कि यह जल सकता है। कृपा करके एक मिनट में समाप्त करके यह बजट पास करायें।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, अंत में इतना ही कहता हूँ कि सभी सुझावों पर विचार करते हुये, विभाग में परिवर्तन करते हुये, पुरानी अधूरी सड़कों को बनाने का काम करूंगा। एक अन्तिम सहयोग की आग्रह करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह किसी पर आरोप नहीं है, यह सदन की पीड़ा है कि जो ठेकेदारी और निर्माण का कार्य है इसको जगह-जगह से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। यह रुकना चाहिए, इसके बिना रूके कुछ नहीं हो पायेगा। जब इसमें राजनीति इन्वाल्व हो जाती है तो बड़ा कठिन हो जाता है। अधिकारियों से पेश पाया जा सकता है परन्तु राजनीतिज्ञों से पेश पाना मुश्किल हो जाता है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देते हुये आभार व्यक्त करता हूँ विशेष रूप से बाजपेयी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आग्रह करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस बजट को पास करने में सहयोग करें।

कुँवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाये हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी को लिखकर भेज देंगे, मंत्री जी उन प्रस्तावों को समायोजित करके देख लें।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं उसी तरह से उन कागजों को महत्व दूंगा जैसे बोले हुये माननीय सदस्यों की है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,63,95,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मॉग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 29,96,71,000 रुपयं से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 7,74,96,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूँ। (श्री अधिष्ठाता ने 9 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही 9 बजकर 19 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 9 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई।)

(सदन की बैठक पुनः आरम्भ होने पर)

सिंचाई विभाग की अनुदानों को दि0 18 मई, 2001 तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवम् न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी माननीय सदस्यों से बात हो गयी है, समय और परिस्थिति को देखते हुए, मदसंख्या-9 (4) तथा मद संख्या-9(5), दोनों को स्थगित कर दिया जाय और यह शुक्रवार को ले ली जायं क्योंकि उस दिन असरकारी दिवस है और असरकारी दिवस को किसी और दिन ले लेंगे, यह मेरा आग्रह है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, मैं मद संख्या-9 (4) एवं मद संख्या-9(5) को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर रहा हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 16 मई, 2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल-32 सूचनाएं प्राप्त हुई:--

पहली श्री रूप चौधरी की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काला बन्दर नामक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री ओंकार सिंह की है, जो जनपद बदायूं में ग्राम नगला अजमेरी से मानपुर तक गंगा नदी के किनारे तटबंध निर्माण के संबंध में है। इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना डा0धर्मज्ञ मिश्र की है, जो जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगवाये जाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की है, जो जनपद गोण्डा में विद्युत उपकेन्द्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले सभी फीडरों पर निर्धारित मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री वसीम अहमद की है, जो जनपद मऊ में पोस्टमार्टम हाउस होने के बावजूद स्टाफ के अभाव में संचालित न हो पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठीं सूचना श्री रामकुमार एडवोकेट की है, जो प्रदेश में नदियों की कटरी में बसने वाले गांवों को अन्य ग्रामों को मिलने वाली सुविधाओं की भांति सुविधाएं प्रदान करने हेतु कटरी विकास निधि की स्थापना के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की है, जो जनपद लखीमपुर और सीतापुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क लखीमपुर-लहरपुर (सीतापुर) के चार कि0मी0 क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है, जो जनपद चित्रकूट में विधायक कोटे के ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। नौवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है, जो जनपद मथुरा में खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की है, जो जनपद बहराइच और श्रावस्ती में स्वीकृत तथा अधूरे पड़े मार्गों का निर्माण शीघ्र न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है, जो नोएडा प्राधिकरणों द्वारा अधिगृहीत जमीनों का मुआवजा दिये जाने के एक करोड़ से ऊपर के प्रस्तावों हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है, जो मेरठ विकास प्राधिकरण

द्वारा मंगानगर तथा नगला ताशी के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना श्री रामाधार सिंह की है जो जनपद हमीरपुर के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय को चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत स्थापित किए जाने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौदहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी पंकज की है, जो जनपद संत रविदास नगर भदोही की नगर पंचायत नई बाजार में निर्माणाधीन पानी की टंकी पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। पन्द्रहवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है, जो जनपद बांदा में भू-माफियों द्वारा ग्राम समाज की करोड़ों रुपये की जमीन चकबंदी विभाग की सांठगांठ से हड़पे जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सोलहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है, जो लोक निर्माण विभाग जौनपुर द्वारा बयालसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्त की उपलब्धता के बावजूद सड़कों को पूरा न करने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सत्रहवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की है, जो झांसी-हमीरपुर तथा उरई से चलकर कानपुर की ओर आने वाली परिवहन निगम की बसों के कालपी स्टैण्ड पर न रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। अठारहवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की है, जो जनपद अम्बेडकर नगर की चौकी शहजादपुर की पुलिस द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध ही अभियोग पंजीकृत किए जाने के संबंध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम:- श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री राम चन्द्र यादव, श्री राजेन्द्र यादव, श्री यशपाल सिंह चौहान, डा0 धर्मज्ञ मिश्र, श्री विनोदमणि, श्री संजय गर्ग, आचार्य रामदेव वैश्य, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राजपाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री दिलीप कुमार, श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री ओंकार सिंह हैं।

जनपद मथुरा में आँधी, ओला आदि दैवी आपदाओं से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-11 से संबंधित वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य निम्नलिखित है।)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)-

[जिलाधिकारी मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मथुरा के ग्राम ओल में आयी तेज आंधी के कारण श्री तेजवीर पुत्र श्री हरभजन सिंह, उम्र 10 वर्ष एवं श्री धर्मेन्द्र उम्र 09 वर्ष निवासी नगला देवकिशन ग्राम ओल की मृत्यु हो गयी। दोनों मृतकों के वारिसान को क्रमशः पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये स्वीकृत किया गया है, जिसके वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम नगला रिठाली भाग महावन में हुये अग्निकाण्ड से प्रभावित अठारह (18) पात्र व्यक्तियों में धनराशि रु0 15,400/- अहैतुक सहायता मद में वितरित की जा चुकी है।

ग्राम ओल के गाटा संख्या-689 रकबा 0.441 जो कि राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज हैं, से दिनांक-07.5.2001 को कब्जा हटा दिया गया है। स्थल पर शान्तिपूर्ण स्थिति कायम हैं।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों को दिये जाने वाले बी0टी0सी0 पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम को बीच में रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग, स0वि0स0 द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य स्थगित किये जाने का अनुरोध

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-12 को स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-13,14,15,16 एवं 17 के संबंध में जो वक्तव्य हैं उनको पढ़ा हुआ माना जाता है।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवम् मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर प्रयोग पर पाबन्दी लगाये जाने संबंधी मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है।

2- मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 2000 के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाया गया है। इस नियम के प्राविधानों के प्रवर्तन के लिये जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को "अथारिटी" बनाया गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन का दायित्व उक्त "अथारिटी" में निहित किया गया है। लाउडस्पीकर के प्रयोग के संबंध में उक्त नियम में यह व्यवस्था दी गयी है कि इसका प्रयोग केवल तभी किया जायेगा जब "अथारिटी" से लिखित अनुज्ञा प्राप्त की गयी हो। इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग रात में (10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक) नहीं किया जायेगा। सिवाय तब के जब वह भीतरी संसूचना के लिये बन्द परिसर में हो।

3- इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली में औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय एवं शांत परिक्षेत्र के लिये ध्वनि के संबंध में परिवेशीय वायु क्वालिटी के मानक निर्धारित किये गये हैं। साथ ही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाउड स्पीकर के प्रयोग के संबंध में एक मार्गदर्शिका भी जारी की गयी है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाये गये उपरोक्त नियम के कड़ाई से अनुपालन हेतु समस्त जिलाधिकारियों, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग तथा राज्य सम्पत्ति विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये भारत सरकार द्वारा बनाये गये उक्त नियम के अंतर्गत लाउड स्पीकर का प्रयोग निर्धारित अवधि एवं प्राविधानों के अंतर्गत किया जा सकता है। जहां तक धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग कर जन सामान्य को भड़काने, कानून व्यवस्था की स्थिति को विस्फोटक बनाने का प्रश्न है, यह कानून व्यवस्था का विषय है, जिसके संबंध में जिला प्रशासन संगत नियमों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम है।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद व मोहनगंज के थानाध्यक्षों द्वारा उक्त थानों में तैनाती के दौरान की गयी नागरिक उत्पीड़न की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री तेजभान सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद रायबरेली के थाना नसीराबाद व मोहनगंज के थानाध्यक्षों द्वारा उक्त थानों में तैनाती के दौरान की गयी नागरिक उत्पीड़न की अंकित घटनाओं पर पुलिस अधीक्षक रायबरेली से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त जाँच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत हैं:-

थानाध्यक्ष नसीराबाद द्वारा श्री समद पुत्र श्री नजीर नाई के माध्यम से दर्ज कराये गये तथाकथित मुकदमों एवं सुरेन्द्र बहादुर उर्फ मुन्ना की बन्दूक जमा कराने तथा ग्राम प्रधान विरोधी श्री कुंवर बहादुर सिंह से थाना कोतवाली जायस में मुकदमा पंजीकृत कराये जाने से सम्बन्धित बिन्दुओं की जांचोपरान्त यह पाया गया है कि मु0अ0सं0 4/2001 धारा 384 भा0दं0वि0 व मु0अ0सं0 8/2001 धारा 506 भा0द0वि0 के वादी श्री अब्दुल समद पुत्र श्री नजीर निवासी तारापुर मजरे कुढा थाना नसीराबाद रायबरेली से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम कुढ़ा के प्रधान सुरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा कुढा चौराहे पर गुमटी रखने के स्थान पर पट्टा करने के लिए डरा धमकाकर मुकदमा वादी से 3000/- रुपये की मांग की गयी थी जिसके सम्बन्ध में लिखित तहरीर थाना नसीराबाद पर उनके द्वारा दी गयी थी। उसी तहरीर के आधार पर उक्त पंजीकृत मुकदमें में प्रधान सुरेन्द्र बहादुर सिंह लाइसेन्सी बन्दूक के साथ गिरफ्तार किये गये थे। क्षेत्राधिकारी सलोन द्वारा जांच करने पर ग्राम कुढा चौराहे पर स्थित अन्य दुकानदारों व ग्राम वासियों से पूछताछ करने पर ग्राम प्रधान सुरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के विरुद्ध दबंगई के कारण बन्दूक के बल पर अब्दुल समद व अन्य लोगों को डराने-धमकाने तथा पैसा मांगने की बात की पुष्टि हुयी है। अभियुक्त के जमानत पर छूटने के बाद पुनः मुकदमा वादी को धमकाकर और डी0एम0 रायबरेली के पास ले जाकर फर्जी शपथ पत्र तैयार करवाकर उस पर अंगूठा लगवाने की बात मुकदमा वादी द्वारा जांच के मध्य बतायी गयी है अतः थानाध्यक्ष नसीराबाद द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराये जाने एवं बन्दूक जमा कराये जाने के आरोपों की जांच से पुष्टि नहीं हुयी है। उक्त अभियोगों की विवेचना प्रचलित है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान के विरुद्ध कुंवर बहादुर सिंह द्वारा थाना कोतवाली जायस में अपराध दर्ज कराये जाने के प्रकरण में जांच से पाया गया कि दिनांक 19-2-2001 को कोतवाली जायस पर सुरेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध मात्र, एक एन0सी0आर0 नं0- 5/2001 पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में जांचोपरान्त प्रकरण फर्जी पाये जाने पर मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। इस अपराध के पंजीकृत होने में थानाध्यक्ष नसीराबाद की संलिप्तता प्रमाणित नहीं पायी गयी है। उक्त एन0सी0आर0 कुंवर बहादुर सिह द्वारा आपसी रंजिश के कारण ग्राम प्रधान सुरेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध लिखाया जाना पाया गया है।

दिनांक 22-2-2001 को पुलिस लाइन में आयोजित गोष्ठी में श्री तेजभान सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा वादी मुकदमा अब्दुल समद को पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु अब्दुल समद द्वारा न तो मुकदमा दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में कोई अनभिज्ञता प्रकट की गयी और न ही अपराध पंजीकृत कराये जाने के विरुद्ध कुछ कहा गया था। इस प्रकरण में पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक से जांच कराये जाने के आदेश पारित नहीं किये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मणिभद्र सिंह निवासी धनुहा मजरे थाना मोहनगंज को उत्पीड़ित करने विषयक आरापों की जांच से पाया गया कि श्री मणिभद्र सिंह निवासी धनुहा मजरे आशापुर गाडी थाना मोहनगंज रायबरेली की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 191/2000 धारा 379 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री अनिरूद्ध कुमार सिंह थाना मोहनगंज द्वारा संपादित की गयी। मुकदमें में अभियुक्त चंद्रमणि सिंह, राघवेन्द्र सिंह आदि द्वारा युकलिप्टस के पेड़ चोरी से काट कर बेच देने का आरोप था। विवेचना से पाया गया कि यह दो सगे भाइयों के मध्य जमीन संबंधी आपसी विवाद का मामला है। युकलिप्टस के पेड़ राघवेन्द्र सिंह, जो वादी मुकदमा का सगा भाई है और इस मुकदमें में अभियुक्त है, द्वारा मुन्ना ठेकेदार को बेंच कर पैसा प्राप्त कर लिया गया है। थानाध्यक्ष श्री अनिरूद्ध कुमार सिंह द्वारा लकड़ी को अपने घर इलाहाबाद उठवा ले जाने की बात अभी तक की जांच से प्रमाणित नहीं पायी गयी है। इस अभियोग की विवेचना कर निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष मोहनगंज व क्षेत्राधिकारी तिलोई को आदेशित कर दिया गया है।

श्री मणिभद्र सिंह तथा दिनेश कुमार वर्मा आदि द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह के घर में घुसकर मारपीट किये जाने के संबंध में वादी मुकदमा श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 192/2000 धारा 147/452/323/506/436 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया है। इस अभियोग मे जांचोपरान्त मणिभद्र सिंह तथा दिनेश कुमार वर्मा द्वारा घर में घुसकर मारपीट किये जाने की बात सही पाये जाने पर थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 18-12-2000 को अभियुक्त मणिभद्र सिंह को डी0बी0बी0एल0 बन्दूक सहित गिरफ्तार किया गया और बन्दूक को थाने पर दाखिल किया गया तथा विवेचनोपरान्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 452/323/506/435 भा0दं0वि0 में प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुये तृतीय अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन रायबरेली के द्वारा रू020,000/- की एक जमानत व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर डी0बी0बी0एल0 गन को इस शर्त पर वापस करने के आदेश दिये गये कि वह प्रश्नगत बन्दूक को प्रयोग किसी अपराधिक कार्य के लिए नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर वह प्रश्नगत बन्दूक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार श्री मणिभद्र सिंह की बन्दूक को उनकी सुपुर्दगी में पुलिस द्वारा दे दिया गया है। इस प्रकार पुलिस द्वारा घर पर छापा मारकर श्री मणिभद्र सिंह की बंदूक को उठाकर लाने की बात प्रमाणित नहीं पायी गयी है।

श्री हरपाल सिंह को थानाध्यक्ष मोहनगंज द्वारा अनाधिकृत रूप से थाने में रोके रखने एवं जेल भेजने विषयक प्रकरण में पूर्व में अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा जांच सम्पादित की गयी थी और जांचोपरान्त थानाध्यक्ष मोहनगंज श्री अनिरूद्ध कुमार सिंह, उपनिरीक्षक श्री अशोक चन्द्र दुबे व अन्य पुलिस कर्मी थाना मोहनगंज के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कराये जाने की संस्तुति की गयी थी। इस संस्तुति के अनुक्रम में थाना मोहनगंज पर मु0अ0सं0 8/2001 धारा 211/219/343/389/323/504/506 भा0दं0वि0 विरूद्ध अनिरूद्ध कुमार सिंह थानाध्यक्ष मोहनगंज, उपनिरीक्षक अशोक चन्द्र दुबे, कांस्टे0 मिथलेश पाण्डेय पंजीकृत कराकर प्रभारी निरीक्षक महराजगंज द्वारा विवेचना की जा रही है। श्री अनिरूद्ध कुमार सिंह थानाध्यक्ष मोहनगंज को थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तित कर दिया गया है तथा गैर जनपदीय पुलिस में तैनात करने एवं विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को शासन स्तर से निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त दोनों उपनिरीक्षकों द्वारा गवाहों को उत्पीड़ित किये जाने का कोई तथ्य अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

उदय प्रताप सिंह को पकड़कर गाड़ी का चालान करने विषयक आरोपों के सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि थाना लालगंज में दिनांक 22-2-2001 को हुयी बैंक लूट की घटना के संबंध में पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग का कार्य दिनांक 21-3-2001 को किया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान लाल रंग की मोटरसाईकिल जिसका इंजिन नम्बर 1908 एम 448255 था, जिसे शिव प्रताप सिंह चला रहा था तथा हरे रंग की मोटरसाईकिल

जिसका इंजिन नम्बर 8004 एम 658583 है, को उदय प्रताप सिंह चला रहा था को पुलिस द्वारा रोका गया। इन दोनों ही व्यक्तियों के पास उक्त मोटरसाईकिल के कागज नहीं थे। उदय प्रताप सिंह द्वारा चलायी जा रही मोटरसाईकिल लूट की पायी गयी। चेकिंग के दौरान पकड़े गये उपरोक्त दोनों व्यक्ति क्रमश: शिव प्रताप व उदय प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा एम0वी0ए0/3/181/194/196/207 व 41/411 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। हरे रंग की सुजुकी मोटर साईकिल जो मु0अ0सं0 327/2000 धारा 392 भा0दं0वि0 थाना इनायतनगर जनपद फैजाबाद में वांछित थी, थाना इनायतनगर पुलिस को दे दी गयी थी। दूसरी मोटरसाईकिल यू0पी0 44 बी-8301 जो श्रीमती कविता सिंह के नाम से पंजीकृत है, को छुड़ाने हेतु श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा मा0 तृतीय ए0जे0एम0 रायबरेली के न्यायालय से पारित आदेश लेकर थाना मोहनगंज पर आये। चूंकि न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी को उक्त वाहन नहीं दिया जा सकता था इसलिए थानाध्यक्ष मोहनगंज द्वारा उक्त वाहन श्री शिव प्रताप सिंह को नहीं दिया गया और शिव प्रताप सिंह द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की धमकी देते हुए थाने से चले गये। उक्त मोटरसाईकिल नं0 यू0पी044 बी/8301 थाना मोहनगंज पर सुरक्षित रखी हुई है। थाना मोहनगंज पर नियुक्त कां0 मोहरिर्र सुन्दर श्याम दुबे के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

उक्त से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्णित मामलों में विधि संगत कार्यवाही की गयी है एवं दोषी पाए गये पुलिस कर्मियों के विरूद्ध अपराध पंजीकृत कराकर विवेचना करायी जा रही है। शेष वर्णित प्रकरणों में स्थानीय पुलिस की भूमिका निष्पक्ष एवं विधिसंगत पायी गयी है। पुलिस की कार्यवाही से जनता में भय एवं आक्रोश का व्याप्त होना नहीं पाया गया है।]

जनपद इटावा तहसील भरथना के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिलाये जाने विषयक श्रीमती सुखदेवी वर्मा, सदस्य विधान सभा के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[जनपद इटावा की तहसील भरथना के अन्तर्गत स्थित ग्राम सलेमपुर में दिनांक 19.4.2001 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी। इस घटना में 58 परिवार प्रभावित हुए तथा छोटे बड़े कुल 17 पशुओं की मृत्यु हुई थी। घटना से प्रभावित पात्र 43 परिवारों में रू0 1000/- प्रति परिवार की दर से कुल रू043000/- अहेतुक सहायता मद में वितरित किया गया। अग्निकाण्ड से मृत पशुओं के स्वामियों को अनुग्रह अनुदान के रूप में रू07,000/- वितरित किया गया। इस अग्निकाण्ड की घटना में 44 मकानों को आंशिक क्षति हुई थी, जिसके स्वामियों को रू026,400/- गृह अनुदान मद में वितरित की गई है। इस प्रकार घटना से प्रभावित 58 परिवारों को कुल धनराशि रूपये 76,400/- का वितरण राहत सहायता के रूप में किया गया है।

आवश्यकतानुसार पीड़ित परिवारों में पात्रता के आधार पर नियमानुसार इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने पर जिलाधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा।]

राजकीय इन्टर कालेज हैदरगंज एवं राजकीय बालिका इन्टर कालेज, तोरोमाफी, जनपद फैजाबाद के भवन विहीन होने की स्थिति में श्री सीता राम निषाद, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हैदरगंज, फैजाबाद

[उक्त विद्यालय वर्ष 1992 से ग्राम पंचायत भवन हैदरगंज, फैजाबाद में संचालित हो रहा है। विद्यालय

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के भवन निर्माण हेतु भूमि ग्राम सभा सरायमरोधर, परगना पश्चिम रा0 तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है, जो चकबन्दी अधिकारी बीकापुर की संस्तुति हेतु विचाराधीन है। उक्त भूमि भू अभिलेखों में विद्यालय के नाम अभी दर्ज नहीं है, दर्ज हो जाने पर विद्यालय के सरकारी भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव शिक्षा निदेशक से प्राप्त कर धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरोमाफी, दरावगंज, फैजाबाद

उक्त विद्यालय पूर्व में किराये के भवन में संचालित था परन्तु विद्यालय के भवन हेतु भूमि की व्यवस्था हो जाने पर वर्ष 1999-2000 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत तीन कक्षा-कक्ष 20x25 आकार के 8 चौड़े बरामदे सहित निर्माण किये जाने के कारण दिनांक 6 अगस्त 2000 से विद्यालय सरकारी भवन में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 63.95 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त धनराशि से विद्यालय के निर्माण का कार्य जल निगम (कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज) यूनिट 47 फैजाबाद द्वारा कराया जायेगा।]

जनपद फिरोजाबाद में आवास एवं विकास परिषद सुहागनगर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भवन संख्या-2/181 के आवंटी श्री जगदीश प्रसाद को उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री कौकब हमीद सदस्य विधान सभा के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

[वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया]

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

[मा0 सदस्य श्री कौकब हमीद के द्वारा उपरोक्त के विषय में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में मा0 सदन को अवगत कराना है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सुहागनगर योजना फिरोजाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-2/181 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मुंशीलाल के पक्ष में प्रदेशन पत्र संख्या-736, दिनांक 7.9.94 के द्वारा किस्त क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट किया गया, जिसके अनुसार श्री जगदीश प्रसाद को रू0 68,530.00 संग्रह खाते में व रू0 15,668.00 विविध मद में दिनांक 30.9.1994 तक भुगतान कर कब्जे संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति कर कब्जा प्राप्त किया जाना था तथा रू0 4,380.00 की मासिक किस्त नियमित रूप से प्रतिमाह जमा करना था।

श्री जगदीश प्रसाद के द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मात्र रूपये 14,000/- का भुगतान दिनांक 27.9.1994 तक जमा किया गया। देयों का भुगतान न करने पर माह फरवरी, 1995 तक संग्रह खाते में रू0 75,716.00 एवं विविध खाते में रू0 16,580.00 जमा करने हेतु आवंटी को नोटिस जारी की गयी थी परन्तु देयों का भुगतान तब भी न करने पर परिषद द्वारा नियमानुसार वांछित कटौती करते हुए भवन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। भवन के निरस्तीकरण के उपरान्त भी दिनांक 5.5.95, 20.6.95 एवं 10.2.97 में पंजीकृत डाक द्वारा देयों के भुगतान हेतु श्री जगदीश प्रसाद को स्मरण कराया गया था इस सूचना के उपरान्त दिनांक 11.7.95 तक आवंटी द्वारा मात्र रू0 49,380.00 जमा किया गया जिसका समायोजन करने के उपरान्त भी उक्त तिथि को आवंटी पर रू0 92,938.00 अवशेष रहता था। इस प्रकार आवंटी द्वारा मांग के अनुसार धनराशि जमा नहीं की गयी।

प्रश्नगत प्रकरण के विषय में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 25.9.1998 में यह आदेश पारित किए गए कि वादी से 15 दिन के अंदर अवशेष धनराशि जमा करा ली जाय, परन्तु आवंटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात भी देय धनराशि जमा नहीं की गयी। उक्त कार्यवाही/निरस्तीकरण के लगभग तीन वर्ष पश्चात प्रश्नगत भवन को रिक्त सम्पत्ति की सूची में सम्मिलित करते हुए फरवरी, 1998 में प्रश्नगत भवन

नीलामी पद्धति द्वारा श्रीमती किरन देवी के पक्ष में आवंटित कर दिया गया। आवंटी श्रीमती किरन देवी द्वारा कब्जा संबंधी औपचारिकताओं की पूर्ति करके भवन को प्रदत्त करने का अनुरोध किया गया। प्रश्नगत भवन में पूर्व आवंटी जगदीश प्रसाद अवैध रूप से निवास कर रहे थे एवं उनके द्वारा भवन खाली न किए जाने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद से भवन को रिक्त कराने का अनुरोध किया गया एवं आवश्यक पुलिस सहायता प्राप्त हो जाने पर प्रश्नगत भवन श्री जगदीश प्रसाद के अवैध कब्जे से रिक्त कराकर श्रीमती किरन देवी को भवन का कब्जा नियमानुसार हस्तगत करा दिया गया।

अत: वर्णित स्थितियों में भवन संख्या-2/181 सुहागनगर फिरोजाबाद के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण कर वांछित धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने के कारण उक्त भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त करने के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भवन को रिक्त सम्पत्ति की सूची में सम्मिलित करते हुए माह फरवरी, 1998 में नीलामी पद्धति के द्वारा श्रीमती किरन देवी के पक्ष में नियमानुसार आवंटित किए जाने के उपरान्त कब्जा प्राप्त किए जाने संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने के उपरांत श्रीमती किरन देवी को भवन का कब्जा नियमानुसार दिया जा चुका है। कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति से मा0 सदन अवगत होने का कष्ट करें।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 9 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक 16 मई, 2001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ - - - - - - -पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के चौथे बुधवार हेतु निर्धारित, श्री जगदीश नारायण राय सदस्य विधान सभा द्वारा पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के उत्तर का संलग्नक।

टाईप - III

1. श्रीमती मीनू अबूल	सिस्टर
2. श्रीमती के0एल0 मिर्जा	सिस्टर
3. श्रीमती ए0 वर्गीस	सिस्टर
4. श्रीमती शोभा आई0बी0मिश्रा	सिस्टर
5. श्रीमती मधुबाला	अने0टी0एस0
6. श्रीमती आर0जे0 निगम	सिस्टर
7. श्रीमती पूनम शर्मा	सिस्टर
8. श्रीमती सावित्री गौतम	सिस्टर

टाईप - II, ब्लाक - I

1. श्रीमती नीरा रार्बट	स्टाफ नर्स
2. श्रीमती ई0 स्मिथ	स्टाफ नर्स
3. श्रीमती शाकिरा बेगम	स्टाफ नर्स
4. श्रीमती आईनिस सिंह	सिस्टर
5. श्रीमती एम0 रैम्सन	स्टाफ नर्स
6. श्रीमती के0बी0 सिंह	स्टाफ नर्स
7. श्रीमती सुमन नायर	सिस्टर
8. श्रीमती ओमना नायर	स्टाफ नर्स

टाईप - II, ब्लाक - 2

1. श्रीमती ई0 एरियल	सिस्टर
2. श्रीमती सी0 डैनियल	स्टाफ नर्स
3. श्री जे0बी0 सिंह	स्टाफ नर्स (पुरूष)
4. श्रीमती रीना चरन	स्टाफ नर्स
5. श्रीमती शिव श्री देवी	स्टाफ नर्स
6. श्रीमती शोभागुप्ता	स्टाफ नर्स
7. श्रीमती विजय लक्ष्मी तिवारी	स्टाफ नर्स
8. श्रीमती शोभा रानी शर्मा	स्टाफ नर्स

टाईप - II, ब्लाक - 3

1. श्री काजी सरवर हुसैन	चीफ फार्मासिस्ट
2. श्री मती पी0एल0 सहाय	सिस्टर
3. श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक
4. श्री दुर्गा प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक
5. श्रीमती सुशीला सिंह	स्टाफ नर्स

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6. श्री ओ0पी0 सिंह	फार्मासिस्ट
7. श्री एस0पी0 मौर्या	लैब टेक्नीशियन
8. श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक

टाईप - I, ब्लाक - 1

1. श्री केशव प्रसाद	धोबी
2. श्री किशोरी लाल	धोबी
3. श्री कमलेश	धोबी
4. श्रीमती वहीदन	आया
5. श्री प्रवीन कुमार	धोबी
6. श्री कल्लू	धोबी
7. श्रीमती कैलाशपति	आया
8. श्रीमती रमोला	सफाई कर्मचारी
9. श्री मोहन	धोबी
10. श्री अजमत	वार्ड ब्वाय
11. श्री मनोज कुमार	वार्ड ब्वाय
12. कु0 परवीन बानो	आया
13. श्री महेश प्रसाद	वार्ड ब्वाय
14. श्री गिरीश चन्द्र	चौकीदार
15. श्रीमती किरन श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक
16. श्री सुनील कुमार	क्लीनर

टाईप - I, ब्लाक - 2

1. श्री सनी पास्कल	वार्ड ब्वाय
2. श्री अमरनाथ जोशी	वार्ड ब्वाय
3. श्री मदन मोहन पाण्डेय	वार्ड ब्वाय
4. श्री मुमताज अली	ड्राईवर
5. श्री किशन चन्द्र	रेडियोग्राफर
6. श्रीमती एकादशी	आया
7. श्री ईश्वर चन्द्र जोशी	वार्ड ब्वाय
8. श्री भीम सिंह	वार्ड ब्वाय
9. श्रीमती मुन्नी	आया
10. श्री अर्जुन सिंह	वार्ड ब्वाय
11. श्री रामेश्वर यादव	चौकीदार
12. श्री मोहन आनन्द	[illegible]
13. श्री गंगा राम	वार्ड ब्वाय
14. श्री हरीराम [illegible]	[illegible]
15. श्री राधेश्याम [illegible]	वार्ड ब्वाय
16. श्री राज कुमार सिंह	वार्ड ब्वाय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

टाईप - I, ब्लाक - III

1. श्री शिव चरन	वार्ड ब्वाय
2. श्रीमती शान्ती पत्नी स्व0 हसनू	सफाई कर्मचारी
3. श्रीमती शान्ती पत्नी स्व0 बाबूलाल	सफाई कर्मचारी
4. श्री विनोद कुमार -II	सफाई कर्मचारी
5. श्री प्रेम	सफाई कर्मचारी
6. श्री इन्द्रपाल	सफाई कर्मचारी
7. श्री राम किशन	सफाई कर्मचारी
8. श्रीमती बन्नो	सफाई कर्मचारी
9. श्री महाबीर	चौकीदार
10. श्री राजू -I	सफाई कर्मचारी
11. श्री लड्डन	सफाई कर्मचारी
12. श्री मुन्ना -II	सफाई कर्मचारी
13. श्रीमती नजीरन	सफाई कर्मचारी
14. श्री मो0 अजीम	क्लीनर
15. श्री अन्सार	सफाई कर्मचारी
16. श्री सोहन लाल III	सफाई कर्मचारी

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-44 का उत्तर पीछे पृष्ठ ...38.....पर)

शासनादेश संख्या-859 (ए) 26-700 (5)-1959, दिनांक 12-5-61 एवं शासनादेश संख्या-3276/26-3-92-3 (42)/90, दिनांक 21-11-92 के अनुसार विभिन्न जनपदों में पायी जाने वाली विमुक्त जातियों की सूची।

विमुक्त जातियां

(एक ही स्थान पर निवास करने वाली)

क्रमांक	जातियों का नाम	जनपद
1-	बंजारा	आगरा, फर्रूखाबाद, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेंरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली. सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, शिकोहाबाद, जसराना।
2-	भर	आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ, मऊनाथ भंजन, घोसी, मोहमदाबाद महराजगंज,नौतनवा, निचलौल, फरेंदा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3-	दलेरे, कहार	बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद (गाजियाबाद, हापुड गढ़मुक्तेश्वर, दादरी)
4-	गंडीला	मुजफ्फरनगर।
5-	घोसी (हिन्दू)	अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद जसरांना) मैनपुरी।
6-	केवट	बस्ती, सिद्धार्थ नगर (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज)
7-	मल्लाह	आगरा, अलीगढ़, बलिया, इटावा, बुलन्दशहर, गोरखपुर, मिर्जापुर, तथा मथुरा, गाजियाबाद (गाजियाबाद, हापुड, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी) सोनभद्र (राबर्टसगंज, दुद्धी), महराजगंज (महाराजगंज, नौतनवा, निचलौल, फरेन्दा) (फिरोजाबाद), फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना।
8-	लोध	फतेहपुर, मैनपुरी (शिकोहाबाद, जसराना), फिरोजाबाद।
9-	मेवाती	बुलन्दशहर तथा अलीगढ़, गाजियाबाद (गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी).
10-	औधिया	कानपुर, फतेहपुर, कानपुर, (देहात) (बिल्हौर, घाटमपुर, डेरापुर, भोगनीपुर, अकबरपुर, रसूलाबाद।)
11-	तगाभाट	सहारनपुर,हरिद्वार (हरिद्वार, रूड़की, लक्सर)

विमुक्त घुमन्तु जातियाँ

क्रमांक	जातियों का नाम	जनपद
1-	खुरपल्टा	आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)
2-	मोंगिया (मोंग)	आगरा, झाँसी, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद शिकोहाबाद, जसराना)
3-	मदारी	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर तथा फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, जसराना, शिकोहाबाद)
4-	सिंगीवाला	अलीगढ़, बरेली, बदायूँ, मथुरा, नैनीताल, सहारनपुर।
5-	औघड़	इलाहाबाद।
6-	वैद	इलाहाबाद।
7-	भाट	इलाहाबाद, वाराणसी, एटा, हरदोई, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, मथुरा तथा सोनभद्र, (राबर्टसगंज, दुद्धी)
8-	चमरमंगता	इलाहाबाद, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा उन्नाव।
9-	जोगी	इलाहाबाद, शाहजहाँपुर।
10-	जोगा	बदायूँ।

11-	किंगिरिया	इलाहाबाद।

क्रमांक	जातियों का नाम	जनपद
12-	महावत (लुंगीपठान)	इलाहाबाद, बहराइच, हरदोई। पीलीभीत, रायबरेली तथा उन्नाव।
13-	भ्रतरी	इलाहाबाद।
14-	सपेरा (सपेरिया)	इलाहाबाद, मथुरा, सहारनपुर।
15-	कुरमंगिया (हिन्दू महावत)	कानपुर, हरदोई, कानपुर देहात (बिल्हौर, घाटमपुर, डेरापुर, भोगिनीपुर, अकबरपुर, रसूलाबाद)
16-	बेलदार	इटावा. सहारनपुर।
17-	कनमैलिया	इटावा
18-	घोशियान	फर्रूखाबाद, झाँसी।
19-	गोदाहार	गोंडा, सुल्तानपुर।
20-	लोना चमार	जालौन
21-	बुर्जी	मथुरा
22-	सिंगलीगर	मथुरा
23-	कंकाली	सुल्तानपुर
24-	ब्रजवासी	उन्नाव।
25-	कुलन्दर फकीर	इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, पिथौरागढ़।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 06 वि0सभा0 --26-6-2003--813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।